



वार्षिक रिपोर्ट

2014 - 2015



इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार





सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

2014–15

इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार

विषय सूची

अध्याय	पृष्ठ संख्या
1 मुख्य उपलब्धियां	02
2 इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप	08
3 भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं	11
4 सार्वजनिक क्षेत्र	18
5 निजी क्षेत्र	28
6 अनुसंधान और विकास	31
7 ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन	39
8 सूचना प्रौद्योगिकी का विकास	54
9 सुरक्षा	59
10 समाज के कमजोर वर्गों का कल्याण	65
11 सतर्कता	69
12 शिकायत निवारण तंत्र	76
13 निःशक्तजन व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन	80
14 हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	82
15 महिला सशक्तिकरण	87
16 इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन	92
17 निगमित सामाजिक दायित्व	94
18 इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान	103
19 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	105
20 पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास	108
21 अंतरराष्ट्रीय सहयोग	110
अनुलग्नक	111–129
परिशिष्ट	131–184

वर्ष 2014–15 के उत्पादन, वित्तीय और अन्य संबंधित आंकड़े अनंतिम हैं।

अध्याय—।

मुख्य उपलब्धियां

1.1 इस्पात क्षेत्र की प्रवृत्तियां एवं विकास

- भारत ने कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाले देशों में विश्व में चौथी स्थिति बनाई हुई है और आशा है कि इसके जल्द ही कच्चे इस्पात का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बनने की संभावना है।
- भारत डायरेक्ट रेड्यूस्ड आयरन (डी आर आई) या स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है।
- 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के तदनुरूपी पांच वर्षों में कुल तैयार इस्पात की घरेलू मांग, वर्ष 1991–92 और 2010–11 के बीच प्राप्त 8 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की औसत वार्षिक वृद्धि की दर से बढ़ने की संभावना है।
- देश में प्रस्तावित इस्पात की क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2020 तक 5–10 लाख करोड़ रुपए के निवेश के होने की संभावना है।
- इस्पात क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2 प्रतिशत का योगदान देता है और 6 लाख से अधिक लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं।
- अप्रैल–दिसंबर, 2014–15 (अनंतिम) के दौरान, उद्योग का परिदृश्य पिछले साल की समान अवधि की तुलना में निम्नलिखित रहा:
 - ❖ कच्चा इस्पात का उत्पादन पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.5 प्रतिशत बढ़कर 623.92 लाख टन रहा। एकीकृत इस्पात उत्पादकों ने इस दौरान 336.77 लाख टन उत्पादन किया जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 2.5 प्रतिशत अधिक है। लघु एवं अन्य उत्पादकों ने इस अवधि के दौरान 287.15 लाख टन उत्पादन किया जो पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 2.4 प्रतिशत अधिक है।
 - ❖ स्वयं उपभोग/आई पी टी के उपरांत, बिक्री के लिए पिंग ऑफरन का उत्पादन 60.8 लाख टन रहा जो पिछले साल की तुलना में 3.6 प्रतिशत अधिक है। एकीकृत इस्पात उत्पादकों का इसमें योगदान 14 प्रतिशत रहा, जबकि बाकी (86 प्रतिशत) योगदान लघु एवं अन्य उत्पादकों का रहा।
- अप्रैल–दिसंबर 2014–15 (अनंतिम) के दौरान कुल तैयार इस्पात (मिश्र + गैर-मिश्र) के मामले में :
 - ❖ बिक्री के लिए उत्पादन 651.97 लाख टन था जो पिछले साल की तुलना में 1.6 प्रतिशत अधिक है।
 - ❖ नियात 40.66 लाख टन रहा जो पिछले साल के मुकाबले 6.6 प्रतिशत कम है।
 - ❖ आयात 64.92 लाख टन रहा जो पिछले साल के मुकाबले 57.5 प्रतिशत अधिक है।
 - ❖ भारत इस्पात का शुद्ध आयातक रहा।
 - ❖ वास्तविक खपत 553.15 लाख टन रही जो पिछले साल की तुलना में 1.5 प्रतिशत अधिक है।

1.2 इस्पात मंत्रालय द्वारा वर्ष के दौरान किए गए प्रमुख उपाय

- मानव जाति एवं अधोसंरचना की सुरक्षा पर प्रत्यक्ष असर डालने वाले सभी 15 उत्पादों पर 1 अक्टूबर, 2014 से इस्पात एवं इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2012 प्रभावी।
- दो इस्पात संयंत्र— इसको बर्नपुर और राऊरकेला स्टील प्लांट का विस्तार पूरा कर इसे राष्ट्र को समर्पित करने की तैयारी की जा रही है जिससे करीब 47 लाख टन कच्चे इस्पात की क्षमता जुड़ जाएगी।
- कच्चा माल के आबंटन एवं प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए खान, कोयला और पर्यावरण एवं वन मंत्रालयों के साथ सक्रिय रूप से काम किया गया है।
- देश के इस्पात क्षेत्र की जरूरतों व आकांक्षाओं को समझने के लिए इंडियन स्टील एसोसिएशन (आईएसए) के गठन की सुविधा प्रदान की गई।
- कोकिंग कोल की आपूर्ति में दीर्घकालीन सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ी पहल के तहत आईसीवीएल ने मोजांबिक में रियो टिंटों की चालू कोयला खान व कोयला परिसंपत्तियों का अधिग्रहण किया है।



माननीय इस्पात और खान मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला-2014 स्थित 'इस्पात पवेलियन' का माननीय इस्पात और खान राज्य मंत्री श्री विष्णु देव साय के साथ उद्घाटन करते हुए

- भारत में लौह एवं इस्पात क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों की अगुवाई के लिए इस्पात मंत्रालय ने स्टील रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी मिशन ऑफ इंडिया (एसआरटीएमआई) स्थापित करने की सुविधा दे रहा है।
- वर्ष 2025 तक 3000 लाख टन का उत्पादन लक्ष्य हासिल करने के लिए छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखण्ड और कर्नाटक की राज्य सरकारों के साथ विशेष उद्देश्यीय वाहन (एसपीवी) स्थापित करने पर काम किया जा रहा है।
- नागरिकों/ग्राहकों को त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा सेवोत्तम कंप्लायंट सिटीज़न्स चार्टर के क्रियान्वयन को अपनाया गया है।
- सूचना उपलब्ध करने एवं निवेश की सुविधा प्रदान करने के लिए निवेश सुगमता प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसका ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
- इस्पात मंत्रालय ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, 2014 में इस्पात उद्योग के साथ मिलकर स्टील पैवेलियन लगाना जिसका विषय था महिला उद्यमशीलता। इसमें इस्पात एवं खनन क्षेत्र की ऐसी कई वस्तुएं प्रदर्शित की गईं जिनके निर्माण में महिला उद्यमियों का योगदान था।
- इस्पात मंत्रालय ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत कई गतिविधियां कीं और 2 अक्टूबर, 2014 को इस्पात मंत्रालय के सभी कर्मचारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इसके अलावा, इस्पात मंत्रालय के तहत सभी केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया और अपनी सीएसआर गतिविधियों के तहत स्वच्छ विद्यालय अभियान के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण भी कराया।

1.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा प्रमुख विस्तार/अधिग्रहण/संयुक्त उद्यम

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भिलाई, बोकारो, राऊरकेला, दुर्गापुर और बर्नपुर में अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों और सेलम में विशेष इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण शुरू किया है। चालू चरण में कच्चे इस्पात की क्षमता 128 लाख टन से बढ़ाकर 214 लाख टन प्रति वर्ष की जा रही है। चालू चरण में लगभग 61,870 करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है। इसके अतिरिक्त सेल की खानों के आधुनिकीकरण और विस्तार के लिए 10,000 करोड़ रुपए (अनुमानित) रखे गए हैं।

अध्याय—।



सेल के इस्को इस्पात संयंत्र, बर्नपुर में भारत की सबसे बड़ी प्रचालनरत ब्लास्ट फर्नेस – 4160 घन मीटर कल्याणी से तप्त धातु की टैपिंग

- नवंबर, 2014 तक विभिन्न आधुनिकीकरण और विस्तार पैकेजों के लिए लगभग 62,804 करोड़ रुपये के ऑर्डर दिए गए हैं। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 4,313.19 करोड़ रुपये के व्यय सहित नवंबर, 2014 तक संचयी व्यय 56,661 करोड़ रुपये रहा है।
- सेलम इस्पात संयंत्र का विस्तार पूरा किया जा चुका है। राउरकेला स्टील प्लांट में कोक निर्माण, सिंटर निर्माण, देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस (4060 m^3) के साथ लौह निर्माण, बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, स्लैब कास्टर एवं नयी प्लेट मिल में रोलिंग सुविधाओं सहित व प्लेट मिल फिनिशिंग को छोड़कर संपूर्ण नयी एकीकृत प्रक्रिया रूट को पूरा कर लिया गया है। इस्को स्टील प्लांट में कोक निर्माण, सिंटर निर्माण, देश के सबसे बड़े ब्लास्ट फर्नेस (4060 m^3) के साथ लौह निर्माण, इस्पात निर्माण, सतत कास्टिंग व वायर रॉड मिल सहित संपूर्ण नयी एकीकृत प्रक्रिया रूट पूरी कर ली गई है जिसमें बार मिल व युनिवर्सल सेक्षन मिल शामिल नहीं है। बोकारो स्टील प्लांट में सभी प्रमुख सुविधाएं जैसे उन्नत बीएफ संख्या 2, कोक ओवन बैटरियां संख्या 1 एवं 2 और नयी 12 लाख टन वार्षिक क्षमता की कोल्ड रोलिंग मिल पूरी कर ली गई है। भिलाई स्टील प्लांट में अयस्क हैंडलिंग प्लांट भाग—ए, एसपी—३ में दूसरी सिंटर मशीन एवं नयी कोक ओवन बैटरी—९ पूरी कर ली गई है। दुर्गापुर स्टील प्लांट में कोक ओवन बैटरी—२ का पुनर्निर्माण पूरा कर लिया गया है। आधुनिकीकरण एवं विस्तार योजना का क्रियान्वयन पूर्ण गति से किया जा रहा है। आधुनिकीकरण एवं विस्तार का वर्तमान चरण 2015 तक पूरा होने की संभावना है।

एनएमडीसी लिमिटेड

- एनएमडीसी लिमिटेड छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नागरनार में सालाना 30 लाख टन क्षमता का एक नया एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रही है।
- भारतीय इस्पात उद्योग की लौह अयस्क की बड़ी हुई मांग पूरी करने के लिए एनएमडीसी की उत्थनन क्षमता बढ़ाने हेतु ईस्ट कोस्ट रेलवे की कोड्वासला—किर्नाडुल लाइन के 150 किलोमीटर के जगदलपुर—किर्नाडुल सेक्षन को दोहरा करने के लिए एनएमडीसी एवं भारतीय रेलवे के बीच एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- एनएमडीसी में सालाना 150 लाख टन की गारा पाइपलाइन परियोजना स्थापित करने की गतिविधियां संचालित हैं। इनमें बैलाडिला में लौह अयस्क बेनिफिसिएशन संयंत्र, नागरनार में सालाना 20 लाख टन का संयंत्र एवं बैलाडिला से नागरनार होते हुए विशाखापत्तनम तक गारा पाइपलाइन प्रणाली शामिल है। बैलाडिला से नागरनार तक गारा



पाइपलाइन का हिस्सा एनएमडीसी के स्वामित्व में होगा और इसका क्रियान्वयन भी एनएमडीसी ही करेगी, जबकि नागरनार से विशाखापत्तनम तक पाइपलाइन एवं विशाखापत्तनम में सालाना 60 लाख टन के पेलेट संयंत्र की स्थापना का क्रियान्वयन संयुक्त उद्यम के जरिए किया जाएगा जिसमें एनएमडीसी व आरआईएनएल प्रमुख भागीदार हैं।

- iv) लौह अयस्क आधार बढ़ाने के साथ-साथ अपनी भौगोलिक उपस्थिति का विस्तार करने की दिशा में, एनएमडीसी ने पर्याप्त स्थित आस्ट्रेलियाई खनन कंपनी जिसके पास लौह अयस्क का भंडार है और जो आस्ट्रेलियाई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, लीगेसी आयरन और लिमिटेड में महत्वपूर्ण इकिवटी भागीदारी प्राप्त की है।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- विस्तार परियोजना के तहत करीब 12,291 करोड़ रुपये की लागत से तरल इस्पात की क्षमता दोगुनी कर सालाना 63 लाख टन की जा रही है:
 - ❖ चरण-1 की सभी प्रमुख इकाइयों को स्थापित किया जा चुका है और वे नियमित परिचालन में हैं।
 - ❖ चरण-2 के तहत शेष इकाइयां जैसे विशेष बार मिल और स्ट्रॉकवरल मिल क्रमशः मार्च, 2015 और अप्रैल, 2015 तक कमीशन किए जाने की योजना है।
 - ❖ आरआईएनएल पहले ही 11,114 करोड़ रुपये (दिसंबर, 2014 तक) से अधिक खर्च कर चुकी है और बाकी राशि अंतिम भुगतान एवं कुछ प्रगति से जुड़े भुगतान से संबद्ध है।
- ब्लास्ट फर्नेस-1 के श्रेणी-1 के बहुत मरम्मत एवं उन्नयन का काम पूरा किया गया।
- आरआईएनएल ने एनईडीओ, जापान के सहयोग से सिंटर मशीन 1 एवं 2 के स्ट्रेट लाइन कूलर के हॉट एयर से 20.6 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एक परियोजना पूरी की है। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है।
- बीएफ गैस के वेस्ट प्रेशर से 14 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए बीएफ-3 की टॉप रिकवरी टर्बाइन स्थापित की गई।
- आगे एकीकरण/कारोबार विविधीकरण के लिए रणनीतिक गठबंधन की पहल:
 - ❖ भारतीय रेलवे की हाई स्पीड ट्रेनों के लिए प्रति वर्ष 1,00,000 पहियों के उत्पादन के लिए यूपी के राय बरेली में एक फोर्जरी व्हील प्लांट स्थापित किया जा रहा है।
 - ❖ प्रति वर्ष 50,000 एक्सल के उत्पादन के लिए एक एक्सल प्लांट लगाया जा रहा है। एक्सल भारतीय रेलवे के लिए एक आयात स्थानापन्न बस्तु है।
 - ❖ नागरनार से विशाखापत्तनम तक 130 लाख टन क्षमता की लौह अयस्क गारा पाइपलाइन बिछाने एवं विशाखापत्तनम में सालाना 60 लाख टन क्षमता का पेलेट संयंत्र लगाने के लिए एनएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम लगाने की पहल।

1.4 वर्ष 2014–15 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उपलब्धियां

1.4.1 स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

- वित्त वर्ष 2014–15 के प्रथम नौ माह में कर-पूर्व लाभ 2,084 करोड़ रुपये और शुद्ध लाभ 1,758 करोड़ रुपये।
- अप्रैल–दिसंबर, 2014 के दौरान बिक्री टर्नओवर 37,740 करोड़ रुपये रहा जोकि इसके पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 2.33 प्रतिशत अधिक है।
- कंपनी का नेटवर्ध 31 दिसंबर, 2014 को 43,333 करोड़ रुपये था।
- सेल ने अप्रैल–दिसंबर, 2014 के दौरान शेयरधारकों को कंपनी की चुकता इकिवटी शेयर पूंजी के 17.50 प्रतिशत की दर से 722.84 करोड़ रुपये अंतरिम लाभांश का भुगतान किया।

1.4.2 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

- आरआईएनएल ने चक्रवाती तूफान 'हुदहुद' की वजह से उत्पादन में नुकसान के बावजूद वर्ष 2014–15 के लिए दिसंबर, 2014 तक कच्चे इस्पात के उत्पादन में इसके पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 4 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की।
- इस अवधि के दौरान 16.17 लाख टन मूल्यवर्धित इस्पात उत्पादों का उत्पादन किया गया जोकि बिक्री योग्य इस्पात का करीब 77 प्रतिशत है।

अध्याय—।

- इस दौरान 732 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड निर्यात बिक्री हासिल की गई जो इससे पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 41 प्रतिशत अधिक है।
- 1.68 लाख टन बिक्री योग्य इस्पात का निर्यात किया गया जो इससे पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 274 प्रतिशत अधिक है।
- इस अवधि के दौरान 21 नए उत्पाद विकसित किए गए। इसके अलावा, बॉयलर एप्लीकेशंस के लिए दो नए ग्रेड्स जैसे एसएर्ई 1018 आईबीआर एवं एसएर्ई 1019 आईबीआर विकसित किए गए हैं।
- श्रीलंका में अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यालय का पंजीकरण कराया गया है।
- लोक उपक्रम विभाग द्वारा 2013–14 के लिए एमओयू रेटिंग के मुताबिक आरआईएनएल का कार्य निष्पादन ‘उत्कृष्ट’ आंका गया।

1.4.3 एन एम डी सी लिमिटेड

- वर्ष 2014–15 (दिसंबर, 2014 तक) के दौरान एनएमडीसी की घरेलू बाजार में बिक्री 211.1 लाख टन रही जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 194.6 लाख टन थी।
- कंपनी ने चालू वर्ष (दिसंबर, 2014 तक) के दौरान करीब 1,045 करोड़ रुपये मूल्य के 17.2 लाख टन लौह अयस्क का जापान, दक्षिण कोरिया और चीन को निर्यात किया, जबकि इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 1159 करोड़ रुपये मूल्य के 16.4 लाख टन का निर्यात किया गया था।
- वर्ष के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) कुल बिक्री 228.3 लाख टन की रही जो इससे पिछले साल की समान अवधि में 211 लाख टन की थी।
- कंपनी का लौह अयस्क उत्पादन 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) 225 लाख टन रहा जो इससे पिछले साल की समान अवधि में 201.6 लाख टन था।
- वर्ष के दौरान तीसरी तिमाही तक उत्पादन, लदान एवं बिक्री कंपनी की स्थापना के बाद से किसी वित्त वर्ष में तीसरी तिमाही तक की सबसे अधिक है।
- एनएमडीसी ने वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक, अनंतिम) कर–पूर्व 7,704 करोड़ रुपये का लाभ कमाया जो इससे पिछले वर्ष की समान अवधि में 6,761 करोड़ रुपये था।
- लोक उपक्रम विभाग द्वारा 2013–14 के लिए एमओयू रेटिंग के मुताबिक एनएमडीसी का कार्य निष्पादन ‘उत्कृष्ट’ आंका गया।

1.4.4 मॉयल लिमिटेड

- मॉयल लिमिटेड ने 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) 8.22 लाख टन मैग्नीज अयस्क का उत्पादन किया।
- 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) कंपनी की कुल आय 880.60 करोड़ रुपये (अनंतिम) रही।
- 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) कंपनी का कर पूर्व लाभ 469.32 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) शुद्ध लाभ 309.80 करोड़ रुपये (अनंतिम) रहा।
- मॉयल ने वित्त वर्ष 2013–14 के लिए 126 करोड़ रुपये का लाभांश भुगतान किया।
- लोक उपक्रम विभाग द्वारा 2013–14 के लिए एमओयू रेटिंग के मुताबिक मॉयल का कार्य निष्पादन ‘उत्कृष्ट’ आंका गया।

1.4.5 एम एस टी सी लिमिटेड

- गोवा सरकार ने जनवरी, 2014 के दौरान राज्य में जब्त किए गए लौह अयस्क की ई–नीलामी के लिए एमएसटीसी को नियुक्त किया और 33.6 लाख टन की मात्रा के लिए 393.17 करोड़ रुपये की बिक्री की गई है।
- इस अवधि के दौरान निजी कंपनियों की ओर से और कर्नाटक में एनएमडीसी की खानों से 4,137 करोड़ रुपये मूल्य के 151.9 लाख टन लौह अयस्क की बिक्री की गई जिसमें जब्त किया गया एवं उत्थनन कर निकाला गया लौह अयस्क शामिल है।



- एमएसटीसी ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से 990 करोड़ रुपये मूल्य के जब्त किए गए रक्तचंदन की सफलतापूर्वक ई-नीलामी की जिसको लेकर सरकार पूरी तरह से संतुष्ट थी।
- केरल सरकार द्वारा एमएसटीसी को टिंबर की ई-नीलामी के काम में लगाया गया। पहली नीलामी नवंबर, 2014 में सफलतापूर्वक कराई गई।
- व्यापार के मामले में, एमएसटीसी ने बिजली कंपनियों के लिए आयातित 57.1 लाख टन थर्मल कोल हेतु 3200 करोड़ रुपये की बिक्री हासिल की।
- एमएसटीसी ने विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों के लिए 1,539.71 करोड़ रुपये की ई-खरीद की।
- भारत सरकार ने 204 कोयला ब्लॉकों की ई-नीलामी के लिए एमएसटीसी का चयन सेवा प्रदाता के तौर पर किया गया है। इन कोयला ब्लॉकों का आबंटन हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।
- लोक उपक्रम विभाग द्वारा 2013–14 के लिए एमओयू रेटिंग के मुताबिक एमएसटीसी का कार्य निष्पादन “बहुत अच्छा” आंका गया।

1.4.6 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए तय किए गए कुल टर्नओवर के लक्ष्य में तीसरी तिमाही तक लक्ष्य से आगे (103.10%) निकला जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान तीसरी तिमाही तक कुल टर्नओवर पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 148.22 करोड़ रुपये तक (16.50%) अधिक हो चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान तीसरी तिमाही तक ऑर्डर बुकिंग लक्ष्य से 24.98 प्रतिशत अधिक है। पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 18.84 प्रतिशत तक सुधार।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में तीसरी तिमाही तक परिचालन लाभ 81.89 करोड़ रुपये दर्ज (गैर-अंकेक्षित)।
- वित्तीय वर्ष 2014–15 में तीसरी तिमाही तक गैर-अंकेक्षित शुद्ध घाटा (–) 0.60 करोड़ रुपये जो पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 99.31 प्रतिशत कम है।
- लोक उपक्रम विभाग द्वारा 2013–14 के लिए एमओयू रेटिंग के मुताबिक एचएससीएल का कार्य निष्पादन ‘उत्कृष्ट’ आंका गया।

1.4.7 मेकॉन लिमिटेड

सितम्बर, 2008 में, मेकॉन ने अपने ऋणात्मक निवल मूल्य को धनात्मक करके उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की और सितम्बर, 2009 तक अपने संचित घाटे को पूर्णतः समाप्त कर दिया। अंकेक्षित खातों के अनुसार 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार, मेकॉन का निवल मूल्य 416.80 करोड़ रुपये है। 31.03.2014 की स्थिति के अनुसार कंपनी के (–) 257.91 करोड़ रुपए के ऋणात्मक निवल मूल्य की तुलना में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। वित्त वर्ष 2013–14 के लिए मेकॉन ने सरकार को तरजीही शेयर पूंजी पर 1.69 करोड़ रुपये और इक्विटी शेयर पूंजी पर 8.03 करोड़ रुपये का लाभांश भुगतान किया। मेकॉन के कार्य निष्पादन को लोक उपक्रम विभाग ने वर्ष 2013–14 के लिए एमओयू रेटिंग के अनुरूप “अच्छा” का दर्जा प्रदान किया है।

1.4.8 केआईओसीएल लिमिटेड

- केआईओसीएल ने वर्ष 2013–14 के लिए 0.13 रुपये प्रति शेयर की दर से (कर पश्चात लाभ के 20.65 प्रतिशत की दर पर) 8.24 करोड़ रुपये के अंतिम लाभांश का भुगतान किया।
- केआईओसीएल ने 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) 6.57 लाख टन पेलेट का उत्पादन किया और 6.65 लाख टन पेलेट की बिक्री की जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में क्रमशः 12.36 लाख टन व 12.04 लाख टन था।
- लोक उपक्रम विभाग द्वारा 2013–14 के लिए एमओयू रेटिंग के मुताबिक केआईओसीएल का कार्य निष्पादन ‘बहुत अच्छा’ आंका गया।

अध्याय—॥

इस्पात मंत्रालय का संगठनात्मक ढांचा और क्रियाकलाप

2.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय इस्पात और खान मंत्री के अधीन है। यह मंत्रालय लौह और इस्पात उद्योग की आयोजना और विकास, लौह अयस्क, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैंगनीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो-अलॉय, स्पंज आयरन आदि जैसी आवश्यक सामग्री के विकास तथा अन्य संबंधित क्रियाकलापों के लिए जिम्मेदार है। मंत्रालय को आवंटित विषयों का ब्यौरा अनुलग्नक—। में देखा जा सकता है। प्रभारी मंत्री और उप-सचिव स्तर तक के अधिकारियों की सूची अनुलग्नक—॥ में दी गई है।

2.1.1 इस्पात मंत्रालय के प्रमुख कार्य

- सरकारी और निजी क्षेत्रों में स्टील संयंत्रों, री-रॉलिंग उद्योग और फेरो-एलॉयज का विकास।
- लौह और इस्पात तथा फेरो इलॉयज के उत्पादन, वितरण और कीमतों से जुड़ी नीतियों का निर्धारण।
- सार्वजनिक क्षेत्र में कच्चे लोहे की खानों और मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन जैसे अन्य अयस्क खानों और लौह इस्पात उद्योग में उपयोग होने वाले अन्य खनिजों (खदान पट्टे या इससे जुड़े अन्य मामलों को छोड़कर) का विकास।
- देश में इस्पात के सभी उत्पादकों और उपभोक्ताओं के बीच बातचीत के लिए एक मंच उपलब्ध कराना।
- इस्पात उद्योग के लिए अपेक्षित बुनियादी ढांचा और अन्य संबंधित सुविधाओं की पहचान।
- 8 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उनकी सहायक कंपनियों एवं इंटरनेशनल कोल वैंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आई सी वी एल) नामक एक विशेष उद्देश्य वाहक (संयुक्त उद्यम कंपनी) के कार्यनिष्ठादान की देखरेख करना।

2.1.2 जिम्मेदारियों का आवंटन

इस्पात मंत्रालय में सचिव, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, तीन संयुक्त सचिव, सात निदेशक, दो उप सचिव, एक संयुक्त निदेशक (रा. भा.) और अन्य सहायक अधिकारी और कर्मचारी हैं। मंत्रालय में एक आर्थिक सलाहकार और एक मुख्य लेखा नियंत्रक भी है। औद्योगिक सलाहकार के प्रभार के तहत तकनीकी विंग तकनीकी स्वरूप जैसे अनुसंधान और विकास स्कीम के कुछ सचिवालय कार्य का निर्वहन करने के अलावा तकनीकी मामलों के संबंध में सलाह देता है।

2.2 मंत्रालय के प्रमुख प्रभाग/अनुभाग

सेल, एमएफएच, परियोजनाएं एवं अंतर्राष्ट्रीय निगम, इस्पात विकास संस्थान, तकनीकी प्रभाग, एनएमडीसी, कच्चा माल, व्यापार एवं कराधान, औद्योगिक विकास, मेकॉन, आरआईएनएल एवं बर्ड ग्रुप, बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां, केआईओसीएल, मॉयल, बजट एवं वित्त, आर्थिक प्रभाग।

2.3 इस्पात मंत्रालय से संबंधित अन्य संगठन

2.3.1 संयुक्त संयंत्र समिति (जे पी सी)

आईएसओ 9001:2008 द्वारा प्रमाणित संयुक्त संयंत्र समिति देश में एकमात्र ऐसी संस्था है जिसे इस्पात मंत्रालय/भारत सरकार ने सरकारी तौर पर भारतीय लोहे और इस्पात उद्योग के संबंध में आंकड़े एकत्र करने का अधिकार दिया है जिसके परिणामस्वरूप इस उद्योग से संबंधित पूरा डाटा बैंक न केवल तैयार हो पाया है बल्कि उसे बनाए रखा जा रहा है।

जे पी सी का मुख्यालय कोलकाता में है। इसके चार क्षेत्रीय कार्यालय, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चैन्नई में आंकड़े एकत्र करने में लगे हैं जबकि आर्थिक शोध इकाई (ईआरयू) नई दिल्ली, तकनीकी-आर्थिक अध्ययन तथा नीतिगत विश्लेषण का कार्य करती है। जेपीसी के अध्यक्ष, इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव होते हैं तथा इसमें सेल, आर आई एन एल, टाटा स्टील और रेलवे बोर्ड के प्रतिनिधियों को सदस्यों के रूप में स्थान दिया गया है।

जेपीसी के चार क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता स्थित मुख्यालय से निकट संपर्क स्थापित कर निम्नलिखित महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं:

- उत्पादकों से उत्पादन, भंडार और कच्चे माल संबंधी आंकड़ों का संग्रह।
- सीमा शुल्क गृहों से आयात और निर्यात संबंधी आंकड़ों का संग्रह।



- घरेलू बाजार में कीमतों सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रह।
- उद्योग के साथ नियमित फालोअप/निगरानी और उन पर संपर्क गतिविधियां।
- गलती करने वाले इस्पात उत्पादक यूनिटों का दौरा कर मौके पर आंकड़े एकत्र करना।
- क्षेत्र विशेष सर्वेक्षण के दौरान क्षेत्रीय स्तर पर सूचना एकत्र करने में सक्रिय भूमिका।
- इस्पात मंत्रालय की इस्पात उपभोक्ता परिषद की बैठकें, और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में इस्पात पवेलियन जैसे अवसरों पर संगोष्ठी/प्रदर्शनियों में संगठनात्मक सहयोग।

2.3.2 आर्थिक अनुसंधान इकाई

जेपीसी की नई दिल्ली स्थित आर्थिक अनुसंधान इकाई अनुसंधान सहयोग, भविष्य के बारे में संभावनाएं व्यक्त करने तथा नीतिगत मामलों/तकनीकी—आर्थिक अध्ययनों की समीक्षा का कार्य करती है। ईआरयू प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री ट्रॉफी और इस्पात मंत्री ट्राफी के लिए सचिवालय के तौर पर भी कार्य करती है। हाल के समय में, ईआरयू ने इस्पात के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए मांग—आपूर्ति अनुमान संबंधी कार्य को पूरा किया है। ईआरयू इस्पात निर्यातक मंच का सचिवालय है, जो उद्योग और विभिन्न सरकारी निकायों का एक संघ है जिसे देश में इस्पात के निर्यात में सुविधा देने के लिए स्थापित किया गया है।

2.4 इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों की सूची

क्रम सं.	कंपनी का नाम	मुख्यालय	सहायक कंपनियां
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003	सेल रिफ्रैक्टरी कंपनी लिमिटेड, पोस्ट बॉक्स नं. 565, सेलम—636005 (तमिलनाडु)
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, विशाखापत्तनम—530031, (आंध्र प्रदेश)	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआईएल) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लि. (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लि. (बीएसएलसी) एजी 104, सौरभ अबासन द्वितीय तल, सेक्टर-II सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता—700091
3	एन एम डी सी लिमिटेड	खनिज भवन, 10-3-311/ए, कैसल हिल्स, मसाब टैंक, हैदराबाद—500028, (आंध्र प्रदेश)	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कारपारेशन लिमिटेड, 143-ए, गांधी नगर, जम्मू—180004 (जम्मू एवं कश्मीर)
4	मॉयल लिमिटेड	मॉयल भवन, 1-ए, काटोल रोड, नागपुर—440013, (महाराष्ट्र)	
5	एम एस टी सी लिमिटेड	225-सी, आचार्य जगदीश चन्द्र बोस रोड, कोलकाता—700020 (पश्चिम बंगाल)	फेरो स्ट्रैप निगम लिमिटेड, एफ एस एन एल भवन, इविपमेंट चौक, सेंट्रल एवेन्यू भिलाई—490001 (छत्तीसगढ़)
6	हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	5/1, कमीसेरिएट रोड, (हेस्टिंग्स), कोलकाता—700022, (पश्चिम बंगाल)	
7	मेकॉन लिमिटेड	मेकॉन बिल्डिंग, रांची—834002 (झारखण्ड)	
8	के आई ओ सी एल लिमिटेड	II ब्लॉक, कोरामंगला, बैंगलुरु—560034 (कर्नाटक)	
9	आई सी वी एल लिमिटेड	इस्पात भवन, लोधी रोड, नई दिल्ली—110003	

संगठनात्मक चार्ट

इस्पात मंत्रालय

सचिव					
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार					
आर्थिक सलाहकार सलाहकार		सीसीए	जे.ए.स (बी)	जे.ए.स (ए)	
निदेशक (एचएलएम) ● आर्थिक प्रभाग	निदेशक (डीबी) ● बजट ● वित्त ● नकद	● पीएंडए औ	निदेशक (टीएस) ● सतर्कता प्रभाग	निदेशक (एपी) ● एनएमडीसी प्रभाग ● आर.एम. प्रभाग ● व्यापार एवं कराधान प्रभाग	निदेशक (टीएस) ● स्थापना प्रभाग ● केआईओसीएल प्रभाग ● राजभाषा प्रभाग ● रिकार्ड रूम ● प्राप्तियां एवं प्रेषण
			निदेशक (डीबी) ● सेल प्रभाग ● एमएफएच प्रभाग	निदेशक (के.ए.स.एन) ● औद्योगिक विकास प्रभाग ● मेकॉन प्रभाग	निदेशक (एमपी) ● आरआईएनएल एवं बर्ड ग्रुप प्रभाग ● समन्वय प्रभाग ● बोर्ड स्तरीय नियुक्तियां कक्ष ● लॉजिस्टिक्स कक्ष ● नियंत्रण कक्ष ● संसद कक्ष ● एचआर पीएसयू सूचना कक्ष ● मॉयल प्रभाग
			निदेशक (के.ए.स.एन) ● परियोजनाएं एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रभाग डी.ए.स (एमटी) ● इस्पात विकास संस्थान प्रभाग डीआईए (एसकेबी) ● तकनीकी प्रभाग		निदेशक (के.ए.स.एन) ● सामान्य प्रशासन प्रभाग ● पुस्तकालय



अध्याय—III

भारतीय इस्पात क्षेत्र : विकास एवं संभावनाएं

3.1 प्रस्तावना

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के समय देश में केवल तीन इस्पात कारखाने – टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी और विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड और कुछ विद्युत आर्क भट्टी आधारित कारखाने भी थे। वर्ष 1947 तक देश में भले ही इस्पात उद्योग का आकार छोटा रहा हो, लेकिन उसका योगदान महत्वपूर्ण था। उस समय इस्पात उद्योग की वार्षिक उत्पादन क्षमता लगभग 10 लाख टन थी और यह पूरी तरह निजी क्षेत्र में था। आजादी के समय 10 लाख टन क्षमता के उद्योग से बढ़कर अब भारत दुनिया में कच्चे इस्पात का चौथा सबसे बड़ा उत्पादक और स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक लौह एवं इस्पात उद्योग का देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में करीब दो प्रतिशत का योगदान है। किसी समय में भारतीय इस्पात उद्योग की विश्व में उपस्थिति लगभग न के बराबर थी जबकि अब भारतीय इस्पात उद्योग विश्व में अपने उत्पादों की गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् अपने लम्बे इतिहास में भारतीय इस्पात उद्योग ने चुनौतियों और कारोबारी उत्तार-चढ़ाव का सामना किया है। इस क्षेत्र में पहला बड़ा परिवर्तन पहली तीन पंचवर्षीय योजनाओं (1952–70) के दौरान आया जब आर्थिक व्यवस्था के अनुरूप लौह एवं इस्पात उद्योग को सरकारी नियंत्रण में लिया गया। पचास के दशक के मध्य और सन् 1970 के दशक के आरंभ में भारत सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला और बोकारो में सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े एकीकृत इस्पात उद्योगों की स्थापना की। इन वर्षों के दौरान उद्योग के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित नीतियां थीं :

- क्षमता नियंत्रण के उपाय : क्षमता की लाइसेंसिंग, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए आरक्षण।
- दोहरी कीमत निर्धारण प्रणाली : निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के बड़े और एकीकृत उत्पादकों के लिए कीमत और वितरण नियंत्रण व्यवस्था काम कर रही थी जबकि शेष उद्योग मुक्त व्यापार व्यवस्था के अंतर्गत था।
- मात्रात्मक प्रतिबंध और उच्च शुल्क अवरोध।
- रेलवे मालभाड़ा समकरण नीति : संतुलित क्षेत्रीय औद्योगिक विकास सुनिश्चित करना।
- प्रौद्योगिकी, पूँजीगत सामान सहित विभिन्न वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और वित्तीय संग्रहण तथा निर्यात पर पाबंदी।

3.1.1 इन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर क्षमता निर्माण ने भारत को दुनिया का 10वां सबसे बड़ा इस्पात निर्माता बना दिया क्योंकि एक दशक के भीतर कच्चे इस्पात का उत्पादन बढ़कर 150 लाख टन पहुंच गया जो 1947 में महज 10 लाख टन था। हालांकि वर्ष 1970 के दशक के आगे यह रुख कायम न रह सका क्योंकि आर्थिक मंदी ने भारतीय इस्पात उद्योग की वृद्धि की गति



4 फरवरी, 1959: राष्ट्रपति, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद, भिलाई के पहले ब्लास्ट फर्नेस को चालू करते हुए

अध्याय—III

प्रभावित की। 1991–92 में देश ने वैश्वीकरण के संदर्भ में नियंत्रित शासन के स्थान पर उदारीकरण और नियंत्रणमुक्त व्यवस्था अपनाई जिससे हालात में परिवर्तन हुआ। वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में लाई गई नयी आर्थिक नीति ने देश के इस्पात उद्योग पर निम्न प्रकार से प्रभाव डाला :

- सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से बड़े पैमाने की क्षमताओं को हटा दिया गया। अतिरिक्त क्षमता के लिए लाइसेंसिंग की आवश्यकता को भी हटाकर स्थानीय प्रतिबंधों का विषय बना दिया गया।
- संपूर्ण व्यवस्था में निजी क्षेत्र की प्रमुख भूमिका हो गई।
- कीमत निर्धारण और वितरण पर नियंत्रण की व्यवस्था भंग कर दी गई।
- लौह एवं इस्पात उद्योग को विदेशी निवेश की उच्च प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया। इसके तहत 50 प्रतिशत तक के विदेशी निवेश को स्वतः मंजूरी प्रदान की गई। परंतु इस प्रक्रिया में आमतौर पर ऐसे निवेश से संबद्ध विभिन्न कानून तथा विदेशी मुद्रा विनियम के निर्देश लागू रहे।
- एक समान मालभाड़ा योजना को मालभाड़ा की उच्चतम सीमा वाली प्रणाली में बदल दिया गया।
- मात्रात्मक आयात प्रतिबंधों को बड़े काफी हद तक हटा दिया गया। निर्यात प्रतिबंध भी हटाए गए।

3.1.2 तत्पश्चात इस प्रणाली में भी कई परिवर्तन किए गए। मुक्त अर्थव्यवस्था ने इस्पात विनिर्माताओं के लिए विदेशी बाजारों से प्रतिस्पर्धी दरों पर आवश्यक कच्चा माल आदि खरीदने के कई रास्ते खोल दिए और साथ ही उन्हें अपने उत्पादों के लिए नए बाजार भी उपलब्ध कराए। उद्योग को विश्व में इस्पात उत्पादन के लिए परिचालन और तकनीक की जानकारी भी मिलने लगी। यही नहीं इससे वैश्विक बाजारों की प्रतिस्पर्द्धा के दबाव के साथ—साथ इससे किफायत का स्तर सुधारने की जरूरत भी महसूस हुई ताकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी उत्पाद तैयार किए जा सके। दूसरी ओर इस्पात उपभोक्ता के पास भी अब विभिन्न उत्पादों से चयन की सुविधा थी और वह कई उत्पादों में से अपनी पसंद के उत्पाद का चयन कर सकता था। इसमें देशी और विदेशी दोनों तरह के उत्पाद शामिल थे। वर्ष 1992 में मुक्त अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद ही देश की इस्पात निर्माण क्षमता में तेजी से विकास हुआ। निजी क्षेत्र में एस्सार स्टील, इस्पात इंडस्ट्रीज, जिंदल ग्रुप आदि द्वारा बड़े इस्पात कारखाने स्थापित किए गए। टाटा स्टील ने भी अपनी क्षमता में वृद्धि की। इस अवधि में स्थापित किए गए कुछ कीर्तिमान इस प्रकार हैं :

- अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के सहारे निजी क्षेत्र का लगभग 90 लाख टन इस्पात उत्पादन क्षमता के साथ बाजार में प्रवेश।
- शुल्क संबंधी अवरोधों को हटाने अथवा घटाने, रूपए की संचारी कीमत के आधार पर कारोबार तथा वैश्विक प्रौद्योगिकियों तक पहुंच से लागत में उल्लेखनीय कमी — इन सभी से वैश्विक निर्यात बाजार में भारतीय इस्पात की प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ़ी है।

3.1.3 विगत वर्ष 1996–97 के बाद घरेलू अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर में लगातार गिरावट आने के बाद भारतीय इस्पात उद्योग की गति सभी निष्पादन संकेतकों के आधार पर धीमी हुई। इनमें क्षमता वृद्धि, उत्पादन, खपत, निर्यात और कीमत/लाभ के संकेतक शामिल हैं। इस्पात उद्योग के कार्यनिष्पादन में भी गिरावट आई और यह औसत से नीचे चला गया। विदेशी कारोबार में भारतीय इस्पात पर डंपिंग रोधी / संरक्षण शुल्क लगाया जाता था क्योंकि अधिकतर विकसित देशों ने गैर-शुल्क अवरोध लगा रखे थे। एशिया में आए वित्तीय संकट के कारण आर्थिक क्षति हुई तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आने व नए इस्पात उत्पादक देशों (पूर्व सोवियत संघ की इस्पात आधिक्य अर्थव्यवस्था) से अतिरिक्त आपूर्तियों द्वारा सृजित भरमार का प्रभाव ऐसे कारक थे जिन्होंने विकास के स्तरों को कम किया। हालांकि, वर्ष 2002 के बाद वैश्विक उद्योग जगत संकट से उबरा, जिसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान था। चीन की तीव्र आर्थिक वृद्धि और तेजी से विस्तृत होते आधारभूत संरचना क्षेत्र में इस्पात की मांग में जबरदस्त वृद्धि हुई। यह मांग इतनी ज्यादा थी कि उसकी घरेलू आपूर्ति इसके लिए पर्याप्त नहीं थी। ठीक इसी समय अन्य प्रमुख बाजारों में भी सुधार हुआ। वहां न केवल उत्पादन में इजाफा हुआ बल्कि कीमतों में भी सुधार हुआ, मुनाफा दोबारा शुरू हुआ और नए बाजारों का भी आगमन हुआ तथा व्यापार संबंधी अवरोध हटाए गए। अंततः दुनिया भर में इस्पात की मांग में वृद्धि हुई। भारतीय बाजारों के लिए भी परिस्थितियां इससे अलग नहीं थीं और अब यहां भी अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों पर जोर देकर, घरेलू प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय अपनाकर, अन्य बाजार विकास परियोजनाएं शुरू कर, आयात प्रतिस्थापन के उपाय कर, निर्यात प्रोत्साहन एवं कच्चा माल प्राप्त करने के लिए वैष्विक बाजारों में संभावनाएं तलाश कर भारतीय इस्पात उद्योग परिपक्वता का एक स्तर हासिल कर चुका है।

3.1.4 उद्योग की तीव्र विकास दर और बाजार के रुझानों को देखते हुए कुछ दिशानिर्देशों तथा ढांचे की आवश्यकता थी। इसके साथ ही राष्ट्रीय इस्पात नीति की अवधारणा का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य देश के इस्पात उद्योग को विकास व प्रगति का रास्ता दिखाना था। एक आत्मनिर्भर व वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इस्पात क्षेत्र के लिए एक मूल प्रारूप के तौर पर राष्ट्रीय इस्पात नीति (एन एस पी) की घोषणा नवम्बर, 2005 में की गई। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 का दीर्घकालिक लक्ष्य यह



सुनिश्चित करना था कि भारत में वैश्विक मानकों के अनुरूप एक आधुनिक व किफायती इस्पात उद्योग विकसित हो जो इस्पात संबंधी विविध जरूरतों को पूरा कर सके और उत्पादन व उत्पादकता के मामले में विश्वस्तरीय मानकों को हासिल कर सके। राष्ट्रीय इस्पात नीति 2005 के तहत प्रक्रियागत और नीतिगत अवरोधों को भी दूर करने का प्रयास किया गया जिनके कारण उत्पादन के लिए कच्चे माल में कमी, शोध एवं विकास संबंधी निवेश में इजाफा न होने, सड़क, रेल और बंदरगाह संबंधी बुनियादी विकास न होने की समस्याएं सामने आ रही थीं। इस नीति का जोर न केवल घरेलू क्षेत्र पर ध्यान देना था, बल्कि इस्पात उद्योग की वृद्धि दर को घरेलू खपत की वृद्धि दर से आगे ले जाने पर था जिससे निर्यात के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। नीति को बदलते समय के अनुरूप बनाने की जरूरत है। इसलिए, अगले 20 वर्षों के लिए एक नए 'स्टील विज़न' को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

3.2 इस्पात का उत्पादन, खपत और विकास

3.2.1 विगत पाँच वर्षों के लिए और अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 के दौरान देश में कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर-मिश्र) की बिक्री, आयात, निर्यात और वास्तविक खपत के लिए उत्पादन के रूपान्नान को दर्शाती एक तालिका नीचे दी गई है :

वर्ष	कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर-मिश्र) (10 लाख टन अथवा एमटी में)			
	बिक्री हेतु उत्पादन	आयात	निर्यात	वास्तविक खपत
2009-10	60.62	7.38	3.25	59.34
2010-11	68.62	6.66	3.64	66.42
2011-12	75.69	6.86	4.59	71.02
2012-13	81.68	7.93	5.37	73.48
2013-14	87.67	5.45	5.98	74.09
अप्रै.-दिस.	65.19	6.49	4.07	55.31
2014-15*				

स्रोत: जेपीसी; * अनंतिम

3.2.2 कच्चे इस्पात के उत्पादन में वर्ष 2009-10 के बाद से क्षमता के साथ-साथ लगातार वृद्धि हुई। गत पाँच वर्षों के दौरान एवं अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 के लिए कच्चे इस्पात के उत्पादन, क्षमता और क्षमता के उपयोग से संबंधित आंकड़े नीचे दी गई तालिका में दर्शाए गए हैं:

वर्ष	कच्चा इस्पात		
	क्षमता (मिलियन टन)	उत्पादन (मिलियन टन)	क्षमता उपयोग (%)
2009-10	75.00	65.84	88
2010-11	80.36	70.67	88
2011-12	90.87	74.29	82
2012-13	97.02	78.42	81
2013-14	101.02	81.69	81
अप्रै.-दिस.	75.76^	62.39	82
2014-15*			

स्रोत: जेपीसी; * अनंतिम; ^यथानुपात, वार्षिक आंकड़ों पर आधारित

- वर्ष 2013-14 को समाप्त हुए विगत पाँच वर्षों के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन 7 प्रतिशत की सीएजीआर दर से बढ़ा। उत्पादन में ये वृद्धि क्षमता विस्तार द्वारा संचालित थी जो 2009-10 के 750 लाख टन की तुलना में साल दर साल 9 प्रतिशत की वृद्धि दर से बढ़कर 2013-14 में 10.10 करोड़ टन पहुंच गई।
- बिक्री के लिए कुल तैयार इस्पात का उत्पादन सीएजीआर आधार पर 8.9 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 2009-10 के 60.62 करोड़ टन के मुकाबले बढ़कर 2013-14 में 8767 लाख टन पहुंच गया, जबकि 2013-14 के दौरान वास्तविक खपत साल दर साल 7.2 प्रतिशत बढ़कर 740 लाख टन रही।
- वर्ष 2007-08 से कुल तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक देश भारत वर्ष 2013-14 में शुद्ध निर्यातक बन गया और 59.8 लाख टन का कुल निर्यात, 54.5 लाख टन के कुल आयात से अधिक निकल गया। पिछले पांच वर्ष के दौरान सीएजीआर आधार पर निर्यात में 6.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि आयात में 1.4 प्रतिशत की कमी आई। हालांकि, भारत अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 में कुल तैयार इस्पात का शुद्ध आयातक देश बन गया।

अध्याय—III

3.2.3 ऊपर दिए गए कच्चे इस्पात के कार्यनिष्ठादन में बहुत बड़ा योगदान इस्पात निर्माण के वैद्युत मार्ग का, खासतौर पर इंडक्शन फर्नेस मार्ग का रहा। वर्ष 2013–14 में और अप्रैल–दिसंबर, 2014–15 के दौरान भी देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में इसका 34 प्रतिशत योगदान रहा और कच्चे इस्पात के उत्पादन का यह प्रमुख प्रेरक बनकर सामने आया। पिछले पांच वर्षों की अवधि अर्थात् 2009–10 से 2013–14 के दौरान एवं अप्रैल–दिसंबर, 2014–15 के लिए आंकड़ों के साथ देश में कच्चे इस्पात के कुल उत्पादन में विभिन्न प्रक्रिया मार्गों का हिस्सा नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है:

प्रक्रिया मार्ग द्वारा कच्चे इस्पात का उत्पादन			
प्रक्रिया मार्ग	प्रतिशत हिस्सेदारी (%)		
	2009–10	2013–14	अप्रैल–दिसंबर 2014–15*
बेसिक आक्सीजन फर्नेस (बीओएफ)	45	43	44
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ)	25	23	22
इंडक्शन फर्नेस (आईएफ)	30	34	34
कुल	100	100	100

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.2.4 भारत कोयला आधारित संयंत्रों के साथ स्पंज आयरन का भी बहुत बड़ा उत्पादक है। ये संयंत्र देश के खनिज प्रधान राज्यों में हैं। बीते वर्षों के दौरान कोयला आधारित रूट कुल उत्पादन में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में उभर कर सामने आया है। कुल स्पंज लौह उत्पादन में इसका योगदान वर्ष 2013–14 में 88 प्रतिशत और अप्रैल–दिसंबर, 2014–15 (अस्थायी) के दौरान 89 प्रतिशत रहा। स्पंज आयरन की निर्माण क्षमता में भी बीते सालों के दौरान वृद्धि हुई है और 2013–14 में यह 450 लाख टन रहा। भारत 2003 से प्रत्येक वर्ष विश्व का सबसे बड़ा स्पंज आयरन उत्पादक बना हुआ है। नीचे दी गई तालिका में देश में स्पंज आयरन के उत्पादन के आंकड़े दिए गए हैं। इसमें पिछले पांच वर्षों और अप्रैल–दिसंबर, 2014–15 के दौरान कोयला और गैस आधारित उत्पादन प्रविधियों (रुट) का ब्यौरा दिया गया है :

वर्ष	स्पंज आयरन का उत्पादन (इकाई: मिलियन टन)					
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	अप्रैल–दिसंबर 2014–15*
कोयला आधारित	18.18	19.27	19.80	19.07	20.19	14.96
गैस आधारित	6.15	6.07	5.17	3.94	2.68	1.76
कुल	24.33	25.34	24.97	23.01	22.87	16.72

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम

3.2.5 भारत पिंग आयरन का भी एक महत्वपूर्ण उत्पादक है। उदारीकरण के बाद निजी क्षेत्र में भी कई इकाइयां स्थापित होने से केवल आयात में भारी कमी आई, बल्कि भारत पिंग आयरन का शुद्ध निर्यातक बनकर सामने आया। 2013–14 में बिक्री योग्य पिंग आयरन के उत्पादन में 93 प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्र का रहा। घरेलू बाजार में पिछले पांच वर्षों के लिए और अप्रैल–दिसंबर, 2014–15 में पिंग आयरन की उपलब्धता की स्थिति निम्न तालिका में दी गई है:

वर्ष	पिंग आयरन की देश में उपलब्धता का परिदृश्य (000 टन)					
	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	अप्रैल–दिसंबर 2014–15*
बिक्री हेतु उत्पादन	5884	5684	5371	6870	7950	6082
आयात	11	9	8	21	34	18
निर्यात	362	358	491	414	943	385
खपत	5531	5296	4975	6500	7110	5716

स्रोत : जेपीसी; *अनंतिम



3.3 विश्व में भारतीय इस्पात की स्थिति

विश्व इस्पात संघ (डब्ल्यूएसए) द्वारा जारी अनंतिम आंकड़ों के आधार पर वर्ष 2014 में दुनिया भर में कच्चे इस्पात का उत्पादन 1661.5 मिलियन टन रहा, जो कि वर्ष 2013 के मुकाबले 1.2 प्रतिशत अधिक है। 2014 के दौरान चीन का कच्चे इस्पात उत्पादन 823 मिलियन टन पहुंच गया जो 2013 के मुकाबले 0.9 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2014 के दौरान चीन विश्व में सबसे बड़ा कच्चे इस्पात उत्पादक बना रहा और एशिया में उसका 73 प्रतिशत और विश्व में 50 प्रतिशत कच्चे इस्पात उत्पादन में योगदान रहा। इस अवधि के दौरान भारत चौथा सबसे बड़ा उत्पादक रहा और उसने 2013 के मुकाबले 2.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वैश्विक स्तर पर कच्चे इस्पात उत्पादन : 2014*				
रैंक	देश	मात्रा (मी.टन)	2013 के मुकाबले अंतर% में	
1	चीन	823	0.9	
2	जापान	111	0.1	
3	अमेरिका	88	1.7	
4	भारत	83	2.3	
5	दक्षिण कोरिया	71	7.5	
6	रूस	70.7	2.6	
7	जर्मनी	43	0.7	
8	तुर्की	34	-1.8	
9	ब्राजील	33.9	-0.7	
10	यूक्रेन	27.2	-17.1	
	विश्व	1661.5	1.2	

स्रोत : डब्ल्यूएसए; * अनंतिम

3.4 इस्पात : प्रमुख तथ्य

भारतीय इस्पात परिदृश्य: अप्रैल-दिसंबर, 2014-15*		
कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर-मिश्र)	मात्रा (मिलियन टन)	%बदलाव**
बिक्री हेतु उत्पादन	65.19	1.6
आयात	6.49	57.5
निर्यात	4.07	-6.6
वास्तविक खपत	55.31	1.5
कच्चे इस्पात		
उत्पादन	62.39	2.5
क्षमता उपयोग (%)	82	-

स्रोत: जेपीसी; *अनंतिम; **पिछले साल की समान अवधि की तुलना में

2014 में विश्व का चौथा सबसे बड़ा कच्चे इस्पात उत्पादन करने वाला देश बनने (अनंतिम) के अलावा, भारत ने स्पंज आयरन /डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन (डी आर आई) के उत्पादन के क्षेत्र में भी अपनी पहचान स्थापित की। इसका कारण देश के खनिज प्रधान इलाकों में कोयला आधारित स्पंज आयरन संयंत्रों का विकास रहा। इससे देश में स्पंज आयरन का उत्पादन तेजी से बढ़ा, जिससे देश को वैश्विक बाजार में शीर्ष स्थान हासिल करने और उसे कायम रखने में मदद मिली। इस समय कई बड़ी परियोजनाएं या तो चलाई जा रही हैं या प्रस्तावित हैं, जो एक बार परिचालन में आने के बाद इस्पात उद्योग की संरचना, उसके स्वरूप की गाथा नए सिरे से लिखेंगी। इससे घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया को और बल मिलेगा। अतः घरेलू अर्थव्यवस्था में सुधारों को लेकर भारतीय इस्पात उद्योग का भविष्य निश्चित तौर पर बहुत आशावादी है। इस्पात क्षेत्र में उत्पादन, खपत, आयात, निर्यात आदि से संबंधित आंकड़े अनुलग्नक III-XI में दिए गए हैं।

3.5 निजी/सार्वजनिक क्षेत्र में उत्पादन का रुख

देश में गत पांच वर्षों के दौरान और अप्रैल-दिसंबर, 2014-15 में कच्चे इस्पात का कुल उत्पादन एवं उत्पादन में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के योगदान पर निम्नलिखित तालिका में प्रकाश डाला गया है :

अध्याय—III

भारतीय कच्चा इस्पात उत्पादन							
क्षेत्र	इकाई	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	अप्रैल–दिसंबर 2014–15*
सार्वजनिक क्षेत्र	मि. टन	16.71	16.99	16.48	16.48	16.77	12.60
निजी क्षेत्र	मि. टन	49.13	53.68	57.81	61.94	64.92	49.79
कुल उत्पादन	मि. टन	65.84	70.67	74.29	78.42	81.69	62.39
सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा	%	25	24	22	21	21	20

स्रोत: जेपीसी; * अनंतिम

3.6 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए योजना परिव्यय

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012–2017) के लिए, योजना आयोग ने 91174.64 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय (अर्थात् 90974.64 करोड़ रुपए आंतरिक और अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (आई एंड ई बी आर) से और 200.00 करोड़ रुपए की सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) मंजूर किए हैं।

(करोड़ रुपए में)

क्रम.सं.	सार्वजनिक उपक्रमों के नाम	12वीं योजना (2012–17) मंजूर परिव्यय		
		आईएंडईबीआर	जीबीएस	कुल
क.	केंद्रीय क्षेत्र की योजना			
1	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि.	45000.00	0.00	45000.00
2	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड *	13373.00	0.00	13373.00
3	हिंदुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्र. लि.	0.00	0.00	0.00
4	मेकॉन लिमिटेड	25.00	0.00	25.00
5	एमएसटीसी लिमिटेड	105.00	0.00	105.00
6	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	60.00	0.00	60.00
7	एनएमडीसी लिमिटेड	27872.17	0.00	27872.17
8	केआईओसीएल लिमिटेड	3080.00	0.00	3080.00
9	मॉयल लिमिटेड	1459.47	0.00	1459.47
	कुल (क)	90974.64	0.00	90974.64
ख.	केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना			
1	लौह व इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहन			
1(i)	जारी आरएंडडी योजना	—	48.00	48.00
1(ii)	प्रौद्योगिकी विकास या कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (CRGO) स्टील शीट्स व अन्य मूल्यवर्धित इस्पात उत्पाद (नए घटक)	—	150.00	150.00
1(iii)	अभिनव लौह/इस्पात विनिर्माण प्रक्रिया/प्रौद्योगिकी (मौजूदा योजना के तहत नयी परियोजनाएं) का विकास	—	2.00	2.00
	कुल (ख)	—	200.00	200.00
	सकल योग (क+ख)	90974.64	200.00	91174.64

* औएमडीसी लिमिटेड और बीएसएलसी लिमिटेड पूर्ववर्ती बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज की सहायक कंपनियां थीं जो कि आरआईएनएल की सहायक पीएसयू बन गई हैं और उनके आंकड़े आरआईएनएल के साथ मिलाकर दिए गए हैं।



3.7 इस्पात मंत्रालय की भूमिका

विनियमन समाप्त करने से पहले इस्पात मंत्रालय की एक नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका थी जो आर्थिक परिवृश्य तथा देश में इस्पात निर्माण में काम आने वाले कच्चे माल की कमी के बीच देश में इस्पात उत्पादन कम होने के कारण इस्पात उद्योग के लिए आवश्यक थी। आबंटन के मुद्दे पर कुशल और न्यायसंगत निर्णयों के कारण तथा कीमतों आदि से संबंधित नीति निर्माण के कारण इस्पात मंत्रालय ने इस चरण के दौरान इस्पात उद्योग को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विनियमन समाप्ति के बाद के दौर में इस्पात मंत्रालय में भूमिका मूल रूप से भारतीय इस्पात उद्योग को सुविधा प्रदाता की रही है। यह लौह एवं इस्पात उद्योग के विकास के लिए योजनाएं बनाने में सक्रिय रहा है और लौह अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट, मैग्नीज अयस्क, क्रोमाइट्स, फेरो एलॉय, स्पंज आयरन जैसे आवश्यक कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने व अन्य संबंधित क्रियाकलाप ही उसका प्रमुख काम रहा है। मौजूदा समय में अपनी भूमिका में इस्पात मंत्रालय निम्नलिखित मामलों में देश के लौह एवं इस्पात उद्योग को हर संभव सहायता उपलब्ध करा रहा है, जैसे:

- सक्रिय समन्वय और सही नीतिगत निर्देशों के कार्यान्वयन के जरिए इस्पात क्षमता हेतु निवेश प्रक्रिया में तेजी लाने में सुविधा प्रदान कर रहा है। देश में प्रमुख इस्पात निवेशों की निगरानी और समन्वय के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में इस्पात मंत्रालय में एक अंतर-मंत्रालयी समूह (आईएमजी) काम कर रहा है।
- नए संयंत्र की स्थापना और पुराने संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चे माल की संलग्नता उपलब्ध कराना तथा रेल सुविधा उपलब्ध कराना।
- उत्पादकों को कच्चे माल की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ उन्हें कोयले के अलावा अन्य कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा वैगन की जरूरतों को पूरा करना।
- नए उद्यम लगाने का प्रस्ताव करने वाले उद्यमियों के साथ नियमित चर्चा, कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा और कार्यान्वयन में आई समस्याओं का मूल्यांकन करना।
- इस्पात उद्योग की जरूरत के मुताबिक बुनियादी एवं संबद्ध सुविधाओं की पहचान करना और इस्पात क्षेत्र की बुनियादी अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग के साथ समन्वय करना।
- इस्पात के प्रभावी ढंग से इस्तेमाल को उचित ढंग से बढ़ावा देना विशेषकर कोलकाता स्थित “इंस्टीट्यूट ऑफ स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (इन्सडैग)“ के माध्यम से ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी इलाकों में विनिर्माण क्षेत्र में इसके इस्तेमाल पर जोर देना।
- इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा देना। देश में लौह एवं इस्पात संबंधी अनुसंधान प्रयासों को समग्र दिशा प्रदान करने के लिए इस्पात सचिव की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति अपने समक्ष प्रस्तुत विशिष्ट शोध परियोजनाओं के लिए इस्पात विकास निधि से पूर्णतः अथवा आंशिक धन जुटाने के लिए मंजूरी देती है। देश में शोध एवं विकास की गतिविधियों को और बढ़ावा देने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। इसके लिए 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकार द्वारा बजटीय सहायता दी जा रही है।

अध्याय—IV

सार्वजनिक क्षेत्र

4.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय के अधीन कंपनियों ने पिछले पांच सालों में अच्छा प्रदर्शन किया है। इस्पात मंत्रालय से जुड़ी कंपनियों का वर्ष 2014–15 (दिसंबर 2014 तक) का कर–पश्चात लाभ (पी ए टी) लगभग 7121.31 करोड़ रुपए था। विवरण अनुलग्नक—XIII (A) में देखा जा सकता है। उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, लाभांश, निगमित कर, विक्रय कर, रॉयल्टी आदि के जरिए केंद्र और राज्य सरकार के कोष में वर्ष 2014–15 (दिसंबर 2014 तक) इनका योगदान लगभग 14325.51 करोड़ रुपए था। इसकी विस्तृत जानकारी के लिए अनुलग्नक—XIV एवं XIV (A) देखा जा सकता है।

4.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल) भारतीय कंपनी अधिनियम, के तहत पंजीकृत कंपनी है और यह एक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। इसके पांच एकीकृत इस्पात कारखाने— भिलाई (छत्तीसगढ़), राउरकेला (ओडीशा), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), बोकारो (झारखण्ड) और बर्नपुर (पश्चिम बंगाल) में हैं। सेल के तीन विशेष और मिश्र इस्पात कारखाने नामतः दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल) स्थित मिश्र इस्पात कारखाना, सेलम (तमिलनाडु) स्थित सेलम स्टील कारखाना और भद्रावती (कर्नाटक) स्थित विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात संयंत्र है। सेल की बहुत सी यूनिटें अर्थात लोहे और इस्पात के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र (आर डी सी आई एस), इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी केंद्र (सीईटी), प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान (एम टी आई) और सेल सुरक्षा संगठन (एस एस ओ) सभी रांची स्थित, धनबाद स्थित केंद्रीय कोयला आपूर्ति संगठन (सी सी एस ओ), कच्चा माल डिवीजन (आर एम डी), पर्यावरण प्रबंधन डिवीजन (ईएमडी) तथा ग्रोथ डिवीजन (जीडी) सभी कोलकाता स्थित और बोकारो स्थित सेल रिफैक्टरी यूनिट भी हैं। पूर्व महाराष्ट्र इलेक्ट्रोस्मेल्ट लिमिटेड (एम ईएल), वर्ष 2011–12 मेंचन्द्रपुर फेरो एलॉय प्लांट के नाम से सेल की एक इकाई बन गयी। केंद्रीय विषयन संगठन, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, कंपनी के देश भर में फैले विषयन और वितरण नेटवर्क का समन्वय करता है। सेल परामर्शदात्री विभाग (सेलकॉन), नई दिल्ली से कार्य करता है।

4.2.1 पूँजी संरचना

सेल की अधिकृत पूँजी 5000 करोड़ रुपए है। 31.12.2014 को कंपनी की चुकता पूँजी 4130.52 करोड़ रुपए थी। इसमें से 75 प्रतिशत भारत सरकार के पास और बाकी 25 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/जीडीआर धारकों/ बैंकों/ कर्मचारियों/ व्यक्तियों इत्यादि के पास हैं।

4.2.2 विनिवेश

आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सी सी ई ए) ने 19.07.2012 को हुई अपनी बैठक में सेल में भारत सरकार की शेयरधारिता में से 10.82 प्रतिशत के विनिवेश हेतु प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया। तथापि, बाद में यह निर्णय लिया गया था कि वित्तीय वर्ष 2012–13 में इसके केवल 5.82 प्रतिशत शेयरों अर्थात् 24,03,96,572 शेयरों का विनिवेश किया जाए, इस प्रकार भारत सरकार की शेयरधारिता 85.82 प्रतिशत से कम होकर 80 प्रतिशत रह गई। शेष 5 प्रतिशत शेयरों अर्थात् 20,65,26,264 शेयरों का विनिवेश 05.12.2014 को “ऑफर फॉर सेल” (ओएफएस) के जरिये किया गया, इस प्रकार भारत सरकार की शेयरधारिता पुनः 80 प्रतिशत से कम होकर 75 प्रतिशत रह गई।

4.2.3 वित्तीय कार्यनिष्ठादान

कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 की प्रथम नौमाही में 37740 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया। वित्त वर्ष 2014–15 की



माननीय इस्पात और खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर, सेल के राजरकेला इस्पात संयंत्र की नई प्लॉट मिल में सेल अध्यक्ष, श्री सी.एस. वर्मा और संयुक्त सचिव (इस्पात), श्री सुनील बड्ढ्याल के साथ



प्रथम नौमाही में कर-पश्चात शुद्ध लाभ 1758 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने वित्त वर्ष 2014-15 की प्रथम नौमाही के लिए 722.84 करोड़ रुपए का अंशदान अदा किया जो चुकता इविटी शेयर पूँजी का 17.50 प्रशित है।

4.2.4 उत्पादन कार्यनिष्ठादन

वास्तविक उत्पादन के बारे में नीचे जानकारी दी गई है:

(मिलियन टन में)

	2013-14	2014-15 (अप्रैल-दिसंबर, 2014)
तप्त धातु	14.4	11.2
कच्चा इस्पात	13.6	10.2
विक्रेय इस्पात	12.9	9.4

4.2.5 कच्चा माल

वित्त वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर, 2014) के दौरान, सेल की निजी खानों और कोयला खदानों से लौह अयस्क, फलक्स और कच्चे कोयले का वास्तविक उत्पादन क्रमशः लगभग 166.4 लाख टन, 15.7 लाख टन और 5.1 लाख टन है।

वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान, सेल ने निजी खानों से लगभग 253.2 लाख टन का उत्पादन करके अपने इस्पात संयंत्रों की लौह अयस्क की आवश्यकता को पूरा किया है। वर्ष 2013-14 के दौरान ने निजी खानों से फलक्स का उत्पादन 21.8 लाख टन था। वर्ष 2013-14 के दौरान सेल की निजी कोयला खदानों से कच्चे कोयले का उत्पादन 6.9 लाख टन था।

4.2.6 जनशक्ति

1 अप्रैल, 2014 को सेल के कर्मचारियों की संख्या 97,897 थी। दिनांक 1.12.2014 को यह संख्या 95627 थी (14937 कार्यपालक / 80690 गैर-कार्यपालक)। इस तरह से वर्ष 2014-15 के दौरान (1 दिसंबर 2014 तक) जनशक्ति में 2270 की कमी हुई।



सेल अपनी जनशक्ति को एक बहुमूल्य संपदा मानता है

4.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की निगमित कंपनी हैं जो विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में देश का पहला समुद्र तटीय एकीकृत इस्पात कारखाना है। प्रति वर्ष 3 मिलियन टन तरल इस्पात के उत्पादन की क्षमता के साथ स्थापित, इस कारखाने ने अब अपनी प्रति वर्ष 63 लाख टन की विस्तार सुविधाओं के साथ उत्पादन शुरू कर दिया है।

इस कंपनी की 51 प्रतिशत शेयरधारिता के साथ एक सहायक कंपनी – ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल) है जिसकी दो सहायक कंपनियां— मैसर्स उड़ीसा मिनरल डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) और मैसर्स बिरसा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) हैं। कंपनी की रिनमॉयल और आईसीवीएल में संयुक्त उद्यमों के रूप में कमशः 50 प्रतिशत और 14.29 प्रतिशत शेयरधारिता है।

आरआईएनएल की प्रमुख गतिविधियों में शामिल हैं अपनी विशाखापत्तनम स्थित इकाई में लंबी श्रेणियों में इस्पात उत्पादों का उत्पादन और अपने 23 शाखा कार्यालयों, 22 स्टॉक्यार्ड्स और 6 सीएसए के तंत्र जिरिये उनका देश भर में विपणन।



आरआईएनएल का ब्लास्ट फर्नेस

आरआईएनएल के प्रधान उत्पादों में रिबार्स, वायर रॉड्स, राउंड्स और स्ट्रक्चरल्स शामिल हैं। कंपनी बिलेट्स, ब्लूम्स, कच्चा लोहा और कोयला रसायन (अमोनियम सल्फेट, बैंजोल उत्पाद इत्यादि) और स्लैग जैसे उप-उत्पादों का भी विपणन करती है।

4.3.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

आरआईएनएल ने वित्तीय वर्ष 2013–14 में सरकार को 101.65 करोड़ रुपए का लाभांश अदा किया है।

4.3.2 उत्पादन कार्यनिष्पादन

पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में उत्पादन और वृद्धि के अनुसार वास्तविक कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

मद	2013–14	2014–15 वास्तविक (अप्रैल–दिसंबर)
कच्चा इस्पात (000 टन)	3202	2396
विक्रेय इस्पात (000 टन)	3016	2089

आरआईएनएल ने 16.17 लाख टन मूल्य संवर्धित इस्पात का उत्पादन किया, जो अप्रैल–दिसंबर, 2014 के दौरान उत्पादित विक्रेय इस्पात का 77.4 प्रतिशत है।



4.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एन एम डी सी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन एक "नवरत्न" सार्वजनिक उद्यम है और मुख्यतः उद्योग के लिए खनिजों के गवेषण और खानों के विकास के व्यवसाय से जुड़ हुआ है। यह लौह निर्माण तथा अन्य मूल्य संवर्धित उत्पादों में भी अपनी गतिविधियों का विस्तार कर रही है।

15 नवम्बर, 1958 को निगमित, एन एम डी सी पांच दशकों से राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान कर रही है और राष्ट्र निर्माण की अपनी यात्रा को सुदृढ़ता के साथ जारी रखे हुए है। कभी एक उत्पाद – एक खरीददार वाली यह कंपनी अब स्वदेशी इस्पात उद्योग को लौह अयस्क आपूर्ति करने वाली एक प्रमुख कंपनी के तौर पर उभरी है। यह आंध्र प्रदेश में हीरों और तंजानिया में सोने जैसे उच्च मूल्य के खनिजों की खोज में भी लगी है।

एन एम डी सी देश में छत्तीसगढ़ के बैलाडिला और कर्नाटक के दोणिमलै में लौह अयस्क की बड़ी यांत्रिक खदानों का संचालन करती है। एन एम डी सी की हीरा खान पन्ना (मध्य प्रदेश) में स्थित है। एन एम डी सी का स्पंज लौह यूनिट पालोन्चा, आंध्र प्रदेश में स्थित है।

एन एम डी सी की लौह अयस्क की सभी उत्पादक इकाइयों को आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और ओएचएसएस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हैं। एन एम डी सी के अनुसंधान और विकास केंद्र को आईएसओ 9001:2008 मान्यता मिली हुई है।

ग्रीनफील्ड विस्तारीकरण / विविधीकरण कार्यक्रम के भाग के तौर पर एन एम डी सी छत्तीसगढ़ स्थित नगरनार में 30 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एकीकृत इस्पात कारखाना लगा रहा है। इस परियोजना पर 15,525 करोड़ रुपए की लागत आने का अनुमान है। सभी प्रमुख पौद्योगिकीय पैकेजों और सहायक पैकेजों के ठेके प्रदान कर दिये गये हैं और निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है।

एन एम डी सी ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों परियोजनाओं में अपने कारोबार का विस्तार करने के उद्देश्य से (क) कर्नाटक के दोणिमलै में 12 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पैलेट संयंत्र और (ख) छत्तीसगढ़ के नागरनार में 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का पैलेट संयंत्र के साथ–साथ बछेली में बछेली और नागरनार के बीच स्लरी पाइपलाइन द्वारा जुड़े 20 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का बेनीफिसियेशन संयंत्र भी लगा रहा है।

एन एम डी सी ने कोयले, रॉक फास्फेट, चूना–पत्थर, सोना और हीरों के अपने कारोबार के समतल एकीकरण द्वारा कारोबार के विस्तार की भी योजना बनाई है। एन एम डी सी ने कर्नाटक में "विंड मिल" स्थापित कर नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में प्रवेश किया है तथा यह सौर ऊर्जा के क्षेत्र में संभावनाओं का भी पता लगा रहा है।



एनएमडीसी संयंत्र का एक दृश्य

अध्याय—IV

4.4.1 पूँजी संरचना

कंपनी की अधिकृत शेयर पूँजी 400 करोड़ रुपए है। 31.12.2014 को इसकी चुकता इक्विटी शेयर पूँजी 396.47 करोड़ रुपए है जिसमें से 80 प्रतिशत भारत सरकार के पास और शेष 20 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों/बैंकों/व्यक्तियों/कर्मचारियों आदि द्वारा धारित है।

4.4.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वित्तीय वर्ष 2013–14 में कंपनी ने 12058 करोड़ रुपए का कारोबार दर्ज किया। वर्ष के लिए कर उपरांत निवल लाभ 6420.08 करोड़ रुपए था। वर्ष 2013–14 के लिए कंपनी ने प्रदत्त इक्विटी पूँजी का 850 प्रतिशत के लाभांश का भुगतान किया है। दिसंबर, 2014 तक कंपनी का विक्रेय कारोबार और कर उपरांत शुद्ध लाभ क्रमशः 9425 करोड़ रुपये और 5011 करोड़ रुपये (अनंतिम) था।

4.4.3 उत्पादन कार्यनिष्पादन

वास्तविक उत्पादन का विवरण नीचे दिया गया है :

मद	2013–14	2014–15 (दिसंबर, 2014 तक)
लौह अयस्क (लाख टन में)	300.25	225.00
डायमंड (कैरेट में)	37082	26228
स्पंज लौह (टन में)	29734	211820

4.4.4 जन शक्ति

एन एम डी सी की जनशक्ति 31.03.2014 को 5664 थी और 31.12.2014 को 5507 (कार्यपालक 1208 / गैर-कार्यपालक 4299) थी।

4.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल अनुसूची “क” मिनीरत्न श्रेणी—I कंपनी है। इसे मूल रूप से वर्ष 1962 में मैग्नीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड के नाम से निर्गमित किया गया था। बाद में, वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान इस कंपनी का नाम मैग्नीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड से बदलकर मॉयल लिमिटेड किया गया। यह भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है।

वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान मॉयल 15 दिसम्बर, 2010 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बंबई स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गई। सूचीकरण के पश्चात, भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार की कंपनी में शेयरधारिता क्रमशः 71.57 प्रतिशत, 4.62 प्रतिशत और 3.81 प्रतिशत है। शेष 20 प्रतिशत शेयर जनता द्वारा धारित है।



मॉयल की डॉगरी बुजुर्ग ओपन कार्ट खान का रात्रि में एक मनोरम दृश्य।



मॉयल मैंगनीज और की विभिन्न श्रेणियों का उत्पादन और बिक्री करता है। वे निम्न हैं :

- फेरो मैंगनीज के उत्पादन के लिए उच्च श्रेणी का अयस्क
- सिलिको मैंगनीज के उत्पादन के लिए मध्यम श्रेणी का अयस्क;
- तप्त धातु के उत्पादन के लिए अपेक्षित ब्लास्ट फर्नेस श्रेणी का अयस्क; और
- सूखी बैटरी सेल और रसायन उद्योग के लिए डायऑक्साइड।

मॉयल ने इलेक्ट्रॉलिटिक मैंगनीज डायऑक्साइड (ईएमडी) के निर्माण के लिए देशी तकनीक के आधार पर एक संयंत्र स्थापित किया है। इस उत्पाद का निर्माण ड्राई बैटरी सैलों के उत्पादन के लिए किया जाता है। कंपनी द्वारा तैयार ईएमडी की क्वालिटी बहुत अच्छी है तथा बाजार में इसकी अच्छी मांग है। मॉयल लिमिटेड द्वारा मूल्य संवर्धन के लिए 1998 में प्रति वर्ष 10,000 मी. टन उत्पादन क्षमता का एक फेरोमैंगनीज संयंत्र स्थापित किया गया।

मॉयल ने गैर-परम्परागत ऊर्जा संसाधनों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में देवास जिले में नागदा हिल्स में 4.8 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म और रतेडी हिल्स में 15.2 मेगावाट क्षमता का पवन फार्म स्थापित किया है।

4.5.1 पूंजी संरचना

दिनांक 31.12.2014 को कंपनी की अधिकृत तथा चुकता पूंजी क्रमशः 250 करोड़ रुपए (दो सौ पचास) तथा 168 करोड़ रुपए थी।

4.5.2 वित्तीय निष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 में 1021.28 करोड़ रुपये का कुल कारोबार दर्ज किया। कर उपरांत लाभ वर्ष 2013–14 में 509.56 करोड़ रुपये और अप्रैल–दिसंबर 2014 में 309.80 करोड़ रुपये रहा। कंपनी ने वर्ष 2013–14 के लिए 126 करोड़ रुपये लाभांश अदा किया।

4.5.3 उत्पादन निष्पादन

मद	2013–14	2014–15 (अप्रैल–दिसंबर 2014)
मैंगनीज और (हजार टन में)	1135	822
ईएमडी (एमटी)	923	732
फेरो मैंगनीज (एमटी)	10042	7415

4.6 एम एस टी सी लिमिटेड

एम एस टी सी लिमिटेड, जिसे पहले मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, स्थापना सितम्बर, 1964 में देश से फेरो स्क्रैप के निर्यात के नियमन के लिए की गई थी। फरवरी, 1974 में कंपनी के स्वरूप में परिवर्तन आया और यह स्टील अर्थोरिटी ऑफ इंडिया की सहायक कंपनी बनाई गई। वर्ष 1982–83 में निगम को इस्पात मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र सार्वजनिक उपक्रम बनाया गया। यह फरवरी, 1992 तक कार्बन स्टील मेल्टिंग स्क्रैप, स्पंज लोहे, हॉट ब्रिकेटेड लोहे और पुनर्बैलन स्क्रैप के लिए केनेलाइजिंग एजेंसी थी। यह विघटन के लिए पुराने पोतों के आयात हेतु भी केनेलाइजिंग एजेंसी थी। परंतु अगस्त 1991 में इसे डीकेनेलाइज्ड करके ओपन जनरल लाइसेंस (ओ जी एल) के अंतर्गत लाया गया।

4.6.1 कंपनी की गतिविधियां

ई-कॉमर्स में ई-नीलामी और ई-खरीद के माध्यम से स्क्रैप का निपटान, कोयले की बिक्री, फेरो मैंगनीज अयस्क, लौह अयस्क, क्रोम अयस्क, मानव बाल, चाय आदि शामिल हैं। प्रमुखों की सूची में रक्षा मंत्रालय, पीएसयू जैसे इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड, राज्य विद्युत बोर्ड, भारत संचार निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड आदि, तिरुपति तिरुमला देवस्थानम (टी टी डी) कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। निपटान की विधि में निविदा, नीलामी, ई-नीलामी, ई-रिवर्स नीलामी आदि है।

ट्रेडिंग – एम एस टी सी आयात/निर्यात और वास्तविक प्रयोगकर्ताओं के लिए मुख्यतः थोक औद्योगिक कच्चे माल का घरेलू व्यापार कर रहा है। प्रभाग गौण इस्पात क्षेत्र और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में खरीददारों की ओर से औद्योगिक कच्चे माल जैसे हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, कम राख वाला धातु-कर्मीय कोक, एच आर कायल, नापथा, कच्चा तेल, कोकिंग कोल, स्टीम कोयला आदि की सोर्सिंग खरीद और बिक्री की देखभाल करता है।

अध्याय—IV

4.6.2 पूँजी संरचना तथा शेयरधारण पद्धति

दिनांक 31.03.2014 को कंपनी की अधिकृत पूँजी 10 रुपए प्रति शेयर के हिसाब से 5,00,00,000 इकिवटी शेयर हैं जिनका मूल्य 50 करोड़ रुपए है। इसकी चुकता पूँजी 8.80 करोड़ रुपए में 10–10 रुपए के 88,00,000 इकिवटी शेयर शामिल हैं। वर्ष 2012–13 में 3:1 अनुपात में बोनस शेयर जारी किए गए।

कंपनी का शेयरधारण पैटर्न निम्नानुसार है:

क्र.सं.	शेयरधारक का नाम	धारण का प्रतिशत
1	भारत सरकार	89.85
2	अन्य	10.15
	कुल	100.00

4.6.3 वित्तीय कार्यनिष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 में 5230.30 करोड़ रुपये का कारोबार दर्ज किया। वर्ष का कर उपरांत लाभ (–)70.03 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2014–15 का कारोबार एवं कर उपरांत लाभ क्रमशः 5179.71 करोड़ रुपये और 73.32 करोड़ रुपये (अनंतिम) है।

4.7 फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एल)

एफएसएनएल, एमएसटीसी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जिसकी चुकता पूँजी 2 करोड़ रुपए है। कंपनी राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, विशाखापत्तनम, डोल्वी, डुबुरी, हरिद्वार और बंगलुरु स्थित रेल व्हील फैक्टरी संयंत्रों के स्लैग और कचरों से निकले स्क्रैप की रिकवरी और प्रसंस्करण करती है। संयंत्रों से मिलने वाला स्क्रैप रिसाइकिलिंग / निपटान के लिए संयंत्र को लौटा दिया जाता है और कंपनी को स्क्रैप की श्रेणी के अनुसार विभिन्न दरों पर प्रसंस्करण शुल्क दिया जाता है। स्क्रैप लोहे और इस्पात के निर्माण के दौरान और रोलिंग मिलों से मिलता है। इसके अलावा कंपनी स्लैबों की स्कार्फिंग, बीओएफ स्लैग को उठाने–रखने आदि स्टील मिल सेवाएं भी प्रदान करती है।

4.7.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 में 23787.67 लाख रुपये का कारोबार दर्ज किया। वर्ष का कर पूर्व लाभ 1242.83 लाख रुपये रहा। दिसंबर 2014 तक कारोबार एवं कर पूर्व लाभ क्रमशः 16833.26 लाख रुपये और 185.55 लाख रुपये (अनंतिम) रहा।

4.7.2 भौतिक कार्यनिष्पादन

एफएसएनएल का विगत तीन वर्ष और वर्ष 2014–15 (अप्रैल–दिसंबर) का उत्पादन कार्यनिष्पादन नीचे दिया गया है:

मद	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (अप्रै.–दिस.)
स्क्रैप की रिकवरी (लाख मी. टन)	21.60	23.26	25.19	16.46
उत्पादन का बाजार मूल्य (करोड़ रुपये में)	950.32	1023.50	1108.45	724.51

*अनंतिम

4.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

वर्ष 1964 में केन्द्रीय क्षेत्र के एक सार्वजनिक उद्यम के रूप में स्थापित हिन्दुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल) इस्पात मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक प्रमुख निर्माण एजेंसी है। निगमन के समय इसका उद्देश्य देश में एकीकृत इस्पात कारखानों की स्थापना के लिए स्वदेशी क्षमता को जुटाना था। यह संगठन समय की कसौटी पर खरा उत्तरा और इसने सक्षम मानव संसाधन और आधुनिक निर्माण उपकरणों को जुटा कर चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना किया। एच एस सी एल ने भारत में लगभग सभी प्रमुख इस्पात संयंत्रों, खनन परियोजनाओं, सिंचाई परियोजनाओं जिनमें बांध और बैराज शामिल हैं, तेल रिफाइनरी, रेलवे, हवाई अड्डे, भवन और वाणिज्यिक कम्पलेक्स, ग्रामीण सड़क, राजमार्ग, फ्लाईओवर, रेलवे और सड़क यातायात के लिए छोटे और बड़े पुल, शैक्षिक संस्थानों के लिए बुनियादी संरचना, स्वास्थ्य केंद्र और अस्पताल आदि क्षेत्रों में अपना विस्तार किया। कंपनी ने अनेक ग्राहकों के लिए टर्न–की के आधार पर अनेक परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी कीं। आज एच एस सी एल एक आईएसओ 9001:2008 कंपनी है और सभी तरह की निर्माण गतिविधियों से जुड़ी हुई है।



वर्तमान में, कंपनी सेल और आई एल के क्षमता विस्तार के तहत बहुत से परियोजना पैकेजों के साथ इन संयंत्रों में नियमित प्रचालन और अनुकरण कार्य कर रही है। एच एस सी एल वर्तमान में सिपत में एनटीपीसी विद्युत संयंत्रों, सारनाथ में केवीएस, एनवीएस, बीएचयू, सीआईटीएस, मध्य प्रदेश में सागर में राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, उड़ीसा में भुवनेश्वर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और पश्चिम बंगाल में जंगीपुर में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय केंद्र में प्रमुख परियोजनाएं निष्पन्न कर रही हैं और एच एस सी एल द्वारा राज्य सरकार के विभागों और पीएसयू के तहत अन्य भवन और वाणिज्यिक काम्प्लेक्स, छोटे और बड़े पुलों के साथ रेलवे बांध और सीसीएल तथा आईएसपी की ओपन कास्ट खनन परियोजनाएं भी निष्पन्न की जा रही हैं।

4.8.1 पूँजी संरचना

आज की तिथि को प्राधिकृत एवं चुकता शेयर पूँजी क्रमशः 150 करोड़ रुपए और 117.10 करोड़ रुपए है।

4.8.2 वित्तीय कार्यनिष्पादन

वर्ष 1965–66 में 5 करोड़ रुपए से एक छोटी सी शुरूआत करते हुए, कंपनी ने 2013–14 में 1410.21 करोड़ रुपए का कारोबार किया जो आरंभ से अब तक का सबसे अधिक है। वर्ष 2014–15 के दौरान 31.12.2014 तक कारोबार 1046.46 करोड़ रुपए (अनंकेक्षित) है।

वर्ष 2005–06 से 2013–14 तक के गत आठ वर्ष में कंपनी का कारोबार और ऑर्डर बुकिंग सकल वार्षिक विकास दर (सी ए जी आर) आधार पर क्रमशः 19.02 प्रतिशत और 25.51 प्रतिशत रहा जो देश में उद्योग की कुल विकास दर से कहीं अधिक है। कंपनी के वित्तीय परिणामों में भी सुधार हो रहा है तथा इसने वित्त वर्ष 2014 के दौरान सी ए जी आर 15.75 प्रतिशत के साथ 99.80 करोड़ रुपए का प्रचालन लाभ अर्जित किया।

वर्ष 2013–14 के दौरान ॲर्डर बुकिंग असाधारण रही और वर्ष के दौरान 2648.98 करोड़ रुपए मूल्य के ॲर्डर बुक किए गए, जो 2012–13 के मुकाबले 96.51 प्रतिशत की बढ़ोतरी है। वर्ष 2014–15 की तीसरी तिमाही तक ॲर्डर उत्साहवर्द्धक रही और कंपनी ने 1574.76 करोड़ रुपए के आर्डर प्राप्त किये।

4.9 मेकॉन लिमिटेड

इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का एक मिनीरल्न उद्यम मेकॉन लिमिटेड धातु, बिजली, तेल एवं गैस और आधारभूत क्षेत्रों में कार्यरत एक प्रमुख बहुआयामी डिजाइन इंजीनियरी परामर्शदात्री और ठेके पर काम करने वाला संगठन है। मेकॉन का उद्देश्य डिजाइन और इंजीनियरी; संयंत्रों, उपस्करणों तथा प्रणालियों की डिजाइन और आपूर्ति, नए औद्योगिक उद्यमों को स्थापित करने से लेकर चालू करने के संबंध में तकनीकी परामर्श देना है।

मेकॉन ने बहुत सी अत्यधिक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक साकार किया है जिनमें से कुछेक इस प्रकार हैं – श्री हरिकोटा में द्वितीय लांचिंग पैड, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, एस एच ए आर में भारत का प्रथम स्वदेशी लांचिंग पैड; आईआईटी मुंबई में जीओ-टैक्निकल सेंट्रीयूज सुविधा, विश्व में अपनी तरह की छठी सुविधा है, जिसका वित्तपोषण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डी आर डी ओ, मानव संसाधन विभाग द्वारा किया गया है, टी एन ई बी पॉवर प्लांट के लिए एन्नोर बर्थ से कोल हैंडलिंग सुविधा, जो 11 किलोमीटर और क्षमता 2×4000 टीपीएच की बेल्ट कन्वेयर व्यवस्था युक्त हार्बर से पावर प्लांट तक एशिया की सबसे बड़ी कोल हैंडलिंग सुविधा है; भारतीय नौसेना की परियोजना सीबर्ड, भारत की पहली जहाज मरम्मत सुविधा।

वर्तमान में, मेकॉन भारत में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में लगभग सभी बड़ी इस्पात परियोजनाओं में शामिल है। कंपनी विविधीकरण के अन्य क्षेत्रों में भी पूरी तरह संस्थापित है चाहे यह विद्युत, तेल और गैस और अवसंरचना हो, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में बड़ी संख्या में कार्यों में शामिल है।

मेकॉन ने भारत के साथ-साथ इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब, ओमान, यूएई, वियतनाम, अमरीका आदि जैसे विभिन्न देशों में लगभग 130 परियोजनाओं के लिए क्वालिटी डिजाइन, इंजीनियरी और परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान कर अपनी गतिविधियों का विस्तार किया है। अफ्रीकी राज्यों में अवसरों को प्रभावशाली ढंग से पूरा करने के लिए मेकॉन का नाइजीरिया में एक समुद्रपारीय कार्यालय है।

4.9.1 वित्तीय कार्यनिष्पादन

गत वर्षों में मेकॉन ने वित्तीय दृष्टि से वृद्धि परक एवं उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी, विगत दो वर्ष के दौरान, आम आर्थिक मंदी जिसकी चपेट में संपूर्ण देश है, के कारण कंपनी के काफी संख्या में आर्डर बुक करने में असमर्थ रही है। इसकी वजह से कंपनी द्वारा बुक किये गये आर्डर्स में भारी गिरावट आयी जिसके फलस्वरूप वित्त वर्ष 2013–14 में कंपनी का कारोबार कम होकर 341.29 करोड़ रुपये रह गया। कंपनी का कर पूर्व शुद्ध लाभ भी वर्ष 2012–13 के 150.72 करोड़ रुपए से घटकर कर वर्ष 2013–14 में 68.69 करोड़ रुपए रह गया। फिर भी, कंपनी का शुद्ध मूल्य जो 31.03.2012 को 391.29 करोड़ रुपए था, 31.03.2014 को बढ़ कर 416.80 करोड़ रुपए हो गया।

4.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

शत—प्रतिशत निर्यातोन्मुख, आईएसओ 9001:2008, आईएसओ 14001:2004 और आईएसओ 18001:2007 प्रमाणित कंपनी के आई ओ सी एल लिमिटेड, की स्थापना ईरान की दीर्घकालीन जरूरतों की पूर्ति के लिए अप्रैल, 1976 में की गई थी। कुद्रेमुख में 75 लाख टन क्षमता वाले लौह अयस्क कंसेन्ट्रेट संयंत्र की स्थापना की गई। इस परियोजना को भारत सरकार द्वारा प्रदान किये गये पैसे से समय पर पूरा किया गया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार 1.1.2006 से कुद्रेमुख में खनन प्रचालन को बंद कर दिया गया है।

उत्पादन में विविधता लाने के उपायों के तौर पर, सरकार ने मई 1981 में मंगलौर में 30 लाख टन प्रतिवर्ष क्षमता के पैलेट संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दी है। पैलेट संयंत्र की क्षमता में वृद्धि/संशोधन कर 35 लाख टन कर दिया गया। संयंत्र में 1987 से वाणिज्यिक उत्पादन होने लगा और अब यह घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जरूरतों को पूरा कर रहा है।

केआईओसीएल का घरेलू बाजार के लिए फाउन्ड्री ग्रेड के पिंग आयरन के निर्माण और आपूर्ति के लिए मंगलौर में अपना पिंग आयरन काम्पलेक्स (धमन भट्टी यूनिट) भी है। तथापि, नकारात्मक योगदान के कारण वर्ष 2009 से इस यूनिट का प्रचालन बंद किया हुआ है।

4.10.1 वित्तीय कार्यनिष्ठादान

कंपनी ने वित्त वर्ष 2013–14 में 1532.37 करोड़ रुपये की कुल बिक्री दर्ज की और अप्रैल–दिसंबर 2014 के दौरान यह 613.76 करोड़ रुपये रहा। वर्ष 2013–14 का कर उपरांत लाभ 39.93 करोड़ रुपये और अप्रैल से दिसंबर, 2014 तक यह 5.83 करोड़ रुपये (अनन्तिम) रहा।

4.10.2 उत्पादन कार्यनिष्ठादान

वर्ष 2014–15 के लिए तय उत्पादन लक्ष्य 18.0 लाख टन पैलेट है। वर्ष 2014–15 के लिए दिसंबर 2014 तक तय उत्पादन लक्ष्य 12.60 लाख टन पैलेट है। दिसंबर 2014 तक वास्तविक उत्पादन 6.60 लाख टन रहा जो निर्धारित लक्ष्य का 52.38 प्रतिशत है। वर्तमान परिवेश को देखते हुए, वर्ष 2014–15 के दौरान पैलेट का अनुमानित उत्पादन 10 लाख टन होने की आशा है।



माननीय इस्पात और खान मंत्री, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने 18.09.2014 को केआईओसीएल लिमिटेड, बंगलौर में पैलेट ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया

4.11 बडे ग्रुप ऑफ कंपनीज (बी जी सी)

बडे ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ईआई एल) एक शैल कंपनी और ओएमडीसी और बीएसएलसी की धारक कंपनी है, जो क्रमशः लौह व मैग्नीज अयस्क और लाइमस्टोन व डोलोमाइट का खनन कार्य देख रही हैं।

केंद्रीय कैबिनेट द्वारा यथा अनुमोदित पुनर्गठन के बाद ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल), राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल) की सहायक कंपनी और ओ एम डी सी तथा बी एस एल सी की धारक कंपनी बन गई। ईआईएल, बी एस एल सी और ओएम डी सी 19.03.2010 से सार्वजनिक उपक्रम बन गए। इसके अतिरिक्त, 19.03.2010 से ओएम डी सी को अनुसूची “बी” के अंतर्गत रखा गया और बी एस एल सी को अनुसूची “सी” कंपनी घोषित किया गया। जैसा कि ई आई एल एक शैल कंपनी है और इसे वर्गीकरण के अंतर्गत लाने के बारे में अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रचालनरत कंपनियों का व्यक्तिगत कार्यनिष्ठादान

(क) ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड (ई आई एल)

ई आई एल एक निवेश कंपनी और ओ एम डी सी तथा बी एस एल सी की धारक कंपनी है। ओ एम डी सी और बी एस एल सी खनन कंपनियां हैं। कंपनी की अधिकृत पूँजी 13.50 करोड़ रुपए और चुकता पूँजी 1.44 करोड़ रुपए है। ई आई एल का वर्ष 2013–14 के लिए कर–पूर्व लाभ 24 लाख रुपए है।

(ख) उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओ एम डी सी एल)

ओ एम डी सी ओडिशा राज्य में लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क के छह खनन पट्टे प्रचालित कर रही है। ओ एम डी सी लौह अयस्क की सबसे पुरानी खनन कंपनी है और केंद्रीय सरकार के अधीन लौह अयस्क खनन में एन एम डी सी के बाद इसका दूसरा स्थान है। ओ एम डी सी की खानें क्योंझार जिले के जनजातीय क्षेत्र में स्थित हैं और जनजातीय लोगों को इनसे काफी रोजगार प्राप्त होता है। कंपनी ने ठाकुरानी में 2004 में एक छोटा स्पंज आयरन संयंत्र भी स्थापित किया है। कंपनी ने अपने उत्पादन में विविधता लाने और उत्पादों के मूल्य संवर्धन के लिए योजनाएं बनाई हैं। यह उड़ीसा केबारबिल में 20 लाख टन का प्रतिवर्ष एक पैलेट संयंत्र और 20 लाख टन प्रतिवर्ष का बेनिफिसिएशन संयंत्र भी लगाने की योजना बना रही है। इसकी योजना अगले कुछ वर्षों में लौह अयस्क का उत्पादन 100 लाख टन तथा मैग्नीज अयस्क का उत्पादन 10 लाख टन तक बढ़ाने की है।

कंपनी की अधिकृत तथा चुकता पूँजी 0.60 करोड़ रुपए है।

वित्तीय निष्ठादान

(करोड़ रुपये में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15 (अनंतिम)
बिक्री	शून्य	शून्य	शून्य
अन्य आय	79.98	75.36	56.28
कर पूर्व लाभ	26.25	16.74	20.89

(ग) बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बी एस एल सी)

बी एस एल सी उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में चूना–पत्थर और डोलोमाइट के एक पट्टे पर कार्य कर रही है। यह पूर्वी क्षेत्र में कार्य कर रहे सेल के इस्पात कारखानों को चूना–पत्थर और डोलोमाइट सप्लाई करती है। इसकी योजना खनन कार्यों का आधुनिकीकरण कर और क्रशरों की संख्या बढ़कर उत्पादन क्षमता 50 लाख टन करने की है। यह एक शताब्दी पुरानी कंपनी है और इस क्षेत्र के जनजातीय लोगों को इसमें बड़े पैमाने पर रोजगार मिल रहा है।

कंपनी की अधिकृत पूँजी 87.50 करोड़ रुपए और चुकता पूँजी 87.29 करोड़ रुपए है।

भौतिक निष्ठादान

उत्पादन

(लाख टन में)

विवरण	2012–13	2013–14	2014–15
लाइमस्टोन	0.26	0.18	0.02
डोलोमाइट	3.68	3.78	0.99

अध्याय—V

निजी क्षेत्र

5.1 प्रस्तावना

इस्पात उद्योग का निजी क्षेत्र देश में इस्पात उद्योग के विकास और उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। निजी क्षेत्र के दायरे में एक ओर बड़ी इस्पात कंपनियाँ और दूसरी ओर स्पंज आयरन संयंत्रों, छोटी धमन भट्टी इकाइयों, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस, रि-रोलिंग मिलों, कोल्ड-रोलिंग मिलों और कोटिंग इकाइयों जैसी छोटी और मझोली कंपनियाँ, दोनों आती हैं। ये कंपनियाँ न सिर्फ प्राथमिक और द्वितीयक इस्पात क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, बल्कि गुणवत्ता, अभिनव प्रयोग और किफायतीपन के मामले में भी व्यापक मूल्य संवर्धन योगदान दे रही हैं।

5.2 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात कार्यकारी समूह की रिपोर्ट के अनुसार, पहले से ही क्षमता विस्तार के अधीन एवं नयी क्षमता बढ़ाने वाले निजी क्षेत्र के अग्रणी इस्पात उत्पादकों का विवरण निम्न तालिका में दिया जा रहा है:

(मिलियन टन में कच्चा इस्पात उत्पादन क्षमता)

क्र. सं.	निवेशक	वर्तमान क्षमता#	2016–17* तक प्रस्तावित ब्राउनफील्ड विस्तार क्षमता	2016–17* तक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड विस्तार क्षमता	2016–17* में प्रस्तावित कुल क्षमता
1	टाटा स्टील लिमिटेड	9.6	0.4	10	20.0
2	एस्सार स्टील लिमिटेड	8.54	1.46	0	10.0
3	जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड	14.6	3.8	0	18.4
4	जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड	2.4	1.6	7.5	11.5
5	भूषण स्टील लिमिटेड	1.3	0	3.9	5.2
6	भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड	2.5	0	0	2.5
7	मोनेट इस्पात एंड एनर्जी लिमिटेड	0.3	1.2	0	1.5
8	इलेक्ट्रोस्टील स्टील लिमिटेड	1.7	0	0.5	2.2
9	वीसा स्टील लिमिटेड	0.5	1.0	0	1.5
10	पॉस्को इण्डिया प्रोजेक्ट (ओडीसा)	0	0	4.0	4.0

स्रोत: # जेपीसी; * 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस्पात कार्यकारी समूह की रिपोर्ट।

5.3 टाटा स्टील लिमिटेड



टाटा स्टील जमशेदपुर वर्क्स का एक मनोरम दृश्य



वित्त वर्ष 2013–14 की विभिन्न तिमाहियों के दौरान टाटा स्टील का निष्पादन निम्नानुसार है:

(हजार टन में)

मद	तिमाही 1	तिमाही 2	तिमाही 3	तिमाही 4 (अनुमानित)	कुल
तप्त धातु	2528	2582	2374	2667	10151
कच्चा इस्पात	2334	2269	2289	2454	9346
विक्रेय इस्पात	2250	2213	2228	2386	9077

5.4 जेएसडब्ल्यू स्टील लि.

जेएसडब्ल्यू ग्रुप की प्रमुख कंपनी, जेएसडब्ल्यू स्टील 143 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के साथ भारत का एक अग्रणी एकीकृत इस्पात विनिर्माता है। यह भारत में तेजी से बढ़ रही कंपनियों में से एक है जिसकी उपस्थिति 140 से अधिक देशों में है। कर्नाटक, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में स्थित अत्याधिक उत्पादन सुविधाओं से युक्त, इसे नवोन्मेषी और गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। जेएसडब्ल्यू स्टील इस्पात उत्पादों की एक बड़ी श्रृंखला पेश करता है जिसमें हॉट रोल्ड, कोल्ड रोल्ड, बेयर और प्रिपेटेड गेलवेनाइज्ड एवं गेलवेल्यूम, टीएमटी रिबार्स, वायर रॉड्स और विशेष इस्पात – राउंड्स, आरसीएस, बार्स और स्प्रिंग स्टील फ्लैट्स शामिल हैं।



जेएसडब्ल्यू इस्पात संयंत्र का एक दृश्य

भौतिक सूचना

(आंकड़े मिलियन टन में)

क्र. सं.	मद	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (अप्रै.–दिस.)	2014–15 (जन–मार्च)
1	क्षमता	9.30	10.80	10.80	14.30	14.30*	14.30*
2	कच्चा इस्पात उत्पादन	6.43	7.43	8.52	12.17	9.03	अनुपलब्ध
3	विक्रेय इस्पात की बिक्री	6.10	7.82	8.87	11.86	8.76	अनुपलब्ध

* वित्त वर्ष 14 की क्षमता (संपूर्ण वित्त वर्ष)

5.5 मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लिमिटेड

मोनेट इस्पात एण्ड एनर्जी लि. (एमआईईएल) देश में एक अग्रणी स्पंज लौह विनिर्माता है। यह छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर तथा रायगढ़ में 18 लाख टन प्रति वर्ष वाले एकीकृत इस्पात संयंत्र का प्रचालन कर रहा है जिसमें 8 लाख टन प्रतिवर्ष स्पंज लौह, 7 लाख टन ब्लास्ट फर्नेस, 5 लाख टन रिबार मिल, 2 लाख टन प्रतिवर्ष संरचनात्मक मिल एवं 230 मेगावाट विद्युत संयंत्र, 7.5 लाख टन सिंटर संयंत्र, 12 लाख टन प्रतिवर्ष पेलेटिजेशन संयंत्र, शामिल हैं। अनुमानित रूप से 7500 करोड़ रुपये पहले ही निवेश कर लिए गये हैं और कंपनी की पुनः विस्तारीकरण योजना में कोक ओवन, सीमेंट ग्राइंडिंग इकाई, लाइम डोलोमाइट संयंत्र, स्लैग क्रशिंग एवं स्वचालन संयंत्र शामिल हैं।

5.6 जिंदल स्टील एवं पावर लिमिटेड

जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड (जेएसपीएल) द्वारा पर्यावरणानुकूल प्रौद्योगिकी को सफलता पूर्वक अपनाने से कोयला वाशरियों में ‘जी’ और ‘एफ’ निम्न श्रेणियों के कोयले को प्रसाधित किया जाता है और धुले हुए कायले का उपयोग कोल



जेएसपीएल के अंगुल (ओडिशा) में लोहा निर्माण का विश्व का पहला कोयला गैसिफिकेशन संयंत्र

गैसीफार्यस में सिन गैस का उत्पादन करने के लिए किया जाता है जिसका इस्तेमाल डीआरआई संयंत्र में प्राकृतिक गैस की जगह किया जाता है:

- मैसर्स लुर्गी, जर्मनी द्वारा सप्लाई की गयी प्रौद्योगिकी पर आधारित कोल गैसीफिकेशन को मई 2014 में चालू किया गया जो डीआरआई संयंत्र में फीडिंग हेतु देश में पहला है।
- मैसर्स मिडरेक्स, यूएसए द्वारा सप्लाई की गयी प्रौद्योगिकी सिन गैस पर आधारित 18 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता के डीआरआई संयंत्र को जुलाई 2014 में चालू किया गया

5.7 वीसा स्टील लिमिटेड

कंपनी ने ओडीसा में कलिंगनगर औद्योगिक परिसर में 10 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित कर रही है। प्रथम चरण का 5 लाख टन प्रति वर्ष क्षमता का विशेष इस्पात लांग उत्पाद संयंत्र पूर्णतः प्रचालन कर रहा है। सुविधाओं में शामिल है—225,000

टन प्रति वर्ष क्षमता का ब्लास्ट फर्नेस,

300,000 टन प्रति वर्ष क्षमता का स्पंज

लौह संयंत्र, 5000,000 टन प्रति वर्ष

क्षमता का स्टील मेल्ट शॉप (ईएफ,

एलआर एफ और वीडी) और 500,000

टन प्रति वर्ष क्षमता का रोलिंग मिल

(बार और रॉड मिल)।

वीसा स्टील भारत एवं वैश्विक विशेष

एवं स्टेनलैस इस्पात विनिर्माताओं के

लिए फेरो अलॉयज का एक प्रतिष्ठित

आपूर्तिकर्ता है। इसके फेरो अलॉयज

व्यवसाय में वर्तमान रूप से 75 मेगावाट

निजी विद्युत संयंत्र युक्त 180,000



जाजपुर, ओडीसा में कलिंगनगर स्थित वीसा इस्पात संयंत्र का मनोरम दृश्य

टन प्रति वर्ष क्षमता का फेरो अलॉय संयंत्र है जिसे बढ़ा कर 125 मेगावाट निजी विद्युत संयंत्र युक्त 250,000 टन प्रति वर्ष करने का प्रस्ताव है, जो वीसा स्टील को फेरो अलॉयज उद्योग में भारत एवं विश्व में एक अग्रणी कंपनी बना देगा।

वीसा स्टील लिमिटेड की एक सहायक कंपनी वीसा सनकोक लिमिटेड है, जो वीसा स्टील लिमिटेड और यूएसए की सनकोक एनर्जी का एक संयुक्त उद्यम है। यह ओडीसा के कलिंगनगर में 400,000 टन प्रति वर्ष क्षमता का हीट रिकवरी कोक संयंत्र और संबद्ध स्टीम उत्पादन इकाइयों का प्रचालन कर रहा है। कंपनी ने अगले कुछ वर्षों में अपने व्यवसाय को 4 लाख टन प्रति वर्ष से बढ़ा कर 16 लाख टन प्रति वर्ष करने की योजना बनायी है।

वीसा स्टील ने छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ में एक पूर्णतः एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की भी योजना बनायी है।



अध्याय—VI

अनुसंधान और विकास

6.1 इस्पात क्षेत्र के लिए अनुसंधान और विकास

भारत की इस्पात क्षेत्र में पहली अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला 1936 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (टिस्को) में स्थापित की थी। सेल ने 1972 में अपना निगमित अनुसंधान एवं विकास केंद्र रांची में स्थापित किया। जेएसडब्ल्यू स्टील और एस्सार स्टील नये कारखानों में अनुसंधान एवं विकास सुविधाएं 2000 में शुरू हुईं लेकिन अन्य संयंत्रों में ये सुविधाएं नहीं हैं। सरकार ने भी सीएसआईआर के तहत अनेक राष्ट्रीय/क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं/संस्थान स्थापित किये। इनमें नेशनल मैटलर्जिकल लेबारेटरी (एनएमएल), जमशेदपुर और इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल्स एंड मैटीरियल्स टेक्नोलॉजी (आईएमएमटी), भुवनेश्वर शामिल हैं जो खनिज एवं ईंधन सहित लौहा एवं इस्पात अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी हैं। इसके अलावा, कुछ शैक्षणिक संस्थान जैसे आईआईटी एवं एनआईटी भी लौहा एवं इस्पात के क्षेत्र में प्रध्योजित अनुसंधान कार्य में कार्यरत हैं।

सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील और एस्सार स्टील ने रॉ मैटीरियल बेनिफिसियेशन, एग्लोमरेशन एवं उत्पाद विकास के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया। तथापि इन कंपनियों में कार्य का प्रमुख जोर सामान्य रूप से विभिन्न उत्पादन यूनिटों की वर्तमान और अल्पकालीन आवश्यकताओं के समाधान हेतु उत्तरोत्तर प्रौद्योगिकी विकास पर दिया जाता है। वस्तुतः उत्पादों के कुछ एक विकास प्रयासों को छोड़कर विघटनकारी प्रौद्योगिकी विकास की ओर उनका योगदान उल्लेखनीय नहीं रहा। भारत में इस्पात कंपनियां आर एंड डी पर कम निवेश करती हैं तथा वही इस्पात कंपनियों में वास्तविक निवेश उनके कारोबार के प्रतिशत के तौर पर 0.15 – 0.30 प्रतिशत के बीच है जबकि इसकी तुलना में विकसित देशों में इस्पात संयंत्रों में यह 1–2 प्रतिशत है।

6.1.1 लौहा और इस्पात क्षेत्र में आरएण्डडी को प्रोत्साहन हेतु सरकार की पहल

लौहा इस्पात क्षेत्र में आरएण्डडी को विशेष प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात मंत्रालय सार्वजनिक और निजी दोनों ही क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को बढ़ावा दे रहा है। वर्तमान में, इस्पात मंत्रालय लौहा एवं इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के प्रोत्साहन के लिए निम्नलिखित दो स्कीमों चला रहा है:

(i) इस्पात विकास निधि (एसडीएफ) से वित्तीय सहायता के साथ आर एंड डी

इस स्कीम के तहत आरएण्डडी परियोजनाओं की मंजूरी एवं निगरानी के लिए सरकार ने सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति (ईसी) गठित की है। ईसी ने 24 बैठकें की हैं और 389.63 करोड़ रुपये की एसडीएफ सहायता के साथ 696.27 करोड़ रुपये की लागत वाली 83 आरएण्डडी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन 83 आरएण्डडी परियोजनाओं में से 47 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं जिससे उद्योग लाभान्वित हुआ है। वहीं मध्यावधि समीक्षा के बाद 11 परियोजनाएं रोक दी गईं, जबकि 25 परियोजनाएं प्रगति में हैं।

(ii) योजना निधि से वित्तीय सहायता के साथ अनुसंधान और विकास

इस्पात उद्योग से संबद्ध कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर योजना निधि से 118 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 11वीं पंचवर्षीय योजना में एक नयी स्कीम – लौह एवं इस्पात क्षेत्र में आरएण्डडी के प्रोत्साहन के लिए स्कीम शुरू की गई थी। इस स्कीम के तहत तीन प्रमुख क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास पर जोर दिया गया। ये क्षेत्र हैं— (i) अनूठी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का विकास (ii) भारतीय लौह अयस्क चूरा एवं गैर कोकिंग कोल के बेनिफिसिएशन व उपयोग और (iii) इंडक्शन फर्नेस रूट के जरिए उत्पादित इस्पात की गुणवत्ता में सुधार।

पहले से चल रही स्कीम होने की वजह से उपरोक्त स्कीम को 12वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ जारी रखा गया। 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित दो अतिरिक्त उद्देश्य— (i) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड स्टील (सीआरजीओ) शीट्स एवं अन्य मूल्यवर्धित अभिनव इस्पात उत्पादों के लिए प्रौद्योगिकी का विकास और (ii) लौह व इस्पात क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों पर अनुसंधान एवं विकास, इस स्कीम में जोड़े गए।

इस स्कीम के तहत आरएण्डडी प्रस्तावों/परियोजनाओं की मंजूरी एवं निगरानी के लिए सचिव (इस्पात) की अध्यक्षता में एक परियोजना मंजूरी व निगरानी समिति (पीएमसी) है। अभी तक पीएमसी द्वारा कुल 138.10 करोड़ रुपये की लागत जिसमें 95.66 करोड़ रुपये योजना निधि से शामिल है, की 10 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं मंजूरी की गई हैं।

अध्याय—VI

(iii) कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील शीट्स के लिए प्रौद्योगिकी का विकास

सीआरजीओ स्टील शीट्स के लिए प्रौद्योगिकी तैयार रूप से उपलब्ध नहीं है क्योंकि दुनियाभर में इसके केवल मुट्ठीभर विनिर्माता हैं और वे प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के इच्छुक नहीं हैं। देश में सीआरजीओ स्टील शीट्स के लिए मांग सालाना 2 से 2.5 लाख टन है जिसके 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक दोगुना होने की संभावना है। ज्यादातर मांग आयात के जरिए पूरी की जाती है और भारत में बहुत मामूली मात्रा में इसका विनिर्माण किया जाता है वह भी आयातित अर्द्धनिर्मित कच्चे माल पर आधारित है। इसलिए, देश में सीआरजीओ स्टील शीट्स के उत्पादन के लिए खुद की क्षमता विकसित करना अपरिहार्य हो जाता है।

उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस्पात मंत्रालय 'कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड (सीआरजीओ) स्टील शीट्स के लिए प्रौद्योगिकी विकास' के वास्ते एक संयुक्त गठबंधन अनुसंधान प्रस्ताव पर काम कर रहा है। एनएमएल जमशेदपुर, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल), टाटा स्टील लिमिटेड जमशेदपुर और इस्पात मंत्रालय इस पहल में भागीदार हैं और वे परियोजना की लागत मिलकर वहन करेंगे। इस्पात मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में 200 करोड़ रुपये के कुल आंबंटन में से योजना निधि से इस पहल के लिए 150 करोड़ रुपये अलग किए हैं। परियोजना के डीपीआर की तैयारी नवंबर, 2014 में शुरू कर दी गई है और रिपोर्ट छह महीने में आने की संभावना है। डीपीआर में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर परियोजना 2015–16 में शुरू किए जाने की उम्मीद है।

(iv) भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन

इस्पात मंत्रालय इस्पात क्षेत्र में संयुक्त सहयोगात्मक अनुसंधान कार्यक्रमों के जरिये राष्ट्रीय महत्व की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए, भारतीय इस्पात अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एसआरटीएसआई) नामक नवाचारी संस्थागत तंत्र की स्थापना में मदद पहुंचा रहा है। यह मिशन उद्योग से जुड़ी पहल होगा और देश में इस्पात कंपनियों, इस्पात मंत्रालय, शैक्षणिक एवं संबंधित अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के साथ निकट सहयोग करते हुए इसे एक पंजीकृत सोसाइटी के रूप में स्थापित किया जायेगा। इस्पात मंत्रालय ने अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी है और इस पहल में इस्पात कंपनियों की सहभागिता एवं वित्तीय योगदान के लिए बातचीत की जा रही है एवं शीघ्र ही एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये जाने की आशा है।

6.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फार आयरन एंड स्टील (आर डी सी आई एस) ने वर्ष 2014–15 के दौरान 80 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएं हाथ में ली हैं जिसमें से 53 परियोजनाएं मार्च, 2015 तक पूरी की जानी हैं। इन परियोजनाओं के तहत सेल के संयंत्रों/इकाइयों को तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराए गए जिसमें लागत में कमी लाने, मूल्यवर्धन, गुणवत्ता में सुधार और नए उत्पादों के विकास पर खास जोर रहा।



राँची में सेल के आरडीसीआईएस भवन का रात्रि दृश्य



आरडीसीआईएस ने अप्रैल से नवंबर, 2014 तक 27 पैटेंट और 26 कॉपीराइट्स के लिए आवेदन किए। उन्होंने 55 तकनीकी परिपत्र प्रकाशित किए और 70 पत्र प्रस्तुत किए। इसके अलावा, आरडीसीआईएस ने ठेके पर अनुसंधान का काम अपने हाथ में लिया और सेल से बाहर महत्वपूर्ण परामर्श सेवाएं एवं तकनीकी जानकारी संगठनों को उपलब्ध कराई।

आरडीसीआईएस सेल की उत्पाद विकास गतिविधियों में अहम भूमिका निभाता है। जबरदस्त मांग, तैयार बाजार, मार्जिन में अच्छा योगदान और संयंत्र की क्षमता आदि विकास के लिए उत्पादों के चयन के मानक हैं। आरडीसीआईएस ने सेल के संयंत्रों के साथ मिलकर अप्रैल से दिसंबर, 2014 के दौरान 19 नए इस्पात के ग्रेड विकसित किए।

अनुसंधान एवं विकास के प्रयास और उपलब्धियां

- एसपी-2, डीएसपी में पोस्ट इग्निशन चैंबर में मिश्रित गैस फाइरिंग प्रणाली शुरू
- सिंटर मिक्स की प्रीहीटिंग के जरिए सिंटर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार और एसपी-2, डीएसपी में इग्निशन हुड में ऑक्सीजन समृद्धि
- बीएसएल में सिंटर मशीन 2 एवं 3 में अनूठी सिंटर मिक्स चार्जिंग प्रणालियों के जरिए निष्पादन में सुधार
- डीएसपी में ब्लूम कास्टर की अतिरिक्त कूलिंग में सुधार
- बीएसएल के ब्लास्ट फर्नेस 5 के निष्पादन में सुधार
- बीएसपी में सिंग्नेचर विश्लेषण का इस्तेमाल कर इलेविट्रिक मशीनों की प्रारंभिक गड़बड़ी का पता लगाना
- बीएसएल के एचएसएम में आरएचएफ के चार्जिंग एरिया के जीवनकाल में सुधार
- बीएसपी के डब्ल्यूआरएम में रफिंग व मध्यस्थ समूहों के लिए बिलेट फीडिंग प्रणाली व मिल लगाने की प्रणाली हेतु नियंत्रण प्रणाली
- बीएसपी के एसएमएस-II में संशोधित लैडल हीटिंग प्रणाली शुरू करना
- आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस 4 की भट्टियों के लिए ऊर्जा प्रभावी कंबशन नियंत्रण प्रणाली व ऑटो चेंज ओवर सिस्टम अपनाना
- आरएसपी में सीसीएम#2 में हीटिंग बर्नरों का उन्नयन
- आरडीसीआईएस द्वारा लघु एवं मझोले क्षेत्र की री-रोलिंग मिलों में ऊर्जा के प्रभावी उपयोग एवं मौजूदा री-हीटिंग फर्नेसों के जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए रेट्रो-फिटिंग प्रौद्योगिकियों को लागू करना।
- डीएसपी में बीओएफ स्क्रबर सर्किट परत की जांच

पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	सेल का कारोबार	अनुसंधान एवं विकास पर खर्च			
		पूंजी	राजस्व	कुल	कारोबार का %
2011–12	50,348	5.37	129.08	134.45	0.27
2012–13	49,350	2.56	145.07	147.63	0.30
2013–14	51,866	4.38	106.05	110.43	0.21
2014–15 (अप्रैल–सितंबर)	25,449	5.58	74.17	79.75	0.31

6.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

अनुसंधान एवं विकास से जुड़ी पहल संयंत्र की मौजूदा एवं भावी आवध्यकताओं को पूरा करने की दिशा में की गई हैं, दिसंबर, 2014 तक आरएंडडी के क्षेत्र में उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

- कनवर्टर में जोनल लाइनिंग के लिए MgO-C रीफ्रैक्टरी की विभिन्न किस्में विकसित की गई।
- प्रक्रियागत महत्वम उपयोग, सतत सिंटर गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार के लिए सिंटरिंग सह पेलेटाइजेशन हेतु गणितीय मॉडलिंग विकसित की गई।
- कैल्शियम की रिकवरी एवं एल्युमिना के कम अवरुद्ध के लिए संशोधित डिजाइन व परिचालन मानक।

अध्याय—VI

- सिंटर की उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्रभावित किए बगैर लौह अयस्क के अति सूक्ष्म कण के अधिकतम इस्तेमाल हेतु सिंटरिंग प्रक्रिया पर लौह अयस्क सूक्ष्म कण के प्रभाव का पूर्व आकलन करने के लिए पद्धति विकसित की गई।
- कलोरोफिक मूल्य बढ़ाने के लिए बीएफ गैस समृद्ध करने हेतु संभाव्य अध्ययन पूरा किया गया।
- कार्बन डायऑक्साइड के विकास पर अध्ययन, कार्बन डायऑक्साइड के ग्रीन हाउस प्रभाव पर नियंत्रण के लिए एलडी कंवर्टर स्लैग का उपयोग कर सिक्वेस्ट्रेशन तकनीकी।
- थर्मो-मैकेनिकली से तैयार छड़े विकसित की गई जिनमें सुधारी हुई भूकंप-रोधी क्षमता है।

2014–15 के दौरान पेटेंट के लिए किए गए आवेदन: 3

आर एंड डी पर निवेश

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	वास्तविक खर्च	कारोबार % के तौर पर खर्च
2013–14	50.27	0.37
2012–13	31.13	0.23
2011–12	20.29	0.14
2013–14 में दिसंबर, 14 तक	20.31	0.25

6.4 एन एम डी सी लिमिटेड

आरएंडडी केंद्र भारत एवं विदेशों में एनएमडीसी की मौजूदा खानों, अन्य संगठनों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध करा रहा है। यह केंद्र ग्राहक की अधिक संतुष्टि के लिए निष्पादन प्रक्रिया में सतत सुधार के जरिए उत्पाद में उत्कृष्टता बनाए रखने और लौह व खनिजों के संबंध में उत्पाद एवं प्रौद्योगिकी विकास मिशन के लिए प्रतिबद्ध है।

निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में आरएंडडी केंद्र काम करता है:

- बेहतर उत्पादकता एवं ग्राहकों की जरूरतें पूरी करने के लिए मौजूदा प्रोसेस संयंत्रों की प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी का उन्नयन।
- खान से निकले अपशिष्टों के उपयोग के लिए प्रौद्योगिकी का विकास एवं खनिज व धातु अपशिष्टों का मूल्यवर्धित उत्पादों में परिवर्तन।
- खनिज प्रोसेसिंग, हाइड्रोमेटलर्जी, एग्लोमरेशन, बल्क सोलिड्स हैंडलिंग, खनिज विद्या एवं रसायन विश्लेषण के क्षेत्र में एनएमडीसी एवं अन्य घरेलू व विदेशी संगठनों की परियोजनाओं को अपनी विशेषज्ञता उपलब्ध कराना।
- निगम के दीर्घकालीन उद्देश्यों व रणनीतिक योजनाओं के अनुरूप नयी परियोजनाओं की पहचान करना एवं लागत प्रभावी प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विकास करना।
- प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं एवं अनुसंधान संस्थानों (सीएसआईआर, डीआरडीएल, डीएमआरएल, एमआईएसए आदि) के साथ गठबंधन।
- अपने ग्राहकों को उच्च स्तर की स्थिरता, विश्वसनीयता और समय सीमा के भीतर उत्पादों, प्रोसेस फ्लो शीट एवं सेवाओं की आपूर्ति एवं ग्राहक के अपेक्षाओं से परे जाने का प्रयास करना।

विकास परियोजनाएं

- लंबे समय तक स्टोरेज व समेकन तनाव के चलते वेट बल्क सोलिड के केकिंग व्यवहार की जांच।
- इस्पात विनिर्माण के लिए लौह अयस्क स्लिम से सिंथेटिक लक्स तैयार करना।
- भारत में गोएथाइट/लाइमोनाइट समृद्ध लौह अयस्क के बेनिफिसिएशन के लिए आर्थिक रूप से व्यवहारिक प्रोसेस फ्लो शीट विकसित करना।
- घोल पाइपलाइन में पंपिंग के लिए खनिज घोल का महत्म उपयोग।
- 1 मि.मी. से कम के चूरे के वर्गीकरण के लिए एक वैकल्पिक प्रक्रिया का विकास।



अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	आरएंडडी पर खर्च			सालाना कारोबार	कारोबार का प्रतिशत
	राजस्व	पूंजी	कुल		
2011–2012	13.76	1.57	15.33	11261.89	0.14
2012–2013	11.98	0.25	12.23	10704.27	0.11
2013–2014	15.02	2.31	17.33	12000.00	0.14
2014–2015 (अक्टूबर, 2014 तक)	08.98	0.85	9.83		

6.5 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने वर्ष 2014–15 के दौरान निम्नलिखित आरएंडडी परियोजनाएं सफलतापूर्वक पूरी की:

- भिलाई स्टील प्लांट में कोक ओवन बैटरी संख्या 10 में सतत बहु गैसों (सीओ_2 , सीओ, एनओ_{एक्स} और एसओ_{एक्स}) की निगरानी प्रणाली का विकास।
- राउरकेला स्टील प्लांट में एसएमएस-II में इंफ्रारेड कैमरा आधारित लैडल कंडीशन निगरानी प्रणाली।
- बख्तरबंद वाहनों के लिए सॉलिड स्टेट कूलिंग ड्रिंकिंग वाटर टैंक पर बेसिक सिस्टम डिजाइन।
- इस्पात उद्योग में ऑनलाइन गैर संपर्क आयाम की मापन प्रणाली।

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

वर्ष	कारोबार (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी पर खर्च (करोड़ रुपये में)	आरएंडडी खर्च पर कारोबार के %
2012–13	511.64	2.38	0.465
2013–14	341.29	2.70	0.793
2014–15' (अप्रैल से नवंबर, 14)	137.72	1.76	1.28

6.6 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अकादमिक व अनुसंधान संस्थानों के साथ आधुनिकी प्रौद्योगिकी पेश कर खदानों में सुरक्षा और उत्पादकता में सुधार लाने के लिए अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां संचालित की हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान प्रमुख गतिविधियां इस प्रकार रहीं:

- सुरक्षा एवं उत्पादकता में सुधार के लिए उक्वा माइन में मैकेनाइज्ड स्टॉपिंग पद्धति की डिजाइन तैयार करने के लिए धनबाद स्थित इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स (आईएसएम) को लगाया।
- हेलिंग विकास के लिए सिंगल बूमर इलेक्ट्रो-हाइड्रॉलिक क्रॉलर माउंटेड ड्रिल मशील पेश की और सुरक्षित विस्फोट मानकों के लिए अध्ययन कराया।
- मैग्नीज अयस्क भंडारों/संसाधनों का पता लगाने के लिए ग्रैविटी-मैग्नेटिक पद्धति द्वारा भू-भौतिक संभावनाएं तलाशने हेतु हैदराबाद स्थित नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनजीआरआई) को लगाया।
- सुरक्षा में सुधार के लिए रॉक मैकेनिक्स उपकरणों द्वारा ढाल की स्थिरता एवं निगरानी हेतु आरएंडडी अध्ययन करने के काम में राउरकेला स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को लगाया।
- एएनएफओ में डीजल के बजाय वैकल्पिक ईंधन द्वारा विस्फोट का अध्ययन कराया।
- समेकित हाइड्रोलिक स्टोविंग के लिए भरने की सामग्री के तौर पर बालू की जगह वैकल्पिक स्रोत (नीचे की राख का उपयोग) के लिए प्रायोगिक आधार पर कंपनी के भीतर ही आरएंडडी प्रयास किए।

अध्याय—VI

- एचसी फेरो मिनरल एलॉय में फॉस्फोरस घटाकर गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उच्च कार्बन फेरो मैंगनीज एलॉय का डी-फॉस्फोराइजेशन किया।
- स्ट्रेन बार्स के साथ सुरक्षा के लिए गहरे स्तरों पर तनाव की निगरानी हेतु सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनिंग एंड यूल रिसर्च को लगाया जिससे सुरक्षित स्टोप ज्योमेट्री डिजाइन करने एवं सुरक्षा व उत्पादकता में सुधार के लिए सपोर्ट डिजाइन में मदद मिलेगी।

अनुसंधान व विकास पर खर्चः

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	कारोबार	आरएंडडी पर खर्च	कारोबारी आय का %
2011–12	908.25	8.81	0.97
2012–13	970.45	8.54	0.88
2013–14	1032.58	9.19	0.89
2014–15 (अप्रैल–नवंबर, 2014)	707.61	6.51	0.92

6.7 केआईओसीएल लिमिटेड

आरएंडडी से जुड़ी मुख्य उपलब्धियाँ

- रोल प्रेस कंट्रोल सिस्टम पेलेट प्लांट का स्वदेशीकरण
- पेलेट प्लांट में फ्यूल गैसों से हीट रिकवरी प्रणाली पर अध्ययन
- पोर्ट सुविधाओं वाले विभाग में संपूर्ण ग्राइंडिंग प्रणाली में सुधार के लिए अयस्क चूरे की सेकेंडरी ग्राइंडिंग का संभाव्य अध्ययन।

अनुसंधान एवं विकास पर खर्च

वर्ष	कारोबार	आरएंडडी पर खर्च (करोड़ रुपये में)	कारोबार के % के तौर पर आरएंडडी पर खर्च
2010–11	1803.46	0.58	0.032
2011–12	1521.08	1.60	0.11
2012–13	1159.12	0.65	0.06
2013–14	1532.37	0.33	0.02
2014–15 (अप्रैल–दिसंबर, 2014 तक)	613.76	0.26	0.04

6.8 जेएसडब्ल्यू स्टील

जेएसडब्ल्यू ने वर्ष 2014–15 के दौरान प्रक्रिया, ऊर्जा व उत्पाद के महत्तम उपयोग पर 22 आरएंडडी परियोजनाएं चलाई हैं और प्रौद्योगिकी एवं उत्पाद विकास पर 4 परियोजनाएं चलाई हैं। अभी तक, उन्होंने प्रक्रिया, ऊर्जा और उत्पाद अनुकूलन से जुड़ी 17 परियोजनाएं एवं प्रौद्योगिकी विकास की 3 परियोजनाएं पूरी की हैं।

वर्ष 2014–15 के दौरान संचालित प्रमुख आरएंडडी गतिविधियाँ

- ब्लास्ट फर्नेस की विभिन्न भट्टियों, सिंटर, एसएसएम, टनेल फर्नेस, कास्टर में प्राकृतिक गैस से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में परिवर्तन।
- कम चौड़ाई (900 मिमी) में कास्टिंग विफलता और दरार में कमी लाने के लिए सीएसपी में मोल्ड प्लेट के लिए संशोधित सतह वाली प्रोफाइल (चिमनी) का विकास।



- एलसीपी के लांस जीवनकाल में वृद्धि
- सिंटर प्लांट के ग्रेट बार के जीवनकाल में वृद्धि
- निर्माण उद्योग में धातुमल का वैकल्पिक उपयोग
- पेलेट की गुणवत्ता में सुधार

नए उत्पादों का विकास

- एससीआर 420-ट्रांसमिशन गियर एप्लीकेशंस के लिए एन2 के साथ माइक्रो-एलॉयड स्टील
- एसबीएमए 740- हाइड्रोलिक सिलेंडर पिस्टन एप्लीकेशन के लिए माइक्रो-एलायड स्टील
- 100 सीआर 6 (बियरिंग स्टील), एवं एस65सीएलएस (हब बियरिंग)
- विसर्पण रोधी एप्लीकेशंस के लिए सीआर-एमओ स्टील
- अम्लीय गैस एप्लीकेशन के लिए अत्यधिक कम सल्फर वाला स्टील
- भेसर्स लुचिनी, इटली के लिए ट्रैक मैटेरियल और रेल की पटरियों हेतु उच्च कार्बन ग्रेड का इस्पात।

विकसित की गई नयी प्रक्रियाएं

- यूटी अस्वीकृति घटाने के लिए उच्च ताप का अनुकूलन
- अत्यधिक साफ स्टील का उत्पादन करने हेतु टनजिश के लिए जल मॉडल का विकास
- पर्यावरण अनुकूल सङ्क फुटपाथों में एसएमएस स्लैग व फ्लाई ऐश का उपयोग
- सीमेंट मोर्टार में नदी के बालू के आंशिक स्थानापन्न के तौर पर चूरे के इस्तेमाल के लिए संशोधित ईओएफ स्लैग।
- सीआर-एमओ में एवं मीडियम कार्बन व हाई मॉलीब्डेनम स्टील में हाइड्रोजन से आई दरारों को खत्म करने के लिए हॉट रोल्ड छड़ों की धीमी कूलिंग।

वर्ष 2014-15 (अप्रैल-दिसंबर, 2014) के दौरान पेटेंट के लिए किए गए आवेदन: 9

आरएंडडी पर निवेश

सूचक	2011-2012	2012-2013	2013-2014	2014-2015 अप्रै. 14- नवं. 2014)
विजयनगर वकर्स				
वार्षिक कारोबार	24755	27204	29897	—
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	57.14	43.42	22.04	14.63
वार्षिक कारोबार के मुकाबले अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	0.231	0.160	0.074	—
डोल्वी वकर्स				
वार्षिक कारोबार	6.547	6.516	5.919	6.052
अनुसंधान एवं विकास पर व्यय	11272	9700	12200	—
वार्षिक कारोबार के मुकाबले अनुसंधान एवं विकास पर निवेश	12.40	0.97	2.44	1.015
	0.11	0.01	0.02	—

6.9 टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल)

2014-15 के दौरान किए गए आरएंडडी कार्य

- राख की उच्च मात्रा वाले भारतीय कोयले से 8 प्रतिशत राख स्वच्छ कोयले का उत्पादन करने के लिए रसायन बेनिफिसिएशन प्रौद्योगिकी।

अध्याय—VI

- राल जोड़कर उच्च सीएसआर कोक का उत्पादन करने के लिए टॉप चार्ज कोक ओवन बैटरी पर पायलट स्तर का परीक्षण किया।
- बैटरी कॉयल में चैली घटाने के लिए मौजूदा जलमग्न प्रवेश नोजल (एसईएन) डिजाइन का विकास/संषोधन
- हाई कार्बन बिलेट्स में स्लैग पैच में कमी लाना
- जमशेदपुर में पेलेट संयंत्र में उपयोग किए गए ग्रेट बार्स से काफी क्षति हुई जिससे पेलेट में आग लग गई और इससे मशीन बैठ गया। आरएंडडी से पता चला कि अग्नि जलाने वाले ईंधन में क्लोराइड की उपस्थिति से ग्रेट बार्स में ऊष्मा का क्षरण हुआ। ईंधन से क्लोराइड में कमी लाए जाने से ग्रेट बार के नुकसान में उल्लेखनीय कमी आई और इसकी खपत भी घट गई।
- ब्लास्ट फर्नेस में लौह बोझ में 40 प्रतिशत पेलेट्स के साथ प्रक्षेपवक्र जांच परीक्षण कराया गया।

नयी प्रक्रिया / उत्पाद विकास (अप्रैल–दिसंबर, 2014)

- क्रोम और बेनिफिसिएशन संयंत्र से टेलिंग स्ट्रीम में सीआर203 नुकसान न्यूनतम करने के लिए एक चयनात्मक फ्लोक्यूलेशन प्रक्रिया विकसित की गई।
- नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी, जमशेदपुर के साथ गठबंधन कर आयन एक्सचेंज व बायो-रेमिडिएशन द्वारा हेक्सावैलेंट क्रोमियम हटाने हेतु अध्ययन किया गया।
- मोल्टन फेरोक्रोम स्लैग से सिंथेसिस व हाइड्रोजन गैस उत्पादन के लिए एक नवीन रोटरी रिएक्टर डिजाइन किया गया।
- निम्न ग्रेड के अयस्कों की चयनात्मक लीविंग के लिए लैब स्तर पर भौतिक रसायन प्रक्रिया विकसित की गई।
- <0.5%C FeMn से कम के विकास के लिए 25 किग्रा स्तर की दर पर स्केल अप परीक्षण किया गया।

अनुसंधान व विकास पर खर्च:

(करोड़ रुपये में)

वर्ष	राशि				कारोबार का %
	आवर्ती	पूँजी	कुल	कारोबार	
2010–11	75.69	4.88	80.57	29396.35	0.27
2011–12	52.3	0.68	52.98	33933.46	0.16
2012–13	55.77	3.96	59.73	38199.43	0.15
2013–14	68.45	12.06	80.51	41711.03	0.19

6.10 भूषण स्टील लिमिटेड

आरएंडडी से जुड़ी पहल:

- आंतरिक एवं बाहरी पैनल के लिए ऑटो एप्लीकेशंस हेतु आईएफ ग्रेड का स्टील विकसित किया।
- खरोंच रोधी ऑटो एप्लीकेशन के लिए अधिक मजबूत आईएफ 340 ग्रेड का स्टील विकसित किया।
- कृषि में उपयोग के लिए 28MnB5 उच्च मैग्नीज व बोरोन स्टील ग्रेड विकसित किया।
- ढांचागत एप्लीकेशंस के लिए Fe540 अधिक मजबूत निम्न एलॉय स्टील विकसित किया।
- भारतीय रेलवे के लिए अधिक मजबूत निम्न एलॉय ढांचागत ग्रेड का स्टील (ईएन10025 एस355) विकसित किया।
- वाहनों की चेसिस एवं विभिन्न ऑटो एप्लीकेशंस के लिए बीएसके46 ग्रेड, उच्च क्षमता के माइक्रो-एलॉय ग्रेड स्टील विकसित किया।



अध्याय—VII

ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन

7.0 प्रस्तावना

पर्यावरण प्रबंधन और ऊर्जा कार्यकुशलता वैश्विक और घरेलू दोनों स्तरों पर किसी क्षेत्र या कंपनी का मूल्यांकन करने में महत्वपूर्ण मानक हैं। सरकार के विभिन्न नियमों और योजनाओं के द्वारा इस्पात मंत्रालय इस्पात कारखानों में ऊर्जा की खपत और प्रदूषणकारी तत्वों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठा रहा है। विभिन्न मंत्रों और उपायों के जरिए इस साल इस्पात मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम/पहलें निम्न हैं :

7.1 सरकारी पहल

7.1.1 पर्यावरण सुरक्षा के लिए निगमित दायित्व चार्टर (सीआरईपी)

पर्यावरण प्रदूषण, जल की खपत व ऊर्जा की खपत घटाने के लिए यह भारत सरकार द्वारा प्रमुख/बड़े इस्पात कारखानों के सहयोग से की गई एक पहल है जो अपशिष्ट को न्यूनतम कर, संयंत्र के भीतर प्रक्रिया नियंत्रण एवं स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को अपनाने सहित विभिन्न उपायों के जरिए प्रदूषण रोकने एवं नियंत्रण के लिए नियामकीय नियमों से परे जाने के उद्देश्य के साथ पारस्परिक सहमति के मुताबिक की गई है।

7.1.2 नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी (एनसीडीएमए)

क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 में परिभाषित क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म विकासशील देशों में एक देश को उत्सर्जन में कमी या उत्सर्जन रीमिट करने की प्रतिबद्धता के साथ उत्सर्जन में कमी लाने की परियोजना लागू करने की अनुमति देता है। ऐसी परियोजनाओं से बिक्री योग्य प्रमाणित उत्सर्जन कमी (सीईआर) क्रेडिट अर्जित की जा सकती है और प्रत्येक क्रेडिट एक टन कार्बन डाय ऑक्साइड के बराबर होता है। इस तरह की परियोजनाएं मंजूर करने के लिए दो निकाय— राष्ट्रीय स्तर पर एक नेशनल क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म अथॉरिटी (एनसीडीएमए) और जर्मनी के बोन में कार्यकारी बोर्ड (ईबी) हैं। एनसीडीएमए मेजबान देश की मंजूरी प्रदान करता है और अंतिम मंजूरी ईबी द्वारा प्रदान किया जाता है। इस्पात मंत्रालय, एनसीडीएमए का सदस्य है और यह देश में लौह एवं इस्पात क्षेत्र में सीडीएम परियोजनाओं की मंजूरी के लिए समन्वय स्थापित करता है।

7.1.3 जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी)

भारत क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता देश है और यह प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कनवेशन ऑन क्लाइमेट चेंज (यूएनएफसीसीसी) से जुड़ा है। भारत यूएनएफसीसीसी में एक सकारात्मक एवं रचनात्मक ढंग से बहुपक्षीय बातचीत में सक्रिय रूप से लगा है। राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2008 में जलवायु परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) शुरू की गई। एनएपीसीसी ने 8 राष्ट्रीय मिशनों को रेखांकित किया जिसमें से एक नेशनल मिशन फॉर एनहांस्ड एनर्जी एफिसिएंसी (एनएमईईई) है। एनएमईईई ऊर्जा मंत्रालय के तहत गठित सांविधिक निकाय ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिसिएंसी (बीईई) के तहत परिचालन करता है। परफॉर्म, एचीव एंड ट्रेड (पीएटी) एनएमईईई के तहत एक महती योजना है। पीएटी ऊर्जा बचत के प्रमाणन के जरिए एक बाजार आधारित व्यवस्था है जिसका व्यापार किया जा सकता है। पैट अप्रैल, 2012 से प्रभावी है और इसके तहत अगले तीन साल के दौरान बिजली की खपत में औसतन 5 प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस्पात क्षेत्र के लिए, सालाना न्यूनतम 30,000 टन तेल के बराबर ऊर्जा खपत के साथ 67 यूनिट को अधिसूचित किया गया है। इस्पात मंत्रालय (तकनीकी शाखा) संबंधित सरकारी विभागों एवं एजेंसियों के अलावा उद्योग के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है।

7.1.4 एसएमई क्षेत्र में ऊर्जा के कुशल उपयोग को प्रोत्साहन

यूएनडीपी—जीईएफ—इस्पात मंत्रालय की परियोजना: ऊर्जा की खपत घटाने एवं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में 25–50 प्रतिशत तक की कमी लाने के लिए 34 स्टील री—रोलिंग मिलों (मॉडल इकाइयों) में कम उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां लागू की गईं। इससे कई अन्य स्टील री—रोलिंग मिलों में ऊर्जा प्रभावी प्रौद्योगिकियों को दोहराने में मदद मिली है।

यूएनडीपी—इस्पात मंत्रालय—ऑसएड परियोजना: स्टील री—रोलिंग मिलों में ऊर्जा दक्षता को दोहराने एवं इंडक्शन फर्नेस जैसे अन्य एसएमई क्षेत्र में दखल का विस्तार का लक्ष्य है।

अध्याय—VII

7.1.5 ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए एनईडीओ मॉडल परियोजनाएं

जापान सरकार अपने आर्थिक व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के जरिए कोष उपलब्ध कराती है। उदाहरण के तौर पर वह अपनी पर्यावरण सहायता योजना (जीएपी) के तहत इस्पात सहित विभिन्न क्षेत्रों में आदर्श परियोजनाओं के तौर पर ऊर्जा दक्षता, पर्यावरण अनुकूल परियोजनाओं की स्थापना के लिए भारत सरकार में आर्थिक मामलों के विभाग के जरिए विदेश विकास सहायता उपलब्ध कराती है। इन परियोजनाओं की देखरेख जापान के एनईडीओ (न्यू एनर्जी एंड इंडस्ट्रीयल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन) द्वारा की जाती है। इस्पात मंत्रालय, लौह एवं इस्पात क्षेत्र में चलाई जा रही परियोजनाओं का समन्वय कर रहा है। अभी तक निम्नलिखित तीन परियोजनाएं स्थापित की जा चुकी हैं जिसमें दो टाटा स्टील में और एक आरआईएनएल में हैं:

- बीएफ स्टोव वेस्ट हीट रिकवरी: टाटा स्टील में पूरी की गई
- कोक ड्राई क्वेंचिंग: टाटा स्टील में पूरी की गई
- सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी: राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड में पूरी की गई।

7.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

7.2.1 ऊर्जा प्रबंधन

वर्ष 2014–15 में क्रियान्वयन अधीन महत्वपूर्ण ऊर्जा संरक्षण योजनाएं नीचे सूचीबद्ध की गई हैं:

(i) भिलाई स्टील प्लांट

- एसपी#2 (आरडीसीआईएस परियोजना) में गर्म जल पैदा करने के लिए सिंटर कूलर से वेस्ट हीट रिकवरी
- ब्लास्ट फर्नेस#6 के स्टोव#18 का पुनर्निर्माण
- एसपी-II का आधुनिकीकरण

(ii) राउरकेला स्टील प्लांट

- उच्चतम दाब पर परिचालन व सीडीआई के साथ बीएफ#1 की रेट्रोफिटिंग
- एमपी बॉयलर#3 में मिक्स्ड गैस फायरिंग

(iii) बोकारो स्टील प्लांट

- कनवर्टर गैस के लिए नए गैस होल्डर का प्रावधान
- सोकिंग पिट्स में ईंटों की जगह कास्टेबल के साथ 2 संशोधित कवर कास्ट
- स्लैबिंग मिल में सोकिंग पिट्स में एक संख्या में रिकपरेटर्स की पूँजीगत मरम्मत
- रीहीटिंग फर्नेस#1 में परिवर्तन, पुशर टाइप से वाकिंग बीम टाइप
- कास्ट हाउस-1, 2, 4 व 5 में कास्ट हाउस स्लैग ग्रैन्युएशन सुविधा पेश करना



माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी 5 नवंबर, 2014 को सेल अध्यक्ष, श्री सी.एस. वर्मा को वर्ष 2012–13 पर्यावरण उत्कृष्टता एवं अनवरत विकास के लिए प्रतिष्ठित स्कोप मेरिटोरियस पुरस्कार प्रदान करते हुए।



प्रति टन कच्चा इस्पात में ऊर्जा की खपत (जीसीएएल / टीसीएस):

संयंत्र	2012–13	2013–14	2014 ^{छंदू} 15 (अप्रैल–नवंबर)
बीएसपी	6.61	6.48	6.52
डीएसपी	6.49	6.37	6.37
आरएसपी	6.73	6.68	6.58
बीएसएल	6.74	6.75	6.69
आईएसपी	7.98	8.03	.
सेल	6.66	6.59	6.59

7.2.2 पर्यावरण प्रबंधन

अपनाई गई कम कार्बन उत्सर्जन वाली प्रौद्योगिकियां/सुविधाएं

एक जिम्मेदार कॉर्पोरेट नागरिक होने के नाते सेल ने सीओ₂ उत्सर्जन घटाने एवं ऊर्जा दक्षता हासिल करने के लिए अपने संयंत्रों में विभिन्न स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाई हैं। इनमें से लागू की गई कुछ योजनाएं इस प्रकार हैं: बिजली वाष्प पैदा करने के लिए बॉयलरों में मिश्रित ईंधन से (पारंपरिक ईंधन के साथ सीओ/बीएफ/बीओएफ गैस) फायरिंग, सिंटर प्लांटों में मल्टी स्लिट बर्नरों की स्थापना, सिंटर प्लांटों से वेस्ट हीट रिकवरी, ब्लास्ट फर्नेसों में कोल डस्ट व कोल तार इंजेक्शन की स्थापना, मोटर जेनरेटर सेटों का थिरिस्टराइजेशन आदि।

सेल के सतत प्रयासों से विशेष सीओ₂ उत्सर्जन में (4 एकीकृत इस्पात संयंत्रों से) कमी आई है जो 2011–12 के 2.80 टन/टीसीएस से घटकर 2013–14 में 2.69 टन/टीसीएस रह गया। इस तरह से 3.9 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

(यूनिट: टन/टीसीएस)

मानक	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (अप्रैल–नवं. 2014)
विशेष सीओ ₂ उत्सर्जन	2.80	2.75	2.69	2.70

इसके अलावा, सेल के चालू आधुनिकीकरण सह विस्तार कार्यक्रम में ऊर्जा की खपत घटाने एवं सीओ₂ उत्सर्जन में कमी लाने के लिए कई स्वच्छ एवं ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियां पेश की गई हैं। सेल के संयंत्रों में लागू की गई/लागू की जा रहीं कुछ प्रमुख प्रौद्योगिकियां निम्नलिखित हैं:

- बीएसपी, आरएसपी व आईएसपी में कोक ड्राई क्वेंचिंग
- बीएसपी, आरएसपी व आईएसपी में बिजली उत्पादन के लिए ब्लास्ट फर्नेस टॉप प्रेशर रिकवरी टरबाइन
- बीएसपी व आईएसपी में सह उत्पाद गैस आधारित बिजली संयंत्र
- बीएसपी, आरएसपी व आईएसपी में नयी सिंटर मशीनों से हीट रिकवरी
- बीएसपी, आरएसपी व आईएसपी में ब्लास्ट फर्नेस स्टोक्स से वेस्ट हीट रिकवरी
- बीएसएल व आईएसपी में वाकिंग बीम री-हीटिंग फर्नेस

राष्ट्रीय/सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/विनियमों का अनुपालन 2014–15 के दौरान (अप्रैल–नवंबर, 2014)

1. बड़ी चिमनी से उत्सर्जन: सेल के संयंत्रों की सभी प्रमुख उत्पादन शॉप से कणिका तत्व (पीएम) उत्सर्जन के मामले में संबद्ध नियमों का पालन किया जा रहा है। हालांकि, बीएसएल में सिंटर प्लांट की चिमनी से पीएम उत्सर्जन नियम से अधिक है। बीएसएल में सिंटर मशीनों के साथ उपलब्ध कराए गए मल्टी साइक्लोन की जगह धीरे-धीरे ईएसपी लगाए जा रहे हैं जिससे चिमनी से उत्सर्जन को निर्धारित नियमों के तहत लाया जा सके।
2. फ्यूजिटिव उत्सर्जन: सेल के सभी संयंत्रों में कोक ओवन बैटरियों, ब्लास्ट फर्नेस व बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस से फ्यूजिटिव उत्सर्जन नियमों के दायरे में रहे।
3. परिवेश वायु की गुणवत्ता: व सेल के सभी संयंत्रों में ज्यादातर परिवेश में वायु की गुणवत्ता नियमों के दायरे में रही।

अध्याय—VII

4. प्रवाह बहाव की गुणवत्ता: प्रवाह बहाव की गुणवत्ता सेल के सभी संयंत्रों में नियमों के मुताबिक रही।
5. ठोस अपशिष्ट सृजन/उपयोग: अप्रैल—नवंबर, 2014 के दौरान बीएफ स्लैग, एलडी स्लैग व कुल ठोस अपशिष्ट के उपयोग का प्रतिशत

बीएफ स्लैग	एलडी स्लैग	कुल ठोस अपशिष्ट
92%	81%	87%

बीएफ स्लैग व एलडी स्लैग का उपयोग बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए:

(i) बीएफ स्लैग

बीएफ स्लैग का पूर्ण उपयोग हासिल करने के लिए उन बीएफ में कास्ट हाउस स्लैग ग्रैन्युएशन संयंत्रों (सीएचएसजीपी) को स्थापित किया जा रहा है जहां ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इस प्रकार, बीएसएल में बीएफ बीएफ#1, 2 व 3 के साथ 6 सीएचएसजीपी की स्थापना की जा रही है और इनके जुलाई, 2015 तक पूरा होने की संभावना है। इसी तरह से, आरएसपी व आईएसपी में बीएफ स्लैग का कणिकायन बढ़ाने के लिए सीएचएसजीपी के साथ नए ब्लास्ट फर्नेस (आरएसपी में बीएफ#5 और आईएसपी में बीएफ#5) स्थापित किए गए हैं। बीएसपी में चालू विस्तार सह आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तहत नया ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ# 8) स्थापित किया जा रहा है जिसमें सीएचएसजीपी लगा है।

दानेदार बीएफ स्लैग का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए भिलाई एवं बोकारो में स्लैग आधारित संयुक्त उद्यम सीमेंट संयंत्र स्थापित किए गए हैं।

(ii) एलडी स्लैग

- मौसम से खराब हुए एलडी स्लैग का रेल की पटरी पर गिट्टी के तौर पर उपयोग: मौसम से खराब हुए एलडी स्लैग (डब्ल्यूएलडी स्लैग) के भौतिक गुण रेल की पटरियों पर पथर की गिट्टी के लिए आवश्यक विशेषता को पूरा करने वाले होते हैं। सेल द्वारा किए गए प्रस्ताव के जवाब में दक्षिण पूर्व रेलवे, बोकारो स्टील प्लांट से निकले डब्ल्यूएलडी स्लैग के साथ बोकारो रेल यार्ड में एक फील्ड परीक्षण करने को सहमत हुआ है। इसका फील्ड परीक्षण जल्द ही शुरू किए जाने की संभावना है।
- एलडी स्लैग का ड्राई ग्रैन्युलेशन व हीट रिकवरी के लिए प्रौद्योगिकी का विकास: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर को एलडी/बीओएफ स्लैग (हाइड्रो-मैकेनिकल अध्ययन) के ड्राई ग्रैन्युलेशन के लिए प्रौद्योगिकी का विकास करने हेतु लैबोरेटरी स्तर पर अध्ययन करने के लिए परामर्श का काम सौंपा गया है। यह अध्ययन मार्च, 2016 में पूरा होने की संभावना है।
- आईएस: 383 में प्राकृतिक समुच्चय (बालू) के स्थान पर बीएफ—बीओएफ का उपयोग। प्रमुख इस्पात विनिर्माताओं की ओर से प्रतिनिधित्व के जवाब में नयी दिल्ली स्थित भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), सीमेंट की गिट्टियों के विनिर्माण के लिए प्राकृतिक बालू की जगह बीएफ और बीओएफ स्लैग को वैकल्पिक सामग्री के तौर पर शामिल करने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हुआ है। यह बीआईएस मानक (आईएस:383) के संदर्भ में है।

सीआरईपी कार्य बिंदुओं का अनुपालन

- i) सभी कोक ओवन बैटरियों पीएलडी, पीएलएल एवं पीएलओ से संबद्ध नियमों के अनुरूप कार्य कर रही हैं। स्थापित 32 कोक ओवन बैटरियों में 9 बैटरियों का 2003 के बाद से पुनर्निर्माण किया गया है और 2 बैटरियों का इस समय पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा, कोक ओवन बैटरियों की स्थिति अच्छी रखने के लिए जरूरत के मुताबिक सेल के सभी संयंत्रों में बैटरियों का कोल्ड रिपेयर व हॉट रिपेयर किया जाता है।
- ii) सभी संयंत्रों ने स्टील मेलिंग शॉप्स में फ्यूजिटिव उत्सर्जन में 30 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता हासिल की है। 100 प्रतिशत कमी का लक्ष्य हासिल करने के लिए सभी संयंत्रों में मौजूदा बीओएफ में सहायक डी—डस्टिंग सुविधाएं लगाई जा रही हैं। अब बीएसपी, आरएसपी व आईएसपी में सहायक डी—डस्टिंग सुविधाओं के साथ नए बीओएफ लगाए जा रहे हैं।
- iii) सेल के सभी संयंत्रों में 17 की संख्या में सीडीआई/सीटीआई सुविधाएं परिचालन में हैं। आरएसपी में नया बीएफ#5 और आईएसपी में नया बीएफ#5 स्थापित किया गया है जिनमें पहले से ही सीडीआई सुविधा मौजूद है। बीएसपी में सीडीआई सुविधा वाला नया ब्लास्ट फर्नेस (बीएफ#8) लगाया जा रहा है।
- iv) अप्रैल—नवंबर, 2014 के दौरान बीएफ स्लैग का उपयोग 92 प्रतिशत रहा और वर्तमान में चल रही परियोजनाओं के पूरा होने के बाद पूर्ण उपयोग का स्तर हासिल कर लिया जाएगा। अप्रैल—नवंबर, 14 के दौरान बीओएफ स्लैग का उपयोग 81 प्रतिशत रहा। बीओएफ स्लैग की रीसाइकिलिंग/पुनः इस्तेमाल में तकनीकी सीमाएं हैं। हालांकि, उपयोग का स्तर बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

- v) संयंत्र में सामान्य निस्तारण सुविधा या इन कैप्टिव सिक्योर्ड लैंडसफिल्स (एसएलएफ) के जरिए निकले खतरनाक कचरों का संयंत्रों द्वारा निस्तारण किया जा रहा है। संयंत्रों में इन कचरों के निस्तारण के लिए अलग व्यवस्था की गई है।
- vi) अप्रैल—नवंबर, 2014 के दौरान एकीकृत इस्पात संयंत्रों में जल की विशेष खपत ($\text{एम}^3/\text{टीसीएस}$) की तुलना में लम्बे उत्पाद संयंत्रों के लिए 5 ($\text{एम}^3/\text{टीसीएस}$) का सीआरईपी नियम और फ्लैट उत्पाद संयंत्रों के लिए 8 ($\text{एम}^3/\text{टीसीएस}$) का सीआरईपी नियम इस प्रकार हैं:

(एम^3 टन / टीसीएस)

बीएसपी	डीएसपी	आरएसपी	बीएसएल	सेल (4 संयंत्र)
सीआरईपी मानक: 5 ($\text{एम}^3/\text{टीसीएस}$)	सीआरईपी मानक: 8 ($\text{एम}^3/\text{टीसीएस}$)			—
2.80	3.79	4.82	4.42	3.84

सीओबीपी निस्सारी ट्रीटमेंट संयंत्रों के आउटलेट में सभी मानक नियमों के अनुरूप हैं

- vii) प्रमुख शॉप्स में ऑनलाइन चिमनी निगरानी प्रणालियां स्थापित की गई हैं। संयंत्र में विभिन्न स्थानों पर परिवेश में वायु की गुणवत्ता (एक्यू) की निगरानी प्रणालियां भी स्थापित की गई हैं।
- viii) मौजूदा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के परिचालन का उचित रिकॉर्ड रखा जा रहा है।
- ix) वर्तमान में चल रही आधुनिकीकरण परियोजनाओं के दौरान निम्नलिखित महत्वपूर्ण स्वच्छ प्रौद्योगिकियां अपनाई जा रही हैं: कोक ओवन में कोक ड्राई वर्चेंसिंग, ब्लास्ट फर्नेस में टॉप प्रेशर रिकवरी टरबाइनें, शत प्रतिशत कंटीनुअस कार्सिंग, ब्लास्ट फर्नेस स्टोक्स एवं सिंटर कूलर से वेस्ट हीट रिकवरी, गैस आधारित बिजली संयंत्र आदि।

पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का क्रियान्वयन

वर्ष 2013–14 के दौरान चंद्रपुर के सीएफपी में एवं अहमदाबाद व गाजियाबाद में सीएमओ के दो भंडारगृहों में आईएसओ—14001:2004 के साथ जुड़े ईएमएस लागू किया गया। ईएमएस—आईएसओ 14001:2004 का क्रियान्वयन 2014–15 के दौरान निम्नलिखित इकाइयों में किया गया:

- एलॉय स्टील प्लांट
- बरसुआ आयरन माइन
- सीएमओ के दो भंडारगृहों (जैसे दिल्ली और विशाखापत्तनम)

विकृत जमीन पर हरियाली एवं पर्यावरण सुधार

- वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर, 2014 तक) सेल के संयंत्रों/खदानों में 1.78 लाख से अधिक पौधे लगाए गए।
- खराब हुई पारिस्थितिकी प्रणालियों की बहाली एवं पुनरुद्धार पर पूमापानी खान में एक परियोजना चलाई जा रही है जहां 2014–15 के दौरान 18 एकड़ क्षेत्र में 25,000 पौधे लगाए गए हैं। इसमें हताहत हुए पौधों की जगह लगाए गए नए पौधे भी शामिल हैं। पांच छोड़ी गई खदानों में पानी भरकर मछली पालन की व्यवस्था की गई है।
- सेल द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय एवं दिल्ली स्थित अंबेडकर विश्वविद्यालय के साथ मिलकर बोलानी खान में जैव विविधता संरक्षण एवं कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन रोकने पर एक टिकाऊ परियोजना लागू की जा रही है। परियोजना क्रियान्वयन के अपने तीसरे वर्ष में है और साल के दौरान स्थानीय पेड़ की प्रजातियों के 1,15,000 पौधे लगाए गए हैं एवं सीओ₂ में कमी एवं कमी लाने की सम्भावना के लिए एक नक्शा भी तैयार किया जा रहा है।

सीओ₂ कार्बन डाय ऑक्साइड का जैव-पृथक्करण

- कार्बन डाय ऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाने के लिए पैदा हुए कार्बन ब्लैक को प्रणाली से अलग करने के लिए सेल जहां एक ओर कार्बन फुटप्रिंट का आकलन कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपने मौजूदा बायोटिक संसाधनों के जरिए सीओ₂ में कमी लाने की सम्भावना तलाश रही है। अपने एक संयंत्र (आरएसपी) से फोटो-सिंथेटिकली प्रभावी पेड़ की प्रजातियों का इस्तेमाल कर कार्बन डाय ऑक्साइड के जैव पृथक्करण की सम्भावना तलाशने के लिए एक परियोजना शुरू की गई है। इसमें कार्बन को अलग करने की सेवा प्रदान करने वाली मेसर्स टीएफआरआई के साथ मिलकर एक पायलट परियोजना चलाना भी शामिल है।

गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत

- नवंबर 2014 के दौरान इस्को इस्पात संयंत्र के बर्नपुर अस्पताल की छत पर 160 के डब्ल्यूपी ऑफ पीवी सिस्टम स्थापित किया गया है।

अध्याय—VII

जीरो डिस्चार्ज की पहल

- सेल के संयंत्रों ने निकले तरल अपशिष्टों की रीसाइकिलिंग कर उन्हें फिर से प्रक्रिया में लाने की पहल की है जो जीरो डिस्चार्ज की दिशा में एक कदम है।
- इस संबंध में, बीएसपी अपने आउटलेटों में से एक (आउटलेट #8) से जल की रीसाइकिलिंग के लिए प्रणाली स्थापित करने हेतु पहले ही आर्डर दे रखा है।

7.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

ऊर्जा की खपत घटाने के लिए किए गए/किए जा रहे उपाय (14–15)

- जुलाई, 2014 में सिंटर मशीन 1 एवं 2 के सिंटर स्ट्रेट लाइन कूलर (एनईडीओ मॉडल परियोजना) पर 20.6 मेगावाट की वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली स्थापित की गई।
- बीएफ गैस दबाव से बिजली उत्पादन के लिए 6 अक्टूबर, 2014 को ब्लास्ट फर्नेस-3 के टॉप रिकवरी टर्बाइन को सिंक्रोनाइज किया गया।
- एलएमएमएम के एफ/सी-2 में एयर रिकपरेटर का प्रतिस्थापन
- एमएमएसएम के एफ/सी-1 में एयर रिकपरेटर का प्रतिस्थापन
- सुधार के लिए संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के लिए ऊर्जा संरक्षण कानून-2001 के मुताबिक अनिवार्य ऊर्जा अंकेशण हेतु मेसर्स नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को लगाया।
- कोक ओवन गैस की अतिरिक्त क्षमता संभालने के लिए कोयला रसायन संयंत्र में स्ट्रीम 3 को स्थापित किया गया जिससे बैंजोल प्रतिफल में सुधार आएगा।

प्रगति के अंतर्गत ऊर्जा संरक्षण योजनाएं:

- ब्लास्ट फर्नेस 1 एवं बीएफ-3 में पुलवराइज्ड कोल इंजेक्शन की स्थापना
- एसएमएस 2 से एलडी गैस रिकवरी की स्थापना
- सिंटर प्लांट संख्या 1 में स्ट्रेट लाइन कूलर के हॉट सिंटर की वेस्ट हीट से बिजली उत्पादन का स्थिरीकरण
- बीएफ 3 के टीआरटी से बिजली उत्पादन का स्थिरीकरण



आरआईएनएल को भारतीय उद्योग महासंघ द्वारा उत्कृष्ट ऊर्जा दक्ष इकाई पुरस्कार।



ऊर्जा की खपत (जीसीएएल / टीसीएस) एवं कार्बन डायऑक्साइड का उत्सर्जन (टन/टन कच्चा इस्पात)

वर्ष	एसईसी (जीसीएएल / टीसीएस)	सीओ ₂ उत्सर्जन (टन / टीसीएस)
2014–15 (दिसंबर, 14 तक)	6.42	2.86
2013–14	6.19	2.66
2012–13	6.31	2.66
2011–12	6.06	2.61

वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली (अप्रैल–दिसंबर, 2014)

ऊर्जा बचाने वाली इकाई	इकाई	पुनः प्राप्त ऊर्जा	बचाया गया बॉयलर कोयला (टन)	सीओ ₂ के उत्सर्जन में कमी (टन)
एलडी गैस रिकवरी प्लांट में पुनः प्राप्त की गई एलडी गैस की कुल मात्रा	मिलियन सामान्य घन मीटर	189.522	101331	159765
बैक प्रेशर टर्बाइन स्टेशन (बीपीटीएस) में पैदा की गई कुल बिजली	मेगा वाट घंटे	126972	101578	160154
गैस एक्सपैंशन टर्बाइन स्टेशन (जीईटी) में पैदा की गई कुल बिजली	मेगा वाट घंटे	21510	17208	27131
सिंटर प्लांट स्ट्रेट लाइन कूलर (एनईडीओ परियोजना) की वेस्ट हीट रिकवरी से पैदा की गई कुल बिजली	मेगा वाट घंटे	1448	1158	1826

ताप बिजली संयंत्र में सह उत्पाद गैसों का उपयोग (अप्रैल–दिसंबर, 14)

टीपीपी में उपयोग किए गए ईंधन का नाम	इकाइयां	मूल्य	बचाया गया बॉयलर कोयला (टन)	सीओ ₂ के उत्सर्जन में कमी (टन)
कोक ओवन गैस	मिलियन सामान्य घन मीटर	312.273	451547	711939
बीएफ गैस	मिलियन सामान्य घन मीटर	2074.14	502634	792487

पर्यावरण प्रबंधन

- ईएमएस आईएसओ : 14001 को अपनाना
- स्वच्छ प्रौद्योगिकी से जुड़ी पहल
- वनीकरण
- जीरो डिस्चार्ज

7.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी की चार प्रमुख परियोजनाओं जैसे बैलाडिला डिपोजिट-14/11सी, डिपोजिट-5, 10 एवं 11 ए, दौणिमल्लै और हीरा खनन परियोजना, पन्ना के संबंध में कंपनी को आईएसओ 14001: पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन प्रदान किया गया है। एनएमडीसी ईएमएस आईएसओ 14001:2007 को आईएसओ 9001:2008 और ओएचएसएस 180001:2007 व एसए 8000:2008 के साथ एकीकृत करने की प्रक्रिया में है।

एमओयू प्रणाली के तहत निष्पादन मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए भारत सरकार के लोक उपक्रम विभाग, नई दिल्ली के सीपीएसई के लिए टिकाऊ विकास संबंधी दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की दिशा में एनएमडीसी ने जैव विविधता सर्वेक्षण व संरक्षण योजना, ऊर्जा प्रबंधन, कार्बन प्रबंधन, जल प्रबंधन, मृदा व जल संरक्षण का एसडी पर कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण जैसी एसडी परियोजनाएं/ गतिविधियां अपनाई हैं।

अध्याय—VII

पर्यावरणीय निगरानी एवं प्रदूषण नियंत्रण के उपायः

प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सुनिश्चित करने के लिए एनएमडीसी ने खदानों के दिन प्रतिदिन के काम में निम्नलिखित कार्यक्रम अपनाए हैं:

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय एवं राज्य व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा बनाए गए पर्यावरण संबंधी नियमों का अति सावधानी के साथ अनुपालन किया जा रहा है।
- सभी पर्यावरणीय मानकों जैसे माइक्रो-मीटियोरोलॉजी, परिवेश के वायु की गुणवत्ता, सतह एवं भूजल की गुणवत्ता एवं भूमिगत जल का स्तर, काम का क्षेत्र एवं परिवेश में ध्वनि का स्तर व मृदा की गुणवत्ता के लिए नियमित निगरानी।
- विस्तृत जैव विविधता संरक्षण अध्ययन, कार्बन फूट प्रिंट, ऊर्जा अंकेक्षण।
- विस्तृत पर्यावरण के बेहतर करने के काम जैसे व्यापक स्तर पर वनीकरण, बेकार पत्थर के ढेरों एवं उत्खनन उपरांत छोड़े गए क्षेत्रों का सुधार।
- परियोजनाओं पर अवशिष्ट बांधों के लिए आपदा प्रबंधन योजनाएं।
- परियोजनाओं पर विस्क्रोटकों की मैगजीन्स के लिए सुरक्षा उपाय।

बेकार ढेर का प्रबंधन

- बैलाडिला डिपोजिट 5, 10 एवं 11ए और दौणिमल्लै परियोजना में जमा बेकार ढेर का जियो कॉयर मैटिंग के साथ स्थिरीकरण किया जाता है।
- एनएमडीसी की परियोजना में केंद्रीय ब्लॉक पर जरूरत से अधिक जमा ढेरों पर स्थानीय प्रजातियों के पेड़ पौधे लगाकर भूमि का क्षरण रोका जाता है।

वनीकरण

- एनएमडीसी की परियोजनाओं पर हर साल 50,000 से 75,000 पौधे लगाए जाते हैं।
- एनएमडीसी की परियोजनाओं पर अभी तक 16 लाख से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं।
- वन विभाग के जरिए मृदा एवं जल संरक्षण के काम किए जाते हैं।

ऊर्जा संरक्षण

- सभी परियोजनाओं के लिए ऊर्जा अंकेक्षण कराए गए हैं। ऊर्जा संरक्षण के लिए अंकेक्षण में की गई सिफारिशों लागू की जा रही हैं।
- एलईडी लैमिनेशन किए जा रहे हैं।
- एचटी व एलटी साइड पर स्टैटिक कैपिसिटरों के साथ ऊर्जा फैक्टर को 0.96 से ऊपर बनाए रखा जा रहा है।
- सीएसआर पहल के तहत सड़कों पर सौर ऊर्जा चालित लाइट्स लगाई जा रही हैं।
- सीएसआर पहल के अंतर्गत ग्रामीण इलाकों में सोलर लालटेन वितरित किए गए।

7.5 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड, एक परामर्श संगठन होने की वजह से खुद कोई बड़े स्तर का संयंत्र या मशीनरी का परिचालन नहीं करती जिससे उसे प्रदूषण नियंत्रण और कूड़ा प्रबंधन के लिए कोई विशेष प्रयास करना पड़े। हालांकि, मेकॉन द्वारा उसके ग्राहकों के लिए इस दिशा में प्रयास किए गए जिसमें निम्नलिखित पैराग्राफ में महत्वपूर्ण मुद्दों को रेखांकित किया गया है:

- आरआईएनएल, विशाखापत्तनम में 2 संख्या में स्ट्रेट लाइन सिंटर कूलर के लिए 20.6 मेगावाट की सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी प्रणाली हेतु विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्शदाता के तौर पर एनईडीओ मॉडल परियोजना को सफलतापूर्वक क्रियान्वित एवं स्थापित किया।
- कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से इलेक्ट्रिकल सह डीजल ऊर्जा खपत की बैंचमार्किंग करने व सामान्य दिशानिर्देशों एवं व्यूरो ॲफ एनर्जी एफिसिएंसी (बीईई) के मुताबिक वैज्ञानिक जांच के जरिए रोहिणी ओसीपी (2.0 एमटीपीवाई) के लिए ऊर्जा अंकेक्षण का काम सौंपा गया।



- निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों से उनके संयंत्रों/संयंत्रों के विस्तार के लिए कच्चा माल प्रभाग हेतु ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने के आर्डर प्राप्त किए।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के साथ मिलकर देश में स्पंज आयरन संयंत्रों के लिए पर्यावरण नियम एवं मानक तैयार किए।
- सिंटर प्लांटों के लिए पर्यावरण मानक तैयार किए।
- सिंटर री-रोलिंग मिलों के लिए व्यापक उद्योग दस्तावेज (कॉइन्ड्स) एवं पर्यावरण मानक विकसित किए।
- एकीकृत लौह एवं इस्पात उद्योग से निकले ठोस एवं खतरनाक कूड़ों के प्रबंधन के लिए दिशानिर्देश विकसित किए।
- एकीकृत लौह एवं इस्पात संयंत्रों में फ्यूजिटिव उत्सर्जन के नियंत्रण के लिए दिशानिर्देश विकसित किए।
- एक एकीकृत लौह एवं इस्पात संयंत्र की विभिन्न इकाइयों के लिए उत्सर्जन कारक विकसित किए।
- भारत में स्टील री-रोलिंग मिलों में प्रत्येक में पांच आदर्श इकाई में आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 14001 लागू करने के लिए परामर्श सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु यूएनडीपी/जीईएफ, इस्पात मंत्रालय भारत सरकार से मिले एक प्रतिष्ठित काम को पूरा किया।
- 4 x 700 एमडब्ल्यूई माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु बिजली परियोजना एवं भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम (एनपीसीआईएल) के अधीन 2 x 700 डॉम की कैगा परमाणु बिजली परियोजना के लिए ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने का काम मिला।
- सासोल सनफ्यूल, दक्षिण अफ्रीका और टाटा समूह (टाटा स्टील, टीसीई) के एक संयुक्त उद्यम से ओडिशा के तलचर स्थित उनकी प्रस्तावित 30 मिलियन टन कोयला खदान के लिए पर्यावरण मंजूरी हेतु काम का एक आर्डर मिला। खदान से कोयले को ऊर्जा प्रभावी सीटीएल प्रौद्योगिकी के जरिए तरल ईंधन में परिवर्तित किया जाएगा।
- भारतीय गुणवत्ता परिषद के तहत नेशनल एक्रिडिएशन बोर्ड फॉर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग से ईआईए / ईएमपी रिपोर्ट तैयार करने एवं 16 (सोलह) क्षेत्रों में पर्यावरण से जुड़ी इंजीनियरिंग गतिविधियों के लिए मान्यता मिली।

7.6 मॉयल लिमिटेड

ऊर्जा प्रबंधन

ऊर्जा प्रबंधन: मॉयल ऊर्जा संरक्षण के लिए विभिन्न उपाय करती रही है जिसमें मौजूदा उपकरणों की कार्यक्षमता में सुधार के जरिए प्रणालीगत सुधार उदाहरण के तौर पर खानों में विभिन्न एप्लीकेशंस के लिए स्थापित मोटरों को चालू करने की पारंपरिक पद्धति की जगह सुधरे हुए संस्करण जैसे सॉफ्ट स्टार्टर्स, वीएफडी, डीसी आदि लगाना शामिल है। इसी तरह, ऊर्जा की अधिक खपत करने वाले उपकरणों की जगह कम खपत वाले उपकरण लगाना एवं ऊर्जा संरक्षण की राष्ट्रीय नीति की तर्ज पर नयी/आधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई गई।

गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को प्रोत्साहन देने के लिए मॉयल ने नागदा हिल्स पर 4.8 मेगावाट का पवन ऊर्जा फार्म एवं मध्य प्रदेश के देवास जिले में रतेदी हिल्स पर 15.2 मेगावाट का पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है। कंपनी ऊर्जा का संरक्षण करती है और प्रदूषण मुक्त वातावरण के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों की दिशा में यह एक कदम है।

प्रति टन उत्पादन में केडब्ल्यूएच	2011–12	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसंबर, 2014 तक)
मैंगनीज अयस्क	18.33	18.75	21.11	20.95
ईएमडी प्लांट, डीबी खान	2625.00	2889.00	2901.00	3020.00
फेरो मैंगनीज प्लांट, बालाघाट खान	3155.00	3132.00	2987.00	2790.00
4.8 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म हेतु कार्बन उत्सर्जन में कमी (टन)	8250.00	9290.00	8045.00	3810.00
15.2 मेगावाट पवन ऊर्जा फार्म हेतु कार्बन उत्सर्जन में कमी (टन)	21764.00	23927.00	22044.00	9897.00

अध्याय—VII

पर्यावरण प्रबंधन:

मॉयल लिमिटेड ने सभी खानों एवं सभी बालू घाटों के संबंध में पर्यावरणीय मंजूरियां हासिल की हैं। मॉयल लिमिटेड ने संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सभी इकाइयों के लिए 'स्थापना की सहमति' एवं 'परिचालन की सहमति' हासिल की है।

मॉयल लिमिटेड ने अपनी सभी इकाइयों के लिए पर्यावरण प्रबंधन योजनाएं तैयार की हैं। क्रियान्वयन के लिए तैयार किए गए विस्तृत पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम में निम्नलिखित शामिल हैं।

- वायु प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
- ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय
- जल एवं दूषित जल प्रबंधन
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
- हरित पट्टी का विकास
- सामाजिक कल्याण के उपाय
- पेशेवर सुरक्षा एवं स्वास्थ्य प्रबंधन
- पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम
- पर्यावरण प्रबंधन योजना पर खर्च

मॉयल लिमिटेड पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण मंजूरियों के लिए जारी सभी शर्तों एवं संबद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापना एवं परिचालन हेतु जारी अनुज्ञा का अनुपालन कर रही है। इसी तरह, कंपनी द्वारा उत्सर्जन, पर्यूजिटिव उत्सर्जन, परिवेश में हवा की गुणवत्ता, ठोस अपशिष्ट निकलने एवं इनके प्रबंधन के संबंध में सभी नियमों/विनियमों का पालन कर रही है। मॉयल में 1) फेरो मैग्नीज संयंत्र एवं 2) इलेक्ट्रोलिटिक मैग्नीज डायऑक्साइड संयंत्र, डॉगरी बुजुर्ग खदान से ढेर निकलते हैं। ढेर से उत्सर्जन एवं पर्यूजिटिव उत्सर्जन के लिहाज से हवा की गुणवत्ता की तिमाही आधार पर निगरानी की जाती है एवं ढेरों से उत्सर्जन पूरी तरह से नियमों के भीतर है। उत्सर्जन से प्रदूषण को नियंत्रित रखने के लिए फेरो मैग्नीज प्लांट, डॉगरी बुजुर्ग खान को बैग फिल्टर उपलब्ध कराया गया है और डॉगरी बुजुर्ग खान के ईएमडी प्लांट को स्क्रबर उपलब्ध कराए गए हैं।

वनीकरण के जरिए पर्यावरण का संरक्षण: मॉयल लिमिटेड ने नीरि, नागपुर के परामर्श में एकीकृत जैव प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण अपनाकर बेकार टीले के ढेर पर वनीकरण का उत्कृष्ट कार्य किया है।

एकीकृत जैव—प्रौद्योगिकीय दृष्टिकोण (आईबीए) के तहत चीनी मिल उद्योग से निकले गाद जैसे औद्योगिक कचरे का इस्तेमाल कचरे के लिए एक जैविक संशोधन के तौर पर एवं हिंजोबियम व एजोटोबैक्टर जैसे बैक्टीरिया डालने में नाइट्रोजन के उपयोग के तौर पर किया जाता है। ये बैक्टीरिया उच्च मैग्नीज संकेंद्रण व वीएफएम कवक को बर्दाशत कर सकते हैं। जैव खादों के उपयोग से रसायन उर्वरकों के इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले जोखिम में कमी आती है। पिटिंग पद्धति से चुनिंदा प्रजातियों की पौध लगाई गई एवं पौधों को जैविक खाद के साथ कलम किया गया।

कंपनी पारिस्थितिकीय संतुलन हासिल करने के लिए खानों में और इसके आसपास पर्यावरण की रक्षा हेतु व्यापक स्तर पर पौधे लगा रही है। मॉयल ने पिछले 22 वर्षों में सभी खदानों में और उसके आसपास 18.46 लाख से अधिक पौधे लगाए हैं जिनके बढ़कर पेड़ बनने का औसत 75 प्रतिशत रहा है।

7.7 केआईओसीएल लिमिटेड

पिछले दो साल एवं अप्रैल से नवंबर, 2014 में की गई ऊर्जा की खपत इस प्रकार है:

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15 (दिसंबर, 2014 तक)
बिजली की खपत पेलेट का प्रति टन	66.56 कि.वा.घ./टन	62.56 कि.वा.घ./टन	70.22 कि.वा.घ./टन
प्रति टन पेलेट पर ताप की खपत '000 कि. कैलोरी में	250 कि. कैलोरी/टन	243.5 कि. कैलोरी/टन	247.2 कि. कैलोरी/टन

ऊर्जा प्रबंधन एवं संरक्षण के उपाय: ऊर्जा प्रबंधन एवं संरक्षण अभियान के तहत पीपी यूनिट में निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

बंदरगाह सुविधाओं में:

- 47 की जगह 25 की संख्या में 64 वाट की एलईडी फिटिंग बदली गई है। केंद्रीय स्टोरों में 125 वाट एमवी की फिटिंग की गई है। इस बदलाव के जरिए सालाना 62,481 रुपये की शुद्ध बचत की गई है।
- प्रोसेस कनवेयर्स में दो संख्या में 22 कि.वा. मोटरों (4 स्थापित ड्राइव्स में से) को 15 कि.वा. मोटरों से बदलने का काम प्रगति पर है। दो की संख्या में पहले ही बदले जा चुके हैं।
- गैर-व्यस्ततम घंटों में प्रक्रिया के परिचालन एवं व्यस्ततम घंटों में इसे बंद कर सितंबर, 2014 तक (वर्ष 2014–15 के लिए) 107.6 लाख रुपये की बचत की जा चुकी है।
- ऊर्जा संरक्षण के लिए निरंतर जारी प्रयासों के तहत संयंत्र में अन्य क्षेत्रों में भी बदलने के लिए एलईडी फिटिंग की खरीद की जा रही है।

पेलेट प्लांट में:

- पीपी क्षेत्र में 150 वाट की स्ट्रीट लाइटों की जगह 20 की संख्या में 64 वाट की एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। इस प्रयास के जरिए प्रति वर्ष 29,721 रुपये की शुद्ध बचत की गई है। भावी उपयोग के लिए और अधिक एलईडी फिटिंग्स की खरीद की जा रही है।
- रिक्लेमर संख्या 03 बकेट व्हील ड्राइव, कंप्रेसर व कनवेयरों में इस्तेमाल के लिए पुराने मोटरों को बदलने हेतु अधिक कार्यक्षमता वाले मोटर खरीदे जा रहे हैं।

कैपिटिव पावर प्लांट में:

- जेनरेशन रूम में 16 की संख्या में 70 वाट के एचपीएसवी लैंपों को बदलने के लिए 4 की संख्या में 100 वाट के इंडक्शन लैंप खरीदे जा रहे हैं। इससे प्रति वर्ष 37,960 रुपये की बचत होने का अनुमान है।

पर्यावरण प्रबंधन

कंपनी पर्यावरण संरक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है और नियमों के मुताबिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए आवश्यक उपाय कर रही है। पर्यावरण प्रबंधन एवं प्रदूषण नियंत्रण को लेकर की गई पहल एवं सतत प्रयास चालू वर्ष के लिए इस प्रकार हैं:

- हरित पट्टी विकसित करने एवं विभिन्न प्रजातियों के पौधों का संरक्षण करने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत पिलिकुला मंगलोर के पश्चिमी घाटों की दुर्लभ एवं विलुप्त प्राय पौध प्रजातियों के संरक्षण के लिए कुद्रेमुख ट्री पार्क विकसित करने हेतु 11.01.2014 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। आज की तिथि तक आरईटी प्रजातियों के 2500 पौधे लगाए जा चुके हैं और अभी तक इस परियोजना पर खर्च की गई राशि 15,67,000 रुपये है।
- संयंत्र परिसरों में पहले से स्थापित जल छिड़काव उपकरणों का उचित रखरखाव किया जा रहा है एवं धूल को निरंतर आधार पर दबाकर रखा जाता है।
- कैपिटिव पावर प्लांट के लिए कम सल्फर वाले फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- उन्नत एसटीपी का उचित रखरखाव किया जा रहा है और ट्रीट किए गए गंदे जल की संपूर्ण मात्रा को प्रक्रियागत तरीके से रीसाइकिल किया जा रहा है।
- 'स्वच्छ भारत मिशन' के दौरान कंपनी परिसरों, टाउनशिप व इसके आसपास के इलाकों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। साथ ही जरूरतमंद स्कूलों के लिए शौचालयों के निर्माण का काम भी लिया गया।
- वायु एवं जल की गुणवत्ता की निगरानी के संबंध में केएसपीसीबी द्वारा निर्धारित मानक नियमों का कार्य के सभी क्षेत्रों में अनुपालन किया जा रहा है।
- कंपनी के पास वैध आईएसओ 140001, आईएसओ 9001 एवं आईएसओ 18001 प्रमाण पत्र हैं।

7.8 जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड

ऊर्जा एवं पर्यावरण प्रबंधन की मुख्य बातें – (2014–15)

अत्याधुनिक उत्पादन इकाइयां ऊर्जा की खपत घटाने एवं पर्यावरण प्रदूषण के नियंत्रण के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त हैं। इनमें से कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार हैं:

- कोक ड्राई क्वेंचिंग
- कोक पुशिंग उत्सर्जन नियंत्रण उपकरण
- कार्स्ट हाउस धुआं निकासी प्रणाली
- टॉप गैस रिकवरी टर्बाइन
- कनवर्टरों के लिए सहायक धुंआ निकासी प्रणाली
- लौह एवं इस्पात विनिर्माण लावा को दानेदार बनाना
- माइक्रो पेलेटाइजेशन
- मिल स्केल ब्रिकेटिंग

वित्त वर्ष 2014–15 में ऊर्जा से जुड़ी पहले (नवंबर, 2014 तक)

- बीएफ गैस आधारित 55 मेगावाट कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना
- ब्लास्ट फर्नेस प्लांट में उच्च कार्यक्षमता का टॉप गैस रिकवरी टर्बाइन की स्थापना
- टनेल फर्नेस में एलडीओ और आरएलएनजी की जगह कोक ओवन गैस का इस्तेमाल
- एसएमएस को-जेट सिस्टम में प्रोपेन की जगह आरएलएनजी का इस्तेमाल
- बॉयलरों में एलडीओ की जगह पुनर्गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आरएलएनजी) का उपयोग
- इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस स्लैग की प्रोसेसिंग के लिए मेटल रिकवरी प्लांट की स्थापना। करीब 5 से 7 % धातु की रिकवरी कर उसे कच्चे माल के तौर पर हॉट स्ट्रिप मिल प्लांट में उपयोग में लाया जाता है
- बैकार गैस, जीवाष्ट ईंधन के उपयोग एवं बिजली के महत्तम उपयोग एवं निगरानी के जरिए ऊर्जा की कार्यक्षमता और बढ़ाने के लिए केंद्रीयकृत ऊर्जा प्रबंधन प्रकोष्ठ की स्थापना
- कोक ओवन बैटरी की बीएफ गैस से चार्जिंग
- एसआईपी में एनजी की जगह हॉट कॉग का उपयोग
- ठोस ईंधन की दर घटाई गई जैसे पेलेट संयंत्र में कोक ब्रीज की खपत 4.8 टी/टीपी से घटाकर 2.88 टी/टीपी की गई। इस तरह से इसमें 40.7 प्रतिशत की कमी आई
- कॉरेक्स में ठोस ईंधन की दर 2.6 प्रतिशत तक घटाई एवं बिजली की दर 8.2 प्रतिशत तक घटाई
- ब्लास्ट फर्नेस की गैसीय गर्मी की दर 3.58 प्रतिशत तक घटाई
- एसएमएस में बिजली की दर 5.24 प्रतिशत तक घटाई
- एचएसएम में बिजली की खपत 1 प्रतिशत तक घटाई
- 3*25 टीपीएच बॉयलर में डी-एरेटर स्थापित किया जिससे बॉयलर में ऑक्सीजन के प्रतिशत में कमी आई और फील्ड वाटर का तापमान एक जैसा बनाए रखा जा सका जिससे कुल कार्यक्षमता बढ़ी
- एसबीयू I, एसबीयू II, सीपीपी3 एवं सीपीपी4 में उपयोग हेतु डीआरआई गैस लाइन लगाई गई।
- 20टीपीएच बीएफ गैस से चलने वाले प्रोसेस स्टीम बॉयलर स्थापित किया।

पर्यावरण से जुड़ी पहल

- ब्लास्ट फर्नेस कास्ट हाउस के लिए नयी सहायक डी-डिस्ट्रिंग प्रणाली स्थापित की।
- आंतरिक सड़क निर्माण में ऊर्जा की अनुकूलन भट्ठी से निकले स्लैग का इस्तेमाल।
- अलौह अयस्क चूरे की जगह भट्ठी परत के लिए सिंटर प्लांट में 12–20 मिमी ईओएफ स्लैग का उपयोग किया।
- फर्नेस में तप्त धातु का तापमान बनाए रखने के लिए लौह अयस्क ढेले की जगह ईओएफ से कुचले गए ड्राई स्लैग का शीतलक के तौर पर इस्तेमाल किया गया।
- आंतरिक रेलवे स्लाइडिंग के लिए एवं कंक्रीट की सड़क में गिट्टी की जगह बीएफ ड्राई स्लैग का उपयोग किया गया।



सीपीसीबी/एसपीसीबी नियमों/विनियमनों/ईएमएस प्रणालियों और वनीकरण परियोजनाओं के बारे में सूचना

- जेएसडब्ल्यू स्टील सिंटर प्लांटों को छोड़कर जहां उत्सर्जन मामूली रूप से अधिक है, धुआं उत्सर्जन के लिए सीपीसीबी/केएसपीसीबी मानकों का अनुपालन करती है। केएसपीसीबी से मिली मंजूरी के मुताबिक, एसपी1 व 2 में ईएसपी का रूपांतरण पूरा किया गया और सिंटर प्लांट में 4 प्रतिशत से कम वीएम सुनिश्चित किया गया।
- जेएसडब्ल्यू स्टील सीआरईपी की आवश्यकताओं का कड़ाई से पालन करती है। इस्पात विनिर्माण के लिए सभी सर्वोत्तम अपनाने योग्य प्रौद्योगिकियां लगाई गई हैं।
- जेएसडब्ल्यू स्टील आईएसओ: 140001 के अनुरूप है क्योंकि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को टीयूवी राइनलैंड द्वारा पुनः प्रमाणित किया गया है। वर्तमान में, विभिन्न इकाइयों के अंकेक्षण के लिए 180 से अधिक आंतरिक अंकेक्षक हैं। इसके अलावा, नयी इकाइयों में ईएमएस प्रणालियां लगाने की पहल की गई है।
- आज की तिथि तक 15 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं और यह रुख अब भी बना हुआ है।

संकेतक	यूआएम	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015 (अप्रैल–नवंबर, 2014)
विशिष्ट ऊर्जा की खपत (विजयनगर वर्क्स)	जीकैल/ टन कच्चा इस्पात	5.76	6.77	6.47	6.74
विशिष्ट ऊर्जा की खपत (डोल्वी वर्क्स)	जीकैल/ टन कच्चा इस्पात	6.547	6.516	5.919	6.052
विशिष्ट ऊर्जा की खपत (सलेम वर्क्स)	जीकैल/ टन कच्चा इस्पात	—	7.277	7.194	7.070
विशिष्ट सीओ ₂ उत्सर्जन (विजयनगर वर्क्स)	टन सीओ ₂ / टन कच्चा इस्पात	2.63	2.53	2.59	2.583
विशिष्ट सीओ ₂ उत्सर्जन (डोल्वी वर्क्स)	टन सीओ ₂ / टन कच्चा इस्पात	2.2	2.18	2.128	2.229
विशिष्ट सीओ ₂ उत्सर्जन (सेलमी वर्क्स)	टन सीओ ₂ / टन कच्चा इस्पात	2.35	2.51	2.52	—

7.9 टाटा स्टील लिमिटेड, (टीएसएल)

2014–15 (अप्रैल–दिसंबर, 2014) में ऊर्जा की खपत में कमी एवं कम कार्बन उपयोग से जुड़ी प्रौद्योगिकियों की झलक:

संकेतक	यूआएम	2011–2012	2012–2013	2013–2014	2014–2015 (अप्रैल–दिसं.)
विशिष्ट ऊर्जा की खपत	जीकैल/ टन कच्चा इस्पात	6.088	6.083	6.017	6.118
विशिष्ट सीओ ₂ उत्सर्जन	टन सीओ ₂ / टन कच्चा इस्पात	2.50	2.53	2.43	2.44
प्रवाह निवर्णन	घन मीटर/ टन कच्चा इस्पात	4.6	3.6	2.3	2.7
विशिष्ट जल की खपत	घन मीटर/ टन कच्चा इस्पात	5.8	5.9	5.6	5.8
धूल उत्सर्जन	किग्रा/ टन कच्चा इस्पात	0.79	1.00	0.88	0.61

ऊर्जा संरक्षण के जरिए ऊर्जा दक्षता बढ़ाना जीएचजी उत्सर्जन में कमी के लिए प्रधान उत्तोलक है। कच्चे माल की उपलब्धता में बाधाओं एवं गुणवत्ता में उत्तार–चढ़ाव के बावजूद प्रक्रिया नियंत्रण के जरिए वर्ष 2014–15 के दौरान विशिष्ट ऊर्जा खपत एवं विशिष्ट सीओ₂ उत्सर्जन को एक समान बनाए रखा जा रहा है।

अध्याय—VII

वर्ष 2014 के दौरान स्थापित नई ऊर्जा दक्ष इकाई:

- स्टांप चार्ड 0.7 एमटीपीए कोक ओवन बैटरी संख्या 11
- नयी कोक ओवन बैटरी में कंप्यूटरीकृत दहन नियंत्रण
- नए सह—उत्पाद संयंत्र में सल्फर रिकवरी यूनिट में वेस्ट हीट रिकवरी
- तीन टॉप गैस प्रेशर रिकवरी टर्बाइनों (टीआरटी) के जरिए 2014–15 के दौरान 24.4 मेगावाट की दर से बिजली उत्पादन किया गया जो 2013–14 में 23.4 मेगावाट थी।
- बिजली उत्पादन के लिए सह—उत्पाद गैसों के प्रभावी उपयोग से
- वर्ष 2014–15 के दौरान बीएफ गैस फ्लेरिंग 4.4 प्रतिशत की दर से, जबकि 2013–14 में यह 4 प्रतिशत की दर रही और विश्व इस्पात संघ का बैंचमार्क 5 प्रतिशत है।

कंपनी ने “‘जी’ ब्लास्ट फर्नेस से टॉप गैस प्रेशर रिकवरी आधारित बिजली उत्पादन” शीर्षक से एक सीडीएम परियोजना पंजीकृत की है। दो सत्यापन पूरे किए जा चुके हैं और 34,363 सीईआर जारी किए गए हैं। तीसरा सत्यापन प्रगति पर है। किसी भी सीईआर का अभी तक व्यापार नहीं किया गया है।

टाटा स्टील को सीडीपी 2014 द्वारा अक्टूबर, 2014 में जलवायु परिवर्तन में नेता के तौर पर मान्यता दी गई है। इसकी रेटिंग (क्लाइमेट डिस्कलोज़र लीडरशिप इंडेक्स ए सीडीएलआई = '97' और क्लाइमेट परफॉर्मेंस लीडरशिप इंडेक्स, सीपीएलआई = 'बी') विश्व की इस्पात विनिर्माण कंपनियों में एवं भारत में धातु क्षेत्र की कंपनियों में सबसे ऊंची है। कंपनी को विश्व इस्पात संघ द्वारा भी ‘क्लाइमेट एक्शन मेंबर’ के तौर पर मान्यता दी गई है।

वर्ष 2014–15 (अप्रैल–दिसंबर, 2014) के लिए पर्यावरण प्रबंधन से जुड़ी मुख्य बातें:

- सख्त विनिर्देशों के साथ वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों (30 mg/Nm^3 के लिए डिजाइन किए गए ईएसपी एवं 10 mg/Nm^3 उत्सर्जन के लिए डिजाइन किए गए बैग फिल्टर) की स्थापना सालाना 29 लाख टन क्षमता विस्तार के दौरान की गई। बड़ी संख्या में प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों के उन्नयन के लिए इन्हें अपनाया जा रहा है जिसमें बैग फिल्टर एवं ईएसपी शामिल हैं।
- पूंजीगत परियोजनाओं के पूरा होने, प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को बनाए रखने के लिए कंपनी के भीतर ही क्षमता की कमी पूरी करने हेतु रणनीतियां अपनाए जाने और कंपनी के भीतर ही सुधार परियोजनाओं से धुआं धूल उत्सर्जन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन में कमी के लिए 22 उन्नयन परियोजनाओं में से 3 के पूरा होने के अलावा स्टैक डस्ट उत्सर्जन (धुआं धूल उत्सर्जन) में कमी लाने के लिए कुल 18 में से 4 परियोजनाएं पूरी की गईं।
- शून्य प्रवाह निर्वहन हासिल करने के लक्ष्य के साथ जल प्रबंधन ढांचे का विस्तार किया जा रहा है। मुख्य परियोजना कई चरणों में स्थापित की जा रही है। प्रथम चरण में सेंट्रल एलुएंट ट्रीटमेंट प्लांट कमीशन किया जा रहा है।
- उपरोक्त उपयोग के आंकड़ों में भावी इस्तेमाल के लिए स्टोर किया गया एलडी स्लैग शामिल है। विशेषज्ञों के गठबंधन में एलडी स्लैग आधारित उत्पादों के लिए प्रोसेसिंग प्लांट के निर्माण हेतु गालूडीह में 50 एकड़ का एक भूखंड विकसित किया गया है। एलडी स्लैग के उपयोग में सुधार के लिए विभिन्न पहल की गई हैं जो इस प्रकार हैं:
 - सीमेंट कंपनियों के साथ सीमेंट विनिर्माण में इसके इस्तेमाल हेतु गठबंधन कर रहे हैं।
 - एलडी स्लैग का उपयोग विकसित करने के लिए सरकार एवं आईआरसी, बीआईएस, आरडीएसओ, आईसीएआर जैसे उद्योग निकायों, इस्पात मंत्रालय, फिक्की आदि के साथ मिलकर पहल करने की दिशा में लगे हैं।
 - सड़क निर्माण में इसके उपयोग के 2 वर्ष के परीक्षण के लिए इंडियन रोड कांग्रेस से मान्यता प्राप्त हासिल की।
 - आईसीएआर और राज्य सरकार के साथ मृदा अनुकूलन के तौर पर परीक्षण प्रगति में है।
 - राज्य सरकार के ग्रामीण लोक निर्माण विभाग ने ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के तहत ग्रामीण सड़कों के निर्माण में स्लैग के इस्तेमाल की अनुमति दी है।
 - ब्लास्ट फर्नेस के कास्ट हाउस में बालू की जगह इसके इस्तेमाल का परीक्षण किया गया।
 - भूमिगत कोयला खदानों में बालू की जगह इसे भरने का परीक्षण किया जा रहा है।
 - छोटे पैमाने पर फुटपाथ के ब्लॉकों का उत्पादन।
 - स्लैग में फॉस्फोरस की मात्रा घटाने के लिए आरएंडडी पायलट स्तर की परियोजना चलाई जा रही है जिससे सिंटर प्लांटों में एलडी स्लैग की खपत बढ़ाई जा सके।
- स्टील वर्क्स की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को आईएसओ 14001 के तहत प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। वर्ष के दौरान ऑनलाइन आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है।



- नवीनीकरण ऊर्जा

- सड़कों व कार्यालय की लाइटिंग के लिए सोलर फोटो वॉल्टैक्स (छतों पर व्यूह रचना समेत) एवं दक्ष एलईडी लाइटों की स्थापना की गई है। एएक्यूएमएस, मौसम स्टेशन व कुछ यातायात सिग्नलों में इसे लगाया गया है।
- दिन की प्राकृतिक रोशनी का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए लाइट पाइपों की स्थापना की गई है।
- अतिथि गृहों एवं अस्पतालों में सोलर थर्मल गीज़र लगाए गए हैं।

7.10 भूषण स्टील लिमिटेड

ऊर्जा संरक्षण के लिए की गई पहल:

- कोक ओवन्स में हाई प्रेशर अमोनिया लीकर एसपिरेशन सिस्टम (एचपीएलए)।
- सिंटर कूलर वेस्ट हीट रिकवरी प्रणालियां।
- ब्लास्ट फर्नेस में हाई टॉप प्रेशर व टॉप रिकवरी टर्बाइन (टीआरटी)।
- कास्ट हाउस स्लैग ग्रैनुलेशन प्रणाली

पर्यावरण नियंत्रण के उपाय:

- उत्सर्जन को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित नियमों के भीतर रखने के लिए सभी ईएसपी का मानक परिचालन प्रक्रिया के मुताबिक प्रभावी ढंग से रखरखाव किया जाता है।
- दूषित पदार्थों के उचित ट्रीटमेंट एवं उनकी रीसाइकिलिंग के लिए उचित एफ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाकर जीरो डिस्चार्ज का स्तर हासिल किया गया है।
- एसएमएस से निकले स्लैग को स्लैग ग्रैनुलेशन संयंत्र के जरिए प्रसंस्कृत कर और उसमें से चुंबकीय प्रतिशत हटाकर सड़क निर्माण हेतु मूल्यवान स्लैग बॉल तैयार किए जाते हैं। चुंबकीय हिस्से का इस्तेमाल सिंटर प्लांट में किया जा रहा है।

वर्ष 2013–14 में कुल विशिष्ट ऊर्जा खपत (जीजे / टीसीएस):

वर्ष 2013–14 में विशिष्ट ऊर्जा खपत					
इकाई	कुल उत्पादन	1 टन उत्पादन के उत्पादन पर विशिष्ट ऊर्जा खपत	कुल कच्चा इस्पात उत्पादन	1 टन उत्पादन के उत्पादन पर विशिष्ट	कुल कच्चा इस्पात उत्पादन ऊर्जा खपत
	(टन)	(जीजे / टन)	(टन)	(टन)	(जीजे / टन)
डीआरआई	421,089.00	24.13	1,373,132.77	0.31	7.40
सिंटर	1,867,111.00	1.99		1.36	2.70
लाइम संयंत्र	166,594.11	3.01		0.12	0.37
कोक ओवन-I	738,883.69	7.06		0.54	3.80
ब्लास्ट फर्नेस-I	1,083,613.00	17.07		0.79	13.47
कोनार्क	1,145,775.78	2.54		0.83	2.12
बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस	160,578.00	1.22		0.12	0.14
इंडक्शन फर्नेस	39,043.84	3.32		0.03	0.09
ईएएफ	27,735.14	5.08		0.02	0.10
सकल योग					30.19

अध्याय—VIII

सूचना प्रौद्योगिकी का विकास

8.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके तहत आने वाले सार्वजनिक उपक्रम सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़े ढांचे के विकास और संचालन को उन्नत करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं।

- मंत्रालय का कम्प्यूटर केंद्र 24x7 आधार पर प्रचालित विंडोज 2012 से लैस है, अत्याधुनिक उपभोक्ता प्रणालियों और लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) से भी जुड़ा है जो मंत्रालय के विस्तृत लोकल एरिया नेटवर्क से सूचनाओं को हासिल करने के साथ मंत्रालय में इंटरनेट के साथ इंटरानेट आधारित कार्यों को करने के लिए मुख्य माध्यम का कार्य करता है। एन आई सी ने मंत्रालय में उप सचिवाएं उच्च अधिकारियों के लिए वाइफाई की सुविधा दी है।

ई—गवर्नेंस अनुप्रयोग

- मंत्रालय में आधार आधारित बॉयोमीटरिक उपस्थिति प्रणाली कार्यान्वित की गयी है।
- इन्टरानेट पोर्टल पर कर्मचारियों के वेतन की जानकारी, जीपीएफ एवं आयकर विवरण, कार्यालय ज्ञापनों, कार्यालयीय आदेशों और कार्यालयीय परिपत्रों का व्यक्तिगत कॉर्नर खंड में उपलब्ध है।
- ई—गवर्नेंस योजना के हिस्से के रूप में मंत्रालय में निम्नलिखित वेब आधारित व्यवस्था संचालित हो रही है :
 - सूचना का अधिकार कानून 2005 के तहत प्राप्त आवेदनों और अपीलों पर प्रबंध सूचना प्रणाली (आरटीआई – एमआईएस) सुविधा के माध्यम से निगरानी रखी जाती है। यह व्यवस्था मंत्रालय और इसके सार्वजनिक उपक्रमों में पूरी तरह से लागू है।
 - मंत्रालय और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में जनता और पेंशनधारियों की शिकायतों के निवारण के लिए केंद्रीयकृत जन–शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) भी कार्यान्वित की गई है।

मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट:

- इस्पात मंत्रालय (<http://steel.gov.in>) के लिए द्विभाषी वेबसाइट प्रचालनात्मक है।
- मंत्रालय की वेबसाइट पर मंत्रालय की ई—पुस्तिका भी उपलब्ध है।

8.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के अपने व्यवसाय का संचालन करने के लिए बेहतरीन सूचना टेक्नोलॉजी ढांचे के जरिये कर रहा है जिसने समय—समय पर परीक्षा की घड़ी में अपनी श्रेष्ठता निरंतर प्रमाणित की है।

- सेल अपने लगातार और संकेन्द्रित आईटी प्रयासों से 5 एकीकृत इस्पात संयंत्रों में से 4 अर्थात भिलाई इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र, राऊरकेला इस्पात संयंत्र के साथ—साथ अपनी विपणन स्थापना अर्थात केंद्रीय विपणन संगठन के व्यवसाय प्रचालनों को ईआरपी के क्षेत्र में व्यवसाय प्रचालनों को लाने में समर्थ रहा है।
- सेल के शेष इस्पात संयंत्रों/इकाइयों को भी 3 वर्ष की अवधि में इसके तहत लाने के लिए एवं मौजूदा को और मजबूत करने के लिए एक व्यापक ईआरपी कार्यान्वयन रोडमैप को अंतिम रूप दिया गया है। ईआरपी पर व्यवसाय की स्थिति निम्नवत है:
 - वर्तमान रूप से 99 प्रतिशत से अधिक बिक्रेय ईआरपी के जरिये किया जा रहा है।
 - 91 प्रतिशत उत्पादन सौदे ईआरपी के जरिये हो रहे हैं।
 - पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रोंसे कुल खरीद का ई—खरीद 71 प्रतिशत है।
- अधिक पारदर्शिता लाने के लिए संयंत्रों/इकाइयों द्वारा 50 लाख रुपए से ऊपर के खरीद आदेश व्यौरों और आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं द्वारा बिलों के भुगतान की स्थिति को ऑनलाइन देखना उपलब्ध कराया गया है।
- एस बी आई के माध्यम से भुगतानों की ऑनलाइन धन रसीद की सुविधा अधिकतम की गयी। जिससे सेल को तेजी से नकद प्राप्ति और हस्तचालित त्रुटियों को समाप्त करने का लाभ मिला है।



- कार्यपालक कार्यनिष्ठादान प्रबंध प्रणाली (ईपीएमएस) में पारदर्शिता लागू की गई, जिसके तहत ₹7 तक के सभी कार्यपालकों द्वारा ऑनलाइन अभ्यावेदन के लिए सुविधा और अपीलीय समिति द्वारा ऑनलाइन अपील समाधान की सुविधा प्रदान की गई है। ईपीएमएस के जरिये सभी महाप्रबंधकों एवं कार्यपालक निदेशकों की मूल्यांकन रेटिंग्स प्रदर्शित की जाती हैं।
- व्यक्तियों के लिए बहुआयामी स्कोर कार्ड के प्रावधान के साथ, सेल के कार्यपालक निदेशकों, महाप्रबंधकों एवं उप महाप्रबंधकोंके लिए बैलेंस स्कोर काड (बीएससी) प्रणाली।

8.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल समग्र संगठनात्मक दक्षता में सुधार करने, उपभोक्ता संतुष्टि, उत्पादकता, पारदर्शिता और लागत प्रभाविता में सूचना प्रौद्योगिकी को एक महत्वपूर्ण अंग के तौर पर मानता है। वर्ष 2014–15 आर आई एन एल में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए कीर्तिमान रहा है क्योंकि इस वर्ष इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) को कार्यान्वयन के लिए तैयार कर लिया गया है। वर्ष 2014–15 के दौरान आर आई एन एल के संबंध में आईटी से जुड़ी प्रमुख पहलों और उपलब्धियों का व्यौरा नीचे दिया गया है:

मानक

संवेदनशील डेटा को खतरे से सुरक्षित करने के लिए सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसएमएस) लायी गयी। आईएसओ 27001 प्रमाणीकरण के लिए नीतियों/मानक प्रचालन प्रविधियों/सक्रिय डाइरेक्टरी कार्यान्वयन/ जोखिम घटाने जैसी अपेक्षाओं को पूरा किया गया। डेटा केंद्रों में बायोमेट्रिक प्रणाली एवं सीसीटीवी स्थापित किये गये।

बड़ा डेटा एवं मोबिलिटी

- आर आई एन एल में एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के साथ बल्क एसएमएस सेवायें शुरू की गयी। व्यावसायिक स्वास्थ्य नामांकन के लिए मोबाइल मैसेजिंग की गयी।
- विपणन में बड़े डेटा के लिए सभी स्टॉकयार्डों के डेटा लिए गये।

उद्यम अनुप्रयोग

- इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) शुरू हुई। संपूर्ण ढांचे को ईआरपी के अनुरूप बनाया गया।
- डीओपी ऑनलाइन विकसित किया गया, जो प्रदत्त शक्तियों को ऑनलाइन देखने के लिए अपनी किस्म का पहला कदम है।
- संपदा प्रबंधन के लिए डैशबोर्ड, उपस्कर के 360 डिग्री दृश्य, फोरम आदि के साथ अद्वितीय इंटरप्राइज पोर्टल लांच किया गया।
- तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से मांग पर प्रशिक्षण हेतु एक नये वेब आधारित एप्लिकेशन के लिए इंटरप्राइज शिक्षण प्रबंधन प्रणाली (ईएलएमएस) लांच की गयी।

प्रोसेस नियंत्रण प्रणालियां

- ब्लास्ट फर्नेस 3 में हॉट स्टोव मॉडल को सफलतापूर्वक स्थिर किया गया।
- विस्तारीकरण के अनुरूप 6.3 एमटी चरण के लिए विनिर्माण निष्ठादान प्रणाली (एमईएस)।
- मौजूदा इकाइयों की जरूरत पूरा करने के लिए भी एमईएस कार्यान्वित किया जा रहा है।

वेब अनुप्रयोग

विवेच्य अवधि के दौरान बहुत से पोर्टल/वेब अनुप्रयोग विकसित किये गये जिनमें निम्न शामिल हैं:

- अनुसूचित जाति/जन जाति प्रकोष्ठ पोर्टल
- रक्त दान प्रबंधन प्रणाली
- कीमत डायरी प्रणाली एवं नये उत्पादों के लिए मांग सर्वेक्षण
- सामान्य ठेकेदार पंजीकरण प्रणाली (सीसीआरएस)।

अध्याय—VIII

बिज़नेस अनुप्रयोग एवं शॉप लेवल एमआईएस

- रिफैक्टरी डेटा प्रबंधन प्रणाली एवं व्यापक देरी विश्लेषण प्रणाली स्थापित की गयी ।
- आईएसओ ऑडिट, डीएनडब्ल्यू और आवश्यक सेवा विभागों के लिए एमआईएस लांच की गयी ।
- सुरक्षा सूचना प्रणाली और सप्लायर गेट पास प्रणाली स्थापित की गयी ।

बुनियादी ढांचा और सांविधिक परियोजनायें

- स्तर—1 एवं स्तर—2 प्रणालियों के लिए आईबी मार्गनिर्देशों के अनुरूप वलनरेब्रिटी आकलन किया गया और कार्यान्वयन के लिए पार्टी का चयन कर लिया गया है ।
- आईपीवी4 से आईपीवी6 में बदलाव के संबंध में डीओटी, भारत सरकार के समक्ष एक्शन टेकन रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गयी है ।

8.4 एन एम डी सी लिमिटेड

- वाइड एरिया नेटवर्क (डब्ल्यू ए एन) को उत्पादन इकाइयों से प्रधान कार्यालय के बीच बिंदु से बिंदु लीजड लाइन संपर्क से प्रबंधित स्तर प्रोटोकॉल स्विचिंग (एम पी एल एस) में बदला गया है ।
- डाटा केंद्र उपकरणों के लिए प्रवेश द्वार पर निम्नलिखित विशेषताओं के साथ उच्च उपलब्धता में 12400 यूनीफाइड थ्रेट मैनेजमेंट (यूटीएम) फायरवाल जांच बिंदु स्थापित किए गए हैं :
 - ❖ फायरवाल
 - ❖ अनुप्रयोग नियंत्रण
 - ❖ अनुदेश निवारण और पता लगाना
 - ❖ यू आर एल फिल्टरिंग
 - ❖ एंटी-वायरस
 - ❖ एंटी-स्पेम
 - ❖ पहचान संबंधी जागरूकता
- उच्च उपलब्धता एवं अंतिम उपभोक्ता को बेहतर रेस्पांस के तहत मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली एवं वित्तीय लेखा प्रणाली के लिए ऑरेकल एप्लिकेशन सर्वर की जगह वेब लॉजिक सर्वर किया जा रहा है ।

8.5 मॉयल लिमिटेड

अपने कार्य क्षेत्रों में प्रभावी कम्प्यूटरीकरण को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी ने एक पूर्णकालिक प्रणाली प्रकोष्ठ की स्थापना की है । पर्याप्त आईटी ढांचा सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली विभाग ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :

- 450 कम्प्यूटर लगाए गए । इनमें से 250 मुख्यालय में और 200 को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खानों में वितरित किया गया है ।
- कंपनी के विभिन्न विभागों, मसलन बिक्री और विपणन, खरीद और भंडारण, कर्मचारियों को भुगतान और मानव संसाधन, उत्पादन और गुणवत्ता, लागत और वित्त विभाग की जरूरतों के हिसाब से कम्प्यूटर आधारित कार्यक्रमों का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन ।
- नागपुर स्थित मुख्यालय में विंडोज 2003 आर—2 प्लेटफार्म पर लोकल एरिया नेटवर्क (लैन) की स्थापना की गई है । कंपनी की सभी 9 खानों में भी लैन का डिजाइन व विकास पूर्ण कर लिया गया है ।
- एन आई सी सर्वर पर एक कारगर वेबसाइट का डिजाइन, विकास और संचालन ।
- इन—हाउस मॉयलनेट सर्वर पर एक कारगर इंटरनेट वेबसाइट का डिजाइन, विकास और संचालन । सुरक्षा उपाय के तौर पर सिस्टम में सी आई एस सी ओ फायरवाल लगाया गया है ।
- दूरस्थ क्षेत्रों में स्थित खानों और मुख्यालय के बीच डाटाबेसों/सूचनाओं और दूसरे संसाधन की नियमित रूप से प्रभावी साझेदारी के लिए उन्हें वीपीएन के माध्यम से लीजड लाइन, ब्राडबैंड और वी एस ए टी पर जोड़ा गया है ।
- लगातार जानकारी हासिल करने, ई—मेल और आंकड़े भेजने के लिए मुख्यालय के सभी संबंधित अधिकारियों को 8 एम बी पी एस (1:2) इंटरनेट लाइन के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है । सभी खानों को लीजड लाइन/ब्राडबैंड इंटरनेट कनेक्शन प्रदान किया गया है ।



- खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए 10 लाख रुपए और अधिक मूल्य के माल की सभी खरीद एम एस टी सी के ई-प्राप्ति पोर्टल के माध्यम से की जाती है।
- हाल ही में मॉयल ने कंपनी में ईआरपी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक पहल की है और इसकी मार्च 2016 तक शुरू हो जाने की आशा है।

8.6 एम एस टी सी लिमिटेड

एम एस टी सी में विकास जहां तक आईटी अवसंरचना का संबंध है निम्नानुसार है:

- सी एम आई लेवल 5 मूल्यांकन प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है।
- ई-खरीद सेवा का एसटीक्यूसी प्रमाणन का नवीकरण चल रहा है।
- क्षेत्रों और शाखाओं को वी पी एन कनेक्टिविटी के माध्यम से जोड़ा गया है।
- ई-कॉर्मस के लिए आईएसओ 27001:2005 प्रमाणन का रखरखाव।
- आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन का रखरखाव।

8.7 फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

- निगमित कार्यालय के विभिन्न विभागों और इकाइयों को कम्प्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं। वेतन, वित्तीय लेखा, सामग्री प्रबंधन से जुड़े क्षेत्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।
- एप्लीकेशन पैकजों से एम आई एस का सृजन किया जा रहा है।
- इकाइयां इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई हैं।
- कंपनी के पीएफ, आयकर, निविदाओं जैसी सांविधिक जरूरतों को ई-माध्यम से पूरा किया जा रहा है।
- निविदाएं कंपनी की वेबसाइट fsnl.nic.in पर प्रदर्शित की जाती हैं।
- मॉड्यूल, एच आर और पेरौल, एफ एंड ए, भविष्य निधि, माल सूची प्रबंध सहित एम एस, प्रचालन और अनुरक्षण, स्थायी आस्तियां, परियोजना माड्यूल और विधि माड्यूल, लागत माड्यूल के लिए एसएपी बी-1 एड ऑन (100 लाइसेंस) कार्यान्वयन के अंतिम चरण में हैं और विभिन्न विभागों से संबंधित डाटा एसएपी में वर्ष 2014-15 के लिए खाते तैयार करने के लिए इकाइयों और कारपोरेट कार्यालय के एफ एस एल कर्मचारियों द्वारा एसएपी में प्रविष्ट किया जा रहा है और मौजूदा प्रणाली एफ एस एन एल में प्रयोग की जा रही है।
- निगमित कंपनी के कार्यालय में आईपीवी-6 अनुपालित सर्वर संस्थापित किया गया है और एसएपी बी-1 संस्थापित किया गया है और इसे इकाइयां इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से पहुंच प्राप्त कर रही हैं।
- निगमित कंपनी कार्यालय में फायरवाल फोर्टिगेट 80सी संस्थापित किया गया है।
- निगमित कंपनी कार्यालय में आईपीवी अनुपालित सीएटी-6 लोकल एरिया नेटवर्किंग संस्थापित किया गया है।

8.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

एचएससीएल की अपनी वेबसाइट www.hscl.co.in है, जिसके माध्यम से कंपनी पारदर्शी तरीके से अपना व्यापार चलाने के साथ ही सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी सांविधिक निर्देशों का पालन करती है।

एच एस सी एल की 25 से अधिक इकाइयां देश भर में फैली हुई हैं। सभी इकाइयां आय एवं व्यय के अपने अलग लेखे रखते हैं। अंत में सभी इकाइयों के खाते समेकित कर कंपनी के समग्र खाते में मिला दिये जाते हैं। कंपनी के वित्तीय प्रचालन एवं नियंत्रण को सम्यक बनाने के लिए निम्न वित्तीय प्रणालियां शुरू की गयी हैं:

- केंद्रीयकत नकदी प्रबंधन प्रणाली (सी एम एस)
- अनुबंध रिपोर्टिंग प्रबंधन प्रणाली (सी आर एम एस)
- लाभदायकता प्रतिवेदन प्रबंधन प्रणाली (पी आर एम एस) और
- बिलिंग प्रबंधन प्रणाली (बी एम एस)
- सामग्री प्रबंधन प्रणाली (एम एम एस)

8.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन के रांची, बंगलौर और दिल्ली स्थित कार्यालय अत्याधुनिक हार्डवेयर, नेटवर्क और विभिन्न इंजीनियरी सॉफ्टवेयर जैसे रेबरा कैड, टेकला, एरमोडव्यू, स्टेड प्रो, आटोकैड, ईटेप, केसर, पीवीलाइट, आटोप्लांट, पीडीएस आदि से सज्जित हैं जो विभिन्न परियोजनाओं के गुणवत्ता वाले डिजाइन और समय पर पूरा करने में सुविधा देते हैं।

मेकॉन विभिन्न जारी परियोजनाओं की योजना बनाने एवं निगरानी के लिए प्राइमावेरा, एमएस प्रोजेक्ट्स और कंपनी में विकसित परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर जैसे विभिन्न परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर रहा है।

मानव संसाधन, निगमित वित्त, परियोजना वित्त, एम आई एस, योग्यता मैपिंग, ई—अर्काइव जैसे स्वयं विकसित वेब आधारित माड्यूल्स का इस्तेमाल रोजमर्रा की गतिविधियों में किया जा रहा है।

8.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल में सूचना टेक्नोलॉजी का 1976 से प्रयोग किया जा रहा है। इसके सभी कारखानों और कार्यालयों में कम्प्यूटरों का उपयोग होता है। कम्प्यूटरीकरण के मुख्य क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

- **मालसूची और सामग्री प्रबंधन :** कंपनी 1980 से कंप्यूटरीकृत मालसूची लेखा और नियंत्रण प्रणाली उपयोग में लायी जा रही है। कनेडियाई खनन कंपनियों द्वारा डिज़ाइन की गयी इस प्रणाली में अनोखी प्रविधियां, फॉर्म एवं चेक डिजिट के साथ कोडिफिकेशन अपनाया गया है। बाद में इस प्रणाली को अपग्रेड करके वेब आधारित प्लेटफॉर्म में बदल दिया गया है।
- **वित्त एवं लेखा :** पेरोल लेखा एवं पेस्लिप का कंप्यूटरीकरण 1980 में हुआ। अब वित्त एवं लेखा प्रणाली की सभी प्रमुख गतिविधियां अपेक्षित रिपोर्टिंग फीचरों के साथ वेब आधारित प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से स्वचालित हैं। सभी प्रमुख अदायगियां आरटीजीएस के जरिये की जाती हैं।
- **आईटी ढांचा :** हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समस समय पर अपग्रेड किये जाते हैं। कंपनी ने बंगलौर और मंगलौर में फाइबर ऑप्टिक बैकबोन युक्त पूर्ण आईपी स्टक्वर्ड यूटीपी आधारित डेटा नेटवर्क स्थापित किया है। बंगलौर और मंगलौर में 8 एम बी पी एस लीज्ड लाइन और कुद्रेमुख के इंटरनेट कनेक्टिविटी केंद्रों को वीपीएन एवं इंटरनेट कनेक्टिविटी पेदान करते हैं। इस तरह वीपीएन कनेक्टिविटी कंपनी के विभिन्न केंद्रों के जरिये सभी एप्लिकेशनों को एकल नेटवर्क एक्सेस प्रदान करती है।
- **वीडियो कान्फ्रेंसिंग :** बंगलौर और मंगलौर में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के लिए इंटरनेट लीज्ड लाइन और आईटीजीएसएन कनेक्शन का उपयोग किया जा रहा है। इस सुविधा से विभिन्न केंद्रों में समय—समय पर ऑनलाइन बैठकें आयोजित हो पाती हैं।
- **ई—कॉर्मस:** ई—निविदा की शुरुआत, ई—खरीद और आर जी टी एस ने काफी अधिक सीमा तक पेपर कार्य को कम किया है, पारदर्शिता बढ़ायी है और समय की बचत की है। एस क्यू टी सी प्रमाणन युक्त श्रेणी I/II आर एस ए/एसए एजेंसी द्वारा ई—निविदा के जरिये पैलेट की बिक्री की जा रही है। इसने मूल्य का पता लगाने की प्रक्रिया काफी कम कर दी है। सीमा मूल्य से अधिक सभी खरीद ई—निविदा के जरिये की जाती हैं।
- **संयंत्र प्रक्रिया स्वचालन :** के आई ओ सी एल के सभी कारखाने पूर्ण रूप से स्वचालित हैं और केंद्रीय कंप्यूटर कक्षों से नियंत्रित हैं। इससे जनशक्ति की आवश्यकता में कमी, मानव व मशीन की अधिक सुरक्षा और उपकरणों की मियाद बढ़ी है। कंप्यूटरीकृत नियंत्रण प्रणाली के जरिये एकत्रित डेटा का उपयोग समय समय पर निवारक अनुरक्षण, कलपुर्जों की मियाद का पता लगाने के लिए किया जाता है जिससे उत्पादकता में बढ़ोत्तरी हुई है।

8.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज (बीजीसी)

बी जी सी ने सभी निविदाओं/ईओआई को कारपोरेट वेबसाइट और केंद्रीय लोक प्राप्ति पोर्टल (सीपीपी पोर्टल) में प्रकाशित करने की पहल की है। लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क की बिक्री के लिए प्रक्रिया केवल ई—नीलामी विधि के माध्यम से डिजाइन की जा रही है। निगमित कार्यालय में बायोमीट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली और सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित की गयी है। कस्टमाइज्ड परोल प्रणाली के जरिये अवकाश रिकार्ड और वेतन प्रोसेस किया जारहा है। टैली आधारित लेखाकरण पैकेज का आरटीजीएस और ई—भुगतान विधि के माध्यम से विक्रेता बिलों और विभिन्न कर्मचारी परिलब्धियों के भुगतान के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ओ एम डी सी खानों में जी पी एस/जी पी आर एस समर्थित निगरानी प्रणाली सहित खान को एक बार प्रचालित करने पर अवैध खनन के किसी अवसर को रोकने के लिए ट्रकों, मशीनरी और मनुष्यों की गतिविधि की जांच करने के लिए उपग्रह चित्र वाली नवीनतम प्रौद्योगिकी की संस्थापना प्रक्रिया में है।



अध्याय-IX

सुरक्षा

9.1 प्रस्तावना

किसी भी उद्योग के संचालन में सुरक्षा एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह न सिर्फ इसके कर्मचारियों और कामगारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि पर्यावरण और राष्ट्र के लिए भी महत्वपूर्ण है। लौह एवं इस्पात उत्पादन जटिल और जोखिम वाली गतिविधि है इसलिए कर्मचारियों को जख्मी होने से रोकने और हादसे नहीं होने देने के लिए स्वस्थ कार्य वातावरण और सभी तरह के खतरों और जोखिम के प्रति पर्याप्त सावधानी की जरूरत है।

9.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं के प्रमुख पहलुओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

9.2.1 प्रबंधन प्रतिबद्धता

इस्पात कारखाना में दुर्घटना मुक्त कामकाज सुनिश्चित करना सेल प्रबंधन की एक प्रमुख प्राथमिकता है। यह “शून्य दुर्घटना” का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है।

सेल में सुरक्षा प्रबंधन की शीर्ष स्तर पर निगरानी की जाती है अर्थात् सुरक्षा, जागरूकता जगाने एवं सुरक्षा के प्रति मानवीय व्यवहार सुधारने के लिए अध्यक्ष एवं निदेशक स्तर के साथ—साथ संबंधित कारखानों/इकाइयों के प्रमुख कार्यपालकों द्वारा बल दिया जाता है। सुरक्षा सभी समुचित मंचों पर प्रथम मद के रूप में परिचर्चा का विषय होता है और सुरक्षा मानकों में निरंतर सुधार लाने के लिए सभी जरूरी उपाय अपनाने हेतु दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं।

सेल की अत्याधुनिक सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली ओ एच एस ए एस-18001 कार्यान्वित करने के साथ—साथ एक व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नीति भी है।

9.2.2 सेल में सुरक्षा व्यवस्था

सेल के प्रत्येक कारखाने/इकाई में पूर्णतः सुसज्जित सुरक्षा इंजीनियरी विभाग कार्य कर रहे हैं तथा प्रत्येक कारखानों में प्रमुख के अधीन सुरक्षा प्रबंधन के कार्य की देखभाल करते हैं। इसके अतिरिक्त सेल सुरक्षा संगठन (एसएसओ), रांची के नाम से एक निगमित सुरक्षा यूनिट भी कार्य कर रही है जो विभिन्न कारखानों/इकाइयों में परिचालन/अग्नि सुरक्षा गतिविधियों की निगरानी करती है तथा कंपनी में सुरक्षा प्रबंधन पर निगमित स्तर पर पर्याप्त ध्यान देती है।



सेल के बोकारो इस्पात संयंत्र में सुरक्षा प्रशिक्षण

अध्याय—IX

9.2.3 प्रणाली एवं प्रक्रिया

- ओ एच एस ए एस –18001:2007 और एसए 8000:2008 जैसी प्रबंधन प्रणालियों के साथ अनुरूपता।
- सुरक्षा पहलुओं को स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रैक्टिसेस (एसओपी), स्टैंडर्ड मेन्टेनेंस प्रैक्टिसेस (एसएमपी) और सेफ वर्क इंस्ट्रुक्शन्स (एस डब्ल्यू आई) के तौर पर शामिल किया जाता रहा है और अनुपालन की जाती है।
- एस एस ओ में “दुर्घटना जोखिम नियंत्रण” पर मोडूलर प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना लागू किया और बल वाले क्षेत्रों की पहचान करने के पश्चात संयंत्रों/इकाइयों को इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करने की सुविधा दे रहा है।
- कार्यों के सुरक्षित निष्पादन के लिए वर्क परमिट प्रणाली लागू की गई है।
- कैपिटल/प्रमुख रिपेयर कार्यों के लिए प्रोटोकॉल्स तैयार किए गए हैं और अनुपालन की जा रही है।
- प्रतिरोधी जांच/औचक जांच के दौरान असुरक्षित कार्यों एवं परिस्थितियों की पहचान की जाती है और आवश्यक उपाय किए जाते हैं तथा इनका पालन किया जाता है।
- ऊंचाई पर कार्य करने वालों और गतिशील उपस्करों को चलाने वाले कर्मियों, क्रेन ऑपरेटरों और मोबाइल इकिवपमेंट ऑपरेटर की विशेष चिकित्सा जांच अनिवार्य।
- एस एस ओ द्वारा समन्वय और मानीटरिंग के लिए व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य में अंतर संयंत्र नेटवर्किंग स्थापित की गई है जिसके लिए एन ओ एच एस सी, बी एस पी केंद्रीय एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं।

9.2.4 सुरक्षा ऑडिट/निगरानी

- संयंत्रों और इकाइयों में सुरक्षा लेखापरीक्षा निम्न ढंग से की जा रही है:
 - संबंधित कारखानों के सुरक्षा इंजीनियरी विभाग द्वारा आंतरिक सुरक्षा ऑडिट।
 - सहयोगी कारखानों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से सेल सुरक्षा संगठन द्वारा सुरक्षा ऑडिट।
 - क्षेत्रीय वैधानिक प्राधिकारियों, ओ एच एस ए एस ऑडिटर्स आदि द्वारा अनुशंसित बाहरी एजेंसियों जैसे कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा सुरक्षा ऑडिट।
- परियोजना और निर्माण तथा निर्माण गतिविधियों के दौरान घातक दुर्घटनाओं की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न संयंत्रों के परियोजना स्थलों पर एसएसओ द्वारा सुरक्षा ऑडिट किए जा रहे हैं!
- ओ एच एस ए एस –18001, एसए 8000 आदि से संबद्धता कायम रखने के लिए प्रबंधन समीक्षा!
- विनिर्दिष्ट अंतराल पर संयंत्रों/यूनिटों के “सुरक्षा प्रमुखों” और “फायर सर्विस प्रमुखों” के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं।
- प्रत्येक संयंत्र/इकाई और एसएसओ के लिए सुरक्षा और अग्निशमन सेवाओं के लिए एपीपी बनाए जाते हैं।
- कार्यों के सुरक्षित पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख बड़ी मरम्मत/शटडाउन कार्यों के लिए चौबीसों घंटे सुरक्षा निगरानी की जाती है।
- घातक दुर्घटनाओं के मौके पर अध्ययन किए जाते हैं और जांच समितियों की सिफारिशों के अनुपालन को विभिन्न स्तरों पर मानीटर किया जाता है।

9.2.5 ठेकेदार के कर्मचारियों की सुरक्षा

ठेकेदार के कार्यक्षेत्र में सुरक्षा मानकों को प्रोत्साहन देने को उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है। सेल सुरक्षा संगठन द्वारा जोखिम भरी स्थिति से पार पाने तथा नियंत्रण के लिए “परियोजना सुरक्षा मार्गदर्शी सिद्धांत” जारी किए गए हैं। दुर्घटना रहित कार्यक्षेत्र में काम करने वाले विभिन्न सामाजिक-सुरक्षा क्षेत्रों से आए व्यक्तियों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए समेकित प्रयास किए जाते हैं। इस क्षेत्र के लिए लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों में ठेकों में सुरक्षा तथा कार्य करने वाले प्राधिकारियों आदि के संबंध में सुरक्षा और दंड के प्रावधान किए गए हैं।

9.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

सुरक्षा मानकों, जोखिम नियंत्रण की मॉनीटरिंग और अन्य सहक्रियात्मक उपायों के कार्यान्वयन में लगातार प्रयासों से सम्भावित जोखिम कम/समाप्त हुए हैं। शून्य दुर्घटना का उद्देश्य प्राप्त करने तथा कंपनी में सुरक्षा आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में किए गए महत्वपूर्ण प्रयासों में शामिल हैं:



9.3.1 रोजमरा और रोजमरा से परे गतिविधियों को संयंत्र में चिन्हित किया गया जिसमें ओएचएसएस के अंग के रूप में विस्तार क्षेत्र एवं जोखिम पहचान और जोखिम आंकलन (एचआईआरए) शामिल है। समस्त गतिविधियों के लिए सभी संरक्षा नियंत्रण सुनिश्चित किये जा रहे हैं।

9.3.2 सुरक्षा ऑडिट और निरीक्षण: संबंधित विभागीय अधिकारी और अहर्ता प्राप्त आंतरिक ओएचएसएस अंकेक्षकों द्वारा सभी प्रमुख एवं छोटे विभागों में आवधिक रूप से आंतरिक सुरक्षा ऑडिट आयोजित किया जाता है। संबंधित विभागों द्वारा सभी ऑडिट बिंदुओं का अनुसरण किया जा रहा है। ओएचएसएस प्रमाणीकरण निकाय के प्रमुख अंकेक्षकों द्वारा छह महीने में एक बार बाह्य सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। अंकेक्षकों द्वारा उठाये गये बिंदुओं का अनुपालन किया जाता है। सांविधिक अपेक्षा के अनुरूप, बाह्य ऑडिट का संचालन सुरक्षा के क्षेत्र में बाह्य विशेषज्ञ निकाय द्वारा किया जाता है। अंकेक्षकों द्वारा उठाये गये सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जाता है और फैक्टरी विभाग को रिपोर्ट सौंपी जाती है। इसके अतिरिक्त, जोनल सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भी पूरे संयंत्र में नियमित निरीक्षण किए गए हैं। संयंत्र के विभिन्न विभागों में सुरक्षा की प्रणाली के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए बाह्य प्रमाणित करने वाले द्वारा छह महीने में एक बार सुरक्षा ऑडिट भी किया जाता है। अपरोक्त के अलावा, फैक्टरी विभाग, आंध्र प्रदेश सरकार के अधिकारियों ने पूरे संयंत्र में विशेष सुरक्षा निरीक्षण किए हैं। उनके द्वारा उठाये गये सभी बिंदुओं का अनुपालन किया जा रहा है।

9.3.3 आपातकालीन प्रबंधन योजना: आपातकालीन परिस्थितियों के दौरान आपातकालीन तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र में एक व्यापक आपातकालीन योजना तैयार की गयी है और किसी भी आपातकालीन स्थितियों के दौरान विभिन्न गतिविधियों में समन्वय के लिए प्लांट कंट्रोल में एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष की पहचान की गई है।

9.3.4 सुरक्षा समितियां: व्यावसायिक स्वारथ्य और सुरक्षा प्रबंध में कर्मचारियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए संयंत्र में मान्यता प्राप्त व्यापार संघ के प्रतिनिधियों और प्रबंध के प्रतिनिधियों से बराबर की सहभागिता के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा समिति और 30 विभागीय समितियां बनाई गई हैं।

9.3.5 सुरक्षा प्रशिक्षण और जागरूकता अभियान: नियमित सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 4400 से अधिक नियमित कर्मचारियों को शामिल किया गया था और 10000 ठेके के कामगारों को सुरक्षा प्रवेश प्रशिक्षण और पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण दिया गया। इसके अलावा, व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंध, कानूनी और अन्य अपेक्षाओं, सामग्री संभाल में सुरक्षा, इत्यादि के क्षेत्र में नियमित रूप से विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

9.3.6 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण: सभी नियमित कर्मचारियों को अपेक्षित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये गये और उनके इस्तेमाल की निगरानी की जा रही है। सभी ठेका कामगारों को भी ठेकेदारों द्वारा अपेक्षित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण प्रदान किये गये और कार्यस्थल पर उनका इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा रहा है।

9.3.7 सुरक्षा प्रोत्साहन: सुरक्षा प्रोत्साहन गतिविधियों के रूप में, विभिन्न सुरक्षा प्रतियोगिताओं में नियमित एवं ठेका कर्मचारियों दोनों की सहभागिता से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाये जाते हैं। संकार्य प्रभाग के साथ साथ विस्तार इकाइयों में भी सुरक्षा सप्ताह मनाये जाते हैं।



आरआईएनएल को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् पुरस्कार

अध्याय—IX

वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर 2014 तक) उठाये गये विशेष कदम :

- दुर्घटनाओं की बारंबारता कम कर 0.20 कर दी गयी – जो विगत वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 20 प्रतिशत की गिरावट है।
- संयंत्र को ओएचएसएस–18001:2007 मानक के लिए पुनः प्रमाणित किया गया।
- औद्योगिक सुरक्षा की प्रभाविता को बढ़ाने के लिए “अग्रिम पंक्ति के प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों की चुनौतियां विषयक औद्योगिक सुरक्षा” सेमिनार का आयोजन किया गया।
- विषम समय के दौरान आपातकालीन तैयारी की जांच करने के लिए दूरदराज के क्षेत्रों में रात्रि नकली अभ्यास किया गया।
- निदेशक (सुरक्षा), आरएलआई, चेन्नई, डीजीएफएसएलआई, भारत सरकार द्वारा एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
- मैसर्स बीवीसीआई द्वारा प्रक्रिया सुरक्षा प्रबंधन और व्यवहार आधारित सुरक्षा प्रबंधन पर दो विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
- बैंजोल संयंत्र में कार्यरत कर्मचारियों के लिए 5 नये किस्म के व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण शुरू किये गये।

9.4 एन एम डी सी लिमिटेड

एन एम डी सी की सभी परियोजनाओं में इसके प्रशिक्षण केंद्र हैं। उन्हें खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियमों के अंतर्गत जरूरी बुनियादी सुविधाओं से लैस किया गया है। ये केंद्र मौलिक प्रशिक्षण, रिफेशर ट्रेनिंग, कुशल कामगारों और यहां तक कि ड्यूटी के दौरान जख्मी होने वाले कामगारों के लिए भी प्रशिक्षण देते हैं। एन एम डीसी की प्रत्येक खनन परियोजना में खनन कार्यों और यांत्रिक एवं इलेक्ट्रिक संस्थापनाओं के लिए कानूनी प्रावधानों के मुताबिक पर्याप्त संख्या में कामगार निरीक्षकों का नामांकन/नियुक्ति की जाती है। हर चालू खान के लिए सुरक्षा समिति गठित की गई है और पिट सुरक्षा को लेकर हर महीने सुरक्षा बैठकें आयोजित होती रही हैं जहां कार्य वातावरण को लेकर सुरक्षा मामलों और सुधारात्मक उपायों पर चर्चा होती है।

वर्ष 2014–15 में (दिसंबर 2014 तक), प्रति 1000 मानव कार्य दिवसों पर 0.25 मानव कार्य दिवसों का नुकसान हुआ।

9.4.1 ओएचएसएस 18001:2007 प्रमाणीकरण:

एनएमडीसी की परियोजनाएं – बीआईओएम, किरन्दूल काम्प्लेक्स, बीआईओएम, बछेली काम्प्लेक्स एवं दोणिमलै लौह अयस्क खान और डीएमपी, पन्ना को ओएचएसएस 18001:2007 प्रमाणीकरण प्राप्त है।

9.4.2 सुरक्षा प्रबंध प्रणाली:

एनएमडीसी की सभी खानों में सुरक्षा प्रबंध प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है।

9.5 मॉयल लिमिटेड

माइन मेट, माइन फोरमेन और प्रशिक्षित माइनिंग इंजीनियर जैसे सक्षम सुपरवाइजरों द्वारा सभी खनन कार्यों पर नियमित नजर रखी जाती है। कार्य पारी के दौरान भी वर्कमैन निरीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, खान प्रबंधक और एजेंटों द्वारा सुरक्षा निरीक्षण किए जाते हैं। मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक के नेतृत्व में आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा खान सुरक्षा महानिदेशालय (डी जी एम एस) के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है और समय–समय पर इसका निरीक्षण किया जाता है।

खदानों में नियमित सुरक्षा समिति की बैठकें आयोजित की जाती हैं जहां कामगारों के प्रतिनिधियों की भागीदारी सुनिश्चित कर रोजाना के सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा होती है। असुरक्षित कार्यों और खदान दुर्घटनाओं का व्यापक विश्लेषण किया जाता है ताकि किसी घटना की पुनरावृत्ति न हो।

9.5.1 जोखिम मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन: सभी प्रमुख मैंगनीज खानों में जोखिम मूल्यांकन अध्ययन किया गया है। भूमिगत और ऊपरी खानों में विशेषज्ञों और सुरक्षा प्रबंधन योजना द्वारा डी जी एस की अपेक्षाओं के अनुरूप योजना तैयार की गई है। जोखिम प्रबंधन योजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों में जोखिम की पहचान करना, जोखिम मूल्यांकन की समीक्षा करना और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ–साथ जोखिम कम करने की योजनाएं तैयार करना है।

9.5.2 व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन (ओ एच ए एस 18001:2007): व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के क्षेत्र में मॉयल को बालाघाट, डोंगरी बुजुर्ग, चिकला, खांडरी, मनसार और गुमगांव तिरोड़ी और उकवा खानों के लिए ओ एच ए एस 18001:2007 प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है।



9.6 एम एस टी सी लिमिटेड

एम एस टी सी एक व्यापारिक संगठन है तथा इसका कोई संयंत्र/कार्यशाला नहीं है। परंतु एम एस टी सी के कार्यालयों में कार्यालय घंटों के दौरान डाक्टर की उपस्थिति सहित आवश्यक प्रबंध किए जाते हैं।

9.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एल)

कर्मचारियों को सुरक्षा सतर्कता और सुरक्षित कार्य प्रणालियां अपनाने के लिए प्रेरित करने की लगातार निगरानी की जाती है। कर्मचारियों के लिए सुरक्षा पहलुओं पर प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से पूरे वर्ष के लिए तैयार किए गए प्रशिक्षण कैलेंडर में सुरक्षा और संबद्ध विषयों पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद आदि जैसी एजेंसियों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं।

कंपनी द्वारा सुरक्षा दिवस समारोह आयोजित किए जाते हैं जिनमें सुरक्षा से संबद्ध विषयों पर वाद-विवाद प्रतियोगिता शामिल की जाती है। कर्मचारी ऐसी प्रतियोगिताओं में उत्साहित होकर भाग लेते हैं और विजेताओं को उपयुक्त पुरस्कार दिए जाते हैं। अग्नि जोखिमों के निवारण पर ज्ञान बढ़ाने के लिए संबंधित इस्पात संयंत्रों की अग्निशमन सेवा विभाग को मोक ड्रिल, अग्नि दुर्घटना के दौरान की जाने वाली कार्रवाई को प्रदर्शित करने और ऐसे अग्नि जोखिमों के निवारण के लिए रूपात्मकता सहित विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का अनुरोध किया जाता है। विभिन्न जारी उपस्करणों के प्रचालकों को स्वयं के संरक्षण और कार्य स्थल पर अग्नि जोखिम से बचने पर प्रशिक्षण करने के लिए नामित किया जाता है, जो संबंधित इस्पात संयंत्रों के अग्नि शमन सेवा विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है।

9.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

एच एस सी एल ने अपने क्रियाकलापों की प्रक्रिया के अनुरूप सुरक्षा प्रबंधन और प्रविधियों को पुख्ता बनाया है और कार्यस्थल पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निम्न कदम उठाए हैं:

- कंपनी के सुरक्षा मैन्युअल का प्रकाशन। निर्माण निकायों, जिनको निर्माण कार्यों को सम्पन्न करने के लिए कामगारों की जरूरत होती है, के लिए अपेक्षित न्यूनतम सुरक्षा प्रविधियां चिह्नित करने हेतु इस मैन्युअल को तैयार किया गया है। उपायों के प्रति जागरूक करने तथा उन्हें सुरक्षा सावधानियां बरतने और इस क्षेत्र में सामने आ रहे नए-नए उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए विकास कार्यक्रम भी तैयार किए गए हैं।
- निर्माण कामगारों के लिए सुरक्षा हैंड बुक का प्रकाशन जिसमें सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़े ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्माण स्थल पर ध्यान देना जरूरी है।
- कंपनी ने देश भर में फैली अपनी 25 से अधिक इकाइयों की सुरक्षा पहलुओं की निगरानी के लिए अपने मुख्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। इसके प्रमुख एक नोडल अधिकारी है जो सीधे सीएमडी को रिपोर्ट करता है।
- एक अधिकारी को प्रभारी सुरक्षा का जिम्मा देते हुए, कंपनी की प्रमुख इकाइयों में पूर्ण रूप से समर्पित सुरक्षा अधिकारियों के पद स्थापित किए गए हैं। छोटी इकाइयों में प्रत्येक में दो-दो सुरक्षा अधिकारी हैं और भिलाई स्थित बड़ी इस्पात इकाई में जहां प्रमुख क्षमता विस्तारीकरण पैकेजों पर काम चल रहा है, वहां एक सुरक्षा सलाहकार के साथ 11 सुरक्षा अधिकारी हैं।
- सुरक्षा से जुड़े मसलों पर विचार विमर्श करने और सुधार के लिए कार्रवाई करने एवं सुरक्षा उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने तथा दुर्घटनाएं, यदि कोई होती हैं, उनकी जांच करने के लिए विभिन्न प्रमुख इकाइयों में सुरक्षा समितियों का गठन किया गया है।
- आपातकालीन तैयारी योजना, जोखिम की पहचान और जोखिम का आंकलन परियोजना के निष्पादन से जुड़े कामगारों, पर्यवेक्षकों और कार्यपालकों के लिए प्रमुख इस्पात संयंत्र इकाइयों में नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

9.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन का डिजाइन और परामर्शदात्री कार्यालय हैं और इसकी कोई औद्योगिक इकाई नहीं है। मेकॉन ने सुरक्षा नीति विवरण तैयार किया है जिसे अभिविन्यास प्रशिक्षण के दौरान कर्मचारियों को नियमित रूप से सम्प्रेषित किया जाता है। सुरक्षा नीति विवरण की कुछ विशेषताओं को कंपनी के आचरण और अनुशासन तथा अपील नियमावली में शामिल किया गया है ताकि सुरक्षा नियमों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। इसके फलस्वरूप, मेकॉन में वर्ष के दौरान कोई दुर्घटना नहीं हुई है।

9.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल का प्रशिक्षण और सुरक्षा विभाग तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य केंद्र नामक अलग विभाग है जिसमें संयंत्र स्तर पर कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलुओं की देखभाल करने के लिए एक इंजीनियर और योग्य डाक्टर मिलकर प्रभारी हैं।

- के आई ओ सी एल व्यावसायिक जोखिमों और सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए ओएचएसएस 18001:2007 के अनुरूप है।
- कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण की जरूरत की पहचान करना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन नियमित रूप से किया जाता है।
- के आई ओ सी एल कार्यस्थल को दुर्घटना मुक्त क्षेत्र बनाने के लिए सुरक्षा के बारे में जागरूकता के सृजन के उद्देश्य से संयंत्रों में सतत आधार पर संयंत्रों में प्रत्येक वर्ष सुरक्षा सप्ताह मनाता है।
- सुरक्षा प्रबंध प्रणाली में कामगारों की सहभागिता कंपनी द्वारा अपनाई गई एक महत्वपूर्ण पद्धति है। क्षेत्रवार सुरक्षा समितियां बनाई जाती हैं। इन सुरक्षा समितियों में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित की जाती है।
- सुरक्षा जांच और ऑडिट नियमित अंतरालों पर की जा रही है (फैक्टरी नियमावली का अनुसरण करते हुए ऑडिट 6 महीनों में एक बार, सुरक्षा जांच महीने में एक बार और कामगारों की सहभागिता से सुरक्षा बैठकों का आयोजन तीन महीनों में एक बार किया जाता है)।
- सुरक्षा जागरूकता मन में बिठाने और मानव संसाधन विकसित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। उनके कार्य के क्षेत्र, प्रथम सहायता प्रशिक्षण, “व्यक्तिगत संरक्षात्मक उपस्करणों के महत्व” IMS (QMS+EMS+OHSMS) पर जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रचालन पर सतत विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, यांत्रिक विद्युत, इनस्ट्रूमेंटेशन आदि को कवर करते हुए पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण नियमित रूप से संचालित किए जाते हैं।
- कारखाना अधिनियम की अपेक्षाओं के अनुसार मोक ड्रिल छह महीने में एक बार किया जाता है।

9.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप के अंतर्गत खनन कंपनियां खनन गतिविधि अधिनियम, 1952, नियमावली, विनियमों के प्रावधान एवं दिशानिर्देशों के अनुसार खनन एवं संबंधित कार्यकलापों में लगे कर्मचारियों के लिए सुरक्षा उपाय करते हैं। संबंधित कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा उपायों, औजार एवं उपकरणों से लैस किया जाता है। खनन प्रचालन में विभिन्न गतिविधियों से जुड़ी सुरक्षित प्रविधियों को स्थानीय के साथ—साथ क्षेत्रीय आधार पर सुरक्षा प्रदर्शनी में कामगारों की भागीदारी के जरिए प्रदर्शित किया जाता है। ऐसी ही खानों में नियमित दौरों से नई प्रक्रियाओं का पता लगाकर उन्हें अपनाया जाता है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और विभिन्न अनुशासनों से और खानों में प्रचालनात्मक गतिविधियों में कामगारों को बुनियादी और पुनर्शर्चर्या प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कर्मचारियों ने इस क्षेत्र में वार्षिक खान सुरक्षा सप्ताह आयोजन समिति से पुरस्कार एवं सम्मान प्राप्त किए हैं।



अध्याय-X

समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण

10.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय और इसके अधीन आने वाले सरकारी उपक्रम समाज के कमज़ोर वर्गों के कल्याण संबंधी सरकारी दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। मंत्रालय में 17.02.2015 को 196 कर्मचारियों में से 48 अनुसूचित जाति (24.48 प्रतिशत), 12 अनुसूचित जनजाति (6.12 प्रतिशत) और 21 अन्य पिछड़े वर्ग (10.71 प्रतिशत) के थे। 1.4.2014 से 17.2.2015 तक की अवधि में किसी अनुसूचित जाति/जनजाति के कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की गई।

10.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सार्वजनिक उपक्रमों में नियुक्तियों में आरक्षण के लिए राष्ट्रपति के निर्देशों का निरंतर पालन किया जाता है। 31.12.2014 को कुल 95161 की जनशक्ति में से 15414 कर्मचारी (16.20 प्रतिशत) अनुसूचित जाति, 13426 कर्मचारी (13.2 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति श्रेणी और 10973 कर्मचारी (11.53 प्रतिशत) अन्य पिछड़ी श्रेणियों के थे।

सेल की खानों सहित इसके संयंत्र और इकाइयां देश के आर्थिक रूप से पिछड़े अजा/अजजा बाहुल्य क्षेत्रों में स्थित हैं। अतः सेल ने इन क्षेत्रों में नागरिकों के संपूर्ण विकास, चिकित्सा, शैक्षणिक और अन्य सुविधाओं के क्षेत्र में योगदान किया है। इसके कुछेक योगदानों का विवरण इस प्रकार है :

- गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की भर्ती, जो कि कुल कर्मचारियों का 85 प्रतिशत होता है, मुख्यतः क्षेत्रीय आधार पर संचालित की जाती है और इस प्रकार बड़ी संख्या में अजा/अजजा तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को सेल में रोजगार का लाभ प्राप्त होता है।
- पिछले वर्षों के दौरान इस्पात संयंत्रों के आसपास अनुषंगी उद्योगों के बड़े समूह भी विकसित हुए हैं। इसने नौकरियों और उद्यमवृत्ति विकास के लिए स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को अवसर प्रदान किए हैं।
- अस्थायी और अनिरंतर प्रकृति के रोजगारों के लिए सामान्यतः ठेकेदार स्थानीय क्षेत्रों से कामगारों को तैनात करता है, इससे भी आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं।
- सेल के इस्पात संयंत्रों की आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों में स्थापना ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाया है, इस प्रकार सेवाओं की विभिन्न किस्मों को प्रदान करने वाली जनसंख्या को समर्थन का लाभ दिया है।
- सेल द्वारा विकसित इस्पात नगर सर्वश्रेष्ठ चिकित्सीय, शैक्षणिक और नागरिक सुविधाओं से युक्त हैं और ये स्थानीय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य लोगों, जो सेल कर्मचारियों के साथ समृद्धि का लाभ उठाते रहे हैं, के लिए उम्मीद की किरण हैं।
- सेल ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी कई पहलें की हैं, जैसे कि :
- सेल के पांच एकीकृत इस्पात कारखानों के क्षेत्रों में विशेष रूप से गरीब तथा कमज़ोर वर्गों के बच्चों के लिए विशेष स्कूल शुरू किए गए हैं। यहां दी जा रही सुविधाओं में निःशुल्क शिक्षा, दोपहर का भोजन, जूतों सहित यूनिफार्म, किताबें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतल और कुछ मामलों में परिवहन सुविधाएं भी हैं। इन स्कूलों में इस समय 1600 से अधिक बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
- सेल संयंत्रों ने लगभग लुप्तप्राय: जनजाति बिरहोर के 15 बच्चों को गोद लिया है। इन्हें निःशुल्क शिक्षा, रहने-खाने की सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं भी प्रदान की जा रही हैं ताकि उनका संपूर्ण विकास हो सके।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों, चाहे वे सेल के कर्मचारियों के बच्चे हों अथवा नहीं, कंपनी द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों में पढ़ाई के लिए कोई ट्र्यूशन फीस नहीं ली जाती है।
- भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला, बोकारो में आसपास की गरीब अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा समाज के कमज़ोर वर्गों की जनता को निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, दवाएं देने के लिए निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं।

अध्याय-१

- किरिबुरु, गुआ और चिरिया की खानों के अस्पतालों के आसपास के गांवों के मनकी/मुंडा (रथानीय जनजातीय ग्राम प्रमुख) की सिफारिश पर अस्पतालों में दाखिल होने तथा इलाज कराने आने वाले, दोनों तरह के मरीजों का, निःशुल्क इलाज किया जाता है। इससे मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति समुदाय तथा समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है।
- आरक्षण नीति को बढ़ावा देने हेतु उठाये गये कदम :
- सेल कारखानों/इकाइयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु संपर्क अधिकारियों एवं अन्य डीलिंग अधिकारियों के लिए बाह्य विशेषज्ञ के जरिये नियमित अंतराल पर आंतरिक कार्यशालायें आयोजित की जाती हैं ताकि वे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण नीति और अन्य संबंधित मसलों पर अद्यतन जानकारी रख सकें।
- सेल के पास सेल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी फेडरेशन नामक एक शीर्ष स्तरीय संस्था है जो समन्वित आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के मसलों को प्रतिनिधित्व करता है। निदेशक (कार्मिक) के स्तर पर फेडरेशन के साथ बैठक नियमित आधार पर होती है।

10.3 राष्ट्रीय इस्पात लिमिटेड (आर आई एन एल)

दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार आर आई एन एल की कुल जनशक्ति 18191 थी, जिसमें से 3009 अनुसूचित जाति (16.54 प्रतिशत), 1320 अनुसूचित जनजाति (7.25 प्रतिशत) तथा 1960 अन्य पिछड़े वर्ग (10.77 प्रतिशत) थे।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का कल्याण :

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के कर्मचारियों के लिए मृत्युकोष योजना जनवरी, 2009 से शुरू की गई जिसके तहत किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में एसोसिएशन के सदस्यों के वेतन से 50 रुपए की कटौती की जाएगी और इस तरह से एकत्र की गई राशि मृत कर्मचारी के आश्रित को दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत अब तक 122 परिवारों को मदद मिली और वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर 2014 तक) 16 परिवारों को लाभ मिला है तथा ऐसे प्रत्येक परिवार को औसतन 2 लाख रुपए से कुछ अधिक की राशि प्राप्त हुई है।

डॉ. बी आर अम्बेडकर योग्यता पुरस्कार योजना के तहत अनुदान – अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियां

ये पुरस्कार केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के बच्चों के लिए हैं :

उत्तीर्ण परीक्षा	पाठ्यक्रम जिसमें प्रवेश मांगा गया	पुरस्कार की राशि	पुरस्कारों की सं.	
			अ.जा.	अ.ज.जा.
12वीं कक्षा/ इंटरमीडिएट परीक्षा	इंजीनियरिंग/वास्तुकला/चिकित्सा/पशु चिकित्सा/ दंत रोग/कृषि विज्ञान/ औषधि शास्त्र/विधि में डिग्री पाठ्यक्रम	पाठ्यक्रम की पूर्ण अवधि हेतु 1500 रुपये प्रति माह	8 (आठ)	4 (चार)

टिप्पणी : प्रत्येक समूह में दो वर्गों के लिए 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां मैरिट के आधार पर प्रदान की जाती हैं, चाहे कर्मचारी किसी भी कैडर का हो अर्थात् कार्यपालक या गैर-कार्यपालक और शेष 50 प्रतिशत छात्रवृत्तियां केवल गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के बच्चों के लिए नियत की गई हैं।

10.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी में 30.11.2014 की स्थिति के अनुसार कुल 5507 कर्मचारी थे, जिनमें से 972 कर्मचारी अनुसूचित जाति (17.65 प्रतिशत), 1160 अनुसूचित जनजाति (21.06 प्रतिशत) और 856 अन्य पिछड़े वर्ग (15.54 प्रतिशत) के थे। नीति के अनुसार निरंतर आधार पर अगले वर्ष में बैकलॉग रिक्ति को भरने के प्रयास किए जाते हैं और कंपनी अब तक आरक्षित रिक्तियों को भरने में सफल रही है।

10.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक श्रम प्रधान संगठन है जिसमें 31.12.2014 को 6390 कर्मचारी थे। इसमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लगभग 74.56 प्रतिशत थे, जिसमें से 43.87 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से हैं। मॉयल देश के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थित खानों के आसपास रहने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों के विकास में काफी रुचि ले रहा है। विवरण नीचे दिया गया है :

- खानों के निकट गांवों को गोद लिया गया तथा उन्हें पेयजल, सड़क अनुरक्षण, आवधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं तथा इन गांवों में रहने वालों को उपचार दिया जा रहा है।

- खनन क्षेत्र से लगे स्कूलों को वित्तीय सहायता, लेखन सामग्री, पुस्तकें आदि दी जा रही हैं।
- महिलाओं के विकास एवं स्वरोजगार के लिए सिलाई मशीनें प्रदान की गयीं।
- स्वरोजगार योजना के लिए प्रशिक्षण कक्षाओं का आयोजन किया गया।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तिपहिए वाहन दिए गए।

10.6 एमएसटीसी लिमिटेड

दिनांक 31.12.2014 को एमएसटीसी लिमिटेड में कुल कर्मचारियों की संख्या 310 थी जिनमें से अनुसूचित जाति के 61 (19.18 प्रतिशत), अनुसूचित जनजाति के 16 (5.0 प्रतिशत) और अन्य पिछड़े वर्ग के 51 (16.03 प्रतिशत) थे। अप्रैल-दिसंबर 2014 के दौरान भर्ती किए गए 14 व्यक्तियों में से 2 अनुसूचित जाति, 5 अन्य पिछड़ा वर्ग, जिसमें से 1 पीडब्ल्यूडी श्रेणी से संबंधित थे।

विभागीय पदोन्नति समितियों व चयन समितियों (भर्ती के समय) दोनों में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त हो।

वर्ष के दौरान 4 अनुसूचित जनजाति, 6 अनुसूचित जाति और 8 अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों को कंपनी के भीतर और सांस्थानिक प्रशिक्षण हेतु प्रायोजित किया गया।

इसके अतिरिक्त एम एस टी सी के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी परिषद को, जो मुख्य रूप से कंपनी के आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा का कार्य करती है, सभी संभव सहायता व सहयोग प्रदान किया गया।

10.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

दिनांक 31.12.2014 को कंपनी की कुल जनशक्ति 971 में से 187 अनुसूचित जाति (19.25 प्रतिशत), 112 अनुसूचित जनजाति (11.53 प्रतिशत) और 127 अन्य पिछड़े वर्ग (13.07 प्रतिशत) के कर्मचारी थे। 1.4.2014 से 31.12.2014 तक 1 अनुसूचित जाति और 6 अनुसूचित जनजाति की पदोन्नति द्वारा नियुक्ति की गई। एफएसएनएल द्वारा अपनाई गई पदोन्नति नीति तथा विभिन्न कल्याणकारी उपायों से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों के कमजोर कर्मचारियों को पर्याप्त लाभ मिल रहा है।

10.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

दिनांक 31.12.2014 को कंपनी के 132 कर्मचारियों में से 23 अनुसूचित जाति (17.42 प्रतिशत), 10 अनुसूचित जनजातियों (7.00 प्रतिशत) और 13 अन्य पिछड़े वर्ग (9.84 प्रतिशत) के थे। एचएससीएल ऐसे क्षेत्रों में जहां अधिकतर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारी रहते हैं, में स्कूल खोलने में सहायता प्रदान कर रहा है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और शारीरिक रूप से विकलांग कर्मचारियों को परियोजनाओं में स्कूल के मामले में यथोचित तरजीह प्राप्त होती है। कर्मचारियों को झाँपड़ियां बनाने के लिए भूमि दी गई है तथा इन स्थानों पर बिजली, पानी और साफ-सफाई की व्यवस्था आदि की गई है। पेयजल की आपूर्ति के लिए भी सहायता दी जाती है। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग तथा शारीरिक तौर से विकलांग कर्मचारियों की भर्ती और पदोन्नति में केंद्रीय सरकार के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाता है। कंपनी देश में नीचे तबके के लोगों के लाभ के लिए अन्य पीएसयूज की ओर से सी एस आर परियोजनाएं भी कार्यान्वित करती हैं।

10.9 मेकॉन लिमिटेड

दिनांक 31.12.2014 को कंपनी में 1593 कर्मचारियों में से 290 अनुसूचित जाति (18.20 प्रतिशत), 168 अनुसूचित जनजाति (10.54 प्रतिशत) एवं 189 अन्य पिछड़े वर्ग (11.86 प्रतिशत) के थे। मेकॉन समाज के कमजोर वर्ग के विकास एवं कल्याण के लिए अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति पूर्णतः सजग है। कंपनी ने उनके हितों की सुरक्षा के लिए और शामली कालोनी, रांची में सामुदायिक शिक्षण योजना, संसाधन सृजन योजना, व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, शेशायर होम में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, विकलांग लोगों की सहायता, ग्राम आधारित कार्यक्रमों, स्वस्थ पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं इत्यादि जैसी कल्याणकारी गतिविधियों के लिए पर्याप्त उपाय किए हैं।

10.10 केआईओसीएल लिमिटेड

दिनांक 31.12.2014 को कर्मचारियों की कुल संख्या 951 थी, जिनमें से 144 कर्मचारी अनुसूचित जाति (15.14 प्रतिशत) , 51 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (5.36 प्रतिशत) और 155 कर्मचारी अन्य पिछड़े वर्ग (16.29 प्रतिशत) के थे। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर 2014 तक), सभी वर्गों ए, बी, सी और डी एवं डीएस में कुल 246 कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया जिनमें से 41 कर्मचारी अनुसूचित जाति और 18 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति के थे।

कंपनी ने कुद्रेमुख और मंगलौर में एक आधुनिक नगरी, अस्पताल, मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराकर पूर्ण सुविधाएं मुहैया कराई हैं। यहां 10 प्रतिशत “ए” और “बी” टाइप के क्वार्टर एवं 5 प्रतिशत “सी” और “डी” टाइप के क्वार्टर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित हैं।

10.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

दिनांक 31.12.2014 को बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज में कर्मचारियों की कुल संख्या 1375 थी। कुल जनशक्ति का लगभग 81.67 प्रतिशत (1375 में से 1123), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के थे। इनमें से 305 अनुसूचित जाति (22.18 प्रतिशत), 650 अनुसूचित जनजातियों (47.27 प्रतिशत) और 168 अन्य पिछड़े वर्गों (12.21 प्रतिशत) के थे।



अध्याय—XI

सतर्कता

11.1 इस्पात मंत्रालय के सतर्कता प्रभाग की गतिविधियां

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) की सलाह पर नियुक्त संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सी बी ओ) मंत्रालय की सतर्कता इकाई का अध्यक्ष है। मुख्य सतर्कता अधिकारी एक निदेशक, एक अवर सचिव और सहायक कर्मचारियों के साथ मंत्रालय के सतर्कता ढांचे के अंतर्गत प्रमुख केंद्र बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं। सतर्कता इकाई इस्पात मंत्रालय और इसके प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अन्य बातों के साथ—साथ निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होती है :

- सरकारी कामकाज में सत्यनिष्ठा/दक्षता सुनिश्चित करने के लिए संवेदनशील कदाचार/प्रलोभन के क्षेत्रों की पहचान करना और निवारक उपाय करना।
- शिकायतों की जांच करना और उपयुक्त अन्वेषण उपायों की शुरूआत।
- इनका निरीक्षण करना और अनुवर्ती कार्रवाई।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) की अन्वेषण रिपोर्टों पर केंद्रीय सतर्कता आयोग (सी बी सी) को मंत्रालय की टिप्पणियां प्रेषित करना।
- सीवीसी या अन्य प्रकार के परामर्श पर विभागीय कार्रवाहियों के संबंध में उपयुक्त कार्रवाई करना।
- जहां कहीं आवश्यक हो सीवीसी का प्रथम और द्वितीय चरण का परामर्श लेना।
- सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सीवीओ की नियुक्ति।
- मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध आरोपों के संबंध में शिकायतों की उपर्युक्त कार्रवाई हेतु जांच करना।
- इस मंत्रालय में कार्यरत अधिकारियों और स्टाफ की अचल संपत्ति रिटर्नों का रखरखाव एवं जांच।
- मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सहायक कंपनियों सहित दस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कार्यरत है। सभी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में सतर्कता इकाई का एक सीवीओ प्रमुख होता है जिसकी नियुक्ति इस मंत्रालय द्वारा सीवीसी और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के साथ परामर्श से की जाती है।

मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सतर्कता गतिविधियों की समीक्षा करने के लिए अलग—अलग बैठकें आयोजित करता है तथा मासिक आधार पर स्थिति का विश्लेषण करता है और मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा समय—समय पर भेजे गए विवरणों की समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त पुराने मामलों के आधार पर मंत्रालय संबद्ध सार्वजनिक प्रतिष्ठानों के सतर्कता अधिकारियों से आवश्यकता पड़ने पर विचार—विमर्श भी करता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी से विभिन्न सतर्कता पहलुओं पर प्राप्त निर्देशों और मार्गदर्शी सिद्धांतों को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजा गया जिससे उनका अनुपालन सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात कार्य में हुई प्रगति पर नजर रखी गई और आवश्यक कार्रवाई की गई।

वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर 2014 तक) सीवीसी से 35 संदर्भ प्राप्त किए गए, इनमें से 21 को निपटा दिया गया है। अन्य स्रोतों से 102 शिकायतें प्राप्त हुई और 87 को निपटा दिया गया था।

अवधि के दौरान, इस्पात पीएसयू के सीवीओ के साथ बैठक आयोजित की गई जिनमें भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, ई—प्राप्ति को बढ़ाने, निर्धारित समय में डीपीसी करने, संवेदी पदों को धारण किए गए अधिकारियों के रोटेशन के संबंध में चर्चा की गई थी और इस्पात पीएसयू के सभी सीएमडी/सीवीओ को आवश्यक अनुदेश जारी किए गए थे। इस्पात पीएसयू के सभी सीएमडी को समय—समय पर सीवीसी, डीओपीटी और डीपीई द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने का अनुरोध भी किया गया था।

11.2 स्टील अर्थारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- सेल सतर्कता विभाग ऐसी निवारक और सक्रिय गतिविधियों पर जोर दे रहा है जिससे कि संगठन में नैतिकता के उच्च मानदंडों के साथ सत्यनिष्ठा, दक्षता और पारदर्शी तरीके से कार्य करने का माहौल तैयार किया जा सके। तदनुसार, अप्रैल –दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान निम्नलिखित गतिविधियां की गई थीं :
- सेल आदि में व्हीसल ब्लोअर नीति पर क्रय/अनुबंध प्रक्रियाओं, आरटीआई अधिनियम, आचरण एवं अनुशासन नियमावली, प्रणालियों और प्रक्रियाओं में सतर्कता जागरूकता बढ़ाने के लिए कुल 130 कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिनमें 3537 प्रतिभागियों ने भाग लिया।
- सेल के विभिन्न संयंत्रों/इकाइयों में कुल 2374 आवधिक निरीक्षण किए गए जिनमें फाइलों की जांच और संयुक्त निरीक्षण शामिल है।
- सतर्कता अन्वेषण और एवं निरोधात्मक सतर्कता गतिविधियों प्रमुख रूप से औचक जांच के कारण अनुमानित रूप से 14.64 करोड़ रुपये अर्जित हुए।
- सेल सतर्कता में निम्नलिखित चार (4) बल वाले क्षेत्रों को लिया गया है :
 - गतिविधि के सभी क्षेत्रों में ई–नीलामी (उल्टी नीलामी और वायदा नीलामी) और समयबद्ध ढंग से शत–प्रतिशत ई–भुगतान प्राप्त करना।
 - मुख्यतः तकनीकी जांचकर्ता, केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप 33 उच्च मूल्य की परियोजनाओं से संबंधित फाइलों की संवीक्षा।
 - एकल निविदा पूछताछ (नामांकन आधार) पर दिए गए संविदाओं की संवीक्षा।
 - उच्च मूल्य की कच्ची सामग्री की प्राप्ति, नमूना बनाने और जांच में सतर्कता बढ़ाना और कच्ची सामग्री के परीक्षण और नमूना बनाने के लिए स्वतः विश्लेषकों और स्वतः सेम्प्लर संस्थापित करना।
- सेल की खरीद/ठेका प्रविधि (पीसीपी), विगत अद्यतन वर्ष 2009 में किया गया था, पर सेल सतर्कता की पहल पर संशोधन के लिए कार्य आरंभ किया गया। अद्यतन पीसीपी अर्थात् निविदाओं और खरीद से जुड़े सीधीसी दिशानिर्देशों के अनुरूप पीसीपी 14 को 01.09.2014 से कार्यान्वित किया गया है।
- सेल के मानक बोली दस्तावेज (एसबीडी), विगत अद्यतन वर्ष 2009 में किया गया था, पर संशोधन के लिए कार्य आरंभ किया गया। अन्य के अलावा सतर्कता विभाग के सुझाओंको शामिल करते हुए अद्यतन एसबीडी को अक्टूबर 2014 से कार्यान्वित किया गया है।
- सेल का कार्मिक विभाग सेल सतर्कता की सिफारिश पर सेल में सभी भर्तियों/पदोन्नतियों के लिए नीतियां/सिद्धांत निर्धारित करने के लिए व्यापक भर्ती नियम पुस्तिका तैयार कर रहा है।
- क्रियान्वित प्रणाली की कुशलता को मानीटर करने के लिए सेल के सतर्कता विभाग आई एस ओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली के अभिन्न अंग के रूप में आंतरिक लेखापरीक्षा कर रहे हैं।
- सेल सतर्कता की घरेलू पत्रिका “इंसपिरेशन–प्रेरणा” का नियमित रूप से प्रकाशन किया जा रहा है। पाठकों में जागरूकता बढ़ाने के लिए उपर्युक्त प्रकाशन में मामले अध्ययन, जाने–माने व्यक्तियों के आलेख, नीतिगत मामलों पर क्विज आदि शामिल किए जाते हैं।
- सेल के सभी संयंत्रों/इकाइयों में “भ्रष्टाचार का मुकाबला – टेक्नोलॉजी एक मददगार के रूप में” विषय पर 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 आयोजित किया गया।

11.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल के सतर्कता विभाग ने कंपनी में पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए सतर्कता की आवश्यकता न पड़ने के उपायों पर विशेष रूप से बल दिया। कंपनी में पारदर्शिता और निष्ठा को बढ़ावा देने के लिए अप्रैल–दिसंबर 2014 में निम्नलिखित गतिविधियां आयोजित की गई थीं :

- 221 प्रणाली निगरानी निरीक्षण किए गए जिनमें 34 गुणवत्ता निरीक्षण और 60 रेक/सड़क पर भार की जांच कार्य शामिल हैं।



आरआईएनएल को नियमित सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार

- सतर्कता निवारण पर 19 सतर्कता जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।
- सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 “भ्रष्टाचार का मुकाबला – टेक्नोलॉजी के मददगार के रूप में” विषय पर सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 आयोजित किया गया। स्कूली बच्चों, कर्मचारियों और उनके आश्रितों तथा अन्य हिस्सेदारों की सहभागिता से जागरूकता के सृजन के लिए बहुत से कार्यक्रम जैसे शपथ ग्रहण, पोस्टरों का प्रदर्शन, निबंध लेखन, विवेज़ एवं वाद-विवाद प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।
- आर आई एन एल के दो सतर्कता अधिकारियों ने राष्ट्रीय सतर्कता उत्कृष्टता पुरस्कार-2014 प्राप्त किया है।

11.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी के सतर्कता विभाग ने वर्ष के दौरान अनेक पहल की हैं। नियम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता मामलों के प्रति जागरूकता हेतु विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। वर्ष के दौरान (अप्रैल–नवंबर 2014 तक), 87 बार अचानक जांच, 63 नियमित जांच और 16 सीटीई जांच की गई। प्राप्त शिकायतों की जांच की गयी और जहां जरूरी लगा वहां आवश्यक अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की गयी।

एन एम डी सी में सतर्कता विभाग गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को पुष्ट करने वाले आईएसओ 9001:2008 के तहत सतर्कता विभाग की आंतरिक तिमाही पत्रिका “स्फूर्ति” समय पर प्रकाशित की जा रही है।

सभी लेन-देनों में ‘पारदर्शिता के लिए प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने’ के कार्यान्वयन के भाग के रूप में 30 लाख रुपए से ऊपर की सीमित निविदा पूछताछ के बारे में सूचना 10 लाख रुपए के ऊपर के निष्पत्ति किए गए ठेकों के ब्यौरे, नामांकन के आधार पर दिए गए कार्य, 1 लाख रुपए एकल निविदा आधार, ठेकेदारों को बिलों के भुगतान के संबंध में सूचना कंपनी की वेबसाइट पर दी जा रही है। ई-प्राप्तण, ई-निविदा, ई-नीलामी को प्रोत्साहित करने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।

एन एम डी सी ने सत्यनिष्ठा समझौते नवम्बर, 2007 से कार्यान्वयन के लिए अपनाया है। सिविल निर्माण कार्यों और ठेकों के मामले में 20 करोड़ रुपए और खरीद के मामले में 10 करोड़ रुपए की प्रारंभिक सीमा का पालन किया जा रहा है। आज तक सत्यनिष्ठा समझौता 20131.65 करोड़ रुपए मूल्य के साथ 75 ठेकों में प्रविष्ट किया गया है। इस प्रकार ठेकों के कुल मूल्य के 90 प्रतिशत से अधिक को सत्यनिष्ठा समझौते के तहत कवर किया गया है। इसके अतिरिक्त ई-खरीद और ई-नीलामी का कार्यान्वयन शुरू किया गया है।

अध्याय—XI

‘भ्रष्टाचार का मुकाबला – टेक्नोलॉजी एक मददगार के रूप में’ विषय पर 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया।

11.5 मॉयल लिमिटेड

सतर्कता विभाग के कार्यकरण में निवारक के साथ–साथ दंडात्मक सतर्कता शामिल है और मुख्य बल संगठन में प्रणाली सुधारों पर है। वर्ष 2014 के दौरान सतर्कता विभाग की विभिन्न गतिविधियां निम्नानुसार हैं:

- सतर्कता विभाग का आईएसओ—9001:2008 प्रमाणपत्र मई 2014 से पुनः वैध किया गया है।
- 42 सामान्य एवं औचक जांच और 25 फाइलों की समीक्षा की गयी।
- स्क्रैप एवं अधिशेष मदों का निपटान एवं मैंगनीज ओर की बिक्री ई–नीलामी के जरिये किया जा रहा है। एक सीमा मूल्य से अधिक खरीद एवं कार्य ठेकों के लिए ई–खरीद की जा रही है। सीमा मूल्य खरीद के लिए 10 लाख रुपये और कार्य ठेकों के लिए 1 करोड़ रुपये है।
- नियामक, कार्यान्वयन गतिविधियों का निस्तारण करने और शिकायतों का निवारण करने के लिए वेबसाइट और मददगार टेक्नोलॉजी का प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। प्रमुख क्षेत्र ठेके और खरीद, ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं/परामर्शदाताओं/विक्रेताओं इत्यादि के पंजीकरण के आवेदनों से संबंधित हैं। ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओंको बिल अदायगी की स्थिति को वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। सभी निविदा दस्तावेज, भर्ती और स्थिति के लिए ऑनलाइन आवेदन, सूचनाएं और अन्य प्रपत्रकों को वेबसाइट पर डाला जाता है।
- विभिन्न मैन्युअलों यथा खरीद मैन्युअल, कार्य एवं ठेका मैन्युअल, कार्मिक मैन्युअल, विपणन मैन्युअल इत्यादि तैयार किये गये हैं और इनको वेबसाइट पर डाला गया है।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जाती है कि 30 लाख रुपये से अधिक सीमा मूल्य के जारी निविदाओं/ठेकों को नियमित रूप से वेबसाइट पर डाला जाये और निगरानी की जाये।
- पदों की संवेदनशीलता और अवधि पूर्णता को देखते हुए जॉब रोटेशन के लिए 27 पद चिह्नित किए गये हैं।
- मॉयल के सभी केंद्रों/कार्यालयोंमें 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया। इस अवसर पर सतर्कता विभाग ने “सुचिता” सतर्कता पत्रिका के तीसरे वार्षिक अंक का विमोचन किया।



अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, मॉयल द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2014 का उद्घाटन

11.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी संगठन में शुद्धता, सत्यनिष्ठा और कुशलता को बनाए रखने के लिए भ्रष्टाचार पर “शून्य बर्दाशत” (जैडटी) की नीति का लगातार अनुसरण कर रहा है। इस संबंध में किए गए उपायों की मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं:

- सत्यनिष्ठा समझौता : एम एस टी सी ने पारदर्शिता इंटरनेशनल के साथ वर्ष 2007 में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एक बाह्य स्वतंत्र मानीटर कार्यान्वयन और इसकी प्रगति को मानीटर करता रहा है।
- आकस्मिक संवीक्षा और संपत्ति विवरणियों की जांच।
- व्हिसल ब्लॉअर स्कीम को क्रियान्वित किया गया है।
- कंपनी की वेबसाइट में केंद्रीयकृत लोक शिकायत समाधान और मानीटरिंग प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है।
- सतर्कता मुद्दों पर संरचित बैठकों के माध्यम से सीएमडी के साथ आवधिक चर्चा की जाती है, सचिव (इस्पात) के साथ समीक्षा बैठकें और जांच एजेंसियों के साथ समन्वय बैठकें की जाती हैं।
- क्षेत्रों और शाखाओं में सतर्कता जागरूकता कार्यशाला/प्रशिक्षण आयोजित/रखा जाता है।
- 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह आयोजित किया गया।

11.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

वर्ष के दौरान एफएसएनएल के सतर्कता विभाग ने निरोधक सतर्कता पर विशेष जोर दिया है एवं संगठन की व्यवस्था में सुधार जन्य अनेक पहल की हैं, जो संक्षेप में निम्नवत हैं:

- 13 शिकायतों की जांच एवं रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी।
- सतर्कता विभाग द्वारा एफएसएनएल की प्रचालन गतिविधियों की मौजूदा प्रणाली का अध्ययन किया गया।
- भर्ती नीति की समीक्षा की गयी।
- सतर्कता विभाग ने एफएसएनएल के खरीद मैन्युअल अद्यतन करने के लिए पहल की है।
- “भ्रष्टाचार का मुकाबला – टेक्नोलॉजी के मददगार एक मददगार रूप में” विषय पर 27.10.2014 से 01.11.2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 आयोजित किया गया।
- एफएसएनएल ने आरंभ में ज्यादा खरीद मदों हेतु ई-खरीद के लिए एमएसटीसी पोर्टल की सेवाएं लेनी शुरू कर दी हैं और बाद में चरणबद्ध तरीके से अन्य मदों के लिए भी इसका उपयोग किया जायेगा। इसके अलावा, सभी खुली निविदाएं कंपनी के वेबसाइट पर डाली जायेंगी। सभी सीमित निविदा पूछताछ जो 20 लाख और अधिक मूल्य की हों, के बारे में जानकारी भी कंपनी के वेबसाइट पर डाली जा रही हैं।

11.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी के सतर्कता विभाग का प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी है। कंपनी के मुख्यालय के साथ-साथ इसकी इकाइयों में 27 अक्टूबर से 1 नवम्बर 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया। कंपनी की छह प्रमुख इकाइयों में सतर्कता जागरूकता और परियोजना प्रबंध पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ई-निविदा को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। एचएससीएल अब ई-खरीद का अनुपालन करने वाली कंपनी है। ठेकेदारों के बिलों के भुगतान की स्थिति को नियमित आधार पर बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जा रहा है। निविदा प्रक्रिया की वीडियो रिकार्डिंग की जा रही है।

11.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड के सतर्कता विभाग द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, जिनका संक्षेप में विवरण नीचे दिया गया है :

रांची स्थित मेकॉन मुख्यालय के साथ-साथ विभिन्न क्षेत्रीय/कार्यस्थलों पर 27 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2014 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2014 मनाया गया।

अध्याय—XI

मेकॉन में सत्यनिष्ठा समझौता लागू करना : मेकॉन ने 73 सप्लायरों/ठेकेदारों के साथ सत्यनिष्ठा समझौते (आईपी) पर हस्ताक्षर किए हैं (सीमा मूल्य 1 करोड़ रुपए)। यह समझौता एनआईटी दस्तावेज का भाग है और मेकॉन की वेबसाइट पर प्रत्येक एनआईटी के साथ डाउनलोड योग्य स्वरूप में अपलोड किया जाता है। सभी निविदाकर्ताओं को अपनी निविदाएं दाखिल करते समय सत्यनिष्ठा समझौते पर हस्ताक्षर करने होते हैं।

निष्पक्ष बाह्य निरीक्षक (ईआईएम) का कार्य कर रहा है। अब तक आईपी के तहत ठेकों और निविदाओं के मामलों में कोई प्रतिवेदन/शिकायत/विवाद प्राप्त नहीं हुआ है।

मेकॉन में ई—खरीद और ई—भुगतान लागू करना : मूल्य का ध्यान किए बिना अधिक पारदर्शिता के लिए निविदा दस्तावेज, ड्राईंग और डाटा, तकनीकी विनिर्देशन डाउनलोड किए जाने वाले रूप में मेकॉन की वेबसाइट पर अपलोड किए जाते हैं। सभी अपेक्षित निविदाएं सीपीपी पोर्टल पर भी अपलोड की जाती हैं। दिये गये ठेकों/जारी खरीद आदेशों का विवरण मेकॉन वेबसाइट पर डाला जाता है। नयी निविदाओं और पुरानी विविदाओं का विवरण भी संदर्भ के लिए मेकॉन वेबसाइट पर डाला जाता है। विक्रेता पंजीकरण और नवीकरण हेतु आवेदन पत्रों को डाउनलोड किए जाने वाले रूप में मेकॉन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है। वेबसाइट पर आवेदन पत्र की स्थिति भी उपलब्ध है। स्थानीय विक्रेताओं की छोटी राशि के बिलों को छोड़कर, विक्रेताओं को सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एन ई एफ टी/आर टी जी एस मोड) के माध्यम से किए जा रहे हैं। बिक्री कर, सेवा कर आदि के लिए भुगतान भी आर टी जी एस/एन ई एफ टी के माध्यम से किए जाते हैं। नयी परियोजनाओं के संबंध में विक्रेताओं को अपने बिलों की स्थिति का पता लगाने में मदद के लिए मेकॉन में सभी बीजक/बिलों को अपलोड करने की वेब इनेबल्ड बिल वॉच प्रणाली शुरू की गयी है।

सतर्कता विभाग, मेकॉन, रांची का आईएसओ प्रमाणपत्र : मेकॉन सतर्कता विभाग का अपना सतर्कता गुणवत्ता मैन्युअल है और सुस्थापित गुणवत्ता प्रबंधन आईएसओ 9001:2008 का अनुसरण करता है। टीयूवी इंडिया ने इस आशय का एक प्रमाणपत्र प्राप्त हुआ है जो 26.11.2015 तक वैध है। टीयूवी इंडिया ने 13.10.2014 को सतर्कता विभाग, मेकॉन, रांची की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (क्यूएमएस) का वार्षिक निगरानी ऑडिट 2014 किया जिसमें टीयूवी इंडिया ने सतर्कता विभाग द्वारा अनुपालित क्यूएमएस पर संतोष व्यक्त किया।

11.10 केआईओसीएल लिमिटेड

सत्यनिष्ठा समझौता कार्यक्रम : सत्यनिष्ठा समझौता के आई ओ सी एल में 1 जनवरी, 2008 को लागू किया गया। आई पी खंड को नियमित करके वर्ष 2014 के दौरान 112 निविदाएं जारी की गई हैं।

आईएसओ 9001:2008 : सतर्कता विभाग के आईएसओ 9001—2008 प्रमाणपत्र पुनः वैध किया गया है और यह 10.02.2016 तक वैध है।

वार्षिक संपत्ति विवरणियों को प्रस्तुत करना : वार्षिक संपत्ति विवरणियों को प्रस्तुत करना आनलाइन किया गया है। संगठन में 312 कार्यपालक हैं। सीवीसी के दिशानिर्देशों के अनुसार उपर्युक्त के 20 प्रतिशत की हर वर्ष संवीक्षा की जानी है। तदनुसार, वर्ष के दौरान 63 अधिकारियों की वार्षिक संपत्ति विवरणियों की संवीक्षा की गई थी।

निरीक्षण : मानदंडों के अनुपालन को सुनिश्चित करने और विपणनों को समाप्त करने के लिए नियमित रूप से निरीक्षण किए जा रहे हैं। वर्ष 2014 के दौरान, 4 सीटीई निरीक्षण, 38 औचक जांच, 36 सामान्य निरीक्षण और फाइलों की 37 संवीक्षा की गई थी।

ई—गवर्नेंस : सितम्बर 2004 से स्क्रैप का निपटान ई—नीलामी से हो रहा है। सितम्बर, 2010 से ई—खरीदारी रिवर्स नीलामी के माध्यम से की जाती है। ई—खरीदारी की प्रथम सीमा 5 लाख रुपए व अधिक मानी गई है। प्रारंभिक सीमा अर्थात् 1 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सभी भुगतान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किए जा रहे हैं।

11.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बीजीसी का सतर्कता विभाग के अध्यक्ष आर आई एन एल के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) है, और उसकी सहायता कोलकाता मुख्यालय में एक सतर्कता अधिकारी और सीवीओ के पीएसओ करते हैं। इसके अतिरिक्त दोनों ओएमडीसी खानों, ठकुरानी और बीएसएल खाने, बिरमित्रापुर के लिए दो सतर्कता अधिकारी (अतिरिक्त प्रभार) नियुक्त किए गए हैं। सतर्कता विभाग के कार्यों में कंपनी की सभी खानों के लिए और कोलकाता में पंजीकृत कार्यालय के लिए निवारक और दंडात्मक कार्रवाई शामिल है। कंपनी का सतर्कता विभाग अधिक से अधिक पारदर्शिता लाने के लिए क्रमबद्ध सुधार के लिए अपने



प्रयास कर रहा है और कर्मचारियों में सतर्कता जागरूकता का सृजन करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के परस्पर बातचीत सत्र चला रहा है। कंपनी नवम्बर माह के दौरान हर वर्ष “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाती है।

निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रणाली सुधार प्राप्त/सुधारे गए हैं :

- सभी सेवा नियमों का संहिताकरण किया गया है और उनका कार्यान्वयन बोर्ड के अनुमोदन से किया जा रहा है।
- सभी भुगतानों का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संवितरण।
- हिस्से ब्लॉअर नीति को अपनाना।
- शिकायत प्रबंधन नीति को अपनाना।
- कंपनी की खानों में निगरानी प्रणाली की संस्थापना के लिए पहल।
- दैनिक आधार पर उत्पादन, बिक्री, निधि की स्थिति पर सूचना एकत्रित करने के लिए मुख्यालय में एन आई एस प्रणाली को अशोधित किया गया है।
- सामग्री की ई—नीलामी के माध्यम से बिक्री।
- बीजीसी, सतर्कता विभाग के लिए गतिविधियों के संपूर्ण सेट का सतर्कता प्रबंध में आईएसओ 9001:2008 का प्रमाणन का कार्यान्वयन।
- सभी महत्वपूर्ण निकास बिन्दुओं पर तोल सेतु की संस्थापना और ऐसे तोल सेतुओं को कम्प्यूटर के साथ जोड़ा जाएगा ताकि विभिन्न प्लाट/स्टॉक यार्ड में प्राप्त खनिजों की स्वतः रिकार्डिंग को सुनिश्चित किया जा सके ताकि डाटा का दिन—प्रतिदिन के आधार पर मिलान किया जा सके। यह चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है।

अध्याय—XII

शिकायत निवारण तंत्र

12.1 केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली

मंत्रालय और उसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जन शिकायतों को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) लागू की गई है। सी पी जी आर ए एम एस निकनेट पर एक ऑनलाइन वेब प्रणाली है जिसे एनआईसी ने प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (डी ए आर पी जी) के साथ मिलकर तैयार किया है। इसका उद्देश्य भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संगठनों की शिकायतों का तेजी से निपटारा और उनकी प्रभावकारी मॉनीटरिंग करना है। शिकायत निवारण कार्य का पूरा चक्र है : (i) नागरिक द्वारा शिकायत को दर्ज करना; (ii) संगठन द्वारा शिकायत दर्ज किए जाने की पुष्टि; (iii) आगे की कार्रवाई के संबंध में शिकायतों का आकलन; (iv) आगे बढ़ाना और हस्तांतरण; (v) स्मरणपत्र और स्पष्टीकरण; तथा (vi) मामले का निपटारा।

01.4.2014 से 31.12.2014 तक सी पी जी आर ए एम एस के अंतर्गत निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

01.04.2014 को शेष शिकायतें	01.04.2014 से 31.12.2014 तक प्राप्त	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाई गई	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
24	300	279	45

इस्पात मंत्रालय में संशोधित सेवोत्तम अनुरूप नागरिक/ग्राहक चार्टर को अंतिम रूप दिया गया है और क्रियान्वित किया गया है। मंत्रालय और इस्पात पीएसयू में “सात उपाय आदर्श नागरिक केंद्रिक—सेवोत्तम” को अपनाने की व्यौरेवार स्थिति अनुबंध—XVI में दी गई है।

केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के फैसलों/आदेशों पर कार्यान्वयन की स्थिति अनुबंध—XII में दी गई है।

12.2 स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल)

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में एक प्रभावकारी आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र मौजूद है। इसमें कार्यपालकों और गैर—कार्यपालकों के लिए अलग—अलग व्यवस्था है। सेल में शिकायत की प्रक्रिया कर्मचारियों, ट्रेड यूनियनों और संगठनों के साथ लगातार बातचीत और उनकी सहमति के बाद शुरू की गई।

सेल के संयंत्रों और इकाइयों में शिकायतों से 3 स्तरों में निपटा जाता है और कर्मचारियों को हर चरण में एक मौका दिया जाता है ताकि वे वेतन अनियमितताओं, कार्य परिस्थितियों, तबादले, छुट्टी, उन्हें सौंप गए कार्य और कल्याणकारी सुख—सुविधाओं आदि से जुड़ी शिकायतों को हर स्तर पर उठा सकें। शिकायत प्रबंधन की व्यवस्था के जरिए इनसे कारगर तरीके से निपटा जाता है। हालांकि इस्पात कारखानों के सहयोगपूर्ण वातावरण को देखते हुए अधिकतर शिकायतों को अनौपचारिक तरीके से ही निपटा दिया जाता है। यह प्रणाली व्यापक, सरल और लचीली है और कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को संवर्धित करने में प्रभावी सिद्ध हुई है।

01.04.2014 से 31.12.2014 के बीच शिकायतों/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति इस प्रकार है:

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	08	261	191	78
कर्मचारी शिकायतें	14	560	562	12

12.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल)

आर आई एन एल में, कर्मचारियों की शिकायतों का निवारण करने के लिए पृथक सुनियोजित एवं औपचारिक शिकायत निवारण प्रणालियाँ हैं। गैर—कार्यपालकों की औपचारिक शिकायत प्रणाली के अंतर्गत समिति में कामगारों का एक प्रतिनिधि



उपस्थित होता है। इसके अलावा, कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक दोनों की शिकायत निवारण प्रणालियों में शिकायतों का निवारण करने के लिए समय-सीमा निश्चित की गई है। जन शिकायतों का निपटारा करने के लिए महाप्रबंधक स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को विशेष कार्य अधिकारी (जन शिकायतों) के रूप में नियुक्त किया गया है।

01.04.2014 से 31.12.2014 तक की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	1	10	11	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	1	शून्य	1

12.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी में शिकायत निवारण तंत्र मुख्यालय में एक कार्यपालक निदेशक और चार उत्पादन परियोजनाओं में प्रत्येक के परियोजना प्रमुख के नेतृत्व में काम करता है। सीधीओं को शिकायत निवारण तंत्र की निगरानी के लिए नोडल अधिकारी मनोनीत किया गया है। शिकायतें दर्ज करने के लिए एन एम डी सी की वेबसाइट के होम पेज पर जन शिकायतों के लिए भारत सरकार के पोर्टल के लिए “लिंक” दिया गया है।

01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति:

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	2	1	3	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	42	42	शून्य

12.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में कार्यपालक तथा गैर-कार्यपालक कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण की अपनी प्रक्रिया है। मॉयल में शिकायतों की निपटान व्यवस्था में प्रत्येक इकाई के लिए एक शिकायत अधिकारी मनोनीत किया जाता है। मुख्यालय में मनोनीत शिकायत अधिकारी कारगर तरीके से काम करने के लिए प्रत्येक इकाई के शिकायत अधिकारी के साथ समन्वय रखता है। मुख्यालय में निगरानी इकाई से प्राप्त आंकड़ों, शिकायत अधिकारी से हर महीने मिलने वाली रिपोर्ट और यहां तक कि मुख्यालय अधिकारियों के निरीक्षण के आधार पर मिलने वाली रिपोर्ट के जरिए शिकायतों पर निगरानी रखी जाती है।

01.04.2014 से 30.11.2014 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	419	419	शून्य

12.6 एमएसटीसी लिमिटेड

कंपनी ने वेबसाइट www.mstcindia.co.in शुरू की है तथा इसे जन शिकायतों के निपटान के साथ जोड़ा गया है। इस वेबसाइट पर खरीदार/संबद्ध व्यक्ति अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और वे दर्ज शिकायतों के लिए यह पोर्टल एक अनोखे सिस्टम से तैयार कोड उपलब्ध कराता है जिससे ऑनलाइन रजिस्टर की गई शिकायतों पर हो रही प्रगति देखी जा सकती है। वे आनलाइन पंजीकृत शिकायत की प्रगति भी देख सकते हैं।

अध्याय—XII

इसके अलावा, सीपीजीआरएएमएस (केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और मानीटरिंग प्रबंध) पर लिंक एमएसटीसी की कारपोरेट वेबसाइट के होम पृष्ठ पर भी दिया गया है जिसको नामित अधिकारियों द्वारा मानीटर किया जाता है।

विभिन्न क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में शिकायत कक्ष भी गठित किए गए हैं ताकि शिकायतों को तत्काल छांटा जा सके और मामलों के समाधान के लिए कार्रवाई की जा सके।

कर्मचारियों की शिकायतों की विभागाध्यक्ष और क्षेत्रीय/शाखा प्रबंधकों द्वारा देखभाल की जाती है। कुछ शिकायतें डाक द्वारा केंद्रीय शिकायत कक्ष में भी प्राप्त होती हैं। इसके अलावा, एचआर विभाग कार्यालय को दिन-प्रतिदिन चलाने में कर्मचारियों से प्राप्त विभिन्न औपचारिक/अनौपचारिक शिकायतों को विभागाध्यक्ष और स्टाफ यूनियनों, जहां कहीं भी आवश्यक हो, के साथ परामर्श से जांच करता है।

01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि में जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	19	13	6
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि में प्राप्त जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति:

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	1	6	7	0

12.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

वर्ष 2014–15 के दौरान (दिसंबर 2014 तक) में जन/कर्मचारी शिकायतों के निपटान के संबंध में अनुपालन किया गया है।

12.9 मेकॉन लिमिटेड

जन शिकायतें

आमतौर पर मेकॉन का जनता से कार्य व्यापार नहीं होता है। लेकिन यदि किसी प्रकार के उत्पीड़न से जुड़ी कोई निश्चित शिकायत मिलती है तो उसे एक शिकायत के रूप में लिया जाता है। उपभोक्ता की शिकायतों को अत्यंत गंभीरता से लिया जाता है और उनका निस्तारण किया जाता है। सामान्य तौर पर ठेकेदारों/उपभोक्ताओं या जनता की कोई शिकायत लंबित नहीं है। मेकॉन ने जन शिकायतों के लिए केंद्रीयकृत जन शिकायत निवारण और मॉनीटरिंग प्रणाली (सी पी जी आर ए एम एस) के अंतर्गत नोडल अधिकारी नामजद किया है तथा इस नोडल अधिकारी का नाम कार्मिक एवं जन शिकायत मंत्रालय की वेबसाइट पर रखा गया है।

कर्मचारियों की शिकायतें

मेकॉन में कर्मचारियों की शिकायतों के निपटारे के लिए तीन स्तरीय प्रक्रिया अपनाई जाती है। कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करने और उनके निपटारे की सिफारिश कार्यपालक और गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की एक शिकायत सलाहकार समिति करती है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के कर्मचारियों के लिए भी अलग से एक प्रकोष्ठ है। फिलहाल कहीं से भी किसी कर्मचारी की कोई शिकायत नहीं मिली है। सामान्य तौर पर गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में कर्मचारी अपने मुद्दों/शिकायतों को उनके द्वारा निर्वाचित मेकॉन कर्मचारी यूनियन (एमईयू) के माध्यम से और कार्यपालक कर्मचारियों के मामले में मेकॉन एक्जीक्यूटिव एसोसिएशन (एमईए) के माध्यम से रखने को प्राथमिकता देता है जिन्हें कंपनी ने मान्यता दे रखी है।



12.10 के आई ओ सी एल लिमिटेड

के आई ओ सी एल ने मार्च 1977 में अनुशासन संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायतों के निपटारे के लिए एक सुपरिभाषित प्रक्रिया तैयार कर ली थी जिसके दायरे में कार्यपालक और गैर-कार्यपालक सभी कर्मचारियों को रखा गया। शिकायतों के बारे में आसानी से पता लग जाता है और निचले स्तर पर ही उनका निपटान कर दिया जाता है। के आई ओ सी एल के पास विवाद समाधान तंत्र सहित सु-संरचित और बहु-स्तरीय लोक शिकायत निवारण तंत्र है। के आई ओ सी एल में लोक समाधान स्थापना बंगलौर में नियमित कार्यालय से लेकर सभी उत्पादन यूनिटों और संपर्क कार्यालयों में लागू की गई है। सभी स्थानों पर लोक शिकायत अधिकारी नामित किए जाते हैं। शिकायतकर्ता इन कार्यालयों से व्यक्तिगत रूप से या लिखित शिकायत या ई-मेल के माध्यम से सम्प्रेषण या टेलीफोन पर संपर्क कर सकता है। नियमित अंतरालों पर नियमित ग्राहक बैठक आयोजित की जाती है।

01.04.2014 से 31.12.2014 की जन/कर्मचारी शिकायतों की स्थिति :

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

12.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज में नियमित और इकाई स्तरों पर शिकायत निपटान व्यवस्था लागू है। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम कंपनी की वेबसाइट में प्रदर्शित किए गए हैं।

शिकायतों के प्रकार	01.04.2014 को शेष शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान प्राप्त शिकायतें	अप्रैल, 2014 से दिसंबर, 2014 के दौरान निपटाई गई शिकायतें	31.12.2014 को लंबित शिकायतें
जन शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
कर्मचारी शिकायतें	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

अध्याय—XIII

निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों का कार्यान्वयन

13.1 इस्पात मंत्रालय

इस्पात मंत्रालय निःशक्त जन अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन से जुड़े सभी सरकारी नियमों का पालन करते हैं। इस्पात मंत्रालय में 17.02.2015 की स्थिति अनुसार, तीन (एक नेत्र से निःशक्त, एक सुनने से निःशक्त और एक हड्डियों से निःशक्त) व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ है।

13.2 स्टील अथॉरिटी आफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

- निःशक्त जन (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 के अनुच्छेद 33 की दृष्टि से निःशक्त जन के लिए आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का सेल के संयंत्रों/इकाइयों में अनुसरण किया जा रहा है।
- सेल अपने कर्मचारियों के निःशक्त बच्चों को उनकी शिक्षा में सहायता देने के लिए छात्रवृत्तियां दे रहा है।
- वर्कस प्रभाग में काम करने वाले ऐसे कर्मचारियों, जो सेवाकाल में निःशक्त हो जाते हैं, को प्रशिक्षण देने के पश्चात पहचान किए गए पदों पर पुनः नियुक्त किया जाता है। उन्हें जयपुर फुट और व्हील चेयर जैसी उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं।
- निःशक्त कर्मचारियों को आवास के आवंटन में विशेष छूट दी जाती है। ऐसे कर्मचारियों को आवंटन के समय निचले तल पर आवास दिया जाता है।
- हकदार न होने पर भी, सेल कर्मचारी के आश्रित निःशक्त भाई और बहन को भी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- सेल के कारखानों में निःशक्त व्यक्तियों को दुकान, एसटीडी बूथ, दूध के बूथ, छोटी-मोटी दुकानें भी आवंटित की जाती हैं।
- कारखाना स्थलों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से विभिन्न खेल तथा सांस्कृतिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। कारखाने के कुछ स्थानों में निःशक्त व्यक्तियों के लिए अलग से खेल के मैदान निश्चित किए गए हैं।



सेल के दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में निःशक्त बच्चों की देखभाल

13.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एल)

आर आई एल – विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के निगमित कार्यालय/प्रमुख प्रशासनिक भवन में स्थित विभिन्न कार्यालयों में आने वाले निःशक्त लोगों की सुविधा के लिए निम्न व्यवस्थाएं की गई हैं :



- रैम्प मार्ग प्रदान करना
- प्रशासनिक भवन की दोनों लिफ्टों में स्पीकरों की व्यवस्था
- प्रमुख प्रशासनिक भवन के प्रवेश द्वार पर स्थित स्वागत कक्ष में घील चेयर का प्रावधान
- 7.2.1996 को निःशक्तता अधिनियम लागू होने के पश्चात आर आई एन एल ने विभिन्न निःशक्तताओं से ग्रस्त 95 लोगों को नियुक्त किया (जिसमें मेरिट पर चयन किए गए 7 व्यक्ति शामिल हैं)।

13.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एन एम डी सी लिमिटेड एक खनन संगठन है तथा इस पर खनन अधिनियम तथा इसके नियम एवं विनियम लागू होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से निःशक्त व्यक्तियों को खानों/कारखानों में नियुक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी, निःशक्त व्यक्तियों को ऐसे पदों पर भर्ती करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जहां बाहर काम करने की जरूरत नहीं होती है और एन एम डी सी में इस समय विभिन्न पदों पर 46 निःशक्त कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। निःशक्त व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के मकसद से, समूह डी में निःशक्त व्यक्तियों के 63 पदों पर भर्ती करने के प्रयाय जारी हैं।

13.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल लिमिटेड एक खनन कंपनी है और इसकी प्रमुख गतिविधियां दुर्गम इलाकों में जमीन के अंदर खनन कार्य करना हैं। उपयुक्त पदों की पहचान करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों को कंपनी में रोजगार दिया जा सके। वर्तमान रूप से, मॉयल में निःशक्तता वाले 23 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है।

13.6 एमएसटीसी लिमिटेड

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एम एस टी सी में निःशक्तता वाले 8 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

13.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल)

एफएसएनएल स्क्रैप शोधन कंपनी है और एकीकृत इस्पात कारखानों को सेवाएं प्रदान करता है। एफ एस एन एल की गतिविधियां सभी मौसमों में खुले क्षेत्र में की जाती हैं। यहीं नहीं, परिचालन गतिविधियों के लिए बालिंग क्रेन, मेग्नेटिक सेपरेटर, डोजर, डम्परों आदि का प्रयोग किया जाता है। अतः एफ एस एन एल का वातावरण/कार्य परिस्थितियां निःशक्त व्यक्तियों के लिए ठीक नहीं हैं। अतः निःशक्तों को काम में लगाना उनके लिए सुरक्षित नहीं होगा।

फिर भी, सरकार के निर्देशों का पालन करते हुए, निःशक्त व्यक्तियों के लिए कार्यपालक एवं गैर-कार्यपालक दोनों वर्गों में तीन-तीन पद चिह्नित किये गये हैं जिनमें से मंत्रालयी संवर्ग में समूह-ए और समूह-सी के तहत एक-एक दृष्टि से निःशक्त, श्रवण निःशक्त और शारीरिक निःशक्त के लिए हैं। एफएसएनएल सेवा संगठन होने के नाते, जो स्क्रैप रिकवरी और कार्यों को प्रोसेस करने के क्षेत्र में एकीकृत इस्पात संयंत्रों को विशेष सेवाएं प्रदान कर कहा है, एफएसएनएल में भर्ती जरूरत पर आधारित है और इस्पात संयंत्रों को मिलने वाले कार्यों पर निर्भर करती है।

13.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल)

31.12.2014 की स्थिति के अनुसार एच एस सी एल में निःशक्तता वाले तीन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया।

13.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन ने “निःशक्त जन अधिनियम, 1995” के प्रावधानों को कार्यान्वयित किया है। मेकॉन के कुल कर्मचारियों की संख्या 31.12.2014 को 1593 थी, जिनमें से निःशक्त लोगों की विभिन्न पदों पर संख्या 11 थी।

13.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल में 31.12.2014 को विभिन्न समूहों में निःशक्तता श्रेणी से संबंधित 13 व्यक्ति हैं।

13.11 बर्ड ग्रुप आफ कंपनीज़ (बीजीसी)

बीजीसी में दो निःशक्त व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं।

अध्याय—XIV

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

14.1 प्रस्तावना

केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति को लागू करने के तहत राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा तैयार और जारी वार्षिक कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, इस्पात मंत्रालय ने वर्ष 2014–15 के दौरान शासकीय कार्यों में हिन्दी के व्यापक प्रयोग में काफी प्रगति की है।

मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी कार्य संयुक्त सचिव के प्रशासकीय नियंत्रण में है। संयुक्त निदेशक (राजभाषा) के सीधे नियंत्रण में हिन्दी अनुभाग राजभाषा नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कार्य और हिन्दी अनुवाद कार्य देखता है और इसमें एक सहायक निदेशक (राजभाषा), दो वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक, दो कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक, एक उच्च श्रेणी लिपिक तथा अन्य सहायक कर्मचारी हैं।

14.1.1 राजभाषा कार्यान्वयन समिति

मंत्रालय के संयुक्त सचिव के अधीन राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। यह समिति मंत्रालय और इसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की समीक्षा करती है। समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2014–15 के दौरान ऐसी चार बैठकें आयोजित की गई हैं।

14.1.2 हिन्दी सलाहकार समिति

केंद्रीय इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में हिन्दी सलाहकार समिति कार्यरत है जिसका मुख्य उद्देश्य मंत्रालय के सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए परामर्श देना है।

14.1.3 राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का कार्यान्वयन

भारत सरकार की राजभाषा नीति के अनुसरण में, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले लगभग सभी दस्तावेजों को हिन्दी और अंग्रेजी में तैयार किया जाता है। क्षेत्र 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी में पत्र भेजना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय में जांच बिन्दु बनाए गए हैं।

14.1.4 हिन्दी में मौलिक कार्य के लिए प्रोत्साहन योजना

राजभाषा विभाग द्वारा हिन्दी में मौलिक कार्य के लिए शुरू की गई नकद प्रोत्साहन योजना को मंत्रालय में लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, पदाधिकारियों को अंग्रेजी के साथ हिन्दी में अपना कार्य करने के लिए हिन्दी टंकण/आशुलिपि प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया गया।

14.1.5 राजभाषा शील्ड/ट्रॉफी

इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के लिए इस्पात राजभाषा शील्ड (प्रथम पुरस्कार), इस्पात राजभाषा ट्राफी (द्वितीय पुरस्कार), और इस्पात राजभाषा ट्राफी (तृतीय पुरस्कार), के साथ ही क्षेत्र 'ग' में स्थित सार्वजनिक उपक्रमों के लिए एक राजभाषा शील्ड पुरस्कार की संस्थापना की गई है। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में उपक्रमों के वार्षिक निष्पादन के आधार पर प्रतिवर्ष सार्वजनिक उपक्रमों को ये पुरस्कार दिए जाते हैं।

14.1.6 हिन्दी दिवस/हिन्दी पखवाड़ा

मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों को शासकीय कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु माननीय इस्पात मंत्री ने 14 सितम्बर, 2013 को अपील जारी की। मंत्रालय में 01 सितम्बर 2014 से 14 सितम्बर 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। इस अवधि के दौरान, कार्यालयी कामकाज में हिन्दी के प्रयोग के प्रति सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतियोगिताओं के विजेताओं को दिनांक 26.09.2014 को पुरस्कार वितरित किए गए।

14.1.7 हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार

इस्पात मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले कार्यों से संबंधित विषयों में मौलिक पुस्तक लेखन के लिए नकद पुरस्कार की स्कीम प्रचलित है जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के लिए क्रमशः 25000 रुपये, 20000 रुपये और 15000 रुपये की राशि निर्धारित है। इस स्कीम का उद्देश्य लेखकों को हिन्दी में मौलिक पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित करना है।

14.1.8 मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा राजभाषा निरीक्षण

मंत्रालय के अधिकारियों ने दिनांक 14.2.2015 तक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विभिन्न 29 कार्यालयों का दौरा इन कार्यालयों में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग का सुनिश्चय करने के लिए किया तथा साथ ही इन कार्यालयों में केन्द्र सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन भी सुनिश्चित किया।

14.2 स्टील अर्थारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल ने भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन पर जोर देना जारी रखा है। सेल द्वारा हिन्दी के प्रचार के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। हिन्दी कम्प्यूटरीकरण के क्षेत्र में 52 कार्य सी एवं आईटी विभाग (साटवेयर समूह) की सहायता से एकीकृत प्रणाली के जरिए संपन्न किये गये। मासिक हिन्दी प्रोत्साहन के लिए फार्मा के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण की सुविधा पूर्णतः सम्यक बनायी गई।

सेल की अध्यक्षता में, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम), दिल्ली को वर्ष 2013–14 के दौरान राजभाषा नीति कार्यान्वित करने में सराहनीय कार्य करने के लिए प्रथम घोषित किया गया है। सेल अध्यक्ष ने 15 नवंबर 2014 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी से इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड के रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

‘हिन्दी में उपलब्ध ई-टूल्स’ विषय पर सभी संयंत्रों/इकाइयों के लिए 09.09.2014 कोएक वीडियो कॉर्नफ़ैसिंग आयोजित की गयी जिसमें फैकल्टी के रूप में वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, राजभाषा विभाग, ग्रह मंत्रालय थे। इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान में ‘हिन्दी कार्यशालाओं की महत्ता’ विषय पर 30.09.2014 को एक विशेष राजभाषा संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मंत्रालय से निदेशक/उप सचिव स्तर तक के 26 अधिकारियों सहित लगभग 60 कार्मिक शामिल हुए।

राजभाषा के प्रचार उपयोग की दिशा में कंपनी के प्रयासों से निगमित/संयंत्र/इकाई स्तर पर अनेक पुरस्कार एवं सम्मान मिले। सेल की हिन्दी गृह पत्रिका ‘इस्पात भाषा भारती’ को नगर स्तर पर प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 28 जुलाई 2014 को दिल्ली में नराकास की बैठक में निदेशक (कार्मिक) ने राजभाषा सचिव, भारत सरकार से प्राप्त किया।

सेल की हिन्दी गृह पत्रिका ‘इस्पात भाषा भारती’ को ई-पत्रिका के रूप में भी डिजाइन किया गया जो सेल पोर्टल पर उपलब्ध है, फलस्वरूप इस पत्रिका को अब संयंत्र/इकाइयों में सभी कार्मिक देख सकते हैं।

14.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और विनिर्दिष्ट नियमों के अनुपालन को सदैव उचित महत्व दिया जाता है। कंपनी की अनुमोदित कार्य रूपरेखा के अनुरूप इस संबंध में प्रशिक्षण और विभिन्न अन्य क्रियाकलाप संचालित किए गए हैं। संगठन में अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में और शीर्षस्थ प्रबंधन कार्मिकों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए राजभाषा कार्यान्वयन समिति गठित की गई है। समिति तिमाही रूप से क्रियाकलापों की समीक्षा करती है और संगठन में राजभाषा के प्रभावी इस्तेमाल के लिए निदेश देती है।

वर्ष 2014–15 के दौरान हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए उठाए गए कदम और प्राप्त सम्मान इस प्रकार हैं:

- हिन्दी शिक्षण योजना, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित हिन्दी प्रबोध/प्रवीण पाठ्यक्रमों में दो बैचों में 203 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- मुख्यालय, खानों एवं क्षेत्रीय/शाखा कार्यालयों में आयोजित हिन्दी कार्यशालाओं में 267 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- कम्प्यूटरों पर यूनिकोड के जरिए हिन्दी में कार्य करने के लिए 252 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
- पुनर्वास कालोनियों की गृहिणियों के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के मध्यमा पाठ्यक्रमों के तहत हिन्दी कक्षाओं का आयोजन किया गया।
- हिन्दी सप्ताह/दिवस आयोजित किया गया तथा मुख्यालय/विभिन्न स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय/ शाखा कार्यालयों में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।
- इस अवधि के दौरान 12 विभागों/अनुभागों का निरीक्षण किया गया तथा राजभाषा के प्रगामी प्रयोग के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की गई।

अध्याय—XIV

- राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार लिए तिमाही हिन्दी पत्रिका 'सुगंध' का चयन किया गया।
- राजभाषा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए गए प्रयासों की मान्यता स्वरूप, आरआईएनएल को 7वीं बार लगातार सम्मानित इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड का द्वितीय पुरस्कार मिला।

14.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड ने अपनी समस्त परियोजनाओं, इकाइयों एवं मुख्यालय में राजभाषा नीति के कार्यान्वयन एवं राजभाषा के उपयोग के लिए समस्त प्रयास किए।

कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया जिससे वे अपने रोजमर्रा के कार्यालयी कामकाज में राजभाषा का सुचारू रूप से उपयोग कर सकें। हिन्दी कार्यशालाओं के दौरान सभी कर्मचारियों को फोनेटिक हिंदी की-बोर्ड पर माइक्रोसॉफ्ट इंडिक कंप्यूटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

सभी परियोजनाओं के अधिकारियों और उनके अधीनस्थ कर्मचारियों और इकाइयों के अधिकारियों/प्रभारियों के लिए दो दिवसीय हिंदी सेमिनार आयोजित किया गया, जिससे कि वे इस्पात मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट सुचारू रूप से ऑनलाइन भेज सकें। इसके अलावा, मुख्यालय द्वारा आशुलिपिकों के लिए भी एक वर्षीय हिंदी आशुलिपि प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाता है।

एनएमडीसी के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को जागरूक बनाने के लिए हिंदी टिप्पण, मसौदे और तकनीकी शब्दावली, हिंदी अनुवाद, कंप्यूटर पर यूनिकोड हिंदी टाइपिंग, किंज, हिंदी शब्दज्ञान प्रतियोगिता और ग्रहणियों के लिए सर्जनात्मक प्रतियोगिता (इस मद की प्रविधि हिंदी में लिखित) इत्यादि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं और विजेताओं को राजभाषा पखवाड़े के दौरान पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

हिन्दी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मासिक हिन्दी नकद प्रोत्साहन योजना कार्यान्वित की गई और इस योजना के तहत बड़ी संख्या में कर्मचारी लाभान्वित हुए।

तकनीकी क्षेत्रों में राजभाषा हिन्दी को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के वास्ते अब तक 56 राजभाषा तकनीकी संगोष्ठियां आयोजित की गईं और तकनीकी संगोष्ठी पत्रिका 'तकनीकी सोपान', 'तकनीकी क्षितिज' और राजभाषा स्मारिका 'सर्जन, कानन कुसुम' भी प्रकाशित की गईं।

14.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में कार्यशालाएं नियमित रूप से आयोजित की जा रही हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी ने राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के कार्यान्वयन और प्रचार की दिशा में अपने प्रयास जारी रखे ताकि हिन्दी के प्रचार के लिए कर्मचारियों को निबंध प्रतियोगिता, टिप्पण एवं मसौदा लेखन, कविता पाठ एवं लेख लेखन जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

कम्पनी के सभी कम्प्यूटरों में यूनिकोड प्रणाली को क्रियान्वित किया गया है। कम्पनी ने अपने कर्मचारियों को कम्प्यूटर में हिन्दी भाषा का सॉफ्टवेयर दिया है ताकि मॉयल के कर्मचारी अपने दैनिक कार्यकरण में उसका प्रयोग कर सकें। खानों में लगभग 96 प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है जिसकी अत्यंत सराहना की गई है।

"नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" नागपुर ने विभिन्न अंतर कार्यालय प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं जिनमें मुख्यालय तथा खानों के कर्मचारियों ने भाग लिया। "नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति" ने एमओआईएल को वर्ष 2011–12 के लिए हिन्दी के संवर्धन के लिए उनके उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किया है।

कर्मचारियों को गृह मंत्रालय की "हिन्दी शिक्षा योजना" के तहत पुनः प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिसमें 284 कर्मचारियों को पहले ही प्राज्ञ (उच्चतर स्तर) के लिए प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

इसके अतिरिक्त, कम्पनी हिन्दी में आंतरिक पत्रिका "संकल्प" का प्रकाशन भी कर रही है।

14.6 एमएसटीसी लिमिटेड

राजभाषा त्रिमास का उदघाटन 15 सितम्बर 2014 को किया गया। इस अवधि के दौरान, मुख्यालय में और अंचल और शाखा कार्यालयों में हिन्दी प्रतियोगिताएं और हिन्दी कार्यशालाएं आयोजित की गईं।



अंचल और शाखा कार्यालयों के अलावा, एमएसटीसी द्वारा इस वर्ष मुख्यालय और ईआरओ में आयोजित हिंदी टिप्पण प्रतियोगिताएं जीतने के साथ साथ अखिल भारतीय आधार पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता जीतने और राजभाषा विभाग, भारत सरकार की हिन्दी शिक्षण योजना के तहत आयोजित हिन्दी 'परीक्षाएं' उत्तीर्ण करने वाले कुल 22 अधिकारियों/ कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किये गये।

राजभाषा विभाग के आईएसओ 9001:2008 प्रमाणन का नवीकरण किया गया है। मुख्यालय और क्षेत्रीय तथा शाखा कार्यालयों के कम्प्यूटरों में यूनिकोड की व्यवस्था की गई है।

14.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

राजभाषा नीति को लागू करने के संबंध में समय—समय पर सरकार से प्राप्त दिशानिर्देशों का एफएसएनएल द्वारा कड़ाई से पालन किया जाता है। वर्ष के दौरान हिन्दी टिप्पण/मसौदा लेखन प्रतियोगिताएं इत्यादि आयोजित की गई और योजना के अनुसार विजेताओं को नकद पुरस्कार दिए गए। कर्मचारियों को अपना दैनंदिन कार्य हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सतत निगरानी और प्रोत्साहन सुनिश्चित किया जाता है। विगत वर्षों की भाँति, एफएसएनएल के कारपोरेट कार्यालय तथा सभी इकाइयों में सितम्बर 2014 के माह में हिन्दी पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिन्दी निबंध लेखन, हिन्दी ज्ञान प्रतियोगिता, हिन्दी वाद—विवाद प्रतियोगिताएं आदि जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई जिनमें कर्मचारियों ने उत्साह से भाग लिया।

14.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने राजभाषा विभाग, भारत सरकार की राजभाषा नीति और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए कई उत्साहजनक प्रयास किए हैं। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित एवं इकाई स्तरों पर नियमित अंतराल पर बैठकों का आयोजन करने के अलावा, एचएससीएल ने अपने अधिकारियों को टिप्पण एवं प्रारूप लेखन में हर स्तर पर हिंदी का उपयोग करने की दिशा में प्रेरित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया। राजभाषा के उपयोग के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाता है। एचएससीएल नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का सदस्य है तथा इसके सभी कार्यक्रमों में बढ़—चढ़ कर भाग लेती है।

कर्मचारियों को अपने दिन—प्रतिदिन के सरकारी कार्य में हिन्दी के प्रयोग के लिए प्रोत्साहित व शिक्षित करने के लिए प्रत्येक तिमाही में यूनिट स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की गई।

15 सितम्बर से 30 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया जिसमें हिन्दी निबंध लेखन, टिप्पण और प्रारूप लेखन, विवज व भाषण इत्यादि जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। पखवाड़े के समापन दिवस पर विजेताओं के साथ साथ सभी प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरित किये गये।

प्रयासों की मान्यता स्वरूप, एचएससीएल को श्री केसरी नाथ त्रिपाठी, माननीय राज्यपाल, पश्चिम बंगाल ने 08.09.2014 को 'राजभाषा कैल्टॉलिक' से सम्मानित किया।

14.9 मेकॉन लिमिटेड

भारत सरकार की राजभाषा नीति का क्रियान्वयन अपने सरकारी कार्य में करने के लिए मेकॉन प्रभावी उपाय कर रहा है। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक राजभाषा कार्यान्वयन समिति है। मेकॉन नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रांची का एक महत्वपूर्ण सदस्य है तथा सभी कार्यक्रमों में बढ़चढ़ कर भाग लेता है।

कोलकाता में 25 जुलाई, 2014 को केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के तत्वावधान में आयोजित राजभाषा सम्मेलन महानगर सम्पर्य समिति, कोलकाता द्वारा मेकॉन को उत्कृष्ट पुरस्कार एवं प्रमाणपत्र से सम्मानित किया गया।

कंपनी के मुख्यालय के साथ—साथ साइट कार्यालयों में 14.09.2014 से 28.09.2014 तक 'हिन्दी पखवाड़ा' मनाया गया और इस अवधि के दौरान विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे कि हिन्दी निबंध एवं हिन्दी में धारा प्रवाह भाषण प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गयीं।

पखवाड़े के दौरान 'कम्प्यूटर पर हिंदी में यूनिकोड का प्रयोग करने की विधि' पर एक विशेष हिन्दी कार्यशाला और एक राजभाषा संगोष्ठी भी आयोजित की गई। इसके अलावा, मेकॉन ने हिन्दी पखवाड़े के दौरान 'राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जयंती' का भी आयोजन किया।

अध्याय—XIV

हिन्दी गृह पत्रिका “मेकॉन भारती” भी नियमित रूप से प्रकाशित की जा रही है, जो तकनीकी क्षेत्र में सृजनात्मक लेखन के लिए कर्मचारियों को एक मंच प्रदान करती है। मेकॉन की तिमाही गृह पत्रिका “मेकॉन संसार” में समाचार हिन्दी में भी प्रकाशित किए जाते हैं।

14.10 केआईओसीएल लिमिटेड

कंपनी इस्पात मंत्रालय, भारत सरकार तथा गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा राजभाषा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के संबंध में समय—समय पर जारी निर्देशों का पालन करती है।

वर्ष के दौरान, कर्मचारियों को अपना सरकारी कार्य हिन्दी में करने के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण देने हेतु 6 हिन्दी कार्यशालाओं— हर तिमाही में एक का आयोजन किया गया।

केआईओसीएल बंगलौर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) की संयोजक है तथा बंगलौर में सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नियमित बैठकों तथा संयुक्त हिन्दी माह कार्यक्रमों का आयोजन करती है। बैठकें 2 जुलाई, 2014 तथा 29 दिसम्बर, 2014 को आयोजित की गईं।

कम्पनी ने 30 जुलाई 2014 से 27 अगस्त 2014 के बीच नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम) के सदस्यों के लिए एक संयुक्त हिन्दी माह का आयोजन किया।

राजभाषा नीति के क्रियान्वयन में वर्ष 2012–13 के लिए नराकास क्रियाकलापों के मान्यतास्वरूप, नराकास (उपक्रम) को गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की इंदिरा गांधी राजभाषा शील्ड 15 नवंबर, 2014 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रदान की गयी।

14.11 बोर्ड ग्रुप ऑफ कम्पनीज (बीजीसी)

बीजीसी में कर्मचारियों में हिन्दी के प्रयोग तथा जागरूकता को बढ़ाने के लिए सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। कम्पनी ने निबंध लेखन, हिन्दी गीत गायन, हिन्दी कविता पाठ तथा हिन्दी श्रुतलेख जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित कर 14 सितम्बर से 28 सितम्बर, 2014 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया, जिसमें कर्मचारियों ने सक्रिय भाग लिया। विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को नकद पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र एवं स्मृतिचिह्न दिए गए। द्विभाषी बोर्ड तथा विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। कर्मचारियों को प्रतिदिन नए शब्दों से अवगत कराने के लिए मुख्यालय में “राजभाषा शिक्षण बोर्ड” रखा गया है। “प्रबोध और प्रवीण” परीक्षाएं पूर्ण हो गयी हैं और “प्राज्ञ” जनवरी 2015 से शुरू हो गयी है।



अध्याय-XV

महिला सशक्तिकरण

15.1 प्रस्तावना

भारत के उच्चतम न्यायालय ने अगस्त, 1997 में विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में अपने फैसले में महिलाओं को लिंग समानता से संबद्ध अंतरराष्ट्रीय परिपाठियों और मानदंडों को उनके कार्य के संबंध में वैधता प्रदान करते हुए कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को उनकी गरिमा के खिलाफ और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15(1) और 21 के प्रावधानों का उल्लंघन करार दिया। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी नियोक्ताओं, चाहे वे निजी क्षेत्र के हों या सार्वजनिक क्षेत्र के, को यौन प्रताड़ना रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने चाहिए। इस व्यवस्था के भाग के रूप में, संगठन के बाहर के प्रतिनिधियों की सदस्यता युक्त एक शिकायत समिति (कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण रोकथाम) का गठन किया गया।

उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में इस्पात मंत्रालय ने महिला कर्मचारियों की शिकायतों की छानबीन करने और उनका समाधान करने के लिए उप-सचिव स्तर की महिला अधिकारी की अध्यक्षता में एक पांच-सदस्यीय समिति का गठन किया है। इसमें तीन महिला सदस्य हैं। समिति को वर्ष 2014–15 में एक भी शिकायत नहीं मिली है।

15.1.1 महिला सशक्तिकरण

वित्त मंत्रालय तथा महिला और बाल विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार इस्पात मंत्रालय में एक जेंडर बजट प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य इस मंत्रालय में इस अवधारणा को लागू करने के लिए पहल करना है।

15.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल महिला कर्मचारियों को तकनीकी एवं गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्र में नियुक्त करता है। वे प्रबंधकीय, तकनीकी (इंजीनियर्स) पदों, चिकित्सा, अर्द्ध चिकित्सा सेवाओं और शैक्षणिक क्षेत्रों में हैं। कंपनी चयन, भर्ती और प्लेसमेंट अथवा पदोन्नति स्तरों पर कहीं भी भेदभाव नहीं करती है और सभी स्तरों पर स्त्री-पुरुष दोनों को समान अवसर प्रदान किये जाते हैं।



माननीय इस्पात और खान मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर और माननीय इस्पात और खान राज्य मंत्री, श्री विष्णु देव साय सेल के राउरकेला इस्पात संयंत्र की महिलाकर्मी को श्रम वीरंगना पुरस्कार प्रदान करते हुए

अध्याय—XV

अपने कर्मचारियों के व्यावसायिक विकास की दिशा में सेल की नीति की मुख्य विशेषता स्त्री-पुरुष सभी कर्मचारियों के करियर विकास के लिए समान अवसर प्रदान करना है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की बढ़ती हुई संख्या इस तथ्य की ओर संकेत है कि आने वाले वर्षों में, महिलाएं सेल में कुछ शीर्ष पदों पर विराजमान होंगी।

कंपनी की प्रशिक्षण नीति में प्रशिक्षण जरूरतों के विश्लेषण के जरिये महिला कर्मचारियों सहित अपने समस्त कर्मचारियों की प्रशिक्षण एवं विकास जरूरतों का ध्यान रखा जाता है। महिला कर्मचारियों के करियर विकास एवं उनका जॉब प्रोफाइल को देखते हुए उनको विशिष्ट/तकनीकी/प्रबंधकीय सभी क्षेत्रों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

महिला कर्मचारियों को हित लाभ

तकनीकी के साथ साथ गैर-तकनीकी दोनों क्षेत्रों में पदस्थापित/कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए अलग टॉयलेट की सुविधा प्रदान की गयी है। कंपनी के संयंत्रों एवं इकाइयों के समस्त कर्मचारियों के लिए वाशरूम एवं कैटीन सुविधा उपलब्ध की गयी हैं। कार्यस्थल पर समस्त कर्मचारियों, विशेष रूप से महिला कर्मचारियों के लिए स्वच्छता परिस्थितियों में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किये जाते हैं। महिला कर्मचारियों के लिए प्रसूति अवकाश, बाल देखभाल अवकाश हितलाभ जैसी कंपनी की नीतियों में भी सांविधिक अनुपालन परिलक्षित होता है।

यौन उत्पीड़न की रोकथाम

हमारे संयंत्रों/इकाइयों में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकने के लिए कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के अनुसार शिकायत समितियां गठित की गयी हैं और समिति के गठन की जानकारी संबंधित संयंत्रों/ इकाइयों के मौजूदा इंटरानेट/वेब पोर्टल पर डाली गयी है।

महिलाओं का कल्याण

महिला समाज के व्यापक हितलाभ के लिए भी सेल ने विभिन्न क्षेत्रों में अनेक कदम उठाये हैं। इन गतिविधियों में बालिका साक्षरता कार्यक्रम, स्वास्थ्य देखभाल, परिवार नियोजन, बबल एवं प्रसूति सेवाओं पर जागरूकता कार्यक्रम, स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन, एड्स नियंत्रण पर सूचनाप्रद कार्यक्रम शामिल हैं। सेल के संयंत्रों और इकाइयों में महिला समितियां सामाजिक मसलों पर जागरूकता पहल जैसे बाल श्रम/दहेज, महिलाओं का शोषण और स्वरोजगार, शिक्षा जागरूकता कार्यक्रमों में जुड़ाव इत्यादि के जरिये भी आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने के कार्य में लगी हुई हैं।

15.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल में, कुल कर्मचारियों में से महिला कर्मचारी लगभग 3 प्रतिशत हैं जिनमें से लगभग 6 प्रतिशत कार्यपालक हैं और लगभग 1 प्रतिशत गैर-कार्यपालक हैं। महिला कर्मचारी स्टील मेल्ट शॉप, ब्लास्ट फर्नेसों, परियोजनाओं इत्यादि जैसे विविध एवं चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कार्यरत हैं।



आरआईएनएल द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन

आरआईएनएल—वीएसपी ने 1997 में गठित 'वीमेन इन पब्लिक सेक्टर' (विप्स), मंच के स्थानीय प्रकोष्ठ के माध्यम से महिला कर्मचारियों को एक मजबूत ताने—बाने से संबद्ध किया है।

यह प्रकोष्ठ महिला कर्मचारियों के विकास के लिए अनेक गतिविधियों से जुड़ा हुआ है, जिसमें महिला कर्मचारियों का विकास कार्यक्रम, नेटवर्किंग और सामाजिक कौशल पर आधारित कार्यक्रम और महिलाओं के रोजगार से जुड़े मसलों पर अपने कर्मचारियों को संवेदनशील बनाने के जेंडर संवेदनशीलता कार्यक्रम शामिल हैं। यह कुछ सामाजिक मदद गतिविधियों से भी जुड़ा रहा है जिसमें विशाखापत्तनम की पुनर्वास कलोनियों में रहने वाली महिलाओं के लिए सीएसआर गतिविधियां जैसे सिलाई एवं ब्यूटीशियन प्रशिक्षण, हस्त कसीदाकारी, फैब्रिक पेटिंग, साड़ी रोलिंग, साक्षरता कार्यक्रम, इत्यादि शामिल हैं।

अप्रैल—दिसंबर 2014 कं दौरान कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं:

प्रशिक्षण एवं विकास : देश—विदेश में तकनीकी एवं प्रबंधकीय विकास, संगोष्ठियों, सम्मेलनों विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रिकार्ड 609 कर्मचारियों को नामित किया गया।

महिलाओं का कल्याण: आरआईएनएल ने प्रसूति अवकाश को मौजूदा 84 दिन से बढ़ा कर 180 दिन मंजूर कर दिया है।

“हैप्पी ऑवर्स”: यह कामकाजी माताओं के लिए इस्पात नगरी में “हैप्पी ऑवर्स” नामक क्रैच भी चलाया जा रहा है।

क्रीड़ा एवं खेल: केवल महिला कर्मचारियोंकेलिए आयोजित त्रिदिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में लगभग 100 महिला कर्मचारियों ने भाग लिया।

संचार : इटरानेट पर एक “पोर्टल” शुरू किया गया है जो नितांत रूप से कंपनी की महिला कर्मचारियों के लिए नेटवर्किंग साइट के रूप में उपलब्ध है।

संगोष्ठियां: महिला कर्मचारियोंका मनोबल बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) और विप्स स्थापना दिवस (9 अगस्त) पर प्रतिष्ठित महिला अचीवर्स के व्याख्यान आयोजित किये गये।

15.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी लिमिटेड में 280 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो इसकी 5507 कुल कर्मचारी संख्या (31.12.2014 की स्थिति) का करीब 5.1 प्रतिशत है। पुरुष एवं महिलाओं दोनों को कंपनी चयन, भर्ती, नियुक्ति और पदोन्नति सभी स्तरों पर समान अवसर प्रदान करती है। वरिष्ठ पदों पर महिलाओं की संख्या बढ़ रही है और एनएमडीसी बोर्ड में एक स्वतंत्र महिला निदेशक हैं।

कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न के निवारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में मुख्यालय और सभी परियोजना स्थलों पर शिकायत समितियों का गठन किया गया है। महिला कर्मचारी की अध्यक्षता में समिति प्राप्त शिकायतों की स्थिति की समीक्षा के लिए आवधिक बैठकें करती है। अभी तक उत्पीड़न का कोई भी मामला सामने नहीं आया है।

इसके सीएसआर कार्यक्रम के तहत, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए विभिन्न कदम उठाए गए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

- एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना, जिसके तहत बस्तर क्षेत्र के गरीब आदिवासी और अनु. जाति के छात्रों को 8वीं श्रेणी से आगे स्नातक स्तर तक शैक्षिक परिशीलन जारी रखने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।
- बस्तर क्षेत्र की जनजातीय बालिका विद्यार्थियों के लाभ के लिए शुरू की गई केन्द्रित पहल बालिका शिक्षा योजना के तहत एनएमडीसी बालिका विद्यार्थियों को विभिन्न अकादमिक और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों—इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बीडीएस, प्रबंधन, नर्सिंग, डिप्लोमा आदि के लिए प्रायोजित करती है। सम्पूर्ण व्यय एनएमडीसी द्वारा वहन किया जाता है। वर्ष 2011–12 में, 25 आदिवासी बालिकाओं को मै. अपोलो अस्पताल, हैदराबाद में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट किया गया है तथा 10 और छात्राओं को छत्तीसगढ़ के कालेजों में नर्सिंग पाठ्यक्रमों में प्रविष्ट किया गया है। वर्ष 2012–13 में 40 लड़कियों को प्रायोजित किया गया है।
- नियमित आय उपार्जन के लिए कौशल विकास, एनएमडीसी द्वारा छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की आदिवासी महिलाओं

अध्याय—XV

के लिए नियमित आय उपार्जन का अवसर प्रदान करने की पहल की दिशा में शुरू किये गये कार्यक्रम का भाग है। इस में टेराकोटा, जूट एवं सिसल, बैम्बू और बेल मेटल क्राफ्ट्स इत्यादि का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

- छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा और के दांतेवाड़ा जिले के कुवाकोंडा ब्लॉक में बालिकाओं और महिलाओं में कुपोषण कम करने के लिए कार्यक्रम को कार्यान्वित करने की रूपरेखा तैयार कर दी गयी है।
- छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले के कुवाकोंडा ब्लॉक में प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए सतत आय सर्जन कार्यक्रम कार्यान्वित करने की योजना भी चल रही है। इससे क्षेत्र की अनेक महिलाओं को लाभ होगा।

15.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल में 821 महिला कर्मचारी नियोजित हैं जो 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार कुल 6390 कार्यबल का 12.67 प्रतिशत है।

कार्यस्थल पर महिलाओं के उत्पीड़न निवारण के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में वर्ष 1999 में एक शिकायत समिति का गठन किया गया था जिस में एक महिला चिकित्सक सहित तीन सदस्य हैं तथा मार्च 2006 में इसका पुनर्गठन किया गया। अभी कंपनी की खानों और मुख्यालय में उत्पीड़न का एक भी मामला दर्ज नहीं हुआ है। महिला कर्मचारियों में जागरूकता लाने के लिए निर्देशों का व्यापक प्रसार किया गया है।

कंपनी की सभी खानों में महिला मण्डल सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। दूरदराज के खान क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं के लाभ के लिए प्रौढ़ शिक्षा, रक्तदान शिविर, नेत्र शिविर और परिवार नियोजन जैसे विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक शैक्षिक और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन नियमित तौर पर किया जाता है।

प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। कंपनी मातृत्व अवकाश तथा परिवार नियोजन के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश देती है।

इसकी सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत खानों में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है जिसमें दूरस्थ गांवों में रहने वाली महिलाओं को शामिल किया जाता है। इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मोमबत्ती, वाशिंग पाउडर, साबुन, बांस की टोकरियां बनाने, सिलाई सहित विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है।

15.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी लिमिटेड फोरम ऑफ वीमेन इन पब्लिक सेक्टर (विप्स) का कारपोरेट जीवनपर्यन्त सदस्य है। इस वर्ष कंपनी के एक कर्मचारी को विप्स की पूर्वी शाखा का अध्यक्ष चुना गया और 16 महिला कर्मचारियों को विप्स में शामिल किया गया। इससे कंपनी में महिला सशक्तिकरण के बारे में जागरूकता बढ़ी है। अनेक महिला कर्मचारियों को महिला सशक्तिकरण, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम एवं निवारण, इत्यादि पर विभिन्न कार्यक्रमों में नामांकित किया गया। महिला कर्मचारियों को विप्स द्वारा आयोजित समारोहों में भी सहभागिता करने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

एमएसटीसी के प्रत्येक कार्यालय में आंतरिक शिकायत समितियों (आईसीसी) का गठन किया गया है। इस समिति द्वारा विभिन्न गतिविधियों जैसे जागरूकता अभियान, प्रस्तुतिकरण, कर्मचारी परामर्श, आईसीसी की नियमित बैठकों का संचालन किया जाता है।

15.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल की विभिन्न प्रतियोगिताओं/क्षेत्रों में महिलाओं की क्षमता को स्वीकार करने के साथ ही सभी क्रियाकलापों में महिला कर्मचारियों को महत्व दिया गया है। यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए स्थापित समिति जैसी विभिन्न समितियों में महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व सदैव सुनिश्चित किया जाता है।

15.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी में 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार 7 महिला कर्मचारी हैं। ये सभी महिला कर्मचारी कंपनी की विभिन्न इकाइयों में नियुक्त हैं। अधिकांश महिलाएं बोकारो और भिलाई में पदस्थ हैं। कंपनी में महिला कर्मचारियों का कोई संगठन नहीं है। फिर भी, कंपनी प्रबंधन महिला कर्मचारियों के हितों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कार्य स्थलों पर वे किसी भी किस्म के यौन उत्पीड़न का शिकार नहीं बनें।



15.9 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन लिमिटेड में महिला कर्मचारियों की शिकायतों पर ध्यान देने के लिए एक समिति गठित की गई है जिसकी अध्यक्ष एक वरिष्ठ महिला कार्यपालक हैं।

15.10 केआईओसीएल लिमिटेड

वेतन का भुगतान, कार्य के घंटे, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के पहलुओं, मातृत्व लाभ इत्यादि जैसे मामलों में महिला कर्मचारियों के हितों के सुरक्षोपाय के लिए आवश्यक सभी उपायों/सांविधिक प्रावधानों का कंपनी पालन करती है।

कंपनी में दिनांक 31.12.2014 की स्थितिनुसार 29 महिला कर्मचारी कार्य कर रही हैं।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों/अपेक्षाओं का अनुपालन करते हुए बैंगलौर, मैंगलौर और कुद्रेमुख इकाइयों में यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच के लिए शिकायत समितियां गठित की गयी हैं। शिकायत समिति में एक वरिष्ठ स्तर की महिला कार्यपालक, एक पुरुष कर्मचारी और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) से एक महिला कर्मचारी बतौर तीसरी पार्टी और सदस्य के रूप में होते हैं।

केआईओसीएल में वीमेन इन पब्लिक सेक्टर नामक एक महिला संगठन कार्य कर रहा है और अधिकांश महिला कर्मचारी इसकी सदस्य हैं। केआईओसीएल विप्स (WIPS) का आजीवन सदस्य है। विप्स से सम्पर्क रखने के लिए केआईओसीएल से संयोजक बारी-बारी से नामांकित किए जाते हैं। और महिला कर्मचारियों (सदस्यों) को कंपनी द्वारा विप्स की वार्षिक/क्षेत्रीय बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भेजा जाता है। कंपनी में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस समूचित रूप से मनाया गया।

15.11 बर्ड ग्रुप कंपनीज (बीजीसी)

बीजीसी में जेंडर समानता को उपयुक्त महत्व दिया जाना जारी है। महिला कर्मचारियों की शिकायतों के निपटान के लिए कम्पनी में एक महिला शिकायत प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। बीजीसी समान अवसर देने वाला नियोक्ता है और लिंग भेदभाव नहीं करता है।

बीजीसी में दिनांक 31.12.2014 की स्थिति के अनुसार, इसके 1375 कर्मचारियों के कुल कार्यबल में महिला कर्मचारी लगभग 16.10 प्रतिशत हैं। महिला सशक्तिकरण सुनिश्चित करने के लिए, महिला प्रतिनिधियों को शामिल कर 'जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ' गठित किए गए हैं।

अध्याय—XVI

इस्पात के इस्तेमाल को प्रोत्साहन

16.1 घरेलू इस्पात की खपत बढ़ाने के लिए उपाय

यह पाया गया कि भारत में इस्पात की खपत मेंवृद्धि अधिकांशतः शहरी क्षेत्र में हुई है जहां बहुत सारे विकास गतिविधियां हो रही हैं। दूसरी ओर, भारत में कृषिजन्य उत्पादन में द्रुत गति से वृद्धि के साथ साथ ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में सुधार के बावजूद ग्रामीण क्षेत्र में इस्पात खपत का स्तर अधिक नहीं है। इस्पात विकास और प्रगति संस्थान (इंसडैग) ने ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की खपत बढ़ानेऔर इस्पात का अधिक उपयोग करने के लिए जागरूकता लाने के लिए पर्याप्त संख्या में गतिविधियां चलायीं/पहल की हैं।

16.2 ग्रामीण भारत में इस्पात की मांग के मूल्यांकन हेतु अध्ययन

मंत्रालय की मांग अनुदान पर संसदीय समिति (पीएससी) की सिफारिशोंका अनुसरण करते हुए, इस्पात मंत्रालय ने भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात की मांग का आंकलन करने के लिए संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी) के जरिये एक सर्वेक्षण/अध्ययन करवाया है। संयुक्त संयंत्र समिति ने इस सर्वेक्षण की अपनी अंतिम रिपोर्ट जुलाई, 2011 में प्रस्तुत की। सर्वेक्षण से ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत, और ग्रामीण भारत में इस्पात के उपयोग की प्रवृत्तियों इस्पात की भावी सम्भावनाओं का पता चला है। सर्वेक्षण के लिए विश्लेषण उद्देश्य से आंकड़े तीन वर्षों अर्थात् 2006–07, 2007–08 और 2008–09 के लिए एकत्रित किये गए और ग्रामीण इस्पात मांग का आकलन 2011–12, 2016–17 और 2019–20 की अवधियों के लिए किया गया। ग्रामीण भारत में तैयार इस्पात की प्रति व्यक्ति औसत खपत 2007 से 2009 की अवधि के दौरान 9.78 किलोग्राम आंकी गई जिसके इस्पात उत्पादों के अधिक उपयोग के आधार पर 2020 में बढ़कर लगभग 12 किग्रा. होने का अनुमान लगाया है। यह वृद्धि मुख्य रूप से निर्माण गतिविधियों, के अधिकतर घरेलू स्तर पर उपयोग के कारण और साथ ही व्यावसायिक उपयोग के लिए फर्नीचर व वाहनों जैसी मदों की खरीद के कारण होगी। यह भी आशा है कि घरेलू मदों के लिए मांग कुछ वर्षों में कम हो जाएगी। इसका मुख्य कारण इस श्रेणी का प्रमुख अंशदायी मदों में इस्पात के स्थान पर प्लास्टिक का वर्धित उपयोग होना है।

सर्वेक्षण में ग्रामीण भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए सिफारिशें भी की गई हैं यथा मकानों की संरचनाओं की किस्म में बदलाव, विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए इस्पात डिजाइन पर पुनर्विचार, सामुदायिक संरचनाओं में निवेश, छोटे और मंझोले इस्पात उत्पादों का विनिर्माण, इस्पात के लाभों पर प्रकाश, इस्पात के स्वरूप में सुधार, इस्पात के लिए संभार तंत्र तथा आपूर्ति शृंखला में सुधार तथा इस्पात की गुणवत्ता संबंधी मामलों पर ध्यान देना।

सर्वेक्षण में की गई सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए इस्पात मंत्रालय ने एक कार्य योजना तैयार की है और वह उस पर आवश्यक कार्रवाई कर रहा है।

16.3 सेल द्वारा इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम

- देश में इस्पात उत्पादकों के बीच सेल का विपणन कार्यालयों का नेटवर्क सबसे बड़े नेटवर्कों में से एक है जो सेल को ग्राहकों की व्यापक शृंखला की अपेक्षाएं समय पर पूरी करने में सहायता करता है। 1 जनवरी, 2014 की स्थिति के अनुसार, सेल के नेटवर्क में 37 शाखा बिक्री कार्यालय, 27 ग्राहक सम्पर्क कार्यालय, 25 विभागीय वेयरहाउस तथा कन्साईनमेंट एजेंटों द्वारा प्रचालित 24 वेयरहाउस हैं।
- सेल का दिनांक 01.12.2014 की स्थिति के अनुसार 2864 डीलरों (1013 ग्रामीण डीलरों सहित) का एक व्यापक डीलर नेटवर्क भी है।
- डीलरों को अपने कार्यनिष्ठादन में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु उपयुक्त प्रोत्साहन योजनाएं संचालित की जा रही है। उच्च निष्पादनकारी डीलरों को सम्मानित करने के लिए वर्तमान वर्ष 2014–15 के दौरान प्रत्येक क्षेत्र में वार्षिक डीलर अवार्ड समारोह आयोजित किए गए। सेल इस्पात के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए डीलर बैठक, शिल्पकार बैठक तथा राजगीर बैठक का नियमित आयोजन किया जाता है।



- वर्ष 2014-15 के दौरान सेल ने व्यापार मेलों एवं प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया और इस्पात के विविध उपयोगों को रेखांकित किया। सेल अपने जारी आधुनिकीकरण एवं विस्तारीकरण के तहत चालू अपनी नयी मिलों के बारे में संभावित उपभोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए बहुकार्य क्षेत्रीय टीमों के जरिये प्रस्तुतीकरण किया जा रहा है।

16.4 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल लगातार इस्पात के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नए उत्पादों का विकास व आपूर्ति तथा विस्तृत कवरेज हेतु वितरण नेटवर्क में सुधार का प्रयास करता है। विशिष्ट अनुप्रयोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए नये उत्पादों के विकास का प्रयास किया जाता है जिससे इस्पात के उपयोग को सर्वधित करने में सहायता मिलती है। उपभोक्ताओं के साथ बार-बार बातचीत करके उनकी नए इस्पात उत्पादों/ग्रेडों/आकारों की जरूरत का अध्ययन किया जाता है। यदि यह प्रौद्योगिकीय रूप से व्यावहारिक पाया जाता है तो इन उत्पादों का विकास कर उपभोक्ताओं को इनकी आपूर्ति की जाती है। बॉयलर उद्योग हेतु पाइप विनिर्माताओं की जरूरत पूरी करने के लिए भारतीय बॉयलर नियामन (आईबीआर) के अनुरूप नए उत्पादों/ग्रेडों का उत्पादन किया गया। इसके अलावा, फोर्जिंग उद्योग की मांग पूरी करने के लिए कास्ट राउंड्स का भी उत्पादन किया गया। इस अवधि के दौरान मौजूदा इकाइयों से 9 नये उत्पाद और विस्तारीकरण इकाइयों से 12 नये उत्पाद विकसित किये गये।

आरआईएनएल का एक वितरण नेटवर्क है जिसमें 5 क्षेत्रीय कार्यालय, 23 शाखा कार्यालय, 22 स्टॉक्यार्ड और 6 कन्साइनमेंट सेल्स एजेंट्स शामिल हैं। आरआईएनएल ने शहरी, अद्वशहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में इस्पात उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए सम्पूर्ण राष्ट्र में फैले 115 रिटेलर्स नियुक्त किये हैं।

ग्रामीण इलाकों में इस्पात की खपत को लोकप्रिय बनाने के लिए, आरआईएनएल ने छोटे नगरों में जिला स्तरीय डीलरों के पंजीकरण की योजना और पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर ग्रामीण डीलरों के पंजीकरण की योजना शुरू की है। ग्रामीण डीलरों के पंजीकरण की योजना की प्रक्रिया सतत और आसान है। ग्रामीण डीलरशिप के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प संख्यकों और महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाती है। दिसंबर 2014 के अंत तक अद्वशहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति के लिए देश के लगभग सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में आरआईएनएल के 453 ग्रामीण डीलर हैं।

आरआईएनएल ने रांची, रायपुर, त्रिची, इलाहाबाद, पणजी, जम्मू सिलीगुड़ी और विजयवाड़ा में विपणन सम्पर्क कार्यालय शुरू किए हैं।

निर्यात पर बल देते हुए, आरआईएनएल ने कोलकाता, श्री लंका में अंतरराष्ट्रीय विपणन कार्यालय (आईएमओ), स्थापित किया है और कम्पनियों के महापंजीयक, श्रीलंका के साथ पंजीकृत किया है। सभी सांविधिक पंजीकरण और वित्तीय व्यवस्थाएं पूर्ण कर ली गयी हैं। औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। कार्यालय का प्रचालन शीघ्र आरम्भ होने की आशा है। इसके अलावा, श्रीलंका में सेमीज से टीएमटी बार्स और स्ट्रक्चरल्स बनाने और उनको श्रीलंका के अलावा दक्षिण पूर्वी, मध्य पूर्वी एवं अफ्रीकी देशों में बेचने के लिए कन्वर्जन एजेंट को आशय पत्र जारी कर दिया गया है।

16.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल और इस्पात विकास एवं प्रगति संस्थान (इंसडैग) के बीच हस्ताक्षरित किए गए एक समझौते के अनुसार एचएससीएल ने कोलकाता में इस्पात गहन डिजाइन वाले इंसडैग भवन का निर्माण कार्य शुरू किया और सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया है। इस भवन का पहले ही औपचारिक रूप से उद्घाटन कर दिया गया है। एचएससीएल की भारत में इस्पात का उपयोग बढ़ाने के लिए इसडैग के सहयोग से अन्य परियोजनाएं शुरू करने की योजनाएं हैं। इसके अलावा, एचएससीएल द्वारा पारम्परिक आरसीसी संरचनाओं के स्थान पर इस्पात संरचनाओं का अपयोग कर जनपथ, दिल्ली में हथकरघा विपणन परिसर का कार्यान्वयन भी पूरा कर लिया गया है। माननीय वस्त्र उद्योग मंत्री द्वारा इस भवन का औपचारिक रूप से उद्घाटन कर लिया गया है।

अध्याय—XVII

निगमित सामाजिक दायित्व

17.1. प्रस्तावना

निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) एक ऐसी संकल्पना है जिसके तहत संगठन उपभोक्ताओं, कर्मचारियों, शेयरधारकों, समुदायों और पर्यावरण पर अपने कार्य क्षेत्र के प्रचालनों के सभी पहुँचओं के प्रभाव का उत्तरदायित्व लेकर समाज के हित का संरक्षण करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और कुल मिलाकर समाज पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अतः सीएसआर का स्थापी विकास के साथ सीधा संबंध है।

भारत सरकार ने अगस्त 2013 में कंपनी अधिनियम 2013 बनाया। कंपनी अधिनियम 2013 का अनुच्छेद 135 निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के बारे में है। इसमें कंपनियों के लिए शुद्ध मूल्य, कारोबार, और शुद्ध लाभ के आधार पर वे अर्हक मानक निर्धारित किये गये हैं, जिनकी सीएसआर गतिविधियां चलाने के लिए जरूरत होती है और साथ—साथ, जो कंपनियों के निदेशक मंडल द्वारा सीएसआर गतिविधियों के चयन की व्यापक कार्य प्रणालियों, कार्यान्वयन और निगरानी को निर्देशित करती हैं। अपनी सीएसआर नीतियों में कंपनियों द्वारा शामिल की जा सकनेवाली गतिविधियों को इस अधिनियम की अनुसूची VII में सूचीबद्ध किया गया है। इस अधिनियम के अनुच्छेद 135 और अनुसूची VII के प्रावधान केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होते हैं।

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत निगमित कार्य मंत्रालय ने सीएसआर नियमावली तैयार की है और इसे 27.2.2014 को जारी किया है। सीएसआर नियमावली 1.4.2014 से केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित सभी कंपनियों पर लागू होती है। इसके अलावा, सार्वजनिक उद्यम विभाग ने अक्टूबर 2014 में निगमित सामाजिक दायित्व और स्थायित्व पर दिशा—निर्देश जारी किये हैं। इसपात मंत्रालय के अधीन सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को सीएसआर के तहत निधियों के आवंटन एवं व्यय करतेसमय उपरोक्त अधिनियम/नियमावली/ दिशा—निर्देशों का अनुपालन करने के लिए निर्देश दिया गया है। निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के निधियों के आवंटन एवं व्यय के ब्यौरे अनुबंध XV पर दिए गए हैं।

17.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल का सामाजिक ध्येय निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अनुरूप है। कंपनी का ध्येय इस्पात उत्पादन व्यवसाय के अलावा, अपने व्यवसाय का इस तरह से संचालन करना है जिससे अपने प्रचालन क्षेत्र में रह रहे समुदाय को सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक हितलाभ मिल सके। किसी भी संगठन के लिए, अपने व्यवसाय का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव से अवगत होने से सीएसआर की शुरुआत होती है। लोगों की जीवन में सार्थक बदलाव लाने के अपने दर्शन एवं मूल मंत्र को रेखांकित करते हुए, सेल अपनी स्थापना से ही सीएसआर पहल का गठन और कार्यान्वयन कर रहा है। इन प्रयासों से सेल कारखानों के आसपास स्थित बहुत छोटे गांवों को आज विशाल औद्योगिक केंद्रों में परिवर्तित किया जा सका है।



सेल की इस्पात नगरियों एवं आस—पास के क्षेत्र में सरकारी स्कूल के बच्चों को निःशुल्क मध्यान्ह भोजन दिया जा रहा है।



सेल सीएसआर पहल का संचालन सदैव कानूनी प्रावधानों जैसे सीएसआर और स्थायित्व –2013 पर संशोधित सार्वनिक उद्यम विभाग दिशानिर्देश के अनुरूप तथा वर्तमान रूप से “कंपनी अधिनियम–2013” के अनुसार किया गया है। सेल के सीएसआर परियोजनाएं देश भर में इस्पात नगरियों, खानों और दूरदराज के स्थानों में, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में संचालित की जा रही हैं, जिनमें आदर्श इस्पात गांवों (एमएसवीज) का विकास सहित, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल सुविधा उपलब्ध कराना, टीकाकरण, प्रसव पूर्व और उपरांत देखभाल, शिक्षा, पेयजल सुविधाएं, सड़कों और सड़क किनारे नालियों का निर्माण एवं पथ प्रकाश, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, निःशक्त व्यक्तियों की सहायता, स्व–सहायता समूहों के जरिए स्थायी आय सृजन, खेलकूद, कला, संस्कृति एवं आमोद–प्रमोद क्रियाकलापों का संवर्धन, आदि शामिल हैं।

स्वच्छ भारत अभियान–स्वच्छ विद्यालय अभियान

माननीय प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस पर दिये गये भाषण के बाद, सेल ने 2014–15 की सीएसआर योजना को संशोधित किया है। “स्वच्छ भारत अभियान–स्वच्छ विद्यालय अभियान” के तहत स्कूलों में टॉयलेट्स के निर्माण के लिए, सेल के निदेशक मंडल ने 2014–15 हेतु 20 करोड़ रुपये (2015–16 हेतु 9 करोड़ रुपये) की भारी बजट राशि रखी है। इस अभियान को सेल कारखानों और इकाइयों के आस–पास के स्कूलों में चरणबद्ध तरीके से चलाया जायेगा।

सेल सीएसआर मिशन परियोजनाएं

देश में बदलते सीएसआर परिवेश को देखते हुए, सेल ने भी कंपनी के सीएसआर फोकस में संशोधन किया है ताकि ऐसी बड़ी सीएसआर परियोजनाओं को लाया जाये जिनका संबंधित समूहों पर व्यापक प्रभाव पड़ सके। लक्षित आस–पास के क्षेत्रों के सामाजिक–आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न मानकों के विशिष्ट विश्लेषण/अध्ययन के आधार पर सीएसआर मिशन परियोजनाओं का चयन किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII के प्रावधानों के अनुसार सेल के पांच एकीकृत इस्पात कारखानों अर्थात् भिलाई, दुर्गापुर, राऊरकेला, बोकारो और बर्नपुर में शिक्षा, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, वाटरशेड विकास और कौशल विकास के क्षेत्र में 9 मिशन परियोजनाएं शुरू की गयीं।

सीएसआर गतिविधियाँ

शिक्षा: शिक्षा के माध्यम से समाज का विकास करने के ध्येय से, सेल ने 59,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा प्रदान करने के लिए इस्पात नगरियों में 129 से अधिक विद्यालय खोले हैं तथा यह लगभग 92,000 बच्चों के साथ 629 से अधिक स्कूलों को सहायता उपलब्ध करा रहा है। निःशुल्क शिक्षा, मध्याह्न भोजन, वर्दी जिसमें जूते, पाठ्य पुस्तकें, लेखन सामग्री, स्कूल बैग, पानी की बोतलें तथा कुछ मामलों में परिवहन भी शामिल है, की सुविधाओं वाले सात विशेष विद्यालय (कल्याण विद्यालय) गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) लोगों के लिए पांच एकीकृत इस्पात संयंत्रों में निगमित सामाजिक दायित्व के तहत संचालित किए जा रहे हैं। निजी स्कूलों के संचालन और आस–पास के क्षेत्र में स्कूलों को मदद पहुंचाने के अलावा, सेल अक्षय पात्र फाउंडेशन के जरिए भिलाई तथा राऊरकेला के आस–पास सरकारी विद्यालयों के विद्यार्थियों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध करा रहा है। इस याजेना के तहत, लगभग 550 सरकारी विद्यालयों में प्रतिदिन 73000 से अधिक विद्यार्थियों को स्वरूप एवं पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है।

स्वास्थ्य देखभाल: सेल की गहन एवं विशिष्ट स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था के जरिये अपने कारखानों एवं इकाइयों के आस–पास रहने वाले 38.61 मिलियन से अधिक लोगों विशिष्ट एवं प्राथमिक चिकित्सा सेवा प्रदान की जा रही है। जरूरतमंद लोगों को उसके घर पर अच्छी स्वास्थ्य सुविधा सुलभ कराने के लिए संयंत्रों/इकाइयों/खानों और दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए विभिन्न गांवों में निश्चित दिनों पर नियमित स्वास्थ्य शिविर लगाये जाते हैं। विगत तीन वर्ष के दौरान, 9700 स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिनसे 5.92 लाख लोग लाभान्वित हुए। वर्ष 2013–14 में, 3000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिनसे लगभग 2.16 लाख लोग लाभान्वित हुए और अप्रैल–सितंबर, 2014 के दौरान 2000 से अधिक स्वास्थ्य शिविर लगाये गये जिनसे लगभग 72,600 से अधिक लोग लाभान्वित हुए।

कारखानों में 7 स्वास्थ्य केन्द्र शुरू किये गये जिनमें नितांत रूप से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को दवाइयों सहित निःशुल्क चिकित्सा देखभाल प्रदान की जाती है। इन स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रति वर्ष लगभग 100,000 लोगों ने इस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठाया है। वर्ष 2013–14 के दौरान इन स्वास्थ्य केन्द्रों में लगभग 90,000 लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की गयी और अप्रैल–सितंबर, 2014 के दौरान इन स्वास्थ्य केन्द्रों में 82,000 से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की गयी।

सड़क संपर्क एवं पेयजल सुविधाएं: सेल ने अपनी स्थापना से ही सड़कों का निर्माण और मरम्मत करके 435 गांवों में 77.04 लाख से अधिक लोगों को सड़क मार्ग की सुविधा उपलब्ध करवाई है। इसने 7625 जल स्रोतों की स्थापना करके दूरदराज़ के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जल सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे लगभग 42.70 लाख लोगों को पेयजल सुविधा उपलब्ध हुई है।

आपदा राहत: सेल ने एक जिम्मेदार नियमित सदस्य के रूप में, राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास प्रयासों में मदद पहुंचायी है, जिनमें हाल ही में बाढ़ प्रभावित जम्मू एवं कश्मीर, ओडिशा में फाइलीन चक्रवात, उत्तराखण्ड में विकराल बाढ़ शामिल है।

अध्याय—XVII

स्थायी आय सूजन: कप्यूटर, मोबाइल रिपेयरिंग, वैल्डर, फिटर, तथा इलेक्ट्रिशियन प्रशिक्षण, बेहतर कृषि, मशरूम की खेती, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मात्स्यकी, सुअर पालन, आचार/पापड़/अगरबत्ती निर्माण, सिलाई तथा कड़ाई, धुआं रहित चूल्हा निर्माण इत्यादि जैसे क्षेत्रों में ग्रामीण युवाओं और आस—पास के क्षेत्र की महिलाओं को स्थायी रोज़गार सर्जन की दिशा में व्यवसायिक एवं विशिष्ट कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

17.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

सीएसआर के संबंध में डीपीई के दिशा निर्देशों का अनुपालन किया गया है और नए कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुरूप वर्ष 2014—15 के लिए 14.23 करोड़ रुपये की राशि का आवंटन किया गया। चालू वर्ष 2015 में आरआईएनएल की सीएसआर गतिविधियों में स्वास्थ्य देखभाल, कुल साक्षरता, व्यवसायिक प्रशिक्षण, सोलर लाइटिंग, हिंदू मंदिरों और बौद्ध मठों की मरम्मत आदि शामिल हैं।



नेत्र चिकित्सा शिविर — नेत्र ज्योति मोबाइल वैन

आरआईएनएल की प्रमुख विभिन्न सीएसआर गतिविधियों में ये शामिल हैं :

पर्यावरण की देखभाल:

- “ग्रीन विशाखा” — विशाखापत्तनम के परवाडा और मधुरावाड़ा के नजदीक छोटी पहाड़ियों में 100,000 पौधों का रोपण।
- ‘सूर्य’ सौर ऊर्जा पहल — वृद्धों के लिए सेंट जोसेफ होम में सौर विद्युत प्रणाली की व्यवस्था की गयी।

शिक्षा:

- आस—पास के गांवों और जगयापेट और मधरम खानों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था से लगभग 2000 बीपीएल बच्चे लाभान्वित हुए।
- अरुणोदय विशेष विद्यालय, उक्कुनाग्राम के माध्यम से निःशक्त बच्चों को निःशुल्क शिक्षा से 75 बच्चे लाभान्वित हुए।
- मिनुमुलुरु (पड़ेरु के नजदीक आदिवासी गांव) सहित विशाखापत्तनम के आस—पास के 11 गांवों के 25 केंद्रों में प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिससे 625 प्रौढ़ लाभान्वित हुए। यह राज्य सरकार के पाठ्यक्रम के अनुरूप छमाही कार्यक्रम है।
- विशाखापत्तनम के आस—पास के गांवों में सरकारी विद्यालयों के बच्चों को विद्यालय फर्नीचर, मध्याह्न भोजन योजना हेतु प्लेटेंवं ग्लास, खेल उपकरण एवं ट्राइसाइकिल, इत्यादि के वितरण से 1109 बच्चे लाभान्वित हुए।

स्वास्थ्य देखभाल:

- अंदरूनी गांवों में लोगों तक पहुंच के लिए विभिन्न शिविरों यथा नेत्र, कैंसर जांच, विशाल चिकित्सा शिविरों इत्यादि का आयोजन किया गया:
- ‘नेत्र ज्योति’ की मोबाइल बाईकेयर वैन के जरिये विशाखा अस्पताल में 120 नेत्र शिविर आयोजित किए गए जिनसे 11038 मरीज लाभान्वित हुए और 790 शल्य चिकित्सा निःशुल्क की गयी।



- ❖ 'संजीवन' लॉयंस केर अस्पताल उपयोग करते हुए 3 कैंसर जांच शिविर लगाये गये, जिनसे 254 मरीज लाभान्वित हुए और 10 पॉजिटिव मामलों को पुनः उपचार हेतु रैफर किया गया ।
- ❖ आम दवाई, पेडियट्रिक्स, डायबेटिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, ऑथेल्मोलॉजी, ईएनटी, कार्डिया, डेंटल, गायनाकोलॉजी, डर्मोटोलॉजी जैसी विभिन्न सेवाओंके अलावा, व्हील चेर्यर्स (10), कृत्रिम अंग (40), ट्राइसिक्लिं (5) का वितरण ।
- कंपनी के अस्पताल में आरआईएनएल के डाक्टरों ने आस-पास के गांवों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे (बीपीएल) परिवारों के लिए निःशुल्क मोतियाबिंद ऑपरेशन किया, जिससे 317 मरीज लाभान्वित हुए ।

जन देखभाल :

- विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के नजदीक पास के गांव "चेपलापलम" में निदेशक (कार्मिक) ने सामुदायिक पेय जल प्रणाली का उद्घाटन किया । इस प्रणाली से लगभग 1000 लोग लाभान्वित हुए ।
- विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र और माइंस क्षेत्र के आस-पास के गांव के युवा को आत्मनिर्भर बनाने केलिए "व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम" जैसे ड्रेस मेकिंग, मशीन कढ़ाई, हस्त कढ़ाई, फैब्रिक पेंटिंग और ब्यूटी कल्वर, इत्यादि संचालित करना, जिनसे लगभग 361 महिलाएं लाभान्वित हुईं ।
- विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की पुनर्वास कालोनियों में ग्रीष्म ऋतु के दौरान 4 माह की अवधि के लिए पेय जल की आपूर्ति, जिससे प्रतिदिन लगभग 13,000 लोग लाभान्वित होते हैं ।

नियोजित सीएसआर गतिविधियों के अलावा, वर्तमान वर्ष में निम्न कार्य भी किये गये:

- स्कूलों में टॉयलेट्स के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत कार्यक्रम ।
- एनटीआर सुजल – विशाखापत्तनम के ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल योजना ।
- हुदहुद साइक्लोन प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपायों के लिए आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष की वित्तीय मदद ।

17.4 एनएमडीसी लिमिटेड

कंपनी द्वारा चलाये गये/शुरू किये गये सीएसआर कार्यक्रमों की स्थिति निम्नानुसार है :

- बैलाडिला में 18 गांवों का समेकित विकास कार्य चल रहा है ।
- वर्ष 2014–15 (नवंबर 2014 तक) की अवधि में क्रमशः 45043 एवं 4486 स्थानीय आदिवासियों को निःशुल्क बहिरंग और अंतरंग चिकित्सा सुविधा प्रदान की गई है ।



एनएमडीसी अस्पताल में स्थानीय आदिवासियों को निःशुल्क चिकित्सा उपचार

अध्याय—XVII

- वर्ष 2014–15 केदौरान जनजातीय क्षेत्रों के 37 गांवों में 23108 आदिवासी ग्रामीणों का उपचार किया गया।
- वर्तमान शैक्षणिक वर्ष अर्थात् 2014–15 के दौरान, 40 लड़कियों के चौथे बैच को एनएमडीसी की विशेष शिक्षा योजना-बालिका शिक्षा योजना के तहत अपेलो अस्पताल, हैदराबाद में जीएनएम एवं बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रमों के लिए प्रायोजित किया गया है। अभी तक नर्सिंग पाठ्यक्रमों का परिशीलन करने के लिए एनएमडीसी द्वारा 104 विद्यार्थी प्रायोजित किए गए हैं।
- वर्ष 2010 में नगरनार में शुरू किया गया आवासीय पब्लिक स्कूल 444 छात्रों के साथ सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है।
- नगरनार में आईटीआई में हर वर्ष 28 छात्रों के प्रवेश के साथ वैल्डर और मिस्ट्री ट्रेड़स की पढ़ाई सफलतापूर्वक जारी है।
- पांच ट्रेड़स के साथ आईटीआई, भांसी में हर साल 76 छात्रों के प्रवेश के साथ सफलतापूर्वक अध्ययन जारी है।
- दांतेवाड़ा में वर्ष 2010 में 126 छात्रों के प्रवेश क्षमता वाला मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम्स के लिए शुरू किया गया एक पॉलिटेक्निक कॉलेज सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। स्थाई भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

आगामी वर्ष से 3 नये ट्रेड़स शुरू करने की योजना पर विचार किया जा रहा है।

- अजा./अजजा छात्रों को प्रेरित करने के लिए “एनएमडीसी शिक्षा सहयोग योजना” नामक छात्रवृत्ति स्कीम प्रचालन में है और वर्ष 2013–14 के दौरान 16705 छात्रवृत्तियां प्रदान की गई हैं। वर्तमान वर्ष में छात्रवृत्तियां प्राप्त करने वालों की संख्या 18000 होने की आशा है।
- दोणिमलाई परियोजना एवं आसपास के क्षेत्र में 8000 ग्रामीण स्कूली बच्चों को दोपहर का भोजन देने का कार्यक्रम सफलतापूर्वक चल रहा है।
- छात्रों द्वारा पढ़ाई बीच में छोड़ने की दर में सुधार के साथ दांतेवाड़ा ब्लॉक में 84 स्कूलों में शिक्षा सुधार कार्यक्रम पूर्ण हो गया है। इन स्कूलों में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु अनुवर्ती योजना प्रगति पर है जैसा कि प्रस्तावित कार्यक्रम शीघ्र शुरू होने वाला है। इसके अलावा, दांतेवाड़ा जिले के 100 स्कूलों में शिक्षा सुधार कार्यक्रम कार्यान्वित करने की योजना पर भी विचार चल रहा है और अगले वित्त वर्ष में इनको कार्यान्वित किये जाने की संभावना है।
- एनएमडीसी ने दांतेवाड़ा में 4 लेन मार्ग वाले गैरव पथ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ भागीदारी की और यह पूर्णता की कगार पर है।
- बस्तर जिले के 30 गांवों में 30 लाख रुपये प्रत्येक की लागत पर 30 सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है।
- उत्तर प्रदेश के रसूलपुर, बाराबांकी में सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण।
- बेसहारा, मानसिक रूप से निःशक्त और वृद्ध लोगों के लिए “शांति धाम” गृह का वर्तमान वित्त वर्ष में निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है। “शांति धाम” परिसर में अतिरिक्त प्राथमिक सुविधाएं एवं उपकरण प्रदान करने का कार्य चल रहा है।
- बेलारी में परिव्यय से क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र का निर्माण कार्य, जो वर्ष 2012 में शुरू किया गया था, पूर्णता की कगार पर है।
- बीजापुर में 25 विद्यालयों में 5000 लिटर क्षमता के आरसीसी सिस्टर्न का निर्माण तथा फोर्सेलिट पम्पों, टैंकों की संस्थापना प्रगति पर है।
- छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार की भागीदारी में बस्तर में वर्ष 2013–14 के दौरान शुरू किये गये। 219 हस्त पम्प में संयोजित फ्लूराइड रिमूवल संयंत्र की संस्थापना कार्य प्रगति पर है।
- एनएमडीसी ने (16+2) आश्रमों में सौर प्रणाली आधारित पेय जल की व्यवस्था करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के साथ भागीदारी की है और उसका कार्यप्रगति पर है।
- छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के 460 बेरोजगार आदिवासी युवाओं को आजीविका उपार्जन प्रशिक्षण देने के लिए बेम्बू बेल मैटल तथा तुम्बा कला में जीविकोपार्जन कौशल विकास कार्यक्रम प्रगति पर है।



- माननीय प्रधानमंत्री द्वारा यथा घोषित मिशन स्वच्छ भारत के स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत, एनएमडीसी ने बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, कुंडागांव, नारायणपुर और सुकमा जिले के 1544 ऐसे स्कूलों में टॉयलेट्स के निर्माण करने का बीड़ा उठाया है, जिनमें मानव संसाधन मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार टॉयलेट्स नहीं हैं।
- एनएमडीसी ने अपनी बैलाडिला परियोजनाओं के आस-पास 16 गांवों में स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है, ताकि स्वच्छता और व्यक्तिगत साफ सफाई के प्रति गांवों के निवासियों के व्यवहार में बदलाव लाया जा सके। एनएमडीसी ने मिशन स्वच्छ भारत के तहत वर्तमान वित्त वर्ष से शुरू 04 वर्ष की अवधि हेतु।

17.5 मॉयल लिमिटेड

वर्तमान वित्त वर्ष में निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत अनेक योजनाएं ली गयी हैं और उनका कार्यान्वयन किया जा रहा है जिनमें प्रमुख रूप से निम्न शामिल हैं:

- शिक्षा तथा कौशल विकास पहल के अंतर्गत, कंपनी पांच स्कूलों की मदद कर रही है। दो स्कूल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले और 3 स्कूल महाराष्ट्र के भंडारा जिले में हैं। दोनों ही जिले भारत के पिछड़े जिलों के रूप में अधिसूचित हैं। इन स्कूलों में आस-पास के गांवों में रहने वाले और अधिकांशतः गरीब परिवारों से आने वाले बच्चों को गुणवत्तामय शिक्षा प्रदान सकी जा रही है।
- दूरदराज़ के क्षेत्रों में ग्रामों को पेयजल उपलब्ध कराने के लिए, मॉयल ने 50 बोर वेल खोदने का प्रस्ताव किया है।
- मॉयल ने एनजीओ सूरज नेत्र संस्थान के साथ सहमति की है तथा इसके लाईट टू लाईब्स कार्यक्रम के तहत, जरूरतमंद ग्रामीण निर्धन लोगों की निःशुल्क मोतियाबिंद शल्य चिकित्सा, पेडेयट्रिक शल्य चिकित्सा, इत्यादि की जा रही है।
- कंपनी तीन जिलों— महाराष्ट्र के नागपुर व भंडारा जिले एवं मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के 21 गांवों में सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला रही है। कंपनी ने महाराष्ट्र के ग्रामीण क्षेत्र हेतु प्रौद्योगिकी हस्तांरण संस्थान (एमआईटीआरए) के साथ सहमति की है।
- कंपनी स्वच्छ भारत—स्वच्छ विद्यालय मिशन से भी जुड़ा है और मध्य प्रदेश के चार जिलों के स्कूलों में टॉयलेट्स निर्माण का जिम्मा लिया है, इनमें बेतूल, बालाघाट, छिंदवाड़ा और सियोनी जिले शामिल हैं। वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान 80 स्कूलों में कुल 102 बालक और बालिका टॉयलेट्स का निर्माण किया जा रहा है।
- कंपनी ने वित्त वर्ष 2014–15 के दौरान इस मद पर खर्च के लिए 1519 लाख रुपये का बजट आबंटित किया है।

17.6 एमएसटीसी लिमिटेड

माननीय प्रधानमंत्री के ‘‘स्वच्छ भारत मिशन’’ के तहत, एमएसटीसी ने वर्ष के दौरान 1.20 करोड़ रुपये का संपूर्ण सीएसआर बजट स्कूलों में टॉयलेट्स ब्लॉक्स का निर्माण करने के लिए रख दिया है। इसके लिए पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़राज्य में 35 स्कूलों का चयन किया गया है।

17.7 फेरो स्क्रैप निगम लि. (एफएसएनएल)

निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व की नीति के तहत एफएसएनएल नजदीकी ग्रामों के साथ-साथ नजदीकी ग्रामों जहां एफएसएनएल की इकाईयां अवस्थित हैं, में अभिज्ञात सरकारी स्कूलों में अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराता है। एफएसएनएल ने राउरकेला, बर्नपुर, भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, दुर्गापुर और ढुबुरी (उड़ीसा) में एफएसएनएल इकाईयों के नजदीकी ग्राम में अवस्थित राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की पहचान की है। इन अभिज्ञात विद्यालयों/ग्रामों के सरपंचों से प्राप्त आवश्यकताओं के आधार पर कम्पनी द्वारा आवश्यक सहायता, प्राथमिक सुविधाएं, इत्यादि उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष के दौरान एफएसएनएल द्वारा निम्न सीएसआर गतिविधियां चलायी गयी हैं:

- रखरखाव प्रशिक्षण और अनुवर्ती कार्य के साथ छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के 3 स्कूलों में बालिकाओं के लिए 3 टॉयलेट्स ब्लॉक्स का निर्माण।
- दुर्ग, छत्तीसगढ़ के मानस भवन में विद्युतीकरण एवं एकॉस्टिक कार्य।

17.8 मेकॉन लिमिटेड

मेकॉन 1960 के दशक से आसपास के इलाकों में ग्रामीण/सामुदायिक विकास क्रियाकलाप संचालित कर रहा है। वर्ष 1976 में, एक समर्पित समूह का गठन किया गया तथा उसका नाम 'सामुदायिक विकास समिति (सीडीसी)' रखा गया तथा उसे 'निगमित सामाजिक दायित्व' के क्रियाकलापों की देखरेख करने का कार्य समनुदेशित किया गया। तत्पश्चात्, वर्ष 2010 में, संगठन के सीएसआर क्रियाकलापों का समन्वय आवश्यकतानुसार विभिन्न वर्गों से लिए गए अन्य कर्मचारियों के सहयोग से करने के लिए 'सीएसआर प्रकोष्ठ' की स्थापना की गई।

वित्त वर्ष 2014–15 में मेकॉन द्वारा संचालित प्रमुख विकास क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

स्वच्छता

- झारखंड के विभिन्न ज़िलों के स्कूलों में स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत टॉयलेट्स का निर्माण।

गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में पेय जल परियोजनाएं

- रांची ज़िले के गांव—बार तोली, पांचा में जल आपूर्ति प्रणाली का निर्माण।
- रांची के नक्सल प्रभावित और झोपड़पट्टी में पेय जल हेतु बोरवेल्स का निर्माण (15)।

मोबाइल स्वास्थ्य सेवाएं

- झारखंड के नक्सल प्रभावित गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन और दवाइयों का वितरण।

शिक्षा

- रांची (झारखंड) और उसके आसपास के स्लम/पिछड़े/ग्रामीण इलाकों में 13 साक्षरता केन्द्रों में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इन केन्द्रों में करीब 370 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

महिलाओं और युवाओं के लिए कौशल विकास

- झारखंड के स्लम/पिछड़े इलाकों के 7 केन्द्रों में निःशुल्क सिलाई/कढ़ाई प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इन केन्द्रों में 95 विद्यार्थी नामांकित हैं। प्रशिक्षण के लिए प्रत्येक केन्द्र को सिलाई मशीनें तथा प्रैकिट्स के लिए कपड़ा/अन्य अपेक्षित सामान दिया जाता है।
- झारखंड के पिछड़े/ग्रामीण इलाकों में सिलाई/कढ़ाई के 3 नये केन्द्र शुरू करना।
- ऐसे पिछड़े युवाओं को, जो उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सकते, निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिए रांची में व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है। यह संस्थान नई दिल्ली स्थित, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (एनआईओएस) के साथ सम्बद्ध है।
- वर्तमान में, संस्थान पांच प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित करता है—रेडियो और टीवी टेक्नीशियन, वैल्डिंग टेक्नोलॉजी, कम्प्यूटर अनुप्रयोग और योग।
- प्लंबिंग/खुदरा विक्रय/सौंदर्य/केश देखभाल, इत्यादि में ग्रामीण युवाओं के लिए कौशल विकास, जीविकोपार्जन, इत्यादि हेतु प्रशिक्षण।

निःशक्त (दृष्टि एवं शारीरिक रूप से) लोगों के लिए परियोजनाएं

- सेंट माइकल्स स्कूल फॉर ब्लाइंड्स, रांची में प्राथमिक सुविधाओं का सृजन (प्रथम तल पर नेत्रहीन हेतु 26 बिस्तर वाले हॉस्टल का निर्माण)।
- ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, रांची में प्राथमिक सुविधाओं का सृजन (द्वितीय तल पर नेत्रहीन बालिकाओं हेतु डॉमिटरी का निर्माण)।



- कॉल सेंटर ऑपरेशन के लिए ब्रज किशोर नेत्रहीन बालिका विद्यालय, रांची की दृष्टि बाधित बालिकाओं को प्रशिक्षण।

वृद्धाश्रम, अनाथाश्रम के लिए परियोजनाएं

- रांची जिले के नागरी गांव में वृद्धाश्रम में स्वच्छ पेय जल सुविधाओं की स्थापना।
- रांची जिले के नागरी गांव में वृद्धाश्रम में टॉयलेट्स ब्लॉक का निर्माण।
- खुंटी जिले के नक्सल प्रभावित गांव के अनाथाश्रम में डॉमिटरी, किचन, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण केंद्र इत्यादि का निर्माण।

पर्यावरणीय स्थायित्व

- झारखण्ड के नक्सल प्रभावित पिछड़े गांवों एवं स्लम्स में सोलर स्ट्रीट लाइटों की स्थापना।
- वृक्ष एवं तरुओं की विलुप्त हो रही प्रजातियों का संरक्षण (3 कल्पतरु वृक्ष)

अन्य गतिविधियां/विविध कार्यक्रम

- खुंटी जिले के कुदरी गांव में प्राथमिक सुविधाओं का सृजन (आदिवासियों के लिए हाई स्कूल का निर्माण)।
- प्रमथ नाथ मध्य विद्यालय में प्राथमिक सुविधाओं का सृजन (कलास रूम्स का निर्माण)।
- स्थानीय कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए (सीएसआर पवेलियन का निर्माण), हितधारकों के साथ सीएसआर बैठक, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए स्वास्थ्य शिविर और समाज के गरीब तबके के लोगों द्वारा बनाये गये हतकरघा वस्तुओं की विपणन सुविधाओं का सृजन।
- चिन्मय मिशन, रांची में प्राथमिक सुविधाओं (रूम्स का निर्माण) का नवीकरण (सुविधा प्रशिक्षण शिविरों के विकास हेतु)।
- रांची जिले के पांडु टोली गांव में आखड़ा का निर्माण ओर सामुदायिक भवन के रूफ-स्लैब और फिनिशिंग कार्य का निर्माण।

17.9 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची VII और बाद के संशोधनों के अनुसरण में वित्त वर्ष 2014-15 की सीएसआर परियोजनाओं/गतिविधियों के लिए 1.10 करोड़ रुपये रखे हैं। सीएसआर के तहत कुछ प्रमुख क्रियाकलाप निम्न प्रकार हैं:

शिक्षा

- श्री विवेकानंद विद्या केंद्र, होशकोट तालुक, बंगलौर – कर्नाटक में शुद्धिकृत पेय जल सुविधा
- स्वच्छ भारत अभियान के तहत टॉयलेट सुविधा
- पंडा नियोगा संस्कृत विद्यालय, पुरी, भुवनेश्वर, उड़ीसा को मदद

स्वास्थ्य

- शंकर आई क्लिनिक, बंगलौर को पोर्टबल हैंडहेल्ड ऑटो रिफ्लेक्टर की मदद
- गरीब/अनाथों के मोतियाबिंद सर्जरी का प्रायोजन

पर्यावरणीय स्थायित्व

- पिलिकुला निःसर्ग धाम, मंगलौर स्थित पश्चिमी घाट की विलुप्त हो रही वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण के लिए वृक्ष उद्यान का विकास

17.10 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

ओएमडीसी स्वास्थ्य, शिक्षा और जलापूर्ति तथा सामुदायिक विकास जैसे सीएसआर क्रियाकलापों पर ध्यान केन्द्रित करती है। वर्ष 2014–15 के लिए सीएसआर बजट के लिए 34.18 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है। ओएमडीसी अपने कर-पश्चात् लाभ का 3 प्रतिशत सीएसआर बजट के तहत आवंटित करती है। सीएसआर क्रियाकलाप सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप संचालित किए जाते हैं।

बीएसएलसी घाटे में चल रही कंपनी होने के नाते यह सार्वजनिक उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुरूप वर्तमान रूप से कोई सीएसआर गतिविधियां नहीं चला रही हैं।

ईआईएल के एक शैल कंपनी होने के नाते वर्ष 2014–15 के लिए इसे सीएसआर गतिविधि चलाने के लिये 2.17 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है।



अध्याय—XVIII

इस्पात मंत्रालय के अधीन तकनीकी संस्थान

18.1 प्रस्तावना

इस्पात क्षेत्र में कामगारों की तकनीकी कुशलता को लगातार निखारने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्थापित किए गए निम्नलिखित संस्थानों के सराहनीय कार्य एवं योगदान का उल्लेख करना आवश्यक है :

18.2 बीजू पटनायक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (बीपीएनएसआई)

इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित एक कृतिक बल द्वारा विकसित अवधारणा योजना के आधार पर पुरी में एक नेशनल स्टील इंस्टीट्यूट (एनएसआई) की स्थापना करने का निर्णय लिया गया। इसे एक प्रशिक्षण—सेवा—शोध एवं विकास केन्द्र के तौर पर स्थापित किया जाना था। यह संस्थान सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत है और इसने 1 जनवरी, 2002 से काम करना शुरू किया। जेपीसी के चेयरमैन ही बीपीएनएसआई के चेयरमैन भी हैं। इसकी स्थापना वैश्विक एवं भारतीय इस्पात उद्योगों में हो रहे तेज बदलाव के अनुरूप घरेलू द्वितीयक इस्पात उद्योग को ढालने में मदद देने के उद्देश्य से की गई थी। मन्त्रिमंडल ने 20 फरवरी, 2004 को जेपीसी के पूँजीगत निधियन से पुरी में एक पूर्णकालिक संस्थान के तौर पर बीपीएनएसआई की स्थापना किए जाने को मंजूरी दी। वर्ष 2025 तक परकल्पित 300 एमटीपीए उत्पादन क्षमता के लिए क्षमता की निर्माण की ओर एक पहल के रूप में मंत्रालय ने इसके राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र के उन्नयन के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

18.3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी (एनआईएसएसटी)

गौण इस्पात क्षेत्र, जिसमें इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस (ईएएफ) या इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) से लैस स्टील मेलिंग यूनिट आते हैं, तथा रि-रोलिंग इकाइयों में मानव संसाधन विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन की जरूरत लंबे समय से महसूस की जाती रही है। 1984 में भारत सरकार के इस्पात मंत्रालय द्वारा गठित स्टील रोलिंग इंडस्ट्रीज से संबद्ध सलाहकार समिति ने भी ऐसी ही राय प्रकट की थी। इन जरूरतों को ध्यान में रखते हुए और साथ ही उद्योग की मांग को भी देखते हुए 18 अगस्त, 1987 को तत्कालीन लौह एवं इस्पात विकास आयुक्त एवं इस्पात मंत्रालय के वर्तमान संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में पंजीकृत सोसायटी के तौर पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी स्टील टेक्नोलॉजी का गठन किया गया।

इस संस्थान के क्षेत्राधिकार में द्वितीयक इस्पात क्षेत्र के निम्न क्षेत्र आते हैं :

- वैद्युत आर्क और इन्डक्शन भट्टियां
- लैडल रिफाइनिंग
- रोलिंग मिलें (हॉट और कोल्ड)
- डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन यूनिट

प्रमुख उपलब्धियां

एनआईएसएसटी अपनी एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के साथ एक आईएसओ 9001–2000 प्रमाणित संगठन है। वर्ष 2014 के दौरान संस्थान ने कुछ उपलब्धियां हासिल की और पहले की जो निम्नानुसार हैं:

- एनआईएसएसटी द्वारा संचालित इस्पात निर्माण तथा रोलिंग प्रौद्योगिकी में कार्योन्मुखी प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम (जेओसीसी) ने गौण इस्पात क्षेत्र को 825 कुशल/अर्ध-कुशल सुपरवाइजरी स्तर के तकनीकी कार्मिक प्रदान किये हैं, जिससे रोजगार का नया स्रोत मिला है।
- विभिन्न सरकारी एजेंसियों/निर्माताओं/सेवा प्रदाताओं के लिए नियमित आधार पर धातुकर्मी और यांत्रिकी परीक्षण किये गये हैं।
- एनआईएसएसटी चुनौती का सामना करने के लिए गुणवत्ता, उत्पादन, मूल्य संवर्धन तथा लागत में कमी की दिशा में

अध्याय—XVIII

सुधार लाने हेतु निरंतर गौण इस्पात क्षेत्र को तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

- देश के विभिन्न भागों में इस्पात उद्योग के लिए संगोष्ठियां, निजी प्रशिक्षण, सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित की गयीं।
- ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा एनआईएसएसटी को अपने अर्हक तथा पंजीकृत ऊर्जा लेखापरीक्षकों के जरिए ऊर्जा लेखापरीक्षण करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। राष्ट्र की सेवा में ऊर्जा संरक्षण हेतु उपायों का सुझाव देने के साथ, उद्योगों तथा भवनों का ऊर्जा लेखा परीक्षण किया जा रहा है।
- संस्थान उत्पाद, प्रक्रिया तथा प्रौद्योगिकी विकास संबंधी अनुसंधान और विकास परियोजनाएं भी संचालित करता है। इसने विगत में इस तरह की दो परियोजनाएं पूर्ण की हैं तथा “कम्प्यूटर सिमुलेशन और रीहीटिंग फर्नेसों के ई-डिमांस्ट्रेशन” संबंधी एक परियोजना वर्तमान रूप से चल रही है। “लौह ऑक्साइड स्लज़ / चूर्ण को रि-साइकाल और पुनः उपयोग” नामक एक अन्य परियोजना की प्रक्रिया चल रही है। जिन रियोजनाओं पर काम चल रहा है वे आम तौर पर उद्योग के व्यावहारिक मसलों और पेश आ रही समस्याओं से संबंधित हैं। इसलिए इस्पात क्षेत्र के छोटे और मझौले उद्योगों के हितलाभ के लिए इस तरह की परियोजनाओं पर विशेष बल दिया जा सकता है।
- एनआईएसएसटी “भारत में लघु पैमाने के इस्पात उद्योग में अपर्केलिंग ऊर्जा दक्ष उत्पाद” संबंधी नई यूएनडीपी परियोजना के विभिन्न कार्यों को शुरू कर रहा है।
- नगरनार (जगदलपुर), छत्तीसगढ़ स्थित एनएमडीसी आयरन एंड स्टील प्लांट (एनआईएसपी) अपनी जमीन दे चुके लोगों के लिए प्रशिक्षण और कौशल विकास शुरू करने के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। एनएसडीसी के इस्पात क्षेत्र कौशल परिषद के लिए भी एनआईएसएसटी एक सक्रिय साझेदार है।
- एनआईएसएसटी इस्पात उत्पादों से संबंधित विभिन्न मानकों को तैयार करने / संशोधन करने हेतु विभिन्न मानकीकरण समितियोंमें भी प्रतिनिधित्व करता है।

18.4 इंस्टीट्यूट फॉर स्टील डेवेलपमेंट एंड ग्रोथ (इंसडैग)

इस्पात मंत्रालय और प्रमुख इस्पात उत्पादकों द्वारा संवर्धित इंसडैग संस्थान भारतीय निर्माण व आधारभूत क्षेत्र में इस्पात सघन संरचनाओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर काम कर रहा है। अपने मिशन के अनुसरण में, इंसडैग ने इस्पात संबंधी सूचना/ज्ञान को संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/प्रकाशनों आदि के जरिए व्यावसायिकों और शिक्षाविदों को प्रसारित करना, पुरस्कार प्रतियोगिताएं आयोजित करना, इस्पात उपयोग के नए और बेहतर तरीकों की खोज तथा नवीकरण करना और ज्ञान पर आधारित विशेषीकृत सेवाएं उपलब्ध कराना जारी रखा है।

- इंसडैग ने आयातित राष्ट्रीय कोड्स के संशोधन और निर्माण सामग्रियों एवं कार्य प्रविधियों के उन्नयन के लिए नये कोड्स के विकास में सक्रिय भाग लिया है।
- इंसडैग ने वर्ष के दौरान सात पुनर्चर्या पाठ्यक्रम, बारह प्रशिक्षण कार्यक्रम और सात 21-दिवसीय क्लासरूम एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवासीय) का संचालन किया है।
- इंसडैग ने भवनों और अवसंरचनाओं में इस्पात के उपयोग, सुरक्षा प्रणालियों और धातुकर्म से जुड़ने के फायदों एवं उत्पादों के गुणवत्ता प्रबंधन पर सिविल, यांत्रिकी और धातुकर्म इंजीनियरी छात्रों के लिए संयुक्त लेक्चर/प्रशिक्षण मॉड्यूल्स विकसित किये हैं।
- इंसडैग ने आदर्श ग्रामीण घरों एवं आदर्श इस्पात ग्रामों के लिए भी डिज़ायन विकसित किये हैं।



अध्याय—XIX

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

19.1 प्रस्तावना

भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 को 15 जून, 2005 को लागू किया। इस अधिनियम का उद्देश्य देश में प्रशासन में खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना और देश में अच्छे अभिशासन की व्यवस्था करना है।

इस्पात मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम का कार्यान्वयन

मंत्रालय में आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन और इसकी निगरानी के लिए निदेशक स्तर के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी के तौर पर मनोनीत किया गया है। इस्पात मंत्रालय के अवर सचिव/सहायक निदेशक/सहायक औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष स्तर, के अधिकारी को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) पदनामित किया गया है और इस्पात मंत्रालय के निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक/उप औद्योगिक सलाहकार या समकक्ष अधिकारियों को अपीलीय प्राधिकारी के तौर पर पदनामित किया गया है। इसके अतिरिक्त, दो सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) का मनोनयन भी किया गया है। मंत्रालय अपने सीधे प्रशासनिक नियंत्रण वाले पीएसयू/कंपनियों और अन्य संगठनों में सूचना का अधिकार अधिनियम की प्रगति/क्रियान्वयन पर भी नज़र रखता है। 17 मर्दों के मैनुअल, अपीलीय प्राधिकारी/केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, सहायक सूचना अधिकारियों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.gov.in पर उपलब्ध कराया गया है। सूचना का अधिकार आवेदनों की ऑन लाइन फाईलिंग के लिए वेबपोर्टल कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा शुरू किया गया है तथा इस्पात मंत्रालय 25.06.2013 से ऑनलाईन वेबपोर्टल का एक भाग है। वर्ष 2014–15 (31 दिसंबर, 2014 तक) के दौरान इस्पात मंत्रालय को भौतिक रूप से 172 आरटीआई आवेदन तथा आरटीआई वेब पोर्टल पर 1159 ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुए, जिन्हें नियत अवधि में यथेष्ट रूप से निपटा दिया गया।

19.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

सेल के लिए एक अनन्य आरटीआई पोर्टल तैयार करके सेल की वेबसाइट पर उपलब्ध कर दिया गया है। मैनुअल जिसमें 17 मॉड्यूलों, अपीलीय प्राधिकारी/जन सूचना अधिकारी, सहायक जन सूचना अधिकारियों/पारदर्शिता अधिकारियों का विवरण एवं श्रेणियों, रिकार्ड रखने की समयावली इत्यादि के साथ सेल कारखानों/इकाइयों के नाम, सेल की वेबसाइट www.sail.co.in पर उपलब्ध कराया जाता है।

“आरटीआई के अधीन जन प्राधिकरणों के दायित्व” पर एक जागरूकता कार्यक्रम/कार्यशालाओं का आयोजन प्रत्येक वर्ष सेल के कॉरपोरेट कार्यालय/संयंत्रों/इकाइयों में किया जाता है तथा इन कार्यक्रमों में सूचना आयुक्तों को आमंत्रित किया जाता है। इसके अलावा, नियमित रूप से संयंत्र और इकाइयों और कॉरपोरेट कार्यालय में आरटीआई अधिनियम पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जाते हैं।

01.04.14 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान कम्पनी में कुल 3909 आवेदन और 563 अपील आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त हुई और सभी का निपटारा आटीआई अधिनियम के अनुसार नियत समय—सीमा में किया गया। केवल 10 मामले सीआईसी को भेजे गए और अब इनका भी निपटान कर दिया गया है।

19.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल—वीएसपी का एक अनन्य आरटीआई पोर्टल शुरू किया गया है और आरटीआई के 17 मैनुअलों में उपलब्ध सूचना को सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) (ख) की अपेक्षा के अनुरूप कंपनी की वेबसाइट पर अद्यतन किया गया है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन की तिमाही विवरणियां, वार्षिक विवरणियां नियमित रूप से सीआईसी पोर्टल पर प्रस्तुत की जा रही हैं।

आरआईएनएल को 1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत कुल 422 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनमें से 342 अनुरोधों को आवेदकों को सूचना उपलब्ध कराकर निपटाया गया। 48 मामले प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को भेजे गए जिनमें से आज की तिथि के अनुसार 26 अपील लंबित हैं। एक मामले के संबंध में आवेदक द्वारा केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में अपील की गई और सीआईसी ने सीपीआईओ को निर्देश दिया कि आवेदक को 10 दिन के अंदर उपलब्ध दस्तावेजों की जांच करने की इजाजत दी जाये।

अध्याय—XIX

19.4 एनएमडीसी लिमिटेड

एनएमडीसी ने आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4 (1)(ख) के तहत सूचना को अपनी वेबसाइट www.nmdc.co.in पर प्रकाशित किया है। सूचना मांगे गए प्रारूप में अधिकतम सीमा तक और आवश्यक होने पर स्थानीय भाषा में भी उपलब्ध कराई जाती है। अप्रैल, 2014 से नवंबर, 2014 के दौरान प्राप्त और निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की संख्या निम्नानुसार है:

01.04.2014 को लंबित आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2014 को लंबित आवेदन
10	127	110	21 (6 अस्वीकार)

19.5 मॉयल लिमिटेड

मॉयल ने अपने निगमित कार्यालय में पीआईओ नियुक्त किये हैं और इसकी सभी खनन इकाइयों में भी पीआईओ/एपीआईओ की नियुक्ति की गई है। इस अधिनियम के तहत कार्यपालक निदेशक (तक.) को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/नामित किया गया है। कंपनी की वेबसाइट www.moil.nic.in पर सभी पीआईओ/एपीआईओ एवं अपीलीय प्राधिकारियों के नाम उपलब्ध कराए गए हैं। आरटीआई अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख) के तहत यथा निर्धारित 17 शीर्षों के तहत कम्पनी, इसके कर्मचारियों इत्यादि के संबंध में सूचना तैयार की गई है और उसे कम्पनी के पोर्टल पर डाला गया है। एमओआईएल निर्धारित प्राधिकारियों को आवश्यक सूचना तथा विवरणियां प्रस्तुत करता है और समय—समय पर इसे अद्यतन करता है।

01.04.2014 से 31.12.2014 की अवधि के दौरान लंबित, प्राप्त आवेदन, उनके निपटान का विवरण निम्नवत है :

01.04.2014 को लंबित आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2014 को लंबित आवेदन
05	38	39	04

19.6 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी ने कंपनी के विभिन्न स्थानों पर सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई के लिए अपने मुख्यालय में एक सीपीआईओ तथा पीआईओ और प्रत्येक क्षेत्र/शाखा में एक पीआईओ और एक सहायक पीआईओ नामित किया है। आरटीआई आवेदनों पर आरटीआई अधिनियम के उपलब्धों के अनुसार कार्रवाई की गई है। तिमाही रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल की जाती है। आरटीआई अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

01.04.2014 को लंबित आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2014 को लंबित आवेदन
शून्य	43	40	03

19.7 फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)

एफएसएनएल ने एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और एक सहायक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति कारपोरेट कार्यालय में तथा एक एपीआईओ की नियुक्ति अपने 8 यूनिटों में से प्रत्येक में की है। प्रबंध निदेशक, एफएसएनएल आरटीओ अधिनियम, 2005 के तहत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी है। कम्पनी ने अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के तहत यथापेक्षित 17 विभिन्न टेम्पलेटों/सहिताओं/स्वैच्छिक/स्व प्रेरणा प्रकटन के लिए संहिताओं के तहत जानकारी संकलित की है तथा उसे कम्पनी की वेबसाइट fsnl.nic.in पर डाला है तथा इस प्रकार प्रकाशित सूचना को नियमित रूप से अद्यतन किया जा रहा है। तिमाही रिपोर्ट सीआईसी को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाती है।

1 अप्रैल, 2014 से 31 दिसंबर, 2014 तक प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या 21 थी। इनमें से, 20 आवेदनों का निपटान किया जा चुका है।



19.8 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

एचएससीएल ने एक सीपीआईओ और 16 एपीआईओ नामित किए हैं। कंपनी के लिए इस अधिनियम के तहत एचएससीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पहले अपीलीय प्राधिकारी हैं। 1 अप्रैल 2014 से 31 दिसंबर, 2014 की अवधि में प्राप्त आवेदनों और निपटाए गए मामलों का विवरण निम्न है:

- प्राप्त आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या : 38
- सीपीआईओ द्वारा निपटाए गए आरटीआई आवेदनों की कुल संख्या : 34
- प्राप्त प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 14
- अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटाई गई प्रथम अपीलों की कुल संख्या : 12

19.9 मेकॉन लिमिटेड

आरटीआई अधिनियम, 2005 के सभी संगत मैनुअलों को 19 सितंबर, 2005 से मेकॉन की वेबसाइट www.meconlimited.co.in पर उपलब्ध कराया गया है। एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) और प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को मेकॉन द्वारा अपने मुख्यालय में नियुक्त किया गया है और सहायक जन सूचना अधिकारियों (एपीआईओ) को विभिन्न क्षेत्रीय और स्थल कार्यालयों में मनोनीत तैनात किया गया है। जनता की ओर से मेकॉन को मिलने वाले ऐसे आवेदनों को ये नामित अधिकारी निपटाते हैं और नियत अवधि में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) द्वारा इसका जवाब दिया जाता है। एक कार्यपालक निदेशक को मेकॉन में पारदर्शिता अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत, वर्ष 2014–15 (दिसंबर 2014 तक) के दौरान प्राप्त आवेदन एवं उनके निपटारे की स्थिति निम्नवत है:

01.04.2014 को लंबित आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2014 को लंबित आवेदन
02	73	515	20

19.10 केआईओसीएल लिमिटेड

केआईओसीएल ने नियमित कार्यालय में पीआईओ/एपीआईओ तथा अपने सभी कारखानों/अन्य इकाईयों में भी पीआईओ/एपीआईओ नियुक्त किये हैं। अधिनियम के तहत शीर्ष स्तरीय कार्यपालकों को अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त/पदनामित किया गया है। सभी पीआईओ/एपीआईओ और अपीलीय प्राधिकारी के नाम केआईओसीएल की वेबसाइट www.kioclltd.com पर दिये गये हैं। धारा (4) की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख) में निर्धारित मैनुअल तैयार करने के दायित्व का अनुपालन कर लिया गया है और उसे भी अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा के अन्दर केआईओसीएल के पोर्टल पर डाला दिया गया है तथा उसकी नियमित अंतरालों पर समीक्षा की जाती है तथा उसे अद्यतन किया जाता है।

01.04.2014 को लंबित आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान प्राप्त आवेदन	01.04.2014 से 31.12.2014 के दौरान निपटाए गए आवेदन	31.12.2014 को लंबित आवेदन
शून्य	34	34	शून्य

19.11 बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत कम्पनियां सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों का पालन कर रही हैं। आरटीआई पृच्छाओं की प्राप्ति एवं उत्तर देने के लिए एक जन सूचना अधिकारी व उप जन सूचना अधिकारी को नामित किया गया है।

अध्याय—XX

पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास

20.1 प्रस्तावना

इस्पात मंत्रालय को इस उद्देश्य हेतु अपना 10 प्रतिशत बजटीय आवंटन निर्दिष्ट करने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।

20.2 स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

गुवाहाटी, असम में इस्पात प्रसंस्करण इकाई (एसपीयू) की स्थापना का प्रस्ताव सेल बोर्ड ने अप्रैल 2008 में सिद्धान्त रूप में मंजूर किया था। प्रस्तावित सुविधाओं तथा उत्पाद-मिश्र में 88,000 टीपीए के टीएमटी बार मिल की परिकल्पना की गई है। गुवाहाटी आईआईटी के पास उत्तरी गुवाहाटी में तिलिनगांव में इस परियोजना के लिए सेल को रु. 7.97 करोड़ की लागत पर 31 एकड़ जमीन आबंटित कर दी गई है। भूमि सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। कंटीली तार युक्त चारदीवारी, सुरक्षा कक्ष एवं प्रवेश द्वार का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। राज्य सरकार से रियायतों तथा लाभ के बिना यह परियोजना अव्यवहार्य है। राज्य सरकार से मांगी गई रियायतें तथा लाभ अभी भी प्रतीक्षित हैं।

20.3 राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)

आरआईएनएल क्षेत्र के विभिन्न ग्राहकों की मांग की पूर्ति सीधे कोलकाता स्थित अपने शाखा बिक्री कार्यालय (बीएसओ) और गुवाहाटी तथा अगरतला में नियुक्त कसाइन्मेंट बिक्री एजेन्टों (सीएसए) को मार्फत करता है। बीएसओ कोलकाता ने पूर्वोत्तर राज्यों में 25 ग्रामीण डीलर नियुक्त किए हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विक्रय को बढ़ावा देने के लिए, बीएसओ, कोलकाता क्षेत्र के परियोजना उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान कर रहा है। आरआईएनएल उत्तर पूर्व क्षेत्र में सीधे कोलकाता में वीएसपी के भण्डार और खुदरा विक्रेताओं और ग्रामीण डीलरों की मार्फत हाइड्रो-इलेक्ट्रिक, सड़क और दूसरी परियोजनाओं को इस्पात उत्पादों की आपूर्ति भी कर रहा है।

आरआईएनएल / वीएसपी—कोलकाता ने अप्रैल 2014 से दिसंबर 2014 के दौरान कोलकाता भण्डार से पूर्वोत्तर क्षेत्र को 2,501 टन विक्रेय इस्पात की सीधी बिक्री की।

20.4 एमएसटीसी लिमिटेड

एमएसटीसी का पूर्वोत्तर क्षेत्र के साथ कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होता। परन्तु कम्पनी पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों जैसे ऑयल इण्डिया लिमिटेड, ओएनजीसी, बीआरपीएल, नार्थ इस्टर्न कोल फील्ड्स लि., इत्यादि एवं बैंगडुबी, हाशीमारा, जोरहाट इत्यादि क्षेत्रों में स्थित सार्वजनिक सेल की इकाइयों, रक्षा इकाइयों तथा सर्व सैनिक बलों को परोक्ष रूप से स्क्रैप का विक्रय करने का काम करती है। आमतौर पर इन इकाइयों का स्क्रैप स्थानीय व्यापारियों द्वारा खरीदा जाता है जिससे अपरोक्ष रूप से यह क्षेत्र लाभान्वित होता है।

20.5 हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल)

कंपनी को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पूर्वोत्तर के त्रिपुरा राज्य में ग्रामीण सड़कों के निर्माण में भारत सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में हिस्सा लेने का गौरवपूर्ण विशेषाधिकार प्राप्त है। एचएससीएल वहां पर एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में कार्य कर रहा है और उसकी जिम्मेदारी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने से लेकर सड़कों के निर्माण के बाद 5 वर्षों तक उनका रखरखाव भी करने की है।

यह कार्य 250 से 1000 + के बीच की आबादी सघनता वाले ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों का उन्नयन करने तथा नवीन संयोजकता स्थापित करने के लिए त्रिपुरा सरकार के लोक निर्माण विभाग के तहत चरणों में एक परियोजना कार्यान्वयन इकाई के रूप में एचएससीएल द्वारा शुरू किया गया है। कार्य में मृदा परीक्षण, सर्वेक्षण तथा निर्माण / उन्नयन के क्रियाकलाप शामिल हैं जिनमें सौंपने के पश्चात पांच वर्ष के लिए निर्मित सड़कोंका अनुरक्षण शामिल है। एचएससीएल वर्तमान में दो जिलों – ढलाई और उत्तरी जिले में कार्यरत है। त्रिपुरा में पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं का सारांश निम्न प्रकार हैं:

कार्य का कुल मूल्य	:	924.52 करोड़ रुपये
कुल लम्बाई	:	1073 कि.मी.
पूर्ण किया गया कार्य	:	634 कि.मी.

पांच चरणों अर्थात् चरण IV, V, VI, VII, VIII तथा X के तहत त्रिपुरा के दो जिलों – उत्तरी तथा ढलाई में पीएमजीएसवाई कार्य कार्यशील कार्मिकों के लिए पर्याप्त सुरक्षा और कठोर पर्यावरणाधीन चल रहा है। पर्याप्त संख्या में सम्पर्क पहले ही जनता के लिए खोल दिए जा चुके हैं। कार्य के मूल्य में चरणों में और बढ़ोत्तरी होने की संभावना है।

पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के अलावा, कम्पनी ने उदयपुर, कैलाशहर तथा कुलाई में तीन 150 बिस्तर वाले जिला अस्पतालों का सफलतापूर्वक निर्माण कर उन्हें सौंप दिया है। तेलियामूरा में 100 बिस्तर वाला अस्पताल कुछ बाधाओं का सामना करने के बावजूद पूरा होने वाला है। कुलाई में ट्रॉमा देखभाल केन्द्र तथा स्टॉफ क्वार्टर एवं कैलाशहर में स्टॉफ क्वार्टरों की प्रगति संतोषजनक है। पीडब्ल्यूडी के तहत फूलकुमारी में पोलीटेक्नीक पूरा हो चुका है तथा शहरी विकास निदेशालय के तहत जल निकासी कार्य की प्रगति भी संतोषजनक है।

देश का पूर्वोत्तर क्षेत्र एचएससीएल द्वारा अवसंरचना विकास के प्रमुख क्षेत्रों में से एक बन गया है।

एचएससीएल ने सिकिकम के पूर्वोत्तर राज्यों में निम्न दो परियोजनाओं का कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है जिससे राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास एवं पर्यटन को बढ़ाने में मदद मिलेगी :

- (i) सिकिकम के सोलोपोक में पिलग्रिमेज सेंटर का निर्माण, जिसमें खूबसूरत सिकिकम के पहाड़ी इलाके में 108 फीट ऊंची भगवान शिव की मूर्ति की स्थापना एवं अनेक हिंदू देवी-देवताओं के मंदिरों का निर्माण शामिल है। ‘प्राणप्रतिष्ठा’ की जा चुकी है और इस गंतव्य को तीर्थ यात्रियों के लिए खोल दिया गया है।
- (ii) यांगयांग में सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना।

अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में, निम्न प्रमुख परियोजनाएं भी एचएससीएल द्वारा क्रियान्वयनाधीन हैं :

क्रम सं.	निर्माण कार्य
1.	मिजोरम में दो अस्पताल तथा दो ओडिटोरियम
2.	मेघालय में 40 कि.मी. वेलोई-रंगबेलांग सड़क का सुधार उसे चौड़ा करना और उसका सुदृढ़ीकरण
3.	दीमापुर, नागालैंड में एफसीआई के गोदामों का निर्माण
4.	तेजपुर तथा ईटानगर में आईटीबीपी के बटालियन मुख्यालय का निर्माण
5.	टीआईएसएस के गुवाहाटी परिसर का निर्माण
6.	एनएलससीपीआर के तहत शिलांग, मेघालय अंतरराष्ट्रीय मंचन कला एवं संस्कृति केंद्र का निर्माण
7.	पूर्वोत्तर के विभिन्न राज्यों में राजीव गांधी खेल अभियान (आरजीकेए) के तहत इन्डोर स्पोर्ट्स हॉल के लिए 100 ब्लॉक्स का निर्माण
8.	राज्य खेलकूद परिषद्, मेघालय के तहत क्रमशः तुरा तथा अम्पाटी में अंतरराष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट्स स्टेडियम

अध्याय—XXI

अंतरराष्ट्रीय सहयोग

इस्पात क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय महत्वपूर्ण है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, इस्पात मंत्रालय ने निम्न विवरण के अनुसार लोहा और इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए आयोजित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों में सहभागिता की है:

- ईरान इस्लामिक गणराज्य के माननीय उद्योग, खान एवं व्यापार उप मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 28 मई, 2014 को सचिव (इस्पात) से मुलाकात की और दोनों देशों की कंपनियों के बीच रचनात्मक विचार—विमर्श पर बातचीत की है।
- ईरान गणराज्य के राजदूत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 23 दिसंबर, 2014 को माननीय इस्पात और खान मंत्री से मुलाकात की और भारत के साथ व्यवसाय/व्यापार संबंधों हेतु मदद पर विचार—विमर्श किया।
- चेक गणराज्य के राजदूत ने दिनांक 5 सितंबर, 2014 को माननीय इस्पात और खान मंत्री से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के क्षेत्रों को चिह्नित करने एवं द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए विचार—विमर्श किया।
- व्यापार प्रतिनिधि मंडल के साथ, पोलैंड गणराज्य के अर्थव्यवस्था राज्य मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय इस्पात और खान मंत्री से मुलाकात के लिए दिनांक 12 दिसंबर, 2014 को इस्पात मंत्रालय का दौरा किया। पोलैंड गणराज्य के माननीय उप प्रधानमंत्री और अर्थव्यवस्था मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 11 जनवरी, 2015 को अहमदाबाद, गुजरात में गुजरात वाइब्रेंट समिट के दौरान माननीय इस्पात और खान मंत्री से मुलाकात की और भारतीय एवं पॉलिश के बीच व्यवसायों में परस्पर लाभकारी संबंधों को बढ़ाने और खान, इस्पात, शिक्षा और अनुसंधान एवं विकास के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए विचार—विमर्श किया।



अनुलग्नक—।

भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियम, 1961 के अनुसार इस्पात मंत्रालय को आवंटित विषयों की सूची

1. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आईएफ) इकाइयों, रिरोलर्स, फ्लैट उत्पादों (हॉट / कोल्ड रोलिंग इकाइयों), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्राइंग इकाइयों और शिप ब्रेकिंग समेत स्टील स्कैप प्रसंस्करण जैसी प्रोसेसिंग सुविधाओं के साथ लोहा और इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना के लिए आयोजना, विकास और सहायता।
2. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों एवं अन्य अयस्क खानों का विकास (मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, लाइमस्टोन, सिलिमेनाइट, कॉयनाइट और लौह एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त अन्य खनिज, परन्तु इनमें खनन लीज या तत्संबंधित मामले शामिल नहीं हैं)।
3. लोहा और इस्पात एवं फेरो एलॉयज का उत्पादन, वितरण, कीमतें, आयात एवं निर्यात।
4. निम्न उपक्रमों की सहायक कंपनियों समेत उनसे संबंधित मामले, नामतः
 - (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल);
 - (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल);
 - (iii) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि. (केआईओसीएल);
 - (iv) मैंगनीज ओर (इण्डिया) लिमिटेड (मॉयल लिमिटेड);
 - (v) नेशनल मिनरल डेवलमेंट कारपोरेशन लि. (एनएमडीसी) ;
 - (vi) मैटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स (इण्डिया) लि. (मेकॉन) ;
 - (vii) स्पंज आयरन इण्डिया लि. (एसआईआईएल) ;
 - (viii) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एचएससीएल);
 - (ix) भारत रिफ्रैक्ट्रीज लि. (बीआरएल)
 - (x) मेटल स्कैप ट्रेंड कारपोरेशन (एमएसटीसी)
 - (xi) फेरो स्कैप निगम लिमिटेड; तथा
 - (xii) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज।

अनुलग्नक – ||

इस्पात मंत्रालय के प्रभारी मंत्री और अधिकारीगण

(उप सचिव स्तर तक)

इस्पात मंत्री	श्री नरेन्द्र सिंह तोमर
इस्पात राज्य मंत्री	श्री विष्णु देव साय
सचिव	श्री राकेश सिंह
अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	श्री विनोद कुमार ठकराल 12.03.2015 (पूर्वाह्न) तक
	श्रीमती भारती सिवास्वामी सिंहग 12.03.2015 से
संयुक्त सचिव	श्री सुनील बड्ढ्याल श्री एस. अब्बासी श्रीमती उर्विला खाती
आर्थिक सलाहकार	श्री सूरज भान
मुख्य लेखा नियंत्रक	श्री पी.एल. साहु
निदेशकगण	श्री डी.बी. सिंह श्री एच.एल. मीना श्री टी. श्रीनिवास श्री अनुपम प्रकाश श्री महाबीर प्रसाद श्री के.एस. समरेन्द्र नाथ
उप सचिव	श्रीमती मॉली तिवारी श्री शैलेश कुमार सिंह, सं. निदे. (रा.भा.)



अनुलग्नक – III

मुख्य एवं अन्य उत्पादकों के उत्पादन सारांश

(‘000 टन)

क्र.सं.	मद / उत्पादक	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	(अप्रै.–दिस. 2014 (अनंतिम)
---------	--------------	---------	---------	---------	---------	-------------------------------

उत्पादन

I. कच्चा इस्पात :

	मुख्य उत्पादक	23543	23314	24417	25932	33677
	एएसपी+बीआईएसएल	308	291	195	135	
	अन्य उत्पादक					28715
	ई.ए.एफ. यूनिट (कॉरेक्स एवं एमबीएफ/ ईओएफ सहित)	23880	26750	28119	28047	
	इंडक्शन फर्नेस	22941	23936	25685	27579	
	कुल (कच्चा इस्पात)	70672	74291	78416	81693	62392
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत % अंश	66.3%	68.2%	68.6%	68.1%	46%

II. कच्चा लोहा :

	मुख्य उत्पादक	579	502	674	552	862
	अन्य उत्पादक	5105	4869	6196	7398	5220
	बिक्री के लिए उत्पादन	5684	5371	6870	7950	6082
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत % अंश	89.8%	90.7%	90.2%	93.1%	86%

III. स्पंज आयरन

	गैस आधारित	6071	5166	3940	2683	1760
	कोयला आधारित	19270	19805	19066	20189	14959
	कुल स्पंज आयरन	25341	24971	23006	22872	16719
	कोयला आधारित का % अंश	76.0%	79.3%	82.9%	88.3%	89.5%

IV. बिक्री के लिए तैयार इस्पात (मिश्र / गैर-मिश्र)

	मुख्य उत्पादक	18407	17978	19244	22196	33988
	अन्य उत्पादक	57890	66426	70376	73382	38180
	घटाइए आईपीटी / स्वयं की खपत	7676	8708	7940	7903	6971
	कुल बिक्री हेतु तैयार इस्पात	68621	75696	81680	87675	65197
	अन्य उत्पादकों का प्रतिशत % अंश	84.4%	87.8%	86.2%	83.7%	59%

मुख्य उत्पादक : सेल, टीएसएल एवं आरआईएनएल; आईपीटी : इंटर प्लांट ट्रांसफर; अन्य : मुख्य (एस्सार, जेएसडब्ल्यू इस्पात, जेएसडब्ल्यू स्टील एवं जेएसपीएल) और ईएएफ, आईएफ, कॉरेक्स-बीओएफ इत्यादि;

ईएएफ : इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस; एमबीएफ : मिनी ब्लास्ट फर्नेस; ईओएफ : एनर्जी ऑप्टिमाइजिंग फर्नेस

कृपया नोट करें कि वर्ष 2014–15 आईएसपी उत्पादकों और लघु तथा अन्य उत्पादन आधार पर जेपीसी आंकड़ों की रिपोर्ट दे रही है।

आईएसपी उत्पादक हैं सेल, आरआईएनएल, एस्सार, जेएसडब्ल्यू स्टील और जिंदल पावर लिमिटेड (जेएसपीएल); अन्य सभी को लघु और अन्य सेगमेंट में वर्गीकृत किया जाता है।

कर्चे / तरल इस्पात का उत्पादन
(उत्पादकों द्वारा)

उत्पादक	2010–11			2011–12			2012–13			2013–14			अप्रै.-दिस. 2014			
	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	कार्यशील क्षमता	उत्पादन	% उपयोग	('000 रुप.)			
सार्वजनिक क्षेत्र																
बीएसपी	3925	5329	136%	3925	4901	125%	3925	5008	128%	3925	5136	131%	2944	3526	120%	
डीएसपी	1802	1961	109%	1802	1914	106%	1802	2034	113%	1802	2019	112%	1352	1516	112%	
आरएसपी	1900	2160	114%	1900	2170	114%	1900	2209	116%	1900	2291	121%	1425	2047	144%	
बीएसएल	4360	3592	82%	4360	3647	84%	4360	3757	86%	4360	3776	87%	3270	2887	88%	
आईएसपी	500	411	82%	500	330	66%	500	135	27%	500	127	25%	375	13	3%	
एएसपी	234	200	85%	234	200	85%	234	131	56%	234	122	52%	176	78	44%	
एसएसपी		180	96	53%	180	73	41%	180	91	51%	180	91	51%	135	89	66%
वीआईएसएल	118	108	92%	118	91	77%	118	64	54%	118	13	11%	89	29	33%	
कुल (सेल)	12839	13761	107%	13019	13349	103%	13019	13411	103%	13019	13575	104%	9764	10185	104%	
आरआईएनएल	2910	3235	111%	2910	3128	107%	2910	3071	106%	2910	3202	110%	2183	2396	110%	
कुल (सार्वजनिक क्षेत्र)	15749	16996	108%	15929	16477	103%	15929	16482	103%	15929	16777	105%	11947	12581	105%	
नियोगी क्षेत्र																
टाटा स्टील लि.	6800	6856	101%	6800	7128	105%	6800	8130	85%	6800	9155	95%	7200	6892	96%	
मुख्य	18433	1454903	79%	25540	17015	67%	25540	18424	72%	25540	18308	72%	19155	14204	74%	
अन्य ईएफ इकाइयां/ कॉरेक्स-वीओएफ/ एमबीएफ- इओएफ	9140	9332	102%	11580	9735	84%	12010	9695	81%	13458	9874	73%	10094	7696	76%	
इडवर्क्षन	30241	22939	76%	31017	23936	77%	33945	25685	76%	36494	27579	76%	27371	21019	77%	
फॉर्मस यूनिट																
कुल (नियोगी क्षेत्र)	64614	53676.03	83%	74937	57814	77%	81095	61934	76%	85092	64916	76%	63819	49811	78%	
कुल योग	80363	70672.03	88%	90866	74291	82%	97024	78416	81%	101021	81693	81%	75766	62392	82%	

मुख्य = एस्सार, जेएसडब्ल्यू, इस्पात, जेएसडब्ल्यू स्टील लिमिटेड एवं जेएसपीएल



अनुलग्नक – V

**कच्चे / तरल इस्पात का उत्पादन
(मार्ग द्वारा)**

('000 टन)

श्रेणी	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	अप्रै.दिस.-2014 (अनंतिम)
ओक्सीजन मार्ग					
बीएसपी	5329	4901	5008	5136	3526
डीएसपी	1961	1914	2034	2019	1516
आरएसपी	2160	2170	2209	2291	2047
बीएसएल	3592	3647	3757	3776	2887
आईएसपी	411	330	135	127	13
एसएसपी		96	73	91	89
वीआईएसएल	108	91	64	13	29
आरआईएनएल	3235	3128	3071	3202	2396
टीएसएल	6856	7128	8130	9155	6892
जेएसडब्ल्यू स्टील लि.	6508	7442	8518	9257	7622
अन्य ओक्सीजन मार्ग	486	379	350	455	420
कुल ओक्सीजन मार्ग	30646	31226	33349	35522	27437
इलेक्ट्रिक मार्ग					
इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस					
एएसपी	200	200	131	122	78
एस्सार स्टील लि.	3392	4348	4163	3245	2327
जेएसडब्ल्यू इस्पात लि.	2377	2466	2711	2971	2254
जिंदल स्टील एंड पावर लि.	2270	2759	3032	2836	2001
लॉयड्स स्टील लि.	553	620	601	566	500
जिंदल स्टेनलेस लि.	703	752	1107	1111	893
भूषण स्टील लि.	—	—	—	1084	973
भूषण पावर एंड स्टील लि.	—	—	—	1714	1248
अन्य इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस	7590	7984	7637	4944	3662
कुल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस:	17085	19129	19382	18593	13936
इलेक्ट्रिक इंडक्शन फर्नेस:	22941	23936	25685	27579	21019
कुल इलेक्ट्रिक मार्ग:	40026	43065	45067	46172	34955
कुल योग:	70672	74291	78416	81694	62392

तप्त धातु का उत्पादन						
						('000 टन)
	संयंत्र	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	अप्रै.दिस. 2014 (अनंतिम)
क.	सार्वजनिक क्षेत्र					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	5708	5126	5202	5377	3717
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	2143	2099	2241	2191	1693
	राऊरकेला इस्पात संयंत्र	2303	2309	2366	2538	2291
	बोकारो इस्पात संयंत्र	4108	4012	4124	4100	3216
	इस्को इस्पात संयंत्र	495	451	231	220	229
	विश्वैश्वरैय्या लौह एवं इस्पात संयंत्र	131	118	94	21	43
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	3830	3778	3814	3769	2744
	उप योग (क):	18718	17893	18072	18216	13933
ख.	निजी क्षेत्र					
	टाटा स्टील लिमिटेड	7503	7746	8858	9898	7484
	मिनी ब्लास्ट फर्नेस	16713	19061	21764	24342	19608
	उप योग (ख):	24216	26807	30622	34240	27092
	कुल (क+ख):	42934	44700	48694	52456	41025
	निजी क्षेत्र का % अंश	56.4%	60.0%	62.9%	65.3%	66.0%



अनुलग्नक — VII

कच्चे लोहे का उत्पादन (विक्रय के लिए)

(‘000 टन)

	संयंत्र	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	अप्रै.दिस. 2014 (अनंतिम)
क.	सार्वजनिक क्षेत्र					
	भिलाई इस्पात संयंत्र	58	7	14	0	3
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	21	7	3	38	44
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	15	9	0	87	83
	बोकारो इस्पात संयंत्र	143	26	84	40	84
	इस्को इस्पात संयंत्र	21	49	65	55	235
	विश्वेश्वराया लौह एवं इस्पात संयंत्र	3	9	15	5	7
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	318	395	493	327	167
	उप योग (क):	579	502	674	552	623
ख.	निजी क्षेत्र					
	अन्य ब्लास्ट फर्नेस / कोरेक्स इकाईयां	5104	4869	6196	7398	5459
	उप योग (ख):	5104	4869	6196	7398	5459
	कुल (क+ख):	5683	5371	6870	7950	6082
	निजी क्षेत्र का % अंश	89.8%	90.7%	90.2%	93.1%	89.8%

अनुलग्नक

अनुलग्नक – VIII

तैयार इस्पात का विक्रय के लिए उत्पादन (गैर-मिश्र एवं मिश्र इस्पात)

		2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	(‘000 टन) अप्रै.दिस. 2014 (अनंतिम)
क.	सार्वजनिक क्षेत्र					
	मिलाई इस्पात संयंत्र	3574	3279	3614	3470	2359
	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र	673	621	612	620	451
	राउरकेला इस्पात संयंत्र	1994	2041	2111	2057	1563
	बोकारो इस्पात संयंत्र	3344	3128	3274	3330	2430
	इस्को इस्पात संयंत्र	328	221	134	186	36
	अलौय इस्पात संयंत्र	51	46	40	9	5
	सेलम इस्पात संयंत्र	273	298	270	375	266
	विश्वेश्वराया लौह एवं इस्पात संयंत्र	84	58	47	25	25
	सेल-कन्वर्जन एजेंट	—	—	—	556	397
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	2928	2831	2717	2811	1849
	उप योग (क):	13249	12523	12819	13439	9381
ख.	निजी क्षेत्र					
	टाटा स्टील लि.	5157	5456	6427	8756	6600
	प्रमुख	19257	21955	23220	22965	18006
	अन्य	38632	44472	47156	50417	38180
	घटाएँ: खपत (प्रमुख एवं अन्य)	7675	8708	7940	7902	6971
	उप योग (ख):	55371	63175	68863	74236	55815
	बिक्री के लिए कुल उत्पादन (क+ख):	68620	75698	81682	87675	65196
	निजी क्षेत्र का % अंश	80.7%	83.5%	84.3%	84.7%	85.6%



विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन (गैर-मिश्र + मिश्र)

('000 रुपये)

श्रेणी	2010-11			2011-12			2012-13			2013-14		
	मुख्य+ उत्पाद	मुख्य+ अन्य उत्पाद	आईपीटी/ स्व-खपत	बिक्री हेतु उत्पादन	मुख्य+ उत्पाद	आईपीटी/ स्व-खपत	बिक्री हेतु उत्पादन	मुख्य+ उत्पाद	आईपीटी/ स्व-खपत	बिक्री हेतु उत्पादन	मुख्य+ उत्पाद	आईपीटी/ स्व-खपत
1. गैर-प्लैट उत्पादन												
बार्स एंड रोल्स	5792	20124	3	25913	5579	22695	172	28102	5803	23128	137	28794
स्ट्रक्चरल्स/विशेष सेक्शन	798	3755		4553	707	4233	1	4939	661	5271		5932
रेल व रेलवे सामग्री	898	27		925	901	9		910	881	57		938
कुल (गैर-प्लैट उत्पाद)	7488	23906	3	31391	7187	26937	173	33951	7345	28456	137	35664
2. प्लैट उत्पाद												
प्लेट्स	2593	2028	4	4617	2480	2203	17	4666	2426	1831	95	4162
एचआर कॉइल/स्केट्प्ल /स्ट्रिप्स	5210	11940	4012	13138	5433	14934	3917	16450	6678	16418	3706	19390
एचआर शीट्स	265	333	27	571	217	320		537	195	391	31	555
सीआर कॉन्वेन्शन/शीट/स्ट्रिप्स	1778	7918	2975	6721	1658	9416	4036	7038	1584	9564	3494	7654
जीपी/जीसी शीट्स	671	4910	25	5556	659	5261	238	5682	710	5650	73	6287
इलेक्ट्रिक शीट	77	75		152	63	87		150	72	83		155
टिन प्लेट्स	7	223		230	12	241		253	8	293		301
टीएमबीपी	0	0		0	0	4		4	0	5		5
टिन फ्री इस्पात	0	16		16	0	15		15	0	16		16
कुल (प्लैट उत्पाद)	10601	27443	7043	31001	10522	32481	8208	34795	11673	34251	7399	38525
3. पाइपें (बड़ा व्यास)	84	1775		1859	77	1877		1954	75	1931		2006
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	18173	53124	7046	64251	17786	61295	8381	70700	19093	64638	7536	76195
कुल तैयार इस्पात (मिश्र/स्टेनलेस स्टील)	235	4765	630	4370	193	5132	326	4999	151	5738	404	5485
कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	18408	57889	7676	68621	17979	66427	8707	75699	19244	70376	7940	81680

अनुलग्नक

अनुलग्नक – IX (जारी)

विक्रय हेतु तैयार इस्पात का श्रेणीवार उत्पादन (गैर-मिश्र + मिश्र)

('000 टन)

अप्रैल–दिसंबर : 2014–15 (अनंतिम)

श्रेणी	आईएसपी उत्पादक	मिनि एवं अन्य उत्पादक	सकल उत्पादन	घटा: आईपीटी / स्व खपत	बिक्री हेतु उत्पादन
गैर-अलॉय, गैर फ्लैट फिनिशड इस्पात					
1. बार्स एवं रॉड्स	6997	15934	22931	32	22899
2. स्ट्रंगरल्स	1051	4056	5107	0	5107
3. रेलवे सामग्री	627	0	627	0	627
कुल गैर-फ्लैट (1 से 3)	8675	19990	28665	32	28633
गैर-अलॉय फ्लैट तैयार इस्पात					
4. प्लेट्स	2664	367	3031	0	3031
5. एचआर कायॅल्स-स्केल्प	15216	2744	17960	4247	13713
6. एचआर शीट्स	502	7	509	0	509
7. सीआर शीट्स / कॉयल्स	4086	4481	8567	2397	6170
8. जीपी-जीसी शीट्स	2317	2875	5192	0	5192
9. इले. शीट्स	51	63	114	0	114
10. टिनप्लेट (डब्ल्यूडब्ल्यू सहित)	0	211	211	0	211
11. टीएमबीपी	0	4	4	0	4
12. पाइप्स (लार्ज डाया)	158	1367	1525	0	1525
13. टिन फ्री स्टील	0	12	12	0	12
14. कुल फ्लैट (4 से 13)	24994	12131	37125	6644	30481
15. कुल गैर-अलॉय तैयार इस्पात (1-14)	33669	32121	65790	6676	59114
16. कुल अलॉय तैयार इस्पात	319	6059	6378	295	6083
कुल तैयार इस्पात (15+16)	33988	38180	72168	6971	65197

टिप्पणी:

1. अप्रैल 2014 से मुख्य एवं प्रमुख उत्पादकों की परिभाषा को एकीकृत इस्पात संयंत्रों (आईएसपी) के रूप में रिपोर्ट किया जायेगा।
2. सांख्यकीय उद्देश्य से सभी आईएसपी उत्पादकों के समस्त संयंत्रों को आईएसपी उत्पादकों के अंतर्गत रिपोर्ट किया जाता है। आईएसपी उत्पादक सेल, आनआईएनएल, टीएसएल, एस्सार, जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल हैं।
3. परंतु आईएसपी उत्पादकों के निजी संयंत्रों जैसे सेल के इस्को, एएसपी, एसएसपी और वीआईएसएल संयंत्रों, जेएसडब्ल्यू के वासिंद, तारापुर और कलमेश्वर संयंत्रों और जेएसपीएल के पतरातू संयंत्रों को आईएसपी संयंत्रों की श्रेणी में नहीं रखा गया है।



अनुलग्नक - X

श्रेणीवार लौह और इस्पात का आयात

('000 टन)

क्र.सं.	श्रेणी	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	अप्रै.-दिसं.) 2014-15 (अनंतिम)
I	अर्द्ध-तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)					
	अर्द्ध-तैयार	240.8	514.4	517.5	43.2	218.6
	रि-रोलेबल स्क्रैप	94.0	213.1	243.9	208.1	257.2
II	तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)					
	बार्स एंड रॉड्स	438.0	425.1	514.5	294.3	701.9
	स्ट्रक्चरल्स	81.3	63.1	90.9	43.0	44.1
	रेलवे मैटिरियल्स	12.3	12.1	18.8	4.4	15.0
	प्लेट्स	802.1	661.2	861.6	409.92	514.4
	एचआर शीट्स	66.5	53.6	122.5	102.13	62.6
	एचआर कॉइल्स/स्केल्प/स्ट्रिप्स	2346.0	1812.9	1871.6	1104.26	1331.5
	सीआर कॉइल्स/शीट्स	1148.1	1456.6	1568.6	1278.9	1240.3
	जीपी/जीसी शीट्स	353.1	368.0	432.7	368.08	332.1
	इलेक्ट्रिक शीट्स	317.4	275.7	386.7	346.53	310.4
	टीएमबीपी	1.2	1.3	0.9	0.8	1.3
	टिप प्लेट्स	136.0	119.7	142.7	160.5	146.8
	टिन प्लेट्स डब्ल्यू/डब्ल्यू	33.7	30.3	41.1	27.91	15.6
	टिन फ्री स्टील	56.1	50.3	66.3	56.52	64.4
	पाइप्स	37.8	107.8	134.4	101.39	102.2
	कुल तैयार इस्पात (गैर-मिश्र)	5829.5	5437.7	6253.1	4298.6	4882.6
	कुल इस्पात (गैर-मिश्र)	6164.3	6165.2	7014.5	4549.9	5358.4
	मिश्र/स्टेनलेस इस्पात					
	गैर-फ्लैट मिश्र	198.7	259.5	352.5	236.6	509.3
	फ्लैट मिश्र	635.6	1165.1	1319.1	914.6	1101.9
	अर्द्ध-तैयार मिश्र	4.0	15.0	31.1	7.1	22.8
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	834.3	1424.6	1671.6	1151.2	1611.2
	कुल इस्पात (मिश्र)	838.3	1439.6	1702.8	1158.3	1633.9
	कुल तैयार इस्पात (मिश्र+गैर-मिश्र)	6663.8	6862.3	7924.7	5449.8	6493.8
	कुल इस्पात (गैर-मिश्र+मिश्र)	7002.6	7604.8	8717.2	5708.2	6992.3
III	अन्य इस्पात मर्दे					
	फिटिंग्स	55.3	544.7	340.0	298.0	273.18
	विविध इस्पात मर्दे	1222.5	1789.3	2293.7	3402.9	1558.11
	स्टील स्क्रैप	3616.6	5719.8	7772.7	4926.7	4455.27
IV	लौहा					
	कच्चा लौहा	8.9	8.3	20.6	34.2	17.89
	स्पंज लौह	0.2	0.1	0.2	7.3	17.43
	एच.बी. लौहा	0.0	302.6	0.1	0.0	0
V	फेरो-अलॉयज	133.5	142.4	179.6	140.5	186.12
	कुल जोड़	12039.6	16111.9	19324.2	14517.8	13500.3

अनुलग्नक

अनुलग्नक – XI

श्रेणीवार निर्यात					
	(‘000 टन)				
श्रेणी	2010–11	2011–12	2012–13	2013–14	अप्रै.–दिसं.) 2014–15 (अनंतिम)
अर्द्ध–तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	350.0	198.2	142.7	484.2	330.9
तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)					
गैर–फ्लैट					
बार्स एवं रॉड्स	136.0	225.1	413.1	585.1	270.4
स्ट्रक्चरल्स	37.0	44.5	60.6	64.7	55.4
रेलवे सामग्री	6.0	41.8	2.7	1.2	2.3
कुल (गैर–फ्लैट)	179.0	311.4	476.4	651.0	328.2
फ्लैट					
प्लेट्स	235.1	374.0	246.3	154.9	330.1
एचआर कॉइल्स / शीट्स	533.8	1277.3	1878.3	2130.2	989.3
सीआर शीट्स / कॉइल्स	283.0	295.3	411.9	560.6	418.4
जीपी/जीसी शीट्स	1312.3	1443.1	1543.8	1821.7	1218.8
इलेक्ट्रिक शीट्स	1.3	1.2	7.0	9.9	6.3
टिन प्लेटें	60.4	28.6	54.6	70.1	32.7
टिन मुक्त इस्पात	1.6	2.1	1.2	0.5	0.2
पाइप्स	608.0	470.8	136.7	109.3	174.8
कुल (फ्लैट)	3035.5	3892.4	4279.7	4857.4	3170.7
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र)	3214.5	4203.9	4756.1	5508.4	3498.8
गैर–फ्लैट मिश्र	3564.5	4402.0	4898.8	5992.6	3829.7
मिश्र/स्टेनलेस इस्पात	266.9	237.2	215.8	227.9	275.4
फ्लैट मिश्र	155.2	146.6	396.2	249.1	294.4
कुल तैयार इस्पात (मिश्र)	422.1	383.8	612.0	477.0	569.8
अर्द्ध–तैयार (मिश्र)	0.0	3.3	1.5	2.0	1.3
कुल इस्पात (मिश्र)	422.1	387.2	613.5	479.0	571.0
कुल तैयार इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	3636.6	4587.7	5368.1	5985.3	4068.6
कुल इस्पात (गैर–मिश्र+मिश्र)	3986.6	4789.2	5512.3	6471.6	4400.7
कच्चा लोहा	358.0	490.9	414.1	943.1	384.7
स्पंज आयरन	20.1	53.7	58.1	74.0	64.9



केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के फैसलों / आदेशों के कार्यान्वयन की स्थिति

इस्पात मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कोई भी फैसला / आदेश अविलम्ब कार्यान्वयन के लिए लंबित नहीं है।

सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का तुलनात्मक पीबीटी (कर पूर्व लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014.15* (अप्रै.–दिसं.)	2014–15 (जन.–मार्च) (अनुमानित)
1	सेल	5150.87	3240.66	3225.00	2083.72	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	1110.01	526.47	549.15	14.82	101.52
3	एनएमडीसी	10759.47	9465.12	9759.20	7704.00	2252
4	मॉयल	606.63	636.78	769.33	469.32	86.39
5	एमएसटीसी	176.15	193.40	(–)107.37	73.63	37.46
6	एफएसएनएल	2.03	2.53	12.43	1.85	15.20
7	ओएमडीसी \$	8.28	26.25	16.74	20.89	2.30
8	ईआईएल ##	2.22	1.96	0.24	(–)12.73	0.18
9	मेकॉन	201.54	150.73	68.69	(–) 70.12	21.77
10	केआईओसीएल	115.39	32.34	61.40	8.73	36.95
11	एचएससीएल	(–)28.08	(–)19.81	(–)18.67	(–)0.60	(–)8.40
12	बीएसएलसी\$	(–)6.86	(–)18.14	(–)18.77	(–)21.68	(–)7.25
	कुल	18097.65	14238.29	14317.37	10271.83	2538.12

*अनंतिम

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि. (ईआईएल), \$ उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के घटक हैं।



अनुलग्नक – XIII (A)

इस्पात के सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों का तुलनात्मक पीएटी (कर पश्चात लाभ)

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014.15* (अप्रै.-दिसं.)	2014–15 (जन.–मार्च) (अनुमानित)
1	सेल	3542.72	2170.35	2616.00	1758.46	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	751.46	352.83	366.45	13.49	67.01
3	एनएमडीसी	7265.39	6342.37	6420.08	5075.00	1497.00
4	मॉयल	410.77	431.72	509.56	309.80	57.03
5	एमएसटीसी	118.39	130.73	(-)70.03	48.60	24.72
6	एफएसएनएल	1.37	1.96	8.42	1.23	10.29
7	ओएमडीसी \$	3.44	12.86	6.26	14.45	1.60
8	ईआईएल ##	1.69	1.47	0.09	(-)12.76	0.16
9	मेकॉन	136.37	101.03	49.48	(-)70.51	22.16
10	केआईओसीएल	94.30	31.05	39.93	5.83	24.67
11	एचएससीएल	(-)28.08	(-)19.81	(-)18.67	(-)0.60	(-)8.40
12	बीएसएलसी\$	(-)6.86	(-)18.14	(-)18.77	(-)21.68	(-)7.25
	कुल	12290.96	9538.42	9908.8	7121.31	1688.99

*अनंतिम

ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लि. (ईआईएल), \$ उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी), बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी) बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज के घटक हैं।

केन्द्र सरकार और सरकारी बीमा कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014.15* (अप्रै.–दिसं.)	2014–15 (जन.–मार्च) (अनुमानित)
1	सेल	8072.72	8599.06	8187.82	5211.90	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	1635.73	1775.24	1643.11	892.02	511.18
3	एनएमडीसी	5669.62	6588.00	8952.00	4129.00	2886.00
4	मॉयल	223.86	236.74	291.75	145.87	55.00
5	एमएसटीसी	97.50	83.22	81.41	42.86	15.00
6	एफएसएनएल	27.61	36.69	40.83	28.81	13.05
8	मेकॉन	110.23	151.08	92.96	55.16	20.00
9	केआईओसीएल	155.72	209.95	261.05	103.03	उपलब्ध नहीं
10	एचएससीएल	0.39	0.32	44.87	33.65	11.00
11	बीजीसी	6.71	2.58	10.28	7.60	2.10
	कुल	16000.09	17682.88	19606.08	10649.90	3513.33

*अनंतिम



अनुलग्नक – XIV (A)

राज्य सरकारों को सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उपक्रमों का योगदान

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ कंपनी	2011–12	2012–13	2013–14	2014.15* (अप्रै.–दिसं.)	2014–15 (जन.–मार्च) (अनुमानित)
1	सेल	2935.00	3524.25	3772.54	2242.13	उपलब्ध नहीं
2	आरआईएनएल	593.16	598.85	606.62	452.01	162.91
3	एनएमडीसी	1234.83	901.00	932.00	853.00	209.00
4	मॉयल	70.53	77.27	83.24	53.85	21.00
5	एमएसटीसी	30.70	28.28	45.86	46.04	15.00
6	एफएसएनएल	0.36	0.35	0.73	0.62	0.01
7	मेकॉन	6.05	3.04	0.94	0.13	0.05
8	केआईओसीएल	31.22	29.66	30.44	6.11	शून्य
9	एचएससीएल	1.93	2.21	26.67	20.00	7.00
10	बीजीसी	6.25	4.38	4.38	1.72	0.50
	कुल	4910.03	5169.29	5503.42	3675.61	415.47

*अनंतिम

सार्वजनिक क्षेत्र के इम्प्रात उपक्रमों द्वारा सीएसआर संबंधी बजटीय व्यवस्था और व्यय

अनुलग्नक – XV

(रु. लाख में)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	2011–12		2012–13		2013–14		2014–15*	
	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय	बजटीय व्यवस्था	व्यय (अपै.-दिसं)
रोल	6400.00	6125.00	4200.00	5329.00	4000.00	4487.00	7800.00	1287.00
आरआईएनएल	1200.00	1062.22	750.00	1600.00	750.00	2031.00	1423.00	1129.00
एनएमडीसी	8013.00	8671.00	14530.00	10110.00	17105.00	13142.00	25018.00	7652.00
मैयल	628.00	655.91	680.00	1056.00	863.00	1036.34	1519.00	330.00
केंआईओसीएल	230.00	119.00	283.00	79.00	93.00	227.00	110.00	8.84
एमएसटीसी	150.00	166.00	355.00	193.28	260.00	483.00	120.00	120.00
एफएसएनएल	9.00	9.06	9.00	9.00	4.00	4.50	25.27	3.50
मेकॉन	325.00	220.51	497.49	235.33	460.46	272.33	468.76	183.63
एचएसटीएल	0.00	7.51	0.00	24.02 [₹]	0.00	0.00	0.00	9.00
वीजीसी	38.00	26.00	17.00	48.00	64.00	92.27	36.35	24.10
कुल	16993.00	17062.21	21321.49	18683.63	23825.46	21775.44	36520.38	10747.07

* अनंतिम

विगत वर्ष से अग्रेषित निधि में से व्यय किया।



द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार, ‘नागरिक केन्द्रित सात सूत्रीय मॉडल—सेवोत्तम’ का अंगीकरण

द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी 12वीं रिपोर्ट “नागरिक केन्द्रित प्रशासन—शासन की आत्मा” के पैरा 4.6.2 में नागरिक चार्टर को अधिक प्रभावी एवं अनिवार्य बनाते हुए, संगठन को पारदर्शी, जवाबदेह एवं नागरिकों के अनुकूल बनाने के लिए सिफारिश की है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत (ए आर एंड पी जी) विभाग ने जन सेवा प्रदान करने (सेवोत्तम) में बैंचमार्किंग उत्कृष्टता के लिए एक मॉडल विकसित किया है। यह मॉडल नागरिकों को दी जा रही सेवा की गुणवत्ता का आकलन करने एवं सुधारने के लिए संगठनों को एक रूपरेखा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी की मदद से विजनेस प्रक्रिया को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिनव प्रणालियों का उपयोग करते हुए नागरिकों को दी जा रही सेवाओं की पहचान, सेवा की गुणवत्ता, उसका उद्देश्य, गुणवत्ता में सुधार शामिल है।

इस्पात मंत्रालय ने अपना ‘नागरिक चार्टर’ निकाला है और इसे पण्धारकों की बदलती जरूरतों एवं ‘अपेक्षाओं के अनुरूप समय—समय पर अद्यतन किया जाता है। इस चार्टर को मंत्रालय की वेबसाइट www.steel.nic.in पर डाला गया है। मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं कंपनियों में संबंधित चार्टर एवं सात सूत्रीय मॉडल का कार्यान्वयन विभिन्न अवस्थाओं में है। विभिन्न कंपनियों में इस संबंध में प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड (सेल)

नागरिक चार्टर (जन सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता) तैयार कर लिया गया है और इसके रूपांतर 1.2 को सेल की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। इसमें मोटे तौर पर तीन भागों में सूचना दी गई है। पहले भाग में चार्टर का दायरा एवं कंपनी के बारे में सामान्य सूचना दी गई है। दूसरे भाग में चार्टर का उद्देश्य, नागरिकों के प्रति प्रबंधन की वचनबद्धता, एवं नागरिकों से प्रत्याशाओं के बारे में सूचना दी गई है। तीसरे भाग में नागरिकों को सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया, निगरानी एवं चार्टर की समीक्षा के जरिये चार्टर में सुधार का वर्णन मिलता है।

मॉयल लिमिटेड

- (i) मॉयल में “सेवोत्तम” के रूप में नागरिक चार्टर तैयार किया गया है। मॉयल ने इस चार्टर के कार्यान्वयन के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उसे कंपनी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और कंपनी के विभागाध्यक्षों एवं खानों में भी वितरित किया गया है। कम्पनी ने संगठन के ऐसे प्रमुख स्थलों जहां नागरिकों का आना—जाना होता है, पर भी नागरिक चार्टर की प्रति प्रदर्शित की है।
- (ii) कम्पनी ने परिचर्चा करने, जागरूकता पैदा करने एवं नागरिक चार्टर के समुचित कार्यान्वयन के लिए कंपनी के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला का आयोजन किया है।

केआईओसीएल लिमिटेड

सेवोत्तम शिकायत सीटिजन चार्टर की प्रगति कंपनी की वेबसाइट <http://kioclltd.co.in> पर दी गई है। कंपनी ने जन शिकायत दायर करने, उसके समाधान के लिए अपनी वेबसाइट में प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग के केन्द्रीय जन शिकायत विस्तारण मैकेनिजम के पोर्टल के लिए एक लिंकेज प्रदान किया है।

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज (बीजीसी)

बर्ड ग्रुप ऑफ कंपनीज ने पहले ही सेवोत्तम मॉडल के अनुसार शिकायतों की प्राप्तियां एवं समाधान करने की ऑनलाइन प्रणाली शुरू कर दी है। बीजीसी की वेबसाइट www.birdgroup.gov.in पर जन शिकायतों को ऑनलाइन समाधान करने के लिए सात सूत्रीय मॉडल “सेवोत्तम” प्रदान किया गया है।



वार्षिक रिपोर्ट
2014 - 15

परिशिष्ट



भारत सरकार
इस्पात मंत्रालय
के लिए
आर एफ डी
(रिजल्ट्स – फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट)
(2013–2014)

खंड 1 :

दृष्टिकोण, मिशन, उद्देश्य और कार्य

दृष्टिकोण

इस्पात उत्पादक तथा इस्पात की खपत वाले राष्ट्र दोनों के ही रूप में इस्पात के क्षेत्र में भारत को वैशिक नायक के रूप स्थापित करना तथा इस उद्योग की अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करना।

मिशन

बारहवीं पंचवर्षीय के अंत तक 142.3 मिलियन टन की राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए नीतियों, पहलों और प्रोत्साहनों को बढ़ावा देना। विशेषकर खनिज नीति और खान आबंटन क्षेत्र, प्रशुल्क और कराधान उपाय, और भूमि आबंटन तथा पर्यावरणीय और वन स्वीकृतियों के संबंध में अधिकतम इस्पात उत्पादन के लिए विनियामक पर्यावरण को सुकर बनाना। विशेष रूप से रेलवे, सड़क, पत्तन, विद्युत और जल आपूर्ति क्षेत्रों में समन्वित प्रयासों के माध्यम से राष्ट्रीय इस्पात उत्पादन बढ़ाने के लिए अपेक्षित अवसंरचना के विकास को बढ़ावा देना। प्रोत्साहनात्मक प्रयासों और इस्पात कंपनियों के खुदरा नेटवर्क को बढ़ाकर इस्पात संबंधी घरेलू मांग को बढ़ाना। इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रचालनों की तकनीकी – आर्थिक कुशलता बढ़ाना।

उद्देश्य

1. इस्पात निर्माण क्षमता के सृजन और इस्पात उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सहमति – पत्रों में किये गये वायदों के निष्पादन करने की निगरानी करना।
3. घरेलू और विदेशी स्रोतों से इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल, विशेषकर इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लौह अयस्क और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना।
4. अनुसंधान और विकास हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण, निर्यात संवर्धन और तकनीकी – आर्थिक मानकों में सुधार के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के कार्यनिष्पादन में सुधार करना।
5. इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले विलय, अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी निगरानी करना।
6. नई नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देना।
7. इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक व्यापक डेटा आधार का सृजन एवं नवीकरण।
8. लौह एवं इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन विकास।
9. पर्यावरण में सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कारण उपाय।

कार्य

1. लोहे और इस्पात तथा फेरो-अलॉय के उत्पादन, वितरण, आयात और निर्यात से संबंधित मामले।
2. मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों तथा उनकी सहायक कंपनियों से संबंधित मामले अर्थात् (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल); (ii) नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन एम डी सी); (iii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आर आई एन एल); (iv) मैग्नीज (ओर) इंडिया लिमिटेड (मॉयल); (v) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड (एम एस टी सी); (vi) फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफ एस एन एल); (vii) हिन्दुस्तान स्टीलवर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड (एच एस सी एल); (viii) मेटालर्जिकल एंड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स लिमिटेड (मेकॉन); (ix) कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लिमिटेड (के आई ओ सी एल); और (x) बर्ड गुप ऑफ कंपनीज, तथा कोयला संबंधी परिसंपत्तियों के विदेशी अधिग्रहण के लिए स्थापित कंपनी / उपक्रम अर्थात् इंटरनेशनल कोल वेंचर्स लिमिटेड (आई सी वी एल)।



3. इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ई ए एफ) इकाइयों, इंडक्शन फर्नेस (आई एफ) इकाइयों सहित लौह तथा इस्पात उत्पादन सुविधाओं की स्थापना, री-रोलर्स, फ्लैट प्रोडक्ट्स (हॉट / कोल्ड रोलिंग इकाइयों), कोटिंग इकाइयों, वायर ड्राइंग इकाइयों जैसी प्रसंस्करण सुविधाओं तथा शिप ब्रेकिंग सहित इस्पात स्क्रैप प्रोसेसिंग की आयोजना, विकास और उन्हें सुविधाजनक बनाना।
4. सार्वजनिक क्षेत्र में लौह अयस्क खानों तथा अन्य अयस्क खानों (लौह और इस्पात उद्योग में उपयोग में लाए जाने वाले मैंगनीज अयस्क, क्रोम अयस्क, चूना-पत्थर, सिलीमैनाइट, कायानाइट और अन्य खनिज लेकिन खनन पट्टे और उससे संबंधित मामलों को छोड़कर) का विकास।

खंड 2 : प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

उद्देश्य	वजन	कार्यवाही	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
(1) इस्पात उत्पादन क्षमता के सूजन और इस्पात उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना	8.00	(1.1) इस्पात उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना, समन्वय और आवश्यक नीति निर्माण करना	(1.1.1) 2013–14 के दौरान इस्पात की उत्पादन क्षमता (1.1.2) 2013–14 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन	मिलियन टन	3.00	108 100%	105 90%	100 80%	98 70%	97 60%
		(1.2) सेल: वन मंजूरी प्रदान करने के लिए जिन परियोजनाओं पर काम किया जाना है	(1.2.1) गुआ खान: सेल द्वारा यथा प्रस्तावित संपूर्ण क्षेत्र के लिए वन मंजूरी का प्रथम चारण	तारीख	0.50	15.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014
			(1.2.2) रावघाट खान: रावघाट खान विकास परियोजना हेतु डल्ली-राजहरा से रावघाट तक रेलवे लाइन निर्माण में मदद पहुंचाने के लिए सशस्त्र बलों के शिविरों की स्थापना की दिशा में वन मंजूरी छत्तीसगढ़ सरकार के साथ बात करना	तारीख	0.50	15.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014
		(1.3) एनपमडीसी: खान लीज़/प्रोस्पेक्टंग लाइसेंस / पर्यावरणीय मंजूरी के लिए जिस परियोजना पर कार्य किया जाना है	(1.3.1) शाहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉक शाहडील एवं उमरिया जिला, मध्य प्रदेश में 693 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन लीज प्रदान करना	तारीख	0.50	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014



प्रमुख उद्देश्यों सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

खंड 2 :

उद्देश्य	वजन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य/मानदंड पूळ्य			खराब
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	
(1.3.2) गांव संसागडा उत्तर पूर्वी ब्लॉक, जिला पश्चिम सिंधुपाम, झारखण्ड में 115.46 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रोसेसिंग लाइसेंस प्रदान करना	0.50	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	90%	80%	70%	60%
(1.3.3) किरनटुल कामलेक्स जिला दरिंवाड़, छत्तीसगढ़ में स्क्रीनिंग संयं-III के निर्माण हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करना	0.50	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014				

प्रमुख उद्देश्यों सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

खंड 2 :

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उक्ताई	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा सहमति—पत्रों में किये गये वायदों के अनुपालन की निगरानी	10.00	(2.1) सेवा : (क) सहमति पत्रों में किये गये वायदों का अनुपालन	(2.1.1) वायदा / मदद बिंदुओं की प्राप्ति	संख्या	2.00	5	4	3	2	1
		(2.2) (ख) सेवा के कार्य निषादन की निगरानी	(2.2.1) साहमति पत्र कार्य निषादन पर बैठकों की समीक्षा	संख्या	2.00	4	3	2	1	—
		(2.3) आई एन एल : (क)	(2.3.1) वायदा / मदद बिंदुओं की प्राप्ति	संख्या	2.00	4	3	2	1	—
		(2.4) आरआईएनएल: (ख) के कार्य निषादन की निगरानी	(2.4.1) साहमति पत्र कार्य निषादन पर बैठकों की समीक्षा	संख्या	2.00	4	3	2	1	—
		(2.5) एनएमईसी: (क) सहमति पत्र में किये गए वायदों का अनुपालन	(2.5.1) वायदा / मदद बिंदुओं की प्राप्ति संयंत्र को पूरा करना।	संख्या	1.00	2	1	—	—	—
		(2.6) एनएमईसी: (ख) के कार्य निषादन की निगरानी	(2.6.1) सहमति पत्र कार्य निषादन पर बैठकों की समीक्षा	संख्या	1.00	4	3	2	1	—



खंड 2 :

प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वर्जन	कार्यवाही	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	ताज्हा / मानदंड मूल्य		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
(3) इस्पात मंत्रालय के अंतर्गत सर्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा इस्पात उद्योग के लिए घरेलू और विदेशी खोतों से कम्ब्ल माल विशेषकर लौह अयस्क और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता	26.00	(3.1) सेल: i) तस्ता कोयला ब्लॉक का विकास	(3.1.1) माइन डेवलपर-कम-ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति	तारीख	5.00	31.08.2013	30.09.2013	31.10.2013
		(3.2) (ii) कम्ब्ल माल की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार	(3.2.1) युआ में बेनिफिशियल एवं पेलेटिल इजेशन संयंत्र हेतु निविदा को अतिम रूप देना	तारीख	2.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014
		(3.3) आरआईएनएल i) आर आई एन एल को लौह अयस्क खानों के आवंटन हेतु खान मंत्रालय से बातचीत करना	(3.3.1) कम से कम एक खान का आवांटन	तारीख	5.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014
		(3.4) एनएमडीसी : (i) कुमारस्वामी लौह अयस्क खान का विकास	(3.4.1) प्राइमरी क्रिंशिंग संयंत्र की स्थापना एवं चारू करना	तारीख	1.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014
			(3.4.2) सेकेपड़री क्रिंशिंग संयंत्र की स्थापना एवं चारू करना	तारीख	1.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014
		(3.5) (ii) 11वीं लौह अयस्क खान भड़ार का विकास	(3.5.1) बैलाडिला 11 वीं लौह अयस्क खान का भंडार 14 के स्क्रीनिंग संयंत्र के साथ एकीकरण	तारीख	5.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014

प्रमुख उद्देश्यों सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

खंड 2 :

उद्देश्य	वजन	कार्यवाही	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
		(3.6) iii) बछेड़ी परिसर में भड़ार सं. 10 एवं 11 ए स्थित चौथी स्टीलिंग लाइन	(3.6.1) अभियांत्रिकी प्रमुख आपूर्ति सम्पन्न और उपकरणों की स्थापना कार्य शुरू	तारीख	1.00	31.01.2014	15.02.2014	01.03.2014 15.03.2014 31.03.2014
		(3.7) iv) अन्यमधीसी द्वारा लोह अयस्क को घरेलू लौह एवं इस्पात कंपनियों द्वारा जुड़ाव से जुड़ाव लोह अयस्क	(3.7.1) 2013-14 के दोसरा घरेलू लौह एवं इस्पात कंपनियों को आपूर्ति किया गया लोह अयस्क	मिलियन टन	4.00	24	23	22.50 22 21.50
		(3.8) इस्पात निर्माण हेतु कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार	(3.8.1) वर्तमान विधि अंतराल एवं कार्य योजना चिह्नित करने हेतु अध्ययन	तारीख	2.00	15.03.2014	20.03.2014 25.03.2014 28.03.2014	31.03.2014
(4) अनुसंधान और विकास हस्तक्षण, गुणवत्ता नियन्त्रण और निर्यात संवर्धन के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के निष्ठादान में सुधार करना	17.00	(4.1) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा और निगरानी करना	(4.1.1) वर्ष के दोसरा वित्तीय मदद हेतु नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं की मंजुरी	संख्या	2.00	5	4	3 2 1
			(4.1.2) योजना निधि से 3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (जारी) की प्रगति की निगरानी हेतु परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठक i) आरटीसीआईएस, सेल, राची द्वारा भारत में वरस्युआ और अन्य खानों से लौह अयस्क ल्लाइस का बेनिफिसियेशन ii) आर डीसी आईएस सेल, रांची द्वारा	संख्या	1.00	6	5	4 3 2



खंड 2 : प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वर्जन कार्यवाहि	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य		
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
		अलग-अलग आकार की महानता वाले भारतीय गोणथेटिक / हेमाटाइट अयस्कर हेतु पायलट स्केल पेलेटाइजेशन टेक्नोलॉजी का विकास iii) इंस्टियूट ऑफ मिनरल्स एंड मटीरियल्स टेक्नोलॉजी आईएमएसटी युवरेश्वर द्वारा चूनतम या बिना कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन लौह हाइड्रोजन प्लाज्मा और कार्बनडाइक्साइड उत्सर्जन के समापन के जरिये अयस्कर / वर्ण को स्पेलिंग रिडक्षन से वैकल्पिक रिडक्टेंट्स हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हुए कार्बन मुक्त लौह उत्पादन हेतु भावी टेक्नोलॉजी का विकास	100%	90%	80%	70%	60%
(4.1.3) इस्पात विकास निधि से 3 अनुसूचित एवं विकास परियोजनाओं (जारी) की निगरानी के अधिकार प्राप्त बोर्ड (ईबी) की बैठक : i) आई आई टी गुवाहाटी द्वारा इस्पात संयंत्र में विशिष्ट उत्पादन प्रविधियों के दैरान हैट	संख्या	1.00	6	5	4	3	2

खंड 2 : प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लद्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%
(4.1.4) योजना निधि के तहत की विकास लेभल कंडीशन मॉनिटरिंग	2.0	31.08.2013	30.09.2013	31.10.2013	30.11.2013	31.12.2013				
(4.2) निर्णीत संवर्धन हेतु शुल्क छट्ट योजना के तहत इन्चुट – आउटपुट मानकों का स्तर हेतु संसोधन /पुनरीक्षण	0.50	4	3	2	1	0				
(4.3) वैशिक बैचमार्क हासिल करने हेतु सेल के स्थार मानकों के लिए विकास लेभल कंडीशन मॉनिटरिंग	0.50	56.5	56	55.5	54.9	54.4				
(4.3.1) कोयला धूलि प्रक्षेपण (सीडीआई)	0.50	टन तप्त धातु	किं.ग्रा./टन							
(4.3.2) कटीन्युअस कार्गिंग प्रणाली से कच्चे इस्पात का उत्पादन	0.50	9.96	9.86	9.77	9.67	9.53				
(4.3.3) ब्लास्ट फर्नेस कोक दर	0.50	486.4	491.5	496.6	501.7	506.8				



प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ खंड 2 :

उद्देश्य	वजन	कार्डवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	लक्ष्य / मानदंड मूल्य	ठीक	खराब
						100%	90%	80%	70%	60%	
(4.3.4) ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता	टन तप्त धातु एम्झि/प्रतिदिन	0.50	1.65	1.64	1.62	1.61	1.59				
(4.3.5) विशिष्ट कर्जा खपत	जी कैल/टन कच्चा इस्पात	0.50	6.34	6.41	6.47	6.54	6.61				
(4.3.6) अनुसधान एवं विकास खर्च	% पीएटी	0.50	1.20	1.00	0.95	0.90	0.85				
(4.3.7) श्रम उत्पादकता	टन कच्चा इस्पात/व्यक्ति/वर्ष	0.50	270	268	265	263	260				
(4.3.8) एलोमरेट %	%	0.50	65	67.6	66.9	66.3	65.6				
(4.3.9) ब्लास्ट फर्नेस स्लैग दर	कि. ग्रा./टन तप्त धातु	0.50	371	375	379	383	387				
(4.3.10) एसएमएस (बीओएफ) स्लैग दर	कि. ग्रा./टन कच्चा इस्पात	0.50	139	140	141	142	144				
(4.3.11) कार्बन डाई आक्साइड उत्पादन	टन/टन कच्चा इस्पात	0.50	2.60	2.64	2.66	2.69	2.72				
(4.4) वैशिष्टिक वैंचमार्क हासिल करने हेतु आर आई एन एल के तकनीकी-आर्थिक मानकों में सुधार	(4.4.1) चौथी तिमाही में ब्लास्ट फर्नेस 3 की ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता	टन/घन मीटर/प्रतिदिन	0.50	2.20	2.09	1.99	1.89	1.79			

खंड 2 : प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
				100%	90%	80%	70%	60%
(4.4.2) चौथी तिमाही में ब्लार्ट फर्नेस 3 में पीसीआई बैंचमार्क प्राप्त करना है	आरआईएनएल को वैश्विक	आरआईएनएल को वैश्विक बैंचमार्क प्राप्त करना है	किं.ग्रा./टन तत्व धातु	0.50	50	48	46	43
(4.4.3) कर्चर्टर उत्पादकता (एसएमएस 1)			टन कच्चा इस्पात/धन मीटर/प्रतिदिन	0.50	24	23	22	21
(4.4.4.) श्रम उत्पादकता			टन कच्चा इस्पात/वर्ष	0.50	340	330	314	298
(4.4.5) विशिष्ट ऊर्जा खपत			जी कैल/टन कच्चा इस्पात	0.50	6.21	6.52	6.86	7.22
(4.4.6) जल खपत			घन मीटर/टन कच्चा इस्पात	0.50	2.80	2.94	3.09	3.26
(4.4.7) अनुसंधान एवं विकास खर्च	% कर उपरांत लाभ	% कर उपरांत लाभ	0.50	1.05	1.00	0.95	0.90	0.86
(4.4.8) एलाकरेट का : (सिटर प्रसारित)	%	0.50	75	70	65	60	55	
(4.4.9) ब्लार्ट फर्नेस रसैग दर	कि. ग्रा. टन तत्व धातु	0.50	378	385	390	395	400	
(4.4.10) कार्बन डाई आक्साइड उत्सर्जन	टन/टन कच्चा इस्पात	0.50	2.66	2.71	2.80	2.85	2.90	



खंड 2 :

प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएं

उद्देश्य	वजन	कार्डवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
						100%	90%	80%
5. इस्पात मंत्रालय के सावधानिक सेत के उपकरणों द्वारा वित्रय, अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी नियांती करना	6.00	(5.1) आरआईएनएल : एनएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम के तहत नगपत्ना से विशाखापत्नम तक स्लरी पाइप लाइन हेतु मार्ग सर्वेक्षण करना	(5.1.1) मार्ग सर्वेक्षण की शुरुआत	तारीख	3.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014
(6) नई नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देना	2.00	(6.1) नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को अंतिम रूप देना	(5.2.1) सहभाति पत्र // संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर	तारीख	3.00	10.03.2014	15.03.2014	20.03.2014
		(6.2) देश को इस्पात के शुद्ध नियांतक में तब्दील करने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एनीति को अंतिम रूप देना	(6.2.1) इस्पात नियांतक मध्य को पुनर्जीवन	तारीख	1.00	31.12.2013	31.01.2013	15.02.2014

प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

खंड 2 :

उद्देश्य	वर्जन	कार्यवाही	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक
						100%	90%	80%	70%
(7) इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक व्यापक डेटा आधार का सूजन एवं नवीकरण	2.00	(7.1) संयुक्त संयंत्र समिति (जे भी से) द्वारा भारतीय संज्ञ लौह उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण	(7.1.1) इस्पात मंत्रालय को भौमिका रिपोर्ट प्रस्तुत	तारीख	2.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014 31.03.2014
(8) लौह एवं इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन विकास	6.00	(8.1) सेल: कर्मचारियों को प्रशिक्षण (8.1.1) फुल कर्मचारियों में से प्रशिक्षित कर्मचारियों का %	%	2.00	30	28	26	24	22
		(8.2) आरआईएनएल कौशल विकास	(8.2.1) गैर-कार्यपालक कर्मचारियों के बहु-कौशल नवीकरण हेतु प्रशिक्षण योजना सम्बन्ध	%	2.00	100	95	90	85 80
(8.3) तकनीकी: इस्पात उद्योग में मानव संसाधन विकास हेतु विद्यार्थियों को चेयर प्रोफेसर एवं छात्र-वृत्तियों की इस्पात मंत्रालय की योजना का कार्याचयन		(8.3.1) धातुविद इंजीनियरी का अध्ययन करने के लिए इस्पात मंत्रालय द्वारा पेश की जा रही छात्रवृत्तियों में विद्यार्थियों की संख्या	संख्या	2.00	50	40	30	20	10
(9) पर्यावरणीय सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कारगर कदम	8.0	(9.1) आरआईएनएल : i. अपशिष्ट ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु हस्तिटेक्नोलॉजी की शुरुआत	(9.1.1) ब्लार्ट फर्नेस बी एफ-3 में टांपे प्रेशर रिकवरी टबाइन चालू	तारीख	2.00	28.02.2014	15.03.2014	20.03.2014	25.03.2014 31.03.2014
		(9.2) तौर विविधता की दिशा में प्रयास	(9.2.1) वर्ष के दौरान रोपित पौधों की संख्या	संख्या	1.00	10500	10000	9500	9000 8500
		9.3) iii) आरआईएनएल में सिटर संयंत्र अपशिष्ट रिकवरी परियोजना का कार्यान्वयन	(9.3.1) कार्यान्वयन की तारीख	तारीख	1.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014 31.03.2014



खंड 2 :
प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

उद्देश्य	वजन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा
						100%	90%	80%
(9.4) तकनीकी: इस्पात संयंत्र से प्रदूषण का मानीटरिंग	(9.4.1) i) विमनियों से पर्टिकुलेट बैटर (पीएम) का उत्सर्जन (सेल)	कि.ग्रा./ टीसीएस	1.00	0.1	0.5	0.8	0.9	1.0
	(9.4.2) ii) विमनियों से पर्टिकुलेट बैटर (पीएम) का उत्सर्जन (आरआईएनएल)	कि.ग्रा./ टीसीएस	1.00	0.1	0.5	0.8	0.9	1.0
	(9.4.3) iii) विशिष्ट कवरा डिस्चार्ज (सेल)	घन मीटर / टीसीएस	1.00	0	1.50	2.00	2.25	2.40
	(9.4.4) iv) विशिष्ट कवरा डिस्चार्ज (आरआईएनएल)	घन मीटर / टीएसएस	1.00	0	1.50	2.00	2.25	2.40
*आरएफडी प्रणाली का कुशल कार्य प्रणाली	3.00	अनुमोदन हेतु आरईएफ 2014-15 के मसोदे की समय पर प्रस्तुति 2012-13 के परिणामों की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुति	तारीख	2.0	05.03.2014	06.03.2014	07.03.2014
*पारदर्शिता / सेवा डिलीवरी मंत्रालय / विभाग	3.00	स्टिंजर / वलाइंटस चार्टर (सीसीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	2.0	01.05.2013	02.05.2013	03.05.2013
		लोक शिकायत निपटन प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का %	%	1.0	100	95	90

प्रमुख उद्देश्यों, सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

खंड 2 :

उद्देश्य	वजन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड पूळ्य				
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा		
				100%	90%	80%	70%	60%		
प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने संबंधी न्यूनीकरण रणनीतियों को कार्यान्वयित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	1.0	100	95	90	85	80
		अनुमोदित कार्रवाई योजना के अनुसार आईएसओ 9001 कार्यान्वयित करना	कार्यान्वयन का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
		अधिनव कार्रवाई योजना (आईएपी) कार्यान्वयित करना	प्राप्त माइलस्टोंस का प्रतिशत	प्रतिशत	2.0	100	95	90	85	80
		द्वितीय एआरसी सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय/विभाग की मुख्य और गैर-मुख्य गतिविधियों को चिह्नित करना	समय पर प्रस्तुति	तारीख	1.0	27.01.2014	28.01.2014	29.01.2014	30.01.2014	31.01.2014
*आंतरिक कुशलता प्रतिक्रियात्मक में सुधार	2.00	12वीं योजना की प्रथमिकताओं के अनुकूल विभागीय रणनीति का नवीकरण	रणनीति का समय पर नवीकरण	तारीख	2.0	10.09.2013	17.09.2013	24.09.2013	01.10.2013	08.10.2013
'वित्तीय जायाबदेही फ्रेमवर्क' का अनुपालन सुनिश्चित करना	1.00	सीएंडएजी के लेखा परीक्षा परा पर की गई कार्रवाई टिप्पण की समय पर प्रस्तुति	वर्ष के दोषान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निश्चित तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई कार्रवाई टिप्पण की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60



खंड 2 : प्रमुख उद्देश्यों सफलता के संकेतकों और लक्ष्यों के बीच परस्पर प्राथमिकताएँ

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड पूँछ	ठीक	खराब	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा		
					0.025	100	90	80	70
					100%	90%	80%	70%	60%
पी ए सी की रिपोर्ट पर पीएसी सचिवालय को की गई कार्रवाई रिपोर्ट को समय से प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की तारीख से नियांसित तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतिशतता	प्रतिशत							
दिनांक 31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई सी एड ए जी रिपोर्ट के लेखा परीक्षा पैरा पर लंबित एटीएन का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान नियांसित की गई बकाया कार्रवाई टिपणी की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60	
दिनांक 31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पीएसी रिपोर्ट संबंधी लंबित एटीआर का शीघ्र निपटान	वर्ष के दौरान नियांसित की गई बकाया कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतिशतता	प्रतिशत	0.25	100	90	80	70	60	

*अनिवार्य उद्देश्य

**खंड 3 :
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्डवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15–16 के लिए अनुमानित मूल्य
(1) इस्पात उत्पादन क्षमता के सूजन और इस्पात उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना	(1.1) इस्पात उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना, समन्वय और आवश्यक नीति निर्माण करना	(1.1.1) इस्पात की उत्पादन क्षमता 2013–14 के दौरान (1.1.2) कर्त्त्वे इस्पात का उत्पादन 2013–14 के दौरान	मिलियन टन	89	96.71	105	112	120
	(1.2) सेल: वन मंजूरी प्रदान करने हेतु चलायी जा रही योजनाएं	(1.2.1) गुआ माइंसः सेल द्वारा यथा प्रस्तावित संचार क्षेत्र हेतु वन मंजूरी का प्रथम चरण	तारीख	—	—	78.20	81	91
		(1.2.2) रावघाट माइंसः रावघाट माइन विकास परियोजना हेतु दलीली – राजहरा से रावघाट तक रेलवे लाइन के निर्माण में मदद के आशय से सशब्द बलों के शिविरों की स्थापना के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से वन मंजूरी का मसला उठाना	तारीख	—	—	28.02.2014	—	—
	(1.3) एनम्सीसी: खनन लीज़ / लाइसेंस/पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने के लिए चलायी जा रही परियोजनाएं	(1.3.1) मध्य प्रदेश के शहडोल एवं उमरिया जिले में 693 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले शाहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉक का खनन लीज प्रदान करना	संख्या	—	—	15.02.2014	—	—



खंड 3 : सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्डबाइ	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वार्ताविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वार्ताविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमानित मूल्य
			(1.3.2) झारखंड पश्चिमी स्थिरभूमि जिले में गांव सपांगदा उत्तर पूर्वी ब्लॉक में 115–46 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस प्रदान करना	तारीख	—	—	15.02.2014
			(1.3.3) दांतेवाडा छतीसगढ़ में किंचाङ्गुल परिसर स्थित र्खीनिंग संयंत्र के निर्माण हेतु पर्यावरण मंजूरी प्राप्त करना	तारीख	—	—	15.02.2014
			(2.1) सेल : क) सहमति पत्र में किये गये वायदों का अनुपालन	(2.1.1) वायदा / मदद बिहुओं की प्राप्ति	संख्या	—	—
			(2.2) ख) सेल के कार्य निषादन की निगरानी	(2.2.1) सहमति पत्र कार्य निषादन की समीक्षा बैठकें	संख्या	—	—
			(2.3) आरआईएनएल: क) सहमति पत्र कार्य निषादन की समीक्षा बैठकें	(2.3.1) वायदा / मदद बिहुओं की प्राप्ति	संख्या	—	—
			(2.4) ख) आरआईएनएल के कार्य निषादन की निगरानी	(2.4.1) सहमति पत्र कार्य निषादन की समीक्षा बैठकें	संख्या	—	—

**खंड 3 :
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य लिए अनुमतित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमतित मूल्य
	(2.5) एनएमडीसी: क) सहमति में किये गये वायदों का अनुपालन	(2.5.1) वायदा/मदद बिहुओं की प्राप्ति	रांखा	—	—	—	—
	(2.6) एनएमडीसी: ख) के कार्य निषादन की निगरानी	(2.6.1) सहमति पत्र कार्य निषादन की समीक्षा बैठकें	रांखा	—	—	3	—
3. इस्पात मन्त्रालय के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा घरेलू और विदेशी चोतों से कच्चे माल विशेषकर लौह अयस्क और कोयले की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना	(3.1) सेल : i) तसरा कोयला ब्लॉक का विकास	(3.1.1) माइन डेवलपर–कम-ऑपरेटर (एमडीओ) की नियुक्ति	तारीख	—	—	30.09.2013	—
	(3.2) (ii) कच्चे माल की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार	(3.2.1) गुआ में बेमीकिसियथेन एवं पेलटाइजेशन संयंत्र हेतु निविदि का अंतिम रूप देना	तारीख	—	—	31.12.2013	—
	(3.3) आज़ादीनगाल i) आज़ादीनगाल को लौह अयस्क खानों के आवंन के लिए भान मंत्रालय से बात करना	(3.3.1) कम से कम एक खान का आवंन	तारीख	—	—	15.02.2014	—
	(3.4) एनएमडीसी : i) कुमारखानी लौह अयस्क खान का विकास	(34.1) प्राइमरी क्रशिंग संयंत्र की स्थापना एवं चालू करना	तारीख	—	—	15.02.2014	—
		(34.2) सेकंडरी क्रशिंग संयंत्र की स्थापना एवं चालू करना	तारीख	—	—	15.02.2014	—



खंड 3 : सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्डवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए लक्ष लिए अनुमानित मूल्य
	(3.5) ii) भंडार 11बी लौह अयस्कर खान का विकास	(3.5.1) बैलाडिला 11 बी लौह अयस्कर खान का भंडार 14 के रक्कीनिंग संबंध के साथ एकीकरण	तारीख	—	—	15.02.2014	—
	(3.6) iii) बछेली परिसर के भंडार सरख्या 10 और 11 ए में चौथी स्फीनिंग लाइन	(3.6.1) इंजीनियरी, प्रमुख आपूर्तियाँ पूर्ण उपकरणों की खापना की शुरुआत	तारीख	—	—	15.02.2014	—
	(3.7) iv) एनएमडीसी द्वारा घरेलू लौह एवं इस्पात उद्योग से लौह अयस्कर का त्रुट्यव कच्चे माल की गुणवत्ता में सुधार करना	(3.7.1) 2013–14 के दौरान घरेलू लौह एवं इस्पात कंपनियों को की गयी लौह अयस्कर की आपूर्ति एवं कार्रवाई योजना को चिह्नित करने हेतु अध्ययन	मिलियन टन	26.92	24.67	23	—
	4. अनुसंधान और विकास हस्तक्षेप, गुणवत्ता नियंत्रण और नियर्त संवर्धन एवं तकनीकी-आधिक मानकों में सुधार के माध्यम से लौह और इस्पात उद्योग के निषादन में सुधार करना।	(4.1) अनुसंधान और विकास परियोजनाओं का अनुमोदन समिक्षा और निगरानी करना।	(4.1.1) वर्ष के दौरान वित्तीय मदद हेतु नई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अनुमोदन	संख्या	—	—	4

**खंड 3 :
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमानित लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15–16 के लिए अनुमानित मूल्य
		(4.1.2) योजना निधि के अंतर्गत 3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (जारी) की प्राप्ति की निगरानी के लिए परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठक। i) आरडीसीआईएस, सेल, रांची द्वारा भारत में बरसुआ और अन्य खानों से लोह अयस्क रसाइस्ट का विनियोगितरीशन ii) आरडीसीआईएस, रांची द्वारा विभिन्न आकार की महीनता युक्त भारतीय गोयांचिक हेमाटाइट अयस्क हेतु प्रयोगिक आधार पर ऐलोटाइजेशन ठेक्नालॉजी का विकास ॥) इस्टटीट्यूट ऑफ मिनरल एण्ड मेटास्टेल टेक्नोलॉजी (आईएमएमटी), भुजनेश्वर द्वारा न्यूनतम अवधा न के बराबर साझो 2 उत्सर्जन के साथ वैकल्पिक रिडकर्टेस हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए यांत्रिक तेज उत्पादन के लिए भाविष्यानुमती फैलावकी का विकास	संख्या	—	14	5	—	—
		(4.1.3) स्टील डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत 3 अनुसंधान और विकास परियोजनाओं की प्राप्ति की निगरानी के लिए आधिकार प्राप्त बोर्ड (ई बी) की बैठक। i) आईआईटी, गुवाहाटी द्वारा इस्पात संयंत्र में विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा होट रिकवरी हेतु कॉपर (सीप्र) – कार्बन – नैट्रोमेटीनियल (सीएन) आधारित नेत्रोकपणित फौमूलेशन का विकास	संख्या	—	10	5	—	—



खंड 3 :
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वार्सतिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वार्सतिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15–16 के लिए अनुमानित मूल्य
(4.1) नियंत्रित उत्पादन हेतु शुल्क छुट योजना के तहत मानक इनपुट—आउटपुट मानदंड	ii) मेकॉन गांधी द्वारा कंटीन्युअस मल्टी गेस मॉनिटर का विकास iii) मेकॉन लिमिटेड, राची द्वारा इन्फोरेड कैमरा आधारित लैडल स्थिति नियरनो प्रणाली	(4.1.4) योजना नियंत्रित अंतर्गत 11वीं पंच वर्षीय योजना में ली गई अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के आकलन हेतु बाह्य मूल्यांकन अध्ययन	तारीख —	—	—	—	
(4.2) नियंत्रित संवर्धन हेतु शुल्क छुट योजना के तहत मानक इनपुट—आउटपुट मानदंड	(4.2.1) लौह और इस्पात उत्पाद हेतु मानक इनपुट—आउटपुट मानदंड में संशोधन/समीक्षा	(4.2.1) लौह और इस्पात उत्पाद हेतु संख्या	—	—	3	—	—
(4.3) वैश्विक बैंचमार्क के अनुरूप सेल के तकनीकी/आधिक मानकों में सुधार	(4.3.1) कोयला धूलि प्रेक्षण (सीईआई)	किं.ग्रा./टन तपत धातु	—	54	56	—	—
	(4.3.2) कंटीन्युअस कारिंग प्रणाली के जरिये कच्चे इस्पात का उत्पादन	मिलियन टन	—	9.5	9.86	—	—
	(4.3.3) ब्लास्ट फर्नेस कोक दर	किं.ग्रा./टन तपत धातु	—	512	491.5	—	—
	(4.3.4) ब्लास्ट फर्नेस उत्पादकता/घन मीटर/प्रतिदिन	टन तपत धातु/घन मीटर/प्रतिदिन	—	1.58	1.64	—	—

खंड 3 : सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वार्षिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वार्षिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमति लिए अनुमति लिए अनुमति मूल्य
(4.3.5) विशिष्ट ऊर्जा खपत	जी कैल /टन कच्चा इरप्पात	—	—	6.68	6.41	—	—
(4.3.6) अनुसंधान एवं विकास खर्च लाभ का %	कर उपरांत लाभ का %	—	—	5.99	1.00	—	—
(4.3.7) श्रम उत्पादकता	टन कच्चा इरप्पात /व्याविता /वर्ष	—	—	255	268	—	—
(4.3.8) एनलोमरेट चार्ज में सिंटर का प्रतिशत	%	—	—	—	67.6	—	—
(4.3.9) ब्लास्ट फर्नेस रसेंग दर	किं. ग्र./टन तप्त धातु	—	—	—	375	—	—
(4.3.10) एसएमएस (बीओएफ) रसेंग दर	किं. ग्र./टन कच्चा इरप्पात	—	—	—	140	—	—
(4.3.11) कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन	टन/टन कच्चा इरप्पात	—	—	—	2.64	—	—
(4.4) वैशिक बैचमार्क के अनुरूप आरजाइएनएल के तकनीकी – आर्थिक मानकों में सुधार	(4.4.1) चौथी तिमाही में ब्लास्ट फर्नेस 3 की बीएफ उत्पादकता	टन/घन मीटर/प्रतिदिन	—	—	2.09	—	—
	(4.4.2) चौथी तिमाही में बीएफ-3 में परिवार्ता	किं.ग्र./टन तप्त धातु	—	—	48	—	—
	(4.4.3) कार्बन्टर उत्पादकता (एसएमएस 1)	टन कच्चा इरप्पात /घन मीटर	—	—	23	—	—



सप्तलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य खंड 3 :

उद्देश्य	कार्यवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15–16 के लिए अनुमानित मूल्य	
				प्रतीय वर्ष इस्पात/व्यवित्त वर्ष	प्रतीय वर्ष टन कर्चा इस्पात/व्यवित्त	प्रतीय वर्ष टन कर्चा इस्पात	प्रतीय वर्ष जी कैल/ टन कर्चा इस्पात	प्रतीय वर्ष घन मीटर/टन कर्चा इस्पात	प्रतीय वर्ष कर उपरांत लाभ का प्रतिशत
(4.4.4) श्रम उत्पादकता				—	—	362	330	—	—
(4.4.5) विशिष्ट ऊर्जा खपत				—	—	6.31	6.52	—	—
(4.4.6) जल खपत				—	—	2.37	2.94	—	—
(4.4.7) अनुसंधान एवं विकास खर्च				—	—	8.9	1.00	—	—
(4.4.8) एलोमेट (चार्ज में सिंस्टर) का प्रतिशत				—	—	—	70	—	—
(4.4.9) ब्लास्ट फर्नेस रक्षणा दर				—	—	—	385	—	—
(4.4.10) कार्बन डाइऑक्साइड उत्पत्ति				—	—	—	2.71	—	—

**खंड 3 :
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य**

उद्देश्य	कारबाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वार्सांशिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए वार्सांशिक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए लक्ष्य लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमानित लिए अनुमानित मूल्य
(5) इस्पात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा विलय, अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी निगरानी करना	(5.1) आर आई एन एल: एनएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम के तहत नागरनार से विशाखापत्नम तक स्लरी पाइपलाइन हेतु रुट सर्वेक्षण का कार्य करना	(5.1.1) रुट सर्वेक्षण की शुरुआत तारीख	—	—	—	31.12.2013	—
(6) नई नीतिगत पहलों को अंतिम रूप देना	(6.1) नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को अंतिम रूप देना	(6.1.1) सहमति पत्र/संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर का विकास	(5.2.1) सहमति पत्र/संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर	—	—	15.03.2014	—
(7) इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए व्यापक डेटा आधार का सूजन/नवीकरण	(7.1) संयुक्त संयंत्र समीति (जो फी सी) द्वारा भारतीय संज्ञ तोह उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण	(7.1.1) इस्पात मंत्रालय की मर्मांदेर रिपोर्ट की प्रस्तुति	—	—	—	31.12.2013	—
(8) लौह और इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन विकास	(8.1) सेल: कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रशिक्षित कर्मचारियों में से प्रतिशत	(8.1.1) कुल कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रशिक्षित कर्मचारियों का प्रतिशत	—	—	28	—	—



खंड 3 : सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्डबाइ	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वार्ताविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए वार्ताविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 15-16 के लिए अनुमानित मूल्य
(8.2) आरआईएनएल: कौशल विकास	8.2.1) गैर कार्यपालक कर्मचारियों के बहु कौशल/कौशल सुधार हेतु प्रशिक्षण योजना पूर्ण	प्रतिशत	—	—	—	95	—	—
(8.3) तकनीकी: इस्पात उद्योग के लिए मानव संसाधन विकास के आशय से विद्यार्थियों हेतु इस्पात संतालय की चेयर ग्रोफर्स एवं छात्र वृत्तियों योजना का कार्यान्वयन	(8.3.1) धाराविद इंजीनियरी के अध्ययन हेतु इस्पात मंत्रालय द्वारा विद्यार्थियों को पेश की जा रही छात्रवृत्तियों की संख्या	संख्या	—	—	40	—	—	—
(9.1) आरआईएनएल: i) अपशिष्ट ऊर्जा से विद्युत उत्पादन हेतु हरित टेक्नोलॉजी की शुरुआत	(9.1.1) ब्लास्ट फॉर्नेस (बीएफडे) में टॉप प्रेशर रिकवरी टब्बीन चार्ट	तारीख	—	—	—	15.03.2014	—	—
(9.2) ii) जैव विविधता की दिशा में प्रयास	(9.2.1) वर्ष के दोरान रोपित पौधों की संख्या	संख्या	—	—	10000	—	—	—
(9.3) iii) आरआईएनएल में सिंटर संयंत्र अपशिष्ट रिकवरी परियोजना कार्यान्वयन	(9.3.1) कार्यान्वयन की तारीख	तारीख	—	—	—	31.12.2013	—	—
9.4 तकनीकी : इस्पात संथान से प्रदूषण की निपटानी	9.4.1) i) चिमनियों से पट्टिकुलेट भैटर (पीएम) का उत्पातन (सेल)	कि.ग्र./दन	—	—	0.5	—	—	—
	9.4.2) ii) चिमनियों से पट्टिकुलेट भैटर (पीएम) का उत्पातन (आरआईएनएल)	कि.ग्र./दन	—	—	0.5	—	—	—
	9.4.3) iii) विशिष्ट कवर डिस्चार्ज (सेल) घन मीटर/दन विक्रय इस्पात	घन मीटर/दन	—	—	1.50	—	—	—

खंड 3 :
सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्डवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10–11 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11–12 के लिए वास्तविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12–13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13–14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14–15 के लिए अनुमानित मूल्य
* आर एफ डी प्रणाली का दक्षतापूर्वक संचालन	(9.4.4) iv) विशिष्ट कवरा डिस्चार्ज (आरडीएनएल)	घन भीटर/टन विक्रय इस्पात	—	—	—	1.50	—	—
* पारदर्शिता / सेवा डिलीवरी मंत्रालय / विभाग	आरएफडी 2014–15 के मसौदे के अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुति 2012–13 के परिणामों की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	समय पर प्रस्तुत करना	तारीख	—	06.03.2014	—
प्रशासनिक सुधार	सिटिंग्स / वलाइंटस चार्टर के कार्यान्वयन की स्थानीय लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	—	95	—
	जन शिकायत समाधान प्रणाली के कार्यान्वयन की स्थानीय लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	—	95	—
	भ्रष्टाचार के समावित जोखिम को कम करने के लिए प्रमाणीणतियों का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	—	95	—
	स्वीकृत कार्डवाई योजना के अनुसार आईएसओ 9001 का कार्यान्वयन नवोन्मेषी कार्डवाई योजना का कार्यान्वयन (आईएपी)	कार्यान्वयन का प्रतिशत	%	प्राप्त माइलस्टोन का प्रतिशत	%	—	95	—
	द्वितीय इआरसी अनुसंधाओं के अनुसार मत्रालय / विभाग की प्राथमिक / गेर प्राथमिक गतिविधियों का पहचान	समय पर प्रस्तुति	तारीख	—	—	—	15.10.2013	—



खंड 3 : सफलता के संकेतकों के प्रचलन मूल्य

उद्देश्य	कार्रवाई	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 10-11 के लिए वार्ताविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 11-12 के लिए वार्ताविक मूल्य	वित्तीय वर्ष 12-13 के लिए लक्ष्य मूल्य	वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए अनुमानित मूल्य	वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए अनुमानित मूल्य
* वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क का अनुपालन सुनिश्चित करना	सी एवं ए जी के लेखापरिक्षा पेरा पर की गई कार्रवाई टिप्पणी समय से प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान सीएजी द्वारा संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत करने की तारीख से निश्चित तिथि (4 माह) के भीतर प्रस्तुत किए गए की गई कार्रवाई टिप्पण की प्रतिशतता	%	-	-	90	-	-
	मी ए सी की रिपोर्ट पर ए सी साहिवालय को की गई कार्रवाई रिपोर्ट को समय से प्रस्तुत करना	वर्ष के दौरान पी ए सी द्वारा संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की तारीख से निश्चित तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रतिशतता	%	-	-	90	-	-
	31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई सी एवं एजी रिपोर्ट के लेखापरिक्षा पेरा पर लंबित की गई कार्रवाई टिप्पण का शीघ्र निपटन	वर्ष के दौरान निरसारित की गई बकाया कार्रवाई टिप्पण की प्रतिशतता	%	-	-	90	-	-
	31.03.2012 से पहले संसद को प्रस्तुत की गई पी ए सी रिपोर्ट संबंधी लंबित की गई कार्रवाई रिपोर्ट का शीघ्र निपटन	वर्ष के दौरान निरसारित की गई बकाया कार्रवाई टिप्पण की प्रतिशतता	%	-	-	90	-	-

*अनिवार्य उद्देश्य (एस)

खंड 4 :
संक्षिप्त नाम

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम	विवरण
1	एएसयू	एयर सेपरेशन यूनिट
2	बीएफ	ब्लास्ट फर्नेस
3	सीडीआई	कोल डट इजेक्शन (कोयला धूलि प्रक्षेपण)
4	सीओबी	कोक ओवन बैटरी
5	ईबी	एंपावर्ड बोर्ड (अधिकार प्राप्त बोर्ड)
6	ईसी	एनवायरनमेंटल विलयरेस (पर्यावरण मंजूरी)



खंड 4 :
संक्षिप्त नाम

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम	विवरण
7	एफसी	फॉरेस्ट विलेंस (वन मंजूरी)
8	एफएसएनएल	फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड
9	आईसीपीएल	इंटरनेशनल कोल वेचर्स लिमिटेड
10	आई एफ	इंडकशन फर्नेस
11	आईएमजी	इंटर-मिनिस्ट्रीयल ग्रुप (अंतः मंत्रालीय समूह)
12	जेपीसी	ज्वायट एलाइ कमटी (संयुक्त संघर्ष समिति)

खंड 4 :
संक्षिप्त नाम

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम	विवरण
13	केआईओसीएल	कुद्रेमुख आयरन और कंपनी लिमिटेड
14	एमटीओ	माइन डेवलपर – कन-ऑपरेटर (ब्यान विकासकर्ता–सह-प्रबालक)
15	एमओआईएल	मैगनीज़ और इंडिया लिमिटेड
16	एमएसटीसी	मेटल स्ट्रॉप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन
17	एमटीपीए	मिलियन टन पर एनम (मिलियन टन प्रतिवर्ष)



खंड 4 :
संक्षिप्त नाम

क्रम संख्या	संक्षिप्त नाम	विवरण
18	एनएच	नेशनल हाइवे (राष्ट्रीय राजमार्ग)
19	एनएमडीसी	नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन
20	पीसीआई	पेल्वाराइज़ एंजेक्शन (पेल्वाराइसीकृत कोयला प्रेक्षण)
21	पीआरसी	प्रोजेक्ट रिचू कमिटि (परियोजना समीक्षा समिति)
22	पीएसयू	पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम)
23	आरआईएनएल	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
24	एसएआईएल	स्टील अश्रौरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

खंड 4 :

सफलता संकेतकों का विवरण और परिभाषा एवं प्रस्तावित मापन कार्य पद्धति

क्रम सं.	सफलता संकेतक	विवरण	परिभाषा	मापन	सामान्य टिप्पणी
1	(1.1.1) 2013–14 के दौरान इस्पात उत्पादन क्षमता करना	इस्पात उत्पादन क्षमता में वृद्धि	इस्पात उत्पादन क्षमता का सूजन	मात्रा की दृष्टि से मिलियन टन में मापित	
2	(1.1.2) 2013–14 के दौरान कच्चे इस्पात का उत्पादन	उच्च विकास स्तर की प्राप्ति	इस्पात उत्पादन में वृद्धि	मात्रा की दृष्टि से मिलियन टन में मापित	
3	(3.3.1) गुआ में बेनिफियशन संयंत्र हेतु निविद को अंतिम रूप देना	गुआ में बेनिफियशन एवं पेलेटाइजेशन संयंत्र के लिए कच्चे माल की गुणवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार करना	गुआ में बेनिफियशन एवं पेलेटाइजेशन संयंत्र के लिए निविदा से संबंधित कार्य की पूर्णता	समय सारणी की दृष्टि से मापित	
4.	(3.8.1) 2013–14 के दौरान घरेलू लौह एवं इस्पात कंपनियों को सप्लाई किया गया लौह अयस्क	देश में इस्पात उद्योग की लौह अयस्क कांग पूरा करना	घरेलू इस्पात उद्योग को लौह अयस्क की आपूर्ति	मात्रा की दृष्टि से लौह अयस्क मिलियन टन में मापित	
5.	(6.1.1) राष्ट्रीय इस्पात नीति पर मंत्रिमंडलीय टिप्पण की प्रस्तुति	नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को तेजर करने के लिए मत्रि मंडलीय टिप्पण मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है	नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को तेजर को तेजार करना	नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को तेजर को तेजार करना	समय सारणी की दृष्टि से मापित
6.	(7.1.1) इस्पात मंत्रालय को मसौदा रिपोर्ट की प्रस्तुति	भारतीय संज लौह उद्योग की सूचना एवं डेटा आधार को अद्यतन करने हेतु संयुक्त संयंत्र समिति (जीपीसी) द्वारा भारतीय संज उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण पर सर्वेक्षण रिपोर्ट का मसौदा प्रस्तुत	संयुक्त संयंत्र समिति (जीपीसी) द्वारा भारतीय संज उद्योग का व्यापक सर्वेक्षण	समय सारणी की दृष्टि से मापित	



खंड 5 :
आन्य विभागों से अपेक्षित विशिष्ट कार्य निष्पादन

रिप्रति क्रिस्म	राज्य	संगठन का क्रिस्म	संगठन का नाम	संगठन का सफलता सकेतक	इस संगठन से आपकी व्यापक व्यापक है	इस अपेक्षा का व्यापक	इस संगठन से आपकी अपेक्षा व्यापक है	आपकी अपेक्षा व्यापक है
केंद्रीय सरकार	मंत्रालय	(3.8.1) 2013-14 के दौरान घोरलू लौह एवं इस्पात कंपनियों को लौह अपरक्ट की अपृष्ठि के अनुसार लौह अपरक्ट के परिचहन हेतु एनएमडीसी द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के अनुसार भारतीय रेल से रेक्स की अपृष्ठि कुमारस्वामी माइन, दाणामलई, कर्नाटक से लौह अपरक्ट खाना करने हेतु i) सड़क दोहरी एवं पक्का बनाना, (दो लेन) ii) कुमारस्वामी माइन से वर्तमान के साथ-साथ लौह अपरक्ट को भावी जलकर करना।	लौह अपरक्ट के परिचहन हेतु एवं इस्पात मांग-पत्र के अनुसार भारतीय रेल से रेक्स की अपृष्ठि कुमारस्वामी माइन, दाणामलई, कर्नाटक से लौह अपरक्ट खाना करने हेतु i) सड़क दोहरी एवं पक्का बनाना (दो लेन) ii) कुमारस्वामी माइन, कर्नाटक से लौह अपरक्ट को भावी जलकर करना।	एनएमडीसी की अपृष्ठि समय सारणी के अनुसार लौह अपरक्ट के परिचहन हेतु एनएमडीसी द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के अनुसार भारतीय रेल से रेक्स की अपृष्ठि जरूरी है i) खान से से माल के सुचारू परियहन हेतु दोहरी सड़क जलकर है ii) कुमारस्वामी माइन से वर्तमान के साथ-साथ लौह अपरक्ट को भावी जलकर करने हेतु दोहरी सड़क जलकर है	एनएमडीसी की अपृष्ठि समय सारणी के अनुसार लौह अपरक्ट के परिचहन हेतु एनएमडीसी द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के अनुसार भारतीय रेल से रेक्स की अपृष्ठि जरूरी है i) खान से से माल के सुचारू परियहन हेतु दोहरी सड़क जलकर है ii) कुमारस्वामी माइन से वर्तमान के साथ-साथ लौह अपरक्ट को भावी जलकर करने हेतु दोहरी सड़क जलकर है	i) लौह अपरक्ट की अपृष्ठि के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकेगा	i) लौह अपरक्ट की अपृष्ठि के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकेगा	i) लौह अपरक्ट की अपृष्ठि के लक्ष्यों को पूरा नहीं किया जा सकेगा

खंड 6 :
विभाग / मंत्रालय के परिणाम / प्रभाव

विभाग / मंत्रालय के परिणाम / प्रभाव	निम्न लिखित विभाग / मंत्रालय के साथ इस परिणाम / प्रभाव को प्रमाणित करने के संबंध में संयुक्त रूप से उत्तरदायी	सफलता के संकेतक	इकाई	वित्तीय वर्ष 11–12	वित्तीय वर्ष 12–13	वित्तीय वर्ष 13–14	वित्तीय वर्ष 14–15	वित्तीय वर्ष 15–16
1. इस्पात उत्पादन में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पतन / नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय / विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	इस्पात उत्पादन	मिलियन टन	72	78	82	91	96
2. इस्पात निर्माण क्षमता में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पतन / नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय / विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	उत्पादन क्षमता	मिलियन टन	84.8	92	108	113	118
3. इस्पात के आयात में कमी	रेल, सतही परिवहन, पतन / नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय / विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	तैयार इस्पात का आयात	मिलियन टन	6.8	6.0	5.5	5.5	5.0
4. तैयार इस्पात के निर्यात में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पतन / नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय / विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	तैयार इस्पात का निर्यात	मिलियन टन	3.64	4.04	4.00	5.00	6.00
5. तैयार इस्पात की खपत में वृद्धि	रेल, सतही परिवहन, पतन / नौवहन, विद्युत, खान, कोयला, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय / विभाग, संबंधित राज्य सरकारें	तैयार इस्पात की खपत	मिलियन टन	70.00	77.30	85.05	93.60	100



कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्ठादान अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा			
						100%	90%	80%			
1. इस्पात उत्पादन क्षमता के सुरुजन और इस्पात उत्पादन में वृद्धि को सुकर बनाना	8.00	इस्पात उत्पादन क्षमता को प्राप्त करने के लिए सुविधा प्रदान करना। समन्वय एवं आवश्यक नीति निर्माण करना	2013-14 के दौरान इस्पात की उत्पादन क्षमता	मि. टन	3.00	108	105	100	98	97	99.6
			2013-14 के दौरान इस्पात उत्पादन की उत्पादन क्षमता	मि. टन	2.50	82	81	80	79	78	81.37
			सेल: वन स्वीकृति प्रदान करने के लिए चलाई जाने वाली परियोजनाएं	दिनांक	0.50	15.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014	17.01.2014
			रावधान माइंस: सेल द्वारा यथा प्रस्तावित संर्णा क्षेत्र के लिए प्रधम चरण वन स्वीकृति	दिनांक	0.50	15.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014	100.0
			रावधान खान विकास योजना हेतु दली—राजहरा से रावधान तक रेलवे लाइन बिछाने में मदद के लिए सशक्त बलों के शिविर स्थापित करने के आशय से छत्तीसगढ़ सरकार से वन स्वीकृति प्राप्त करना	दिनांक	0.50	15.02.2014	28.02.2014	10.03.2014	20.03.2014	31.03.2014	100.0
											0.5

कार्यनिष्ठादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्याई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य		उपलब्धि	कार्यनिष्ठादन अप्रिकृत स्कोर	भारित स्कोर	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा				
						100%	90%	80%	70%	60%	
						31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	
						दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	
एनएमईसी: खनन लोज / प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस/ पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु चलाई जाने वाली परियोजनाएं		एनएमईसी: खनन लोज / प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस/ पर्यावरण स्वीकृति प्रदान करने हेतु चलाई जाने वाली परियोजनाएं	मध्य प्रदेश के शाहडोल और उमरिया जिले के 693 हेक्टेयर क्षेत्र का फैसलिंग लाइसेंस प्रदान करना								
						31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	
						दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	
						झारखंड के सिंह भूम जिले के गाँव समांगदा उत्तर पूर्वी ब्लॉक में 115.46 हेक्टेयर क्षेत्र का फैसलिंग लाइसेंस प्रदान करना					
						31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	
						दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	
						छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले के किंरडुल परिसर स्थित स्फीनिंग संयंत्र-3, के निमांण के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करना					
						31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	
						दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	दिनांक	



कार्यनिषादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिषादन अपरिष्कृत स्कोर		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा				
						100%	90%	80%	70%	60%		
2. सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा सहमति पत्रों में किये गए वायदों का अनुपालन कर रहा है	10.00	सेल: क) सहमति पत्र में किये गए वायदों का अनुपालन कर रहा है	संख्या	2.00	5	4	3	2	1	5	100.0	2.0
छ) सेल के कार्य निषादन की निगरानी		सहमति पत्र निषादन पर समीक्षा में बैठक़	संख्या	2.00	4	3	2	1		4	100.0	2.0
आरआईएनएल:		आरआईएनएल: क) सहमति पत्र में किये गये वायदों का अनुपालन कर रहा है	संख्या	2.00	4	3	2	1		4	100.0	2.0
छ) आरआईएनएल के कार्य निषादन की निगरानी		सहमति पत्र निषादन पर समीक्षा बैठक़	संख्या	2.00	4	3	2	1		4	100.0	2.0
एनएमडीसी :		एनएमडीसी : क) सहमति पत्र में किए गए वायदों का अनुपालन कर रहा है	संख्या	1.00	2	1				2	100.0	1.0
छ) एनएमडीसी के कार्य निषादन की निगरानी		सहमति पत्र पर समीक्षा बैठक़	संख्या	1.00	4	3	2	1		4	100.0	1.0

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्पादन		
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	अपरिकृत स्कोर	भागित स्कोर
3. इस्पात मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की युग्मवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार विशेष रूपी से लौह अयस्क एवं कोयला की घरेलू एवं विदेशी खोतों से पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना	26.00	सेल : i) तसरा कोयला ब्लॉक का विकास ii) कच्चे माल की युग्मवत्ता एवं उपलब्धता में सुधार	माइन डेवलपर-सह-ऑपेरेटर की नियुक्ति	तारीख	5.00	31.08.2013	30.09.2013	31.10.2013	30.11.2013	31.12.2013	26.07.2013	100.0
एरआईएनएल: आरआईएनएल की लौह अयस्क खानों के आंबटन हेतु खान मंत्रालय से बात करना		एनएमटीसी:	कम से कम एक खान का आंबटन	तारीख	5.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	30.09.2013	100.0
i) कुमारस्वामी लौह अयस्क खान का विकास		प्राइमरी क्रिंशिंग संस्कृत की रथापना एवं चालू करना	तारीख	1.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	12.12.2013	100.0	
		सेकंडरी क्रिंशिंग संस्कृत की रथापना एवं चालू करना	तारीख	1.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	16.12.2013	100.0	



કાર્યજીવણાદાન મુદ્દાઓની કાન્ફેરન્સ

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	आपरिक्षेत्र स्कोर	कार्यनिष्ठादन भारित स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	
					100%	90%	80%	70%	60%		
ii) भंडार 11 बी लौह अयस्क खान का विकास			बैलाडिला 11 बी लौह अयस्क खान का भंडार 14 के स्क्रीनिंग संयंत्र के साथ एकीकरण	तारीख 5.00	31.01.2014	15.02.2014	28.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	31.01.2014	100.0
iii) भंडार संख्या 10 और 11ए, बछली परिसर में चौथी स्क्रीनिंग लाइन			इंगीनियरी, प्रमुख आपूर्ति पार्ट और उपकरणों की स्थापना का कार्य शुरू	तारीख 1.00	31.01.2014	15.02.2014	01.03.2014	15.03.2014	31.03.2014	31.01.2014	100.0
iv) एनएमईसी द्वारा घोरेलू लौह अयस्क लिंकिंग को लौह अयस्क का लिंकिंग			2013-14 के दौरान घोरेलू लौह और इस्पात कंपनियों को लौह अयस्क की आपूर्ति	मि. टन 4.00	24	23	22.50	22	21.50	28.21	100.0
v) इस्पात उत्पादन कर्चे माल की गुणवत्ता में सुधार			वर्तमान स्थिति, अंतराल एवं कार्य योजना जिन्हें करने के लिए अध्ययन	तारीख 2.00	15.03.2014	20.03.2014	25.03.2014	28.03.2014	31.03.2014	11.03.2014	100.0
4. लौह और इस्पात उद्योग के कार्य निषादन	17.00	अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं का अनुमोदन, समीक्षा एवं निगरानी	संख्या 2.00	5	4	3	2	1	9	100.0	2.0

कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कारोबार	इकाई	वर्जन	सफलता का संकेतक	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	उपलब्धि	कार्यनिष्ठादान	
												अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
में अनुसंधान एवं विकास हस्तक्षेप पूर्णवत्ता नियंत्रण नियंत्रित संवर्धन और तकनीकी-आर्थिक मानकों में सुधार के जरिये कार्य निष्ठादान में सुधार	विकास परियोजनाओं का अनुमोदन	योजना कोष से 3 अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं (जारी) की प्रगति की निगरानी हेतु परियोजना समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठक	संख्या	1.00	6	5	4	3	2	14	100.0	1.0	



कार्यनिधादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिधादन अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा			
						100%	90%	80%			
						100%	90%	80%	70%	60%	
			ii) अखिलीआईएस सेल, रांची द्वारा भारतीय गौणशिल्पिक हेमाटाइट अयस्कर जो विभिन्न आकार का चूण है, हेटु परीक्षण आधार पर प्रोटोइंजेशन टेक्नोलॉजी का विकास								
			iii) इंस्टीट्यूट ऑफ मिनरल प्रूफ बैठोरियल टेक्नोलॉजी आईएमएटी भुवनेश्वर द्वारा न्यूनतम अथवा सीओ2 मुक्त उत्पादन के साथ हाइड्रोजन जैसे वैकात्यिक रिड्कर्ट्स का जैतानिक उपयोग करते हुए हाइड्रोजन प्लाज्मा द्वारा लौह अयस्कर चूण का स्मेलिंग								

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदण्ड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्पादन	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब	अपरिकृत स्कोर
					100%	90%	80%	70%	60%		



कार्यनिधादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	अपरिष्कृत स्फेर	कार्यनिधादन स्फेर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा			
						100%	90%	80%	70%	60%	

कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्यालय	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्पादन अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	ठीक			
						100%	90%	80%			
नियात संवर्धन हेतु शुल्क मुक्त योजना के तहत मानक इनपुट—आउटपुट नाम्स्—वैश्विक बैचमार्क तक पहुँचने के लिए सेल के तकनीकी—आधिक मानकों में सुधार	लौह एवं इस्पात योजना के तहत मानक इनपुट इनपुट—आउटपुट नाम्स् का सशोधन /परिवर्तन	संख्या	0.50	4	3	2	1	0	4	100.0	0.5
कोल डर्ट इंजिनियरिंग (सीआईआई)	कोल डर्ट इंजिनियरिंग प्रणाली से कच्चे इस्पात का उत्पादन	किं.ग्रा.	0.50	56.5	56	55.5	54.9	54.4	53	0.0	0.0
ब्लार्ट फॉर्मेस कोक दर	ब्लार्ट फॉर्मेस टीएचएम/एम3/दिन ग्रै.केल/टीसीएस खपत	किं.ग्रा./टीएचएम/एम3/दिन	0.50	486.4	491.5	496.6	501.7	506.8	513	0.0	0.0
विशिष्ट ऊर्जा खपत	अनुसंधान एवं विकास खर्च शम उत्पादकता	% पीएटी/टीसीएस/एमएआर/वर्ष	0.50	1.20	1.00	0.95	0.90	0.85	5.19	100.0	0.5
एलोमरेट %	एलोमरेट %	% वर्ष	0.50	270	268	265	263	260	278	100.0	0.5
ब्लार्ट फॉर्मेस स्लैग दर	ब्लार्ट फॉर्मेस टीएचएम एसएमएस (वीआएफ) स्लैग दर	किं.ग्रा./टीएचएम	0.50	371	375	379	383	387	398	0.0	0.0
सीओ 2 उत्सर्जन	सीओ 2 उत्सर्जन टी/टीसीएम	टी/टीसीएम	0.50	139	140	141	142	144	147	0.0	0.0



कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्ठादान अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर	
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा				
						100%	90%	80%				
वैशिक बैचमार्क तक पहुंचने के लिए आरआईएनएल के तकनीकी-आर्थिक मानकों में सुधार		वैशिक बैचमार्क तक पहुंचने वौथी तिमाही में बीएफ उत्पादकता मी/दिन का वीएफ-3	टी/घन घन मी/दिन	0.50	2.20	2.09	1.99	1.89	1.79	1.82	63.0	0.32
वौथी तिमाही में पीसीआई का बीएफ-3		वौथी तिमाही में पीसीआई का बीएफ-3	कि./ट्रायाएम	0.50	50	48	46	43	41		एन/ए	एन/ए
कन्वर्टर उत्पादकता (एमएमएस1)		कन्वर्टर उत्पादकता टीसीएस/घन मी/दिन	टीसीएस/घन मी/दिन	0.50	24	23	22	21	20	24.89	100.0	0.5
श्रम उत्पादकता		श्रम उत्पादकता टीसीएस/घन मी/दिन	टीसीएस/घन मी/दिन	0.50	340	330	314	298	283	371	100.0	0.5
विशिष्ट ऊर्जा खपत		विशिष्ट ऊर्जा खपत	ग्रे/केल/टीसीएस	0.50	6.21	6.52	6.86	7.22	7.60	6.19	100.0	0.5
जल खपत		जल खपत	घन मी/टीसीएस	0.50	2.80	2.94	3.09	3.26	3.43	2.32	100.0	0.5
अनुसंधान एवं विकास खय		अनुसंधान एवं विकास खय	% पैण्टी	0.50	1.05	1.00	0.95	0.90	0.86	1.05	100.0	0.5
एलोमरेट का (सिंटर इन द चार्ज)	%	एलोमरेट का (सिंटर इन द चार्ज)	0.50	75	70	65	60	55	72.1	94.2	0.47	
बीएफ स्ट्रीग दर		बीएफ स्ट्रीग दर	कि.ग्रा/ट्रायाएम	0.50	378	385	390	395	400	365	100.0	0.5
सीओ 2 उत्पर्जन		सीओ 2 उत्पर्जन	टी/ट्रायाएम	0.50	2.66	2.71	2.80	2.85	2.90	2.66	100.0	0.5

कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

ठेकेड़ी	वर्जन	कार्रवाई	इकाई	वर्जन	सफलता का संकेतक		उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	मूल्य	उपलब्धि	अपरिष्कृत स्कोर	कार्यनिष्ठादान मारित स्कोर	
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा								
5. इसात मंत्रालय के सार्वजनिक क्षेत्र के उपकर्मों द्वारा विलय अधिग्रहण और संयुक्त उद्यमों को सुकर बनाना और उनकी निगरानी	6.00	आरआईएनएल: एनएमडीसी के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में नागरना ऐ विशाखापत्नम तक स्लरी पाइप लाइन हेतु मार्ग सर्वेक्षण करना	रुट सर्वे का आर्म	दिनांक	3.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014	30.09.2013	100.0	3.0	
		उच्च ग्रेड/विशेष इस्पात के लिए प्रौद्योगिकी विकास	एमओयू/जेवी हस्ताक्षरित करना	दिनांक	3.00	10.03.2014	15.03.2014	20.03.2014	25.03.2014	31.03.2014	31.03.2014	एन/ए	एन/ए	



कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वर्जन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वर्जन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्ठादान अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा			
						100%	90%	80%	70%	60%	
6. नई नीति पहल को अंतिम रूप देना	2.00	नई राष्ट्रीय इस्पात नीति को अंतिम रूप देना	राष्ट्रीय इस्पात नीति पर केबिनेट नोट प्रस्तुत	तारीख	1.00	30.09.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014	एन/ए
		देश को इस्पात का शुद्ध नियांतक के रूप में बदलने के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रणनीति तैयार करना	इस्पात नियांतक मंच की पुँज़ शुरुआत	तारीख	1.00	31.12.2013	31.01.2014	15.02.2014	15.03.2014	31.03.2014	एन/ए
7.इस्पात उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों हेतु व्यापक डेटा आधार का सृजन एवं नवीकरण	2.00	संयुक्त उद्यम समिति (जेपीसी) द्वारा भारतीय संघ लौह उद्योग इस्पात मंत्रालय का व्यापक सर्वेक्षण को प्रस्तुत	तारीख	2.00	30.11.2013	31.12.2013	31.01.2014	28.02.2014	31.03.2014	18.11.2013	100.0
8.लौह एवं इस्पात क्षेत्र में मानव संसाधन विकास	6.00	सेल: कर्मचारियों को प्रशिक्षण आरआईएनएल : कौशल विकास	कुल कर्मचारियों में से प्रशिक्षित कर्मचारियों का %	%	2.00	30	28	26	24	22	46.3

कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदण्ड मूल्य		उपलब्धि	कार्यनिष्ठादान अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर					
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	ठीक	खराब					
						100%	90%	80%	70%	60%					
		योजना की परिपूर्णता				50	40	30	20	10					
		तकनीकी: इस्पात उद्योग हेतु मानव संसाधन विकास के लिए के अध्ययन हेतु से विद्यार्थियों के लिए इस्पात मंत्रालय की चेयर प्रोफेसर और छात्रवृत्तियों की योजना का कार्यान्वयन													
9. पर्यावरण संवर्धन 8.0	आरआईएनएल: एव प्रदूषण नियंत्रण हेतु कारार कदम	i) अपशिष्ट ऊर्जा से विद्युत बास्ट फॉन्स(लिएफ) उत्पादन हेतु हरित ग्रोद्यागिकी की शुरुआत ii) जैव-विविधता की दिशा में प्रयास iii) आरआईएनएल में सिंस्टर संयंत्र अपशास्ट रिकवरी परियोजना का कार्यान्वयन				तारीख2.00	28.02.2014	15.03.2014	20.03.2014	25.03.2014	31.03.2014	15.03.2014	90.0	1.8	
						संख्या	1.00	10500	10000	9500	9000	8500	10500	100.0	1.0



कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्ठादान अपरिष्कृत स्कोर	मारित स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा			
						100%	90%	80%			
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	खराब		
						100%	90%	80%	70%	60%	
तकनीकी: इस्पात संयंत्र से प्रदूषण की निगरानी			i) चिमनियों से पटिक्कलेट मेटर का उत्सर्जन (सेल)	कि.ग्रा./ टीएसएस	1.00	0.1	0.5	0.8	0.9	1.00	0.86
			ii) चिमनियों से पटिक्कलेट मेटर का उत्सर्जन (आरआईएनएल)	कि.ग्रा./ टीएसएस	1.00	0.1	0.5	0.8	0.9	1.0	0.58
			iii) विशिष्ट कचरा मी 3/ डिस्चार्ज (सेल)	मी 3/ टीएसएस	1.00	0	1.50	2.00	2.00	2.25	2.40
			iv) विशिष्ट कचरा डिस्चार्ज (आरआईएनएल)	मी 3/ टीएसएस	1.00	0	1.50	2.00	2.00	2.25	2.40
*आरएफडी प्रणाली का सुचारू संचालन	3.00	झापट आरएफडी 2014–15 का अनुमोदन हेतु समय पर प्रस्तुति 2012–13 के परिणामों की समय पर प्रस्तुति	समय पर प्रस्तुत तारीख 01.05.2013	तारीख 02.05.2013	05.03.2014	06.03.2014	07.03.2014	08.03.2014	11.03.2014	05.03.2014	100.0
											2.0
											एन/ए
											एन/ए

कार्यनिष्ठादन मूल्यांकन रिपोर्ट


उद्देश्य	वजन	कार्रवाई	सफलता का संकेतक	इकाई वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्ठादन अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
					उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा			
*पारदर्शिता / सेवा प्रश्नात्मक मंत्रालय / विभाग	3.00	सिटिंग्स / कलाइंट्स चार्टर (सीरीसी) के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन%	% 2.0	100 90%	90% 80%	70% 60%	80 85	80 85	एन/ए 80
		जन शिकायत निवारण प्रणाली के कार्यान्वयन की स्वतंत्र लेखा परीक्षा	कार्यान्वयन %	% 1.0	100 95	90 90	85 85	80 80	80 80	एन/ए 80
*प्रशासनिक सुधार	6.00	भ्रष्टाचार के संभावित जोखिम को कम करने के लिए रणनीतियों का कार्यान्वयन अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार आईएसओ: 9001 का कार्यान्वयन	कार्यान्वयन %	% 2.0	100 95	90 90	85 85	80 80	100 100	100.0 100.0
		नवोन्मेषी कार्य योजना का कार्यान्वयन	प्राप्त माइलस्टोन %	% 2.0	100 95	90 90	85 85	80 80	100 100	100.0 100.0
		द्वितीय यात्रारसी की सिफारिशों के अनुसार मंत्रालय / विभाग की प्राथमिक एवं गैर-प्राथमिक गतिविधियों को चिह्नित करना	समय पर प्रस्तुत तारीख	1.0 27.01.2014	28.01.2014 29.01.2014	30.01.2014 31.01.2014	30.01.2014 31.01.2014	27.01.2014 27.01.2014	100.0 100.0	1.0 1.0



कार्यनिष्ठादान मूल्यांकन रिपोर्ट

उद्देश्य	वजन	कार्यवाई	सफलता का संकेतक	इकाई	वजन	लक्ष्य / मानदंड मूल्य			उपलब्धि	कार्यनिष्ठादान अपरिष्कृत स्कोर	भारित स्कोर
						उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	चीक			
						100%	90%	80%			
आंतरिक दक्षता / अनुक्रियात्मकता में सुधार	2.00	12वीं पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकताओं के मुताबिक विभागीय रणनीति के नवीकरण	रणनीति का समय तारीख पर नवीकरण	2.0	10.09.2013	17.09.2013	24.09.2013	01.10.2013	08.10.2013	10.09.2013	0.0
*वित्तीय जवाबदेही फ्रेमवर्क के अनुपालन को सुनिश्चित करना	1.00	नियंत्रक एवं महात्मेखा परीक्षा के लेखा परीक्षक घेरा पर की गई कार्रवाई टिप्पण एटीएम की समय पर प्रस्तुति	वर्ष के दौरान नियंत्रक एवं महात्मेखा परीक्षक संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की तारीख से निर्धारित तारीख (चार माह) के भीतर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रतिशतता	%	0.25	100	90	80	70	60	100.0
पीएसी रिपोर्ट पर पीएसी सञ्चिवालय को की गई कार्रवाई रिपोर्ट की समय पर प्रस्तुति			वर्ष के दौरान पीएसी द्वारा संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की तारीख से निर्धारित तारीख (6 माह) के भीतर प्रस्तुत की गई रिपोर्ट की प्रतिशतता	%	0.25	100	90	80	70	60	100.0

ਕਾਰ੍ਯਨਿਘਾਦਨ ਸੁਲਧਾਂਕਾਨ ਰਿਪੋਟ





इस्पात मंत्रालय
भारत सरकार
www.steel.gov.in